खण्ड-409, अंक-3
बुधवार, 4 फाल्गुन, शक संवत् 1915
(23 फरवरी, 1994 ई0)

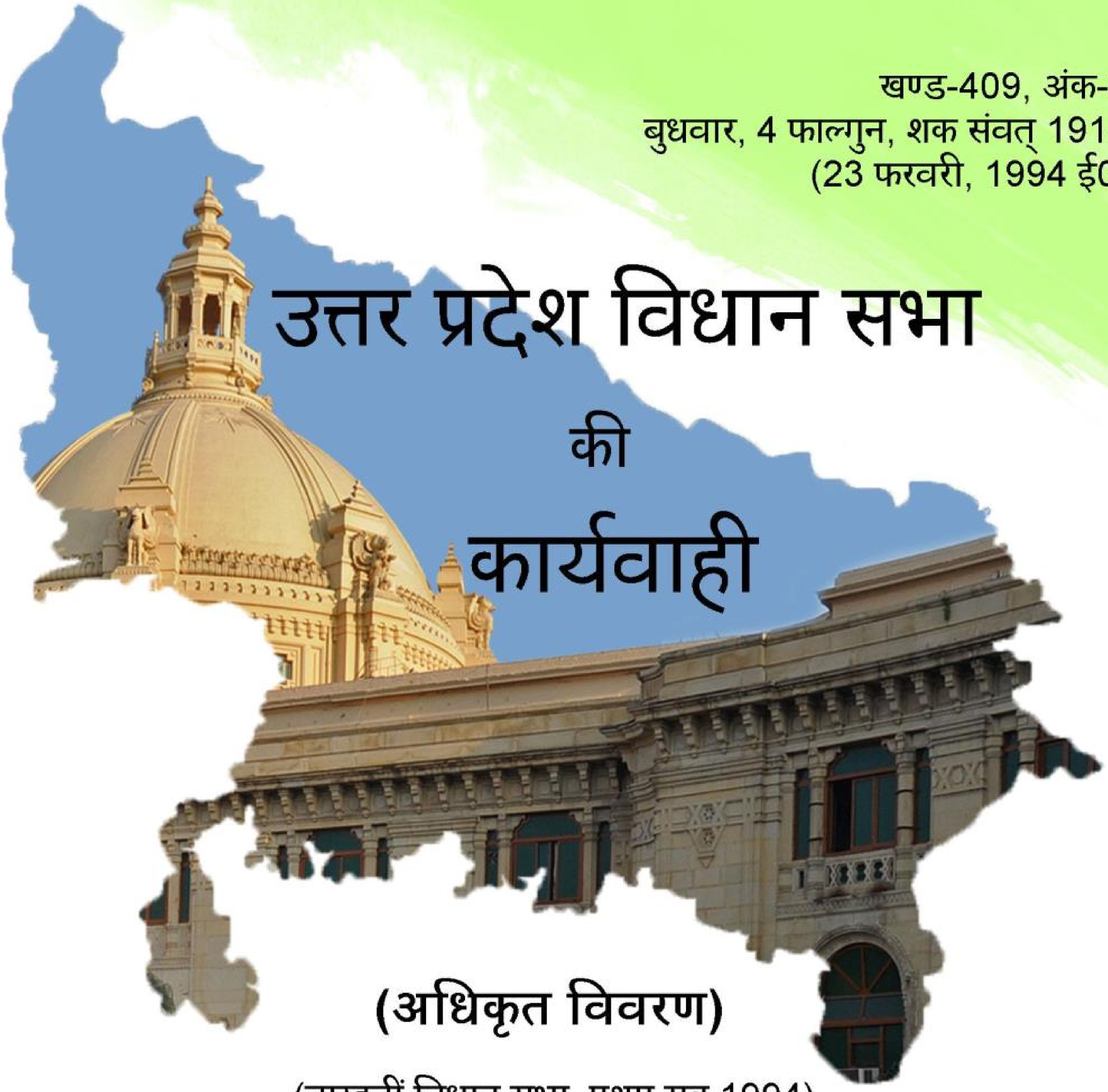

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 409 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1
नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को उठाने का प्रयास ..	1
प्रश्नोत्तर (जारी)	1-2
शिक्षा विभाग से संबंधित प्रश्न का उत्तर सदन में उपस्थित शिक्षा मंत्री द्वारा न दिये जाने पर आपत्ति (जारी)	2–6
सदन में 'हुल्लड़' शब्द के प्रयोग पर आपत्ति	6–11
शिक्षा विभाग से संबंधित प्रश्न का उत्तर सदन में उपस्थित शिक्षा मंत्री द्वारा न दिये जाने पर आपति	11–12
प्रश्नोत्तर	12–108
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	108-109
नैनीताल जनपद के तराई में किसानों का उत्पीड़न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
दि काशी सहकारी चीनी मिल औराई वाराणसी के बन्द होने से किसानों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	110
आगरा में गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110
शाहजहांपुर में गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110–111
हरदोई जनपद में बिलग्राम तहसील के लिये हरपालपुर व सांड़ी से बसें चलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111
प्रदेश के कोषागारों में कार्यरत लिपिकीय कर्मचारियों के लिये सलेक्शन ग्रेड एवं प्रोन्नत वेतनमान देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	11
पिथौरागढ़ नगर पालिका के लीज पट्टाधारकों का उत्पीड़न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	112
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनायें	112–113

विषय	पृष्ठ-संख्या
क्रिकेट के टेस्ट मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने का नया विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले भारत के यशस्वी खिलाड़ी श्री कपिल देव के लिये बधाई प्रस्ताव (स्वीकृत)	113–117
प्रदेश में लाटरी बन्द किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	118–119
आजाद काश्मीर को भारतवर्ष में मिलाने तथा पाकिस्तान को चेतावनी देने संबंधी प्रधान मंत्री के कथन विषयक प्रस्ताव को नियम 110 के अन्तर्गत रखे जाने की मांग	119–120
महर्षि दधीचि की तपोस्थली मिश्रिख, सीतापुर के पवित्र तीर्थ के सुधार तथा सौन्दर्यीकरण किये जाने विषयक श्री गया प्रसाद मिश्र आदि की याचिका (प्रस्तुत की गयी) ..	128–129
नियम 300 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को नियम 311 के अन्तर्गत लिये जाने की मांग	129
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	129–130
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	131
गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्त नगर के प्रबन्ध बोर्ड में तथा उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइफ कौंसिल में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो-दो सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम तथा श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का सुझाव (स्वीकृत)	131–132
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य चीनी निगम की आठ इकाइयों के अधिग्रहण से हजारों मजदूरों एवं किसानों में व्याप्त आक्रोश के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	132–140
डंकल प्रस्ताव समझौते पर केन्द्र सरकार से हस्ताक्षर न करने के लिये आग्रह विषयक दी गयी नियम 103 की नियम 311 में परिवर्तित सूचना ..	140–155
राज्य सरकार द्वारा साम्प्रदायिकता की तुष्टीकरण की नीति अपनाये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	155–165
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	165–166
जनपद आगरा के थाना खेड़ा राठौर के ग्राम महुआशाला में चम्बल के दस्यु नेता नेतराम उर्फ नेता तथा उसके साथियों के मारे जाने से उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश पुलिस में तनाव विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना ..	166–168
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	168–175
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	175–176
नत्थियां	177–188

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 23 फरवरी, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
अशोक कुमार सिंह उर्फ चौधरी बेबी, श्री	उन्नाव
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
गिरीश नारायण पाण्डेय, श्री	रायबरेली
दौलत राम, श्री	सीतापुर
नन्द किशोर मिश्रा, श्री	देवरिया
प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली
मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
राम किशोर बिन्द, श्री	वाराणसी
राम दवर, श्री	जौनपुर
राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
लक्ष्मी चन्द्र, श्री	बुलन्दशहर
लालमणि प्रसाद, श्री	बस्ती
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विश्वम्भर सिंह, श्री	मथुरा
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
संत बक्श रावत, श्री	लखनऊ
समीर भाटी, श्री	गाजियाबाद
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर देहात
हृदय नारायण, श्री	उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 23 फरवरी, 1994

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को उठाने का प्रयास

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, नियम–311 में मेरा प्रस्ताव है उसको सुन लें ...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा निवेदन था प्रश्नोत्तर काल के बाद नियम–311 की जो सूचना दी है उसको ले लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको देख लूंगा।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

सारे देश की आजादी खतरे में पड़ गयी है। किसानों के गले में गुलामी का फंदा पड़ रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो प्रश्न लगे हैं यह महत्वपूर्ण हैं। इसको मैं प्रश्नोत्तरकाल के बाद सुनूंगा।

प्रश्नोत्तर (जारी)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के सभी कान्वेन्ट स्कूलों एवं सरस्वती शिशु मंदिर को बन्द करने विषयक सरकार की योजना की जानकारी

**1–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी कान्वेन्ट स्कूल तथा सरस्वती शिशु मंदिर बन्द कर दिये जाने अथवा उन्हें अधिग्रहीत किये जाने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (डा० मसूद अहमद)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर,

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

पहले यह प्रश्नोत्तर पढ़ना सीखें । संसदीय कार्य मंत्री जी से कहिए, कि पहले यह आपको ट्रेनिंग दे दें ।

(व्यवधान)

(डा० मसूद अहमद द्वारा उत्तर पढ़ा गया)

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर को पढ़वा दें ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री–(श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

उत्तर पढ़ दिया है ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप पहले नियम–311 ले लें ।

(व्यवधान)

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा द्वारा प्रश्न संख्या–1 का उत्तर पढ़ा गया)

शिक्षा विभाग से संबंधित प्रश्न का उत्तर सदन में उपस्थित शिक्षा मंत्री द्वारा न दिये जाने पर आपत्ति

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाइये प्रश्नों के संबंध में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

जब माननीय शिक्षा मंत्री जी सदन में मौजूद हैं तो उन्हीं को उत्तर देना चाहिए । यह ठीक है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत कोई भी मंत्री उत्तर दे सकता है लेकिन जब विभाग के शिक्षा मंत्री सदन में मौजूद हैं तो उन्हीं को उत्तर देना चाहिए ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मैं सदस्यों को बताना चाहता हूं कि प्रश्नों के संबंध में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

श्री राम आसरे वर्मा–

आपको विधान सभा की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने के लिये मेरी और माननीय सदस्यों की बात को सुनना पड़ेगा ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह सब कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा ।

यह मैं भलीभांति जानता हूं और हमारे मंत्रीगण और सदस्यगण भी भलीभांति जानते हैं कि जब मंत्री जी सदन में मौजूद हों, तो उनको उत्तर देना चाहिए, लेकिन अगर मंत्री जी किसी तरह से अस्वस्थ हैं तो उसका उत्तर दूसरा मंत्री भी दे सकता है ।

(घोर व्यवधान)

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप मेरी बात सुन लें, आपकी जो व्यवस्था होगी वह शिरोधार्य होगी, यह मेरा विनम्र निवेदन है । जो हमारी नियमावली है या पूर्व दृष्टांत हैं अगर आप उनको देखेंगे तो उससे सदन चलाने में आसानी होगी । आप उसके बाद जो कहेंगे मैं मान लूंगा । मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णय जो हैं 1979–84 तक उसके पृष्ठ 147 को आप देखने की कृपा करें । उसमें व्यवस्था दी गयी है कि अगर किसी वक्तव्य पर या किसी प्रश्न पर किसी मंत्री के हस्ताक्षर हैं और वह स्वयं उत्तर नहीं देना चाहता है तो कोई दूसरा मंत्री उत्तर दे सकता है लेकिन उसके लिये आपकी पूर्व अनुमति चाहिये । मैंने जो कहा है, शायद पृष्ठ संख्या या खंड संख्या सही होगी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इसमें नहीं है, मैं पुस्तक लाया हूं । आपको लानी चाहिए थी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय शिक्षा मंत्री के हस्ताक्षर से प्रश्न की प्रतिलिपि मिली है । उसका मूल उत्तर माननीय मंत्री को देना चाहिए था । संयुक्त उत्तरदायित्व के नाम पर कोई अन्य मंत्री इन्टरवीन कर सकता है लेकिन मूल वक्तव्य पढ़ने का अधिकार शिक्षा मंत्री को है । अगर वह कहते हैं कि मैं नहीं दे सकता हूं, असमर्थ हूं तो उसकी लिखित अनुमति आपसे लेनी चाहिए थी ।इसमें ज्वाइंट रिसपांसिबिलिटी का कोई सवाल नहीं है । अगर वह मानसिक रूप से अथवा शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं या किसी कारण से उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो उसकी पूर्व अनुमति लेनी चाहिए । अस्वस्थता के नाम पर आप उनको मान्यवर, संरक्षण प्रदान न करें । यह आपके द्वारा आपके अधिकारों का अतिक्रमण है । अधिकारों का अतिक्रमण न हो, ऐसी आप व्यवस्था दें । अगर माननीय मंत्री जी तैयार नहीं हैं तो आप कृपा करके प्रश्न को स्थगित कर दें और किसी अगली तिथि को ले लें ।

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर)

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी की बात सुन लें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, सदन में जब आपने प्रश्न पुकारा तो माननीय शिक्षा मंत्री जी खड़े हुए और उसके बाद बैठ गये । सदन के माननीय सदस्य यह भी नहीं जान पाये कि उन्होंने कौन सा उत्तर दिया । माननीय शिक्षा मंत्री उपस्थित हैं अगर वह उपस्थित न होते तो कोई दूसरा मंत्री उत्तर देता, लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसा होता है और उसके लिये आवश्यक तथा कि माननीय शिक्षा मंत्री अपनी असमर्थता रखते और पूर्व अनुमति लेते, तब जाकर कोई दूसरा मंत्री उत्तर देता । मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि ऐसी व्यवस्था करें कि यदि संबंधित मंत्री सदन में मौजूद हैं तो वह अपने विभाग से संबंधित प्रश्नों का जवाब यहां पर दें । यदि किन्हीं परिस्थितियों में उत्तर देने में असमर्थ हैं तो यह परम्परा है कि लिखकर दे देते हैं कि मैं असमर्थ हूं, फलां-फलां मंत्री उत्तर देंगे । अगर ऐसी व्यवस्था यहां पर होती तो किसी को आपत्ति नहीं थी, इस तरह की बात आती, तो किसी को एतराज न होता ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त और माननीय राम आसरे वर्मा, दोनों की बातों से मैं सहमत हूं। आपसे निवेदन करना चाहता हूं यहां प्रश्न यह नहीं है कि जवाब क्यों नहीं देते ? वह खड़े हुए । जैसा कि यहां कहा गया, मैं पहली बात नहीं कहूंगा, दूसरी बात शारीरिक रूप से अस्वस्थ हूं, यह उन्होंने कहा नहीं है । ऐसा कोई अनुरोध उन्होंने नहीं किया है । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूंगा कि व्यर्थ में सदन का समय न जाया हो, उनसे कहा जाय कि वह उत्तर पढ़ दें, उसके बाद सप्लीमेंटरी हो । अगर उनको असुविधा है तो आप बगल में बैठ जायं, कान में बताते रहें, तो ज्यादा अच्छा होगा । प्रश्न काल बड़ा महत्वपूर्ण होता है । अगर मंत्री जी तैयार नहीं हैं तो इसको स्थगित कर दें ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, वैसे तो माननीय गुप्ता जी, कदाचित इन प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता है । आपने एक हवाला अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का दिया, वह हमारे सामने है । मान्यवर, हम गुप्त जी से नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि वह बाहर चाहें जितना गुमराह करें, लेकिन सदन के अन्दर गुमराह करने की कोशिश न करें । यह आप ही का प्रश्न था। इसमें बस्ती से लखनऊ आने वाली बस को लूटे जाने के संबंध में था । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा, महत्वपूर्ण वक्तव्यों पर प्रश्नोत्तर में संगत प्रश्नों के संगत उत्तर दिलाने की व्यवस्था करें । इस पर उपाध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी थी कि जब अध्यक्ष-पीठ से कोई प्रश्न स्वीकार कर लिया जाय, तो उसका उत्तर सही आना चाहिए । इसमें यह व्यवस्था थी ।

(घोर व्यवधान)

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आप चूंकि संतुष्ट नहीं हुए, इसलिये मैं खड़ा हो गया।

(घोर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी तैयार होकर नहीं आये हैं, तो इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सब बैठ जायं।

(घोर व्यवधान)

आप नहीं बैठते हैं, तो खड़े रहिये।

(घोर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह प्रश्नों का समय बर्बाद हो रहा है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप बैठ रहे हैं, तो क्या हम लोग इसी तरह से खड़े रहेंगे ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, इसे स्थगित करके दूसरा प्रश्न ले लें।

(घोर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप इस सवाल को स्थगित कर दें। इसमें सदन का समय बर्बाद हो रहा है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी की असमर्थता हो सकती है अगर वह उत्तर देने मे असमर्थ हैं तो वह अपनी असमर्थता व्यक्त कर दें, लेकिन इस तरह से सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी ?

(घोर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहता हूं.....

(घोर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मान्यवर, इसे स्थगित कर दें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

तो आप बोलिये ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राम आसरे वर्मा–

आप मेरा निवेदन सुन लें । आप शिक्षा मंत्री जी को उत्तर देने के लिये कहें । अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी उत्तर नहीं दे सकते हैं, तो वह कह दें । माननीय शिक्षा मंत्री जी को उत्तर देने के लिये आप रोक रहे हैं । सदन की कार्यवाही नहीं चला रहे हैं ।

(व्यवधान)

सदन में 'हुल्लड़' शब्द के प्रयोग पर आपत्ति

श्री अध्यक्ष–

मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर सदन की कार्यवाही आप विधिवत चलाना चाहते हैं और जनता की समस्याओं के निराकरण के लिये अपनी बात कहना चाहते हैं तो कहें और तब तो सदन को शांति पूर्ण ढंग से चलने दें और अगर सदन में आप हुल्लड़ मचायेंगे तो मचाते रहिये, लिखा कुछ नहीं जायेगा, अखबार में आने के लिये अगर ऐसा करना चाहते हैं तो करते रहिये, मैं सदन को स्थगित नहीं करूंगा, मैं यहीं पर बैठूंगा ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आप अपने अधिकारों को लांघ रहे हैं आपने हुल्लड़ शब्द का प्रयोग किया है । आप यहां पर बहस करा लें, कि क्या हुल्लड़ शब्द संसदीय है या असंसदीय है । इसको पहले आप तय कर लें ।

(व्यवधान)

पहले यह तय हो जाये कि हुल्लड़ शब्द संसदीय है या असंसदीय है, तब सदन की कार्यवाही चलायी जाये ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यहां पर यह परम्परा रही है कि आपके निर्देशों के मुताबिक यह सदन चले ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

अगर आप शिक्षा मंत्री जी को निर्देशित कर देते (व्यवधान) आप सुनेंगे नहीं । अगर शिक्षा मंत्री जी को इसके लिये निर्देशित कर देते कि वह उत्तर दें और अगर वह असमर्थ थे उत्तर देने में तो वह कह देते और अपनी असमर्थता जाहिर कर देते, लेकिन आपने एक नयी चीज पैदा कर दी कि आपने एक

ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया, जो असंसदीय है। हुल्लड़ शब्द का प्रयोग कर दिया। मान्यवर, कभी-कभी जाने और अनजाने में कोई शब्द निकल जाता है और यह स्वाभाविक है, लेकिन अगर वह शब्द निकल गया तो आप उसे कार्यवाही से हटा दें, उसे कार्यवाही से निकालने के निर्देशित कर दें। शिक्षा मंत्री जी उत्तर दे दें और फिर चाहे तो आप उसे स्थगित कर दें।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही संयत चले और हम सभी का हक है कि अपनी-अपनी बात को यहां पर रखें, लेकिन कभी-कभी दुख होता है कि यहां पर इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं। मान्यवर, आपको स्वयं को क्रोध नहीं आना चाहिए। वर्मा जी ने कई बार प्रश्न उठाया था, उनके प्रश्न का निराकरण नहीं हुआ। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि इसी प्रकार से बकवास शब्द का प्रयोग हो गया था, तो अध्यक्ष पीठ से उस शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया गया था, मैं नहीं कहता कि आपने इस शब्द प्रयोग जानबूझकर किया है, जाने और अनजाने में, इस प्रकार के शब्द निकल जाते हैं। अगर आप इस शब्द को कार्यवाही से नहीं निकालेंगे तो हजारों हजारों साल जब इस कार्यवाही को पढ़ा जायगा, तो सदन की गरिमा पर आंच आयेगी तो यह ठीक नहीं है कि यह शब्द कार्यवाही में लिखा रह जाये। आप कृपया देख लें कि हुल्लड़ शब्द अगर अनजाने में निकल गया है, तो उसे आप कार्यवाही से निकाल दें, कार्यवाही का अंग न बनने दें। अगर एक चूक हो गयी है, तो इसे सुधार लेना चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी लिखित उत्तर को पढ़ दें, सदन की कार्यवाही को विधिवत चलायें और अनावश्यक बातों में सदन का समय न जाया होने दें।

एक सदस्य–

(सत्ता पक्ष की ओर से) हुल्लड़ शब्द असंसदीय नहीं है।

*श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह दुखद विषय है। हम लोगों के संरक्षक आप हैं और आप ही यहां पर बैठकर ऐसा करेंगे तो हमारे अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा। अगर आप ने यह कहा कि हम लोग यहां पर बैठकर हुल्लड़बाजी करते हैं तो इससे सदन की गरिमा गिरती है। सदन की गरिमा इससे जायेगी या आयेगी। इस पर आप स्वयं ही सोच लें। मैं इसको आप के ऊपर ही छोड़ देता हूं। मैं आक्षेप नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कहना चाहता हूं कि कभी-कभी भावावेश में कोई बात निकल जाती है, जिसका कुछ मकसद नहीं होता है और उसका कोई मतलब नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूं कि जो शब्द का प्रयोग हो गया है, उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये और मैं यह निर्णय आप के ऊपर ही छोड़ देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप बिलकुल गलत कह रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

गुप्त जी ने कहा कि बकवास कहा, मैंने बदमाश शब्द कहा है। मेरी बात तो आप लोग सुन लीजिए। हुल्लड़ शब्द संसदीय है, निश्चित ही संसदीय है।

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं इसके विरोध में अपने दल को लेकर सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरी बात को भी सुन लें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सरकार का दृष्टिकोण जिस तरह से चल रहा है कि प्रतिपक्ष की बातों का सम्मान न करना और माननीय मंत्रियों द्वारा किसी भी तरह का अध्ययन न करके प्रश्नोत्तर ठीक प्रकार का न देना शासन की विफलता और शासन की हृदयहीनता है। इसके साथ ही मैं अपने दल के साथ बहिर्गमन करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

(घोर व्यवधान)

* श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मुझे अफसोस हो रहा है कि आपके द्वारा ही एक बात पैदा हो गयी है और अब आप भावावेष में आकर गरम हो रहे हैं, विधायकों को धमका रहे हैं। मंत्री जी मौजूद हैं आप उनसे कह सकते थे, मंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कह सकते थे तो इससे इतना समय बरबाद न होता, लेकिन आपने हुल्लड़ बता दिया कि विधायक हुल्लड़ करते हैं। इससे सदन की गरिमा घटी है। किसी भी अध्यक्ष ने मान्यवर, हुल्लड़ शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अगर आप यह मानते हैं कि आपके मुख से अनायास यह शब्द निकल गया तो आप इस बात को कार्यवाही से निकालने के बजाय उल्टे गरम होकर तैश में विधायकों को धमका रहे हैं यह उचित बात नहीं है। मान्यवर, यहां अपेक्षा यह है कि यदि हम उत्तेजना फैलायें, हम गरमी की बात करें या हम कोई ऐसा कानून नियम का उल्लंघन करें तो उसके लिये आप बैठे हैं। लेकिन आप उत्तेजना पैदा करें, गरम हो, विधायकों को धमकायें, फिर खड़े होकर धमका रहे हैं, किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं हैं। शिक्षा मंत्री जी जवाब दे सकते हैं (व्यवधान) माननीय मंत्री जी वहां बैठे हुए हैं वह कह देते कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आपकी इन सब बातों से असंतुष्ट होकर अपने दल के साथ सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(श्री किरन पाल सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

मैं, माननीय सदन के सम्मुख बात कह रहा हूं और मुझे पूरी बात भी नहीं कहने दी। मैं क्या कहना चाहता था उस पूरी बात को भी नहीं कहने दिया गया और बीच में ही शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं क्या आगे कहने वाला था उसको सुन लेना चाहिए था। क्या मैं आपकी बात ही सुनता रहूं। नियम के अन्तर्गत और नियमों के बाहर भी जो कहते गये वह सुनता गया, मैंने कुछ नहीं कहा। अगर मेरी बात हो जाती और उसके बाद संतुष्ट नहीं होते तो उसके बाद कोई बात उठा सकते थे। यह बात आपकी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियमानुसार थी या सदन की गरिमा के विरुद्ध थी । मेरी बात तो आप सुनना ही नहीं चाहते, मैं वही बात कह रहा था, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते, आप अपनी बात उठाना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि किसी तरह से यह न्यायसंगत नहीं है और इस तरह से सदन चलाने की बात करना तर्कसंगत नहीं है। आप प्रदेश की जनता की ज्वलन्त समस्याओं को सदन में उठाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सदन अच्छा चलेगा, शान्तिमय तरीके से चलेगा और जनता की समस्याओं का समाधान होगा । लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मेरी बात पूरी हो भी नहीं पायी और जो मैं कह पाया उसी पर मनचाहे तरीके से 10–20 सदस्य खड़े होकर अपनी बात कहने लगे जो शब्द प्रयोग किया था, हुल्लड़, लेकिन जो शब्द गुप्ता जी ने कहा उसका मैंने कोई प्रयोग नहीं किया ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने उसके समान अर्थी एक शब्द का प्रयोग कर केवल स्मरण कराया था.....

श्री अध्यक्ष–

मैंने केवल निवेदन किया था कि हुल्लड़ से तो सदन नहीं चलेगा, सदन चलेगा शांतिमय तरीके से, मेरी कोई मंशा इस तरह की न थी, न है और न रहेगी ।

* श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, कल हम लोगो ने आपका नमक खाने का प्रयास किया था । हमें आशा थी कि आप हम लोगों को अपना संरक्षण देंगे । उत्तर प्रदेश के संसदीय इतिहास में, हमको दुख है कि आपकी पीठ के खिलाफ बहिष्कार किया गया । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने इसको स्पष्ट कराना चाहा कि हुल्लड़ शब्द संसदीय या नहीं । हमारा आग्रह है कि इसको दिखवाकर कार्यवाही से निकलवाने के संबंध में अपना निर्णय दे दीजिये कि हुल्लड़ शब्द कार्यवाही में रहेगा या नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे दिखवा लूंगा, अगर यह कहीं असंसदीय शब्द होगा तो मैं क्षमा याचना के लिये भी तैयार हूं।

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होकर बोलने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अब जब बात खत्म हो गयी तब मा० संसदीय कार्य मंत्री जी क्या बोलना चाह रहे हैं ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से खड़ा हुआ हूं मैं अपनी बात कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मेरी बात भी नहीं सुनी गयी थी, मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं गयी थी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था के बाद मा० संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं यह उचित नहीं है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, बोलने का अधिकार सिर्फ आपका नहीं है, हमारा भी है । मैं पहले भी खड़ा हुआ था, ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का पक्ष नहीं आयेगा, तो अनुचित होगा । गुप्ता जी परिचित हैं कि अध्यक्ष पीठ पर किसी तरह का आरोप नहीं लगाया जाता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने अध्यक्ष पीठ पर कोई आरोप नहीं लगाया, सरकार पर आक्षेप लगाकर सदन से वाक-आउट किया था ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आप पूरी कार्यवाही उठाकर देख लें । मान्यवर, यहां यह परम्परा रही है कि यदि अध्यक्ष की किसी बात से असहमति है तो यहां चर्चा न करके, अध्यक्ष जी के कक्ष में जाकर उनसे अनुरोध करना चाहिए । अध्यक्ष ही कार्यवाही की पुष्टि करते हैं, तब जाकर कार्यवाही छपती है । अध्यक्ष के सम्मान को सर्वोच्च मानकर ऐसे विषयों पर उनके कक्ष में ही अनुरोध किया जाना चाहिए । अध्यक्ष के मसले पर यहां चर्चा करके एक अशोभनीय और असंसदीय परम्परा यहां पर शुरू की जा रही है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

यह आपके सहयोगी दल के मंत्री ने ही किया है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

पहले यह सीखिये कि जब हम मा० अध्यक्ष की अनुमति से बोल रहे हैं तो बीच में टीका टिप्पणी न करें । उसके बाद जो कहना हो, कह सकते हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी को बिठाइये, संसदीय कार्य मंत्री जी हम लोगों को संसदीय आचरण न सिखायें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हम खड़े है आपकी अनुमति से । इस तरीके से टीका-टिप्पणी करेंगे तो क्या आपका नेता कोई बोल सकता है ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

धमकी क्यों दे रहे हैं ?

(घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, यह साहस और पौरुष सबमें है । अगर ललकारने की भाषा इस्तेमाल की जायेगी तो हम कोई नपुंसक नहीं हैं ।

* मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

मान्यवर, बात बहुत हो चुकी है । अगर आप के नियंत्रण में गुप्ता जी आपके विधायक नहीं हैं तो क्या कहा जाय । मैं नियंत्रण रखता हूं सदन की कार्यवाही के सुचारु संचालन के लिये । सदन में एक अशोभनीय घटना हो चुकी है और उसकी पुनरावृत्ति न होने देने के लिये खेद भी व्यक्त किया है । अफसोस है कि आपने खेद व्यक्त नहीं किया और उसके बावजूद भी आप अपने माननीय सदस्यों पर नियंत्रण नहीं रखना चाहते हैं । पांच मिनट में ही यह हालत हो गयी है । जब माननीय अध्यक्ष जी ने माननीय संसदीय कार्य मंत्री को अनुमति दे दी तो उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है । जो इशारा किया जाता है, धमकी दी जाती है, अपराधी कहा जाता है यह सब असंसदीय है । मान्यवर, एक बार सदन में अशोभनीय घटना हो चुकी है हम नहीं चाहते हैं कि उसकी पुनरावृत्ति हो और उसके लिये भी माननीय नेता विरोधी दल संयम और धीरज बनायें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जिस समय माननीय सदस्य, बाराबंकी खड़े हुए थे मैंने उन्हें बैठने का संकेत दे दिया था और वह बैठ भी गये थे । लेकिन माननीय नेता सदन ने शायद अपने पीछे नहीं देखा कि क्या हो रहा है, मैंने उनसे कहा था कि आपके दल के लोग खड़े हैं ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, हम लोग नहीं चाहते हैं कि इसकी पुनरावृत्ति हो । इसमें हम लोगों को खेद व्यक्त कर लेना चाहिये और इस प्रकरण को यही समाप्त कर देना चाहिये । प्रश्नों का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है । अतः इसको यही समाप्त कर देना चाहिये ।

(शोर)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अगर हम लोग सदन में इसी तरह का वातावरण बनाये रखेंगे तो यह सदन शांतिपूर्ण ढंग से नहीं चल सकेगा । अगर माननीय नेता सदन, सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने के लिये अपील कर रहे हैं तो चाहे नेता, प्रतिपक्ष हो या और कोई हो उसे इस विषय को यही समाप्त कर देना चाहिये और सदन को चलने दें । प्रश्नकाल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसमें जनता की समस्याओं को लिया जाता है अतः इसको यही समाप्त कर दें और प्रश्नकाल होने दें ।

शिक्षा विभाग से संबंधित प्रश्न का उत्तर सदन में उपस्थित शिक्षा मंत्री द्वारा न दिये जाने पर आपत्ति

(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के और कांग्रेस के अनेक सदस्य बोलने के लिये खड़े हो गये और मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी । अगर मेरी पूरी बात सुन ली होती तो शायद इतनी बात न बढ़ती । अगर आप लोग बीच में ही

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बोलेंगे तो सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से नहीं चल पायेगी । दूसरी बात यह है कि बार-बार व्यवस्था का प्रश्न उठाना अव्यवस्था फैलाना होगा । तीसरी बात यह है कि हमारे माननीय सदस्यों को यह करना होगा कि जब कोई नेता बोलता है, तो उनको जानकारी करनी चाहिये वह खड़े होकर करनी चाहिये अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो यह अनुशासनहीनता होगी और सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल पायेगी मैंने पहले भी कहा था कि मुझे पूरी तरह से सुन लीजिये । मैंने यह कहा था कि माननीय मंत्री जी को तैयार होकर आना चाहिये । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर दिया इस पर आपत्ति की गयी, नियमों का उल्लेख किया गया । मैंने एक शब्द कहा था कि अगर किसी तरह से सदन में आने के पश्चात् कोई मंत्री किसी तरह का कारण बताते हुए यह कहता है कि उत्तर नहीं दे सकता, हो सकता है कि पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो .....

(शोर)

हो सकता है कि सीने में दर्द हो और हार्ट ट्रबुल की वजह से कह रहा हो, यह भी हो सकता है इस सबके बावजूद मैं यह जरूर निर्देश देना चाहूंगा कि सभी माननीय मंत्री, अगर वह सदन में उपस्थित होते हैं, तो अपिरहार्य परिस्थितियों को छोड़कर वह उत्तर आवश्यक रूप से दें और पूरी जानकारी से दें, जिससे सदन में इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो ।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं श्याम देव राय चौधरी जी से चाहूंगा कि वह अनुपूरक प्रश्न करें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मंत्री जी से उत्तर पढ़वा दें ।

(मंत्री जी द्वारा उत्तर पढ़ा गया)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस आदरणीय सदन का काफी समय नष्ट हो चुका है । आपने शिक्षा मंत्री को बहुत समझाया, फिर भी समझ में नहीं आया । आप माननीय शिक्षा मंत्री से पहले उत्तर पढ़वा दें ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं ।

प्रदेश में रोजगार दिलाने की नयी योजना की जानकारी तथा बेरोजगारी भत्ता की मांग

**2–श्री मित्रसेन यादव, श्री अखिलेश, श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा प्रदेश में "बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने" की नीति के तहत कोई कार्य योजना बनायी जा रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और उसका क्रियान्वयन कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सरकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार, होम गार्ड्स एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

जी हां ।

अभी विचाराधीन है ।

जी नहीं ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण संभव नहीं है ।

श्री मित्रसेन यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न के तीन भाग हैं । पहला है कि रोजगार मुहैया कराने की कोई योजना बनाई गयी है, तो उत्तर आया, जी हां । दूसरे भाग में मैंने पूछा है उसकी रूपरेखा तथा क्रियान्वयन के बारे में, तो उत्तर आया है, अभी विचाराधीन है । मैं जानना चाहता हूं कि वह योजना क्या है, जो बेरोजगारी समाप्त करने के लिये बनाई गयी है, उसके कुछ बिन्दुओं की ओर माननीय मंत्री जी प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, माननीय मित्रसेन जी ने जो सवाल पूछा है कि क्या शासन की बेरोजगारी दूर करने की कोई नीति है, उस दिशा में मान्यवर, उत्तर दिया गया है, जी हां और आगे पूछा है कि किस तरह की योजना है, उसके संबंध में बताना चाहता हूं कि शासन की प्रतिबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए शासन स्तर से प्रमुख सचिव, कृषि की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है और उस समिति ने अपनी बैठकें प्रारम्भ कर दी हैं, इस समिति से अपेक्षा की गयी है कि वह सभी बिन्दुओं पर रिपोर्ट तैयार करके शासन को अपनी संस्तुति दें, जिससे इस गम्भीर विषय पर निर्णय लिया जा सके ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब इस शासन की नीति स्पष्ट है और सरकार की भी नीति स्पष्ट है अभी परसों ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा जिसका इस प्रश्न से सीधा संबंध मै कि हम इस प्रदेश में जो जनादेश ले करके आये हैं वह अपने चुनाव घोषणा पत्र के अनुरूप लेकर आये हैं तो मान्यवर, इस सरकार की, जो समाजवादी पार्टी है, उसके घोषणा पत्र के पृष्ठ–7 पर सबको रोजगार देने की घोषणा है और इस सरकार ने जब पूरे प्रदेश की जनता के समक्ष यह वादा किया कि इस उत्तर प्रदेश में जो भी नौजवान 18 साल की उम्र को पार कर लेंगे और वह काम करने के इच्छुक होंगे तो उस सभी व्यक्तियों के लिये रोजगार देने के लिये यह सरकार बचनवद्ध है । मान्यवर, यह बचनवद्धता पूरे प्रदेश की जनता के सामने किया गया है और जब सरकार बनी तो महामहिम राज्यपाल जी के पिछले अधिवेशन के (इस अधिवेशन में तो महामहिम राज्यपाल जी ने कोई उल्लेख ही इस संबंध में नहीं किया है) अभिभाषण में सरकार की नीतियों को प्रतिबिम्बित करते हुए यह उल्लेख किया गया है कि "राज्य में बेकारी की समस्या से आज का युवक त्रस्त है । इस मूल समस्या के निराकरण की आवश्यकता के प्रति मेरी सरकार सजग है । राज्य की आर्थिक और औद्योगिक नीति पर नये सिरे से विचार करके यह प्रयास किया जायेगा कि नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हों " तो इस सरकार को 3 महीने हो गये, जो नये सिरे से आर्थिक और औद्योगिक नीति पर विचार करने के बारे में कहा गया है, माननीय मंत्री जी इस संबंध में क्या हुआ है ? मैं स्पष्ट

प्रश्न पूछना चाहता हूं कि रोजगार देने के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही सरकार ने क्या किया और जो 18 साल के नौजवान हो गये हैं, उन सबको रोजगार देने के संबंध में अभी तक क्या किया गया है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, हमारी शासन कथनी और करनी में कहीं पर अन्तर न हो और नीति और नीयत में कोई फर्क न हो, इसी मंशा से शासन की प्रतिबद्धता को देखते हुए और चुनाव घोषणा पत्र को देखते हुए श्रीमन् किसी भी पार्टी की चुनाव घोषणा पत्र का कार्यान्वयन होने की अपेक्षा 5 साल में की जाती है और उसका मूल भी है । हम श्रीमन् समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने पर प्रदेश में हम सभी नौजवानों को (समाजवादी पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र पढ़ने पर कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मान्यवर, हम अपने चुनाव घोषणा पत्र के प्रति बचनबद्ध हैं यह सरकार 4 दिसम्बर को बनने के एक महीने बाद ही 12 तारीख को एक उच्चस्तरीयकमेटी जो कि ए० पी० सी० की अध्यक्षता में गठित की गयी थी और यह मार्गदर्शन दिये गये कि किन-किन बिन्दुओं पर विचार करना है, किन-किन बिन्दुओं पर शासन को संस्तुति देनी है । श्रीमन् यह बेरोजगारी और गरीबी यह बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है और जिस पर केवल आज ही नहीं सदन जानता है बल्कि समय-समय पर चाहे यह आदरणीय सदन हो, चाहे हमारी सरकारें हो, चाहे भारत सरकारें हों, समय-समय पर उन्होंने चिन्तन और मन्थन किया, स्लोगन किया, लेकिन हमारी सरकार का स्लोगन नहीं है । हमारी सरकार की इच्छा शक्ति है और हम करना चाहते हैं । इस समस्या के ऊपर हम एक सप्ताह के अन्दर पुनः बैठक करना चाहते हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

नये सदस्य को अवसर मिलना चाहिये, माननीय अखिलेश सिंह जी ने भी यह प्रश्न पूछा है .....

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने प्रश्न की महत्ता को देखते हुए, अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों का समय निकल जाने के बाद भी, इस प्रश्न को लिया । पूरा उत्तर, आश्वासन सहित सरकार की ओर से माननीय मंत्री जी का आ गया है । अब इसमें कोई चीज शेष नहीं रह गई है । अब मैं आगे की कार्यवाही चला रहा हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी भी सहमत होंगे । आप भी सहमत होंगे कि जो प्रश्नकर्ता होता है, जिसका लिखित प्रश्न होता है, उनको एक प्रश्न पूछने का व दो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होता है । मैं यह नहीं कहूंगा कि आप उनसे प्रश्न पुछवायें परन्तु नियमों का तो पालन होना ही चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं माननीय सदस्य को अनुमति दे रहा हूं ।

श्री अखिलेश–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है । माननीय मंत्री जी बतायेगे कि उस समिति को क्या-क्या गाइडलाइन्स दी

गयी हैं । पूरे प्रदेश में कितने बेरोजगार हैं जो पंजीकृत हैं । पिछले तीन वर्षों में रोजगार दफ्तर कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या में गिरावट आने के कारण क्या हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, आदरणीय अखिलेश जी ने तीन सवाल किये हैं । पहला सवाल है प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या के संबंध में । हमारे प्रदेश में 96 इम्प्लायमेंट एक्सचेन्जेज हैं, वहां से जो रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर 24 लाख पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या है । दूसरी, भारत सरकार की संस्था एन० एस० एस० है जो राष्ट्रीय स्तर पर नमूना सर्वेक्षण करती है । वहां से रिपोर्ट आई है कि बेरोजगारों की संख्या 1 करोड़ 4 लाख है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

नहीं श्रीमन्, माननीय सदस्य ने केवल इतना जानना चाहा है कि पिछले तीन वर्षों में रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या में गिरावट क्यों आ रही है और इसके कारण क्या हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, हम और भी बताना चाहते थे । मैंने यह निवेदन किया कि 31 दिसम्बर तक जो रिपोर्टें आई हैं, उनके आधार पर उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या 24 लाख है । दूसरा, सेन्ट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है एन० एस० एस० । जो नमूना सर्वेक्षण करती है । उसने जो रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 4 लाख बेरोजगारों की संख्या है । दूसरा, श्री अखिलेश सिंह जी ने पूछा है कि जो उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है उसको किन-किन बिन्दुओं पर विचार करने के लिये कहा गया है और उसके आधार क्या हैं । इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि उक्त गठित समिति को निम्नलिखित बिन्दु विचार के लिये दिये गये हैं :–

(1) रोजगार गारन्टी दिये जाने के संबंध में अन्य प्रदेशों में क्या व्यवस्था अपनाई गई है एवं इस संबंध में व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना ।

(2) प्राविधिक/व्यवसायिक शिक्षा में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है अथवा नहीं ।

(3) कृषि उद्योगों/ग्राम्य विकास के सेक्टर्स में रोजगार के अवसर वृद्धि हेतु क्या नीति अपनाई जा सकती है ।

(4) महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपनाई गई रोजगार गारन्टी व्यवस्था का अध्ययन करना तथा इसके परिप्रेक्ष्य में अपनी संस्तुति/मत उपलब्ध कराना ।

(5) अन्य कोई विचारणीय बिन्दु ।

उक्त गाइडलाइन्स गठित उच्च स्तरीय समिति को दिये गये हैं । इस महत्वपूर्ण विषय पर गम्भीरतापूर्वक हमारी सरकार ने, जो वचन दिया है, सरकार की जो प्रतिबद्धता है, हमारे माननीय नेता जी की जो कथनी है, हम 5 साल के अन्दर-अन्दर इसे करेंगे, इस पर आवश्यक कार्यवाही की गई है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आभारी हूं ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर बहुत हो गये, अब में आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं, अब इस पर कोई प्रश्न नहीं रहता है। आप पूछ चुके हैं।

श्री नरेश अग्रवाल–

संख्या गलत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप आगे चलने दीजिये।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, नियम है कि जिसका मूल प्रश्न है वह दो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप भी पूछ लें।

श्री मित्रसेन यादव–

मैं जानना चाहता हूं कि जो उनके सामने बेरोजगारों की संख्या है उसमें से कितने लोगों को रोजगार देने के लिये प्रतिवद्ध हैं। हमारी सरकार उन्हीं की है जो ज्यादा बेरोजगार हैं, जो ज्यादा रोजगार की ख्वाइश रखते हैं, उनकी दशा सुधारने के लिये, उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिये कितने लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दे देंगे।

श्री अवधेश प्रसाद–

मैंने निवेदन किया कि जो उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है तो वह कमेटी सारी चीजों पर निरीक्षण करेगी, गांवों में भी जायेगी, बेरोजगारों और नौजवानों से बातचीत भी करेगी। दूसरे विभागों की भी हमारी तमाम योजनायें जैसे स्वरोजगार योजना, जवाहर योजना आदि है उन सारे बिन्दुओं पर देखेगी और दूसरे प्रदेशों में भी जायेगी जैसे महाराष्ट्र में है वहां भी उन सारी चीजों का अध्ययन करेगी। अगर मित्रसेन जी जो बहुत अनुभवी हैं काफी जानकारी उनको है, हमारे जिले के है, पड़ोस के हैं उनका कोई सुझाव आयेगा तो इस कमेटी उनके सुझावों पर विचार करेगी।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

*1–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने हैल्थ सेन्टर तथा सब हेल्थ सेन्टर हैं ? क्या 5000 की आबादी पर एक हैल्थ सेन्टर होना चाहिए। यदि हां, तो बाकी हेल्थ सेन्टर कब तक खोले जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? लखनऊ में संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु क्या सरकार और चिकित्सालय खोलने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

वर्ष 1992-93 तक प्रदेश में 3653 प्राइमरी हेल्थ सेन्टर (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) 248 कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) एवं 20153 सब सेन्टर (उप केन्द्र) स्थापित किये जा चुके हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये पहले से ही एक चिकित्सालय कार्यरत है।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, हमारा गरीबों का प्रदेश है, हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 70 से 80 प्रतिशत गरीब रहते हैं। आप कहते हैं हम गरीबों का दलितों का और पिछड़े लोगों का विशेष ध्यान रखते हैं। तो सरकार द्वारा यह कहना कि 5 हजार की आबादी पर हैल्थ सेंटर नहीं हो सकता तो 5 हजार की आबादी पर यह सरकार हैल्थ सेंटर क्यों नहीं खोलना चाहती है ? दूसरा यह कि लखनऊ जो राजधानी है यहां रोजाना संक्रामक रोगों से लोग पीड़ित रहते हैं, यहां जो अस्पताल है उसमें संक्रामक रोगों के रोगियों के लिये वेड्स की बहुत कम संख्या है, जब संक्रामक रोग फैलता है तो पास पड़ोस से भी लोग यहां आ जाते हैं। हैजे से दो साल पहले 4 हजार लोग यहां बीमार पड़े थे तो उनके लिये यहां कोई अस्पताल नहीं है जहां उनको भर्ती किया जाय। जो अस्पताल है उसमें क्या पूरी सुविधायें प्राप्त हैं क्या पापुलेशन के हिसाब से इसकी क्षमता पूर्ण है।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, उन्होंने कहा 5 हजार की आबादी पर हैल्थ सेंटर होना चाहिये। मैं समझता हूं आप जानते हैं हमारे मानक के अनुसार 5 हजार की आबादी पर एक उप केन्द्र खुल रहा है और खुला भी है।

दूसरा प्रश्न जो किया है उसमें मैं बताना चाहता हूं कि 30 हजार की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य है और उसको प्राप्त कर लिया है।

लखनऊ के संबंध में जो आपने कहा है कि संक्रामक रोगों के लिये डालीगंज के निकट अस्पताल है जिसमें 78 रोगियों की क्षमता है। इस प्रकार औसत अकूपेन्सी 10 प्रतिशत है। जो चिंता आपको है कि गर्मियों में संक्रामक रोग जैसे हैजा होता है तो इसमें कठिनाई है लेकिन औसत अकूपेन्सी पूरे वर्ष की 10 प्रतिशत है। सीमित संसाधन के आधार पर वहां एम्बुलेन्स और डाक्टरों की सुविधायें जो हो सकती हैं वह दी जा रही हैं।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, 400-500 रोगियों के भर्ती की अस्पताल में जगह नहीं है। यहां स्लम क्षेत्र है, गरीब क्षेत्र है, इसलिये मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इसका विस्तार करेंगे या नया अस्पताल खोलेंगे जहां और रोगी भर्ती हो सकें ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, इस तरह का रोगी कोई नहीं है। जो इस तरह के रोग से ग्रसित रोगी होगा तो उसका इलाज कर दिया जायेगा।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, 5 हजार की आबादी पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र है लेकिन मेरी सूचना है कि वहां कोई चिकित्सक नहीं होता है, इसलिये क्या मंत्री जी घोषणा करेंगे कि प्रत्येक उप केन्द्र पर किसी एक डाक्टर की चाहे वह एम० बी० बी० एस० हो या होम्योपैथी का हो या आयुर्वेदिक का हो उसकी नियुक्ति करेंगे ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, उप केन्द्र पर डाक्टर की नियुक्ति करने का अभी प्रश्न विचाराधीन नहीं है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टर को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि 30 हजार की आबादी पर प्रदेश में हर जगह एक पी० एच० सी० खोलने का लक्ष्य है । मेरा पहला प्रश्न है कि प्रदेश की आबादी कुल कितनी है और उसके अनुपात में 30 हजार की आबादी पर कितने पी० एच० सी० खोलने चाहिए और उतने नहीं खुले तो इसका क्या कारण है ?

दूसरा प्रश्न है कि 30 हजार आबादी पर हर पी० एच० सी० में कौन अस्पताल खोले जायेंगे, इस संबंध में स्पष्ट कर दें ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, प्रदेश की जनसंख्या के अनुसार 30 हजार की आबादी पर, जो मानक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 3633 खुलने चाहिए जबकि 3653 खुले हैं । इस प्रकार 20 अतिरिक्त केन्द्र खुले हैं । एक बात मैं अवश्य स्वीकार करता हूं कि क्षेत्रीय असंतुलन है, इसलिये जैसे-जैसे संसाधन उपलब्ध होगे खोले जायेंगे ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं अन्तिम प्रश्न पूछने की अनुमति श्री शुक्ल जी को दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

देखिए, इसमें सारी शंकाओं का समाधान हो चुका है, फिर भी मैं अन्तिम प्रश्न केवल शुक्ल जी को पूछने की अनुमति दे रहा हूं ।

श्री रामकुमार शुक्ल–

स्वास्थ्य मंत्री जी, और मुख्य मंत्री जी हमारे सामने बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या वह कोई आश्वासन इस प्रकार का देंगे कि लखनऊ में हर साल जो भयंकर हैजा फैलता है–वह या तो हैजे की जड़ को समाप्त करा देंगे या इस अस्पताल की क्षमता बढ़वा देंगें या दूसरा अस्पताल खोल देंगे ?

श्री बलराम यादव–

इस हैजा रोग से पीड़ित व्यक्ति लखनऊ में हों या प्रदेश के किसी कोने में हों, उसके निदान की पूरी व्यवस्था कर दी जायेगी ?

प्रदेश में प्रति व्यक्ति रोगोपचार व्यय बढ़ाने एवं अधिष्ठान व्यय घटाने की नीति की जानकारी ।

*2–श्री हृदय नारायण–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि रोगोपचार पर प्रति व्यक्ति खर्च को बढ़ाने और अधिष्ठान व्यय को घटाने के संबंध में नई सरकार की क्या नीति है ? इस संबंध में क्या सरकार ने कोई कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री बलराम यादव–

अधिष्ठान व्यय में कमी लाये जाने के उद्देश्य से शासन के समस्त विभागों के आयोजनेतर पक्ष के सीधी भर्ती वाले तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) एवं चतुर्थ श्रेणी के गैर तकनीकी 5 प्रतिशत पदों को रिक्त रखने, रोगी वाहनों को छोड़कर नई वाहनों का क्रय न किये जाने, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में वाह्य सेवा से प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये अधिकारियों को उनके पैत्रिक विभाग में अनुमन्य सुविधाओं से अधिक सुविधा उपलब्ध न कराये जाने, अनिवार्य प्रशिक्षणों को छोड़कर अन्य प्रशिक्षणों/सेमिनार में कर्मचारियों को नामित न किये जाने, पी० ओ० एल० की खपत में कमी किये जाने, यात्रा व्यय में मितव्ययिता बरतने आदि के निर्देश दिये गये हैं । उपलब्ध संसाधनों के अनुसार प्रति वर्ष रोगोपचार पर प्रति व्यक्ति व्यय में वृद्धि की जाती है ।

पृथक से कोई योजना तैयार नहीं की गयी है किन्तु प्रत्येक जिला चिकित्सालय में रोगों के निदान व उपचार हेतु विशिष्ट उपकरण जैसे अल्ट्रासाउण्ड, आटोएनेलाइजर, ई० सी० जी० मशीन आदि की व्यवस्था की गयी है तथा औषधियों के मद में प्राविधानित धनराशि में वृद्धि की गयी है ।

श्री हृदय नारायण–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रति वर्ष अधिष्ठान व्यय में भारी बढ़ोत्तरी हो रही है और इस विभाग के पास बड़ा लम्बा काफिला गाड़ियों का है– तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जनहितकारी कार्यों का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, उसको देखते हुए विभाग में कारों और गाड़ियों की जो बहुतायत है, उसकी परीक्षा कराने का कष्ट करेंगे कि जितनी आवश्यकता है, उससे कहीं ज्यादा ये हैं । दूसरी बात यह है कि इस वर्ष में अधिष्ठान व्यय में कितने प्रतिशत की कमी नई सरकार करेगी, क्या इसका ब्यौरा इस सरकार के पास है ?

श्री बलराम यादव–

जहां तक दीक्षित जी ने पूछा है गाड़ियां क्रय करने के बारे में, तो इस पर तो पहले से ही रोक लगा दी गई है–नई गाड़ियां नहीं क्रय की जा रही हैं । जो हैं उनको स्वचालित और व्यवस्थित अवस्था में रखने के लिये आवश्यक मरम्मत के कार्यों पर कुछ धन अवश्य खर्च किया जा रहा है, लेकिन नई गाड़ियों की खरीद पर बिलकुल रोक लगा दी गई है । अधिष्ठान व्यय के संबंध में जितनी और जिस प्रकार की चिन्ता दीक्षित जी ने है कि अनावश्यक अधिष्ठान व्यय में कमी लाकर रोगोपचार व्यय में वृद्धि लाई जाए, तो उस मद में बराबर काफी वृद्धि की गई है और इस वर्ष 1993-94 में रोगोपचार पर ज्यादा धन देने का प्रयास किया गया है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में जो कुछ कहा है उसके संदर्भ में मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो उत्तर है, उसमें पिछले वर्षों का सारा उल्लेख है–जो निर्देश गये हैं, उसके

अनुसार दिया है कि अमुक-अमुक व्यय में अधिष्ठान व्यय में कमी की जायेगी और रोगोपचार व्यय में वृद्धि की जाएगी, तो गत वर्ष में इन व्ययों में कितनी कमी हुई और रोगोपचार में प्रति रोगी कितने व्यय की वृद्धि हुई है ?

श्री बलराम यादव–

अधिष्ठान व्यय में कितनी कमी हुई, इस संबंध में मैं वर्षान्त में बता सकूंगा और रोगोपचार पर प्रति व्यक्ति जो व्यय बढ़ाया है, उसको मैं बताये देता हूं । मैं बता रहा हूं कि यह रोगोपचार वर्ष 91 में नगरीय क्षेत्र में, प्रति व्यक्ति औषधियों पर खर्च आता था 9 रुपये 79 पैसे, 92 में 12.52 प्रति व्यक्ति और 93 में 14.20 प्रति व्यक्ति था । ग्रामीण क्षेत्र में 91 में 5.57, 92 में 6.62 और 93 में 7.48 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च हुआ । अभी अनुपूरक मांगों से भी हमें 8 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है । यह औषधियों के माध्यम से प्रति व्यक्ति रोगोपचार है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

चाहे दावे कुछ भी किये जायं परन्तु स्थिति यह है कि पहले जिला अस्पतालों में पट्टी, सुई, स्प्रिट जैसी मामूली चीजें मिल जाया करती थीं वह अब नहीं मिल पा रही हैं । मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार सुनिश्चित करेगी कि यह मूलभूत रोगोपचार की जो वस्तुएं हैं, जहां-जहां चिकित्सालय हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेन्टर हैं वहां यह उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, अगर कहीं ऐसी समस्या है, मेरे स्तर से तो ऐसी बात नहीं है, परन्तु यह कह रहे हैं शायद इनके मिर्जापुर में यदि ऐसी बात है तो हम उसको देख लेंगे । मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि यह प्रदेश गरीब है, यहां संसाधनों की कमी है । संसाधनों की कमी के बावजूद भी प्रति व्यक्ति रोगोपचार बढ़ा रहे हैं । जो इन्होंने कहा है, हम उसका परीक्षण करवा लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय दीक्षित जी अपना अंतिम प्रश्न पूछना चाहें ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे बागेश्वर में महिला डाक्टर हैं कि नहीं ? बागेश्वर में महिला डाक्टर न होने के कारण परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम में आज भी महिला डाक्टर के बजाय पुरुष डाक्टर आपरेशन कर रहे हैं । यहां पर महिला डाक्टर की नियुक्तियां कब तक की जायेंगी ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, इन्होंने क्षेत्र विशेष की बात कही है, प्रश्न से कोई संबंध नहीं है । फिर भी इनकी शिकायत को दूर करने का प्रयास करेंगे ।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, जो मैंने आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रश्न किया था उसे ही आपकी अनुमति से दोबारा दोहरा रहा हूं। मेरा प्रश्न यह है कि इस समय स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध कारों और जीपों का एक काफिला है। उनकी क्या अपरिहार्य आवश्यकता है ? क्या अपने अधिकारियों के साथ एक समिति बनवाने की कृपा करेंगे कि वह इसका परीक्षण करें कि इनकी क्या आवश्यकता है ? इस संबंध में मान्यवर, मैंने सवाल किया था।

श्री बलराम यादव–

हमारे विद्वान और सहयोगी आदरणीय दीक्षित जी ने अच्छा सुझाव दिया है ; हम हमेशा से प्रयास करते हैं। इसके बारे में अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

अब माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रश्नों का समय समाप्त हो चुका है।

प्रदेश में कैंसर, टी० बी०, हृदय रोग तथा एड्स जैसे गम्भीर रोगों से ग्रस्त रोगियों को सरकार द्वारा मुफ्त इलाज

*3–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के कैंसर, टी० बी०, हृदय रोग एवं एड्स जैसे गम्भीर रोगों से ग्रस्त रोगियों का इलाज सरकारी खर्चे पर कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह योजना कब से लागू होगी तथा इस पर कितना परिव्यय सरकार निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में कैंसर, टी० बी० एवं हृदय रोग जैसे गम्भीर रोगों के निःशुल्क उपचार का प्राविधान है। एड्स रोग के उपचार हेतु अभी तक कोई उपचार/औषधि उपलब्ध नहीं है, केवल इससे बचाव के संबंध में ही कार्यवाही की जाती है।

टी० बी० एवं एड्स हेतु चालू वित्तीय वर्ष में क्रमशः रु० 659.80 लाख एवं रु० 128.54 लाख का प्राविधान है। वर्ष 1994-95 में टी० बी० तथा एड्स हेतु क्रमशः रु० 246.00 लाख तथा रु० 124.01 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है। हृदय रोग एवं कैंसर रोगों के उपचार हेतु चिकित्सालयों को औषधियों हेतु अलग-अलग धनराशि आवंटित नहीं की जाती है अपितु औषधियों हेतु आवंटित धनराशि के अन्तर्गत उक्त रोगों के उपचार हेतु आवश्यक औषधियों की व्यवस्था की जाती है।

[बुधवार, दिनांक 23 फरवरी, 1994 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

खेल को प्रोत्साहन देने हेतु खिलाड़ियों को विशेष सुविधा दिये जाने की मांग

*1–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोई स्पोर्ट्स कालेज तथा उसके हास्टल के खोलने की योजना है ? यदि हां, तो कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ? वर्तमान में हास्टल के छात्रों को प्रवेश हेतु क्या प्रक्रिया है तथा उन्हें हास्टल में क्या-क्या सुविधायें दी जाती हैं ? क्या प्रदेश स्तर के

खिलाड़ियों को नौकरी की गारन्टी है ? यदि हां, तो वे क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार खेल को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कुछ विशेष सुविधायें प्रदान करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

प्रदेश में कोई अन्य स्पोर्ट्स कालेज अथवा स्पोर्ट्स हास्टल खोलने की कोई योजना फिलहाल नहीं है। संसाधनों की वर्तमान स्थिति में यह फिलहाल सम्भव नहीं है।

खेल छात्रावासों में प्रवेश जिला स्तर, मण्डल स्तर और प्रदेश स्तर पर ट्रायल के आधार पर चयन द्वारा दिया जाता है। स्पोर्ट्स छात्रावासों में निःशुल्क आवास, भोजन, चिकित्सा, अध्ययन एवं प्रगाढ़ प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है।

प्रदेश स्तर के खिलाड़ियों को नौकरी की गारन्टी नहीं है। फिर भी कुशल खिलाड़ियों को कुछ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में वरीयता दिये जाने के आदेश विद्यमान हैं।

खेलों को प्रोत्साहन देने के निमित्त अनेक योजनायें सरकार द्वारा चलायी जा रही हैं। तीन स्पोर्ट्स कालेज और चौदह क्रीड़ा छात्रावास चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारी संख्या में अवस्थापनाओं का निर्माण भी कराया जा रहा है।

शारदा सहायक समादेश क्षेत्र मंडल (द्वितीय) सुल्तानपुर की मजदूरों के मजदूरी के भुगतान हेतु गठित समिति के संबंध में कतिपय विवरण

*2–श्री तेजभान सिंह–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर० बी० यादव, उप कृषि निदेशक (भू० सं०), शारदा सहायक समादेश क्षेत्र मण्डल द्वितीय सुल्तानपुर द्वारा जारी सूचना पत्रांक–26/उ०नि०/लेखा–एन०आर०ई०पी०/87-88, दिनांक 6 अप्रैल, 1989 जिसके अनुसार दिनांक 21 व 22 अप्रैल, 1989 को गौरीगंज में शासन द्वारा गठित समिति द्वारा मजदूरों के अवशेष भुगतान की जांच की गई थी ? यदि हां, तो समिति में कौन-कौन अधिकारी शामिल थे ? जांच रिपोर्ट में भुगतान से संबंधित क्या संस्तुतियां की गयी थीं ? इस समिति की रिपोर्ट पर अब तक क्या कोई धन उपलब्ध कराया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

ग्राम्य विकास एवं क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री श्रीराम यादव)–

जी हां। यह जांच 21 एवं 22 अप्रैल, 1987 को की गयी थी, न कि वर्ष 1989 को।

शासन द्वारा गठित समिति में निम्नलिखित अधिकारी शामिल थे :—

1–श्री आर० सी० गर्ग, प्राविधिक परीक्षक, टेक्निकल आडिट कमेटी, लखनऊ।

2–श्री ओ० पी० अग्निहोत्री, उपनिदेशक प्रसार, शारदा सहायक कमाण्ड, लखनऊ।

3–श्री तौलन प्रसाद, अवर परियोजना निदेशक, सुल्तानपुर।

जांच रिपोर्ट में समिति द्वारा मुख्य रूप से निम्न संस्तुतियां की गयीं :—

1–पूर्व में कुल रु० 10,22,028 के मस्टर रोलों के विरुद्ध रु० 5,10,890 के मस्टर रोलों का भुगतान किया जाय। इस भुगतान के लिये "विशिष्ट मामले" के तौर पर जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा डी० आर० डी० ए० मद से धनराशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

2–मजदूरी के भुगतान के संबंध में समिति द्वारा संस्तुति की गयी कि इस धनराशि का भुगतान वास्तविक मजदूरों को उनके ग्राम प्रधान के समक्ष व उनकी गवाही पर एक समिति द्वारा पहचान सुनिश्चित करते हुए किया जाय । इस समिति में वर्तमान भूमि संरक्षण अधिकारी, गौरीगंज, जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा मनोनीत एक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर द्वारा मनोनीत एक अधिकारी शामिल किया जाय ।

इस समिति की रिपोर्ट पर अब तक कोई धन उपलब्ध नहीं कराया गया है, क्योंकि समिति की संस्तुति के अनुसार इसके भुगतान के लिये "विशिष्ट मामले" के तौर पर जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा डी० आर० डी० ए० मद से धनराशि उपलब्ध करायी जानी थी । इस संबंध में शासन द्वारा जांच के आधार पर वास्तविक मजदूरों को अभिज्ञापित करके मजदूरी के भुगतान हेतु जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को निर्देश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न के उत्तर में पूर्ण विवरण दिया जा चुका है ।

पर्वतीय उपसंवर्ग लागू किये जाने की मांग

*3–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में हिल कैडर लागू कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये सरकार ने क्या योजना बनायी है ? क्या उत्तरांचल में तीन पी का फार्मूला अब भी लागू रहेगा ? यदि नहीं, तो सरकार इसके लिये क्या योजना बना रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पर्वतीय उपसंवर्ग को लागू किये जाने की प्रक्रिया पर कार्मिक अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 13/8/92–1/1992, दिनांक 25 नवम्बर, 1992 द्वारा प्रख्यापित नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

उपरोक्त के अनुसार ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मिर्जापुर में स्थित टाण्डाफाल के पानी का सदुपयोग

*4–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद मिर्जापुर स्थित टाउन फाल से निकलने वाली नहर का जल हर्रई नदी में जा कर नष्ट हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस नहर में डबल पाइप लाइन डालकर जल का सदुपयोग कब तक सुनिश्चित करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । टाउन फाल नहीं टाण्डा फाल है जिससे बहुत थोड़ा सा पानी रिसता है ।

जी नहीं हर्रई नहर में पाइप डालने की आवश्यकता नहीं है ।

हिल कैडर को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने की मांग

*5–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "हिल कैडर" को कड़ाई से कब तक लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पर्वतीय उपसंवर्ग नियमावली, 1992 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही संबंधित विभागों द्वारा की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद सीतापुर के आंख अस्पताल के स्पेशल आडिट 1992-93 की रिपोर्ट एवं आपत्तियों पर हुई कार्यवाही

*6–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि आंख का अस्पताल, सीतापुर का स्पेशल आडिट सरकार द्वारा वर्ष 1992-93 में कराया गया है ? यदि हां, तो आडिट रिपोर्ट क्या है ? प्राप्त आपत्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी अथवा प्रस्तावित है ?

श्री बलराम यादव–

सीतापुर नेत्र चिकित्सालय, सीतापुर को संचालित करने वाली तीन संस्थाओं के वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के व्यय एवं राजकीय अनुदान का स्पेशल अडिट कराये जाने के आदेश वर्ष 1992-93 में जारी किये गये थे ।

आडिट रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

शेष का अभी प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के नलकूपों के रखरखाव के कार्य को उन्नाव जनपद से सम्बद्ध किये जाने की शिकायत

*7–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के नलकूपों के रख-रखाव आदि के लिये उन्नाव जनपद से सम्बद्ध करने का औचित्य क्या है ? इस सम्बद्धता के कारण किसानों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिये शासन द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

माह अगस्त, 1991 में उन्नाव जनपद में नलकूप निर्माण खण्ड सृजित किया गया जिसके एक उपखण्ड को जनपद हरदोई की निकटवर्ती तहसील बिलग्राम में स्थापित नलकूपों से सम्बद्ध कर दिया गया था । अब जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के नलकूपों की उक्त उपखण्ड से सम्बद्धता की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है ।

जनपद बरेली में फलमण्डी के निर्माण की जानकारी

*8–कु० सर्वराज सिंह–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद बरेली में फलमण्डी निर्माण कराये जाने की योजना शासन द्वारा प्रस्तावित हैं ? यदि हां, तो इनके निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं और इसे कब तक पूरा करा दिया जायेगा । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु भूमि की व्यवस्था संबंधी प्रकरण अभी विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चिल्लीमल पम्प नहर, तहसील कर्वी जिला बांदा में दोषपूर्ण पेय व्यवस्था

*9–श्री भैरों प्रसाद मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि बांदा जिले के कर्वी तहसील के चिल्लीमल पम्प नहर में, जब से नहर बनी है पूरी लम्बाई के आधे भाग तक में पानी नहीं पहुंच पाया है ? यदि हां, तो इस विषय में क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । यह पम्प कैनाल वर्ष 1978 में बनाई गयी थी । यमुना नदी में पानी का जल स्तर घटने बढ़ने के कारण यह पम्प कैनाल काश्तकारों को जो भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा रही है वह अधिकतर रबी में ही कर पा रही है । धनाभाव के कारण फिलहाल इस पम्प कैनाल के सिंचित क्षेत्र में राज्य के साधनों से अधिक सिंचाई उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उपमुख्य चिकित्साधिकारियों के लिये क्षेत्रीय मुख्यालयों पर कार्यालय आवास बनाने की मांग

*10–श्री हृदय नारायण–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि परगनाधिकारियों, उप पुलिस अधीक्षकों की भांति उप मुख्य चिकित्साधिकारीगणों को भी अपने-अपने क्षेत्रीय मुख्यालयों पर ही कार्यालय खोलने/आवास बनाने के निर्देश उ० प्र० सरकार जारी करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

शासनादेश संख्या–6465क–से क–3/पांच–92-7(121)/91, दिनांक 16 सितम्बर, 1992 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को यह निर्देश दिये गये कि यह सुनिश्चित किया जाय कि समस्त तहसील मुख्यालयों पर उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का निवास स्थान स्थापित हो जाय एवं यह अधिकारी अपनी तहसील मुख्यालय पर ही रहें, जिला मुख्यालय स्तर पर इन्हें किसी भी दशा में कोई सरकारी आवास आवंटित न हो । क्षेत्रीय मुख्यालयों पर कार्यालय खोलने के संबंध में कोई प्रस्ताव वर्तमान में शासन के विचाराधीन नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

फतेहपुर जिले को पूर्ण सिंचित बनाने की मांग

*11–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले का क्षेत्रफल कितने हेक्टेयर है ? उसमें कृषि योग्य कितने हेक्टेयर भूमि है ? कृषि योग्य भूमि में खरीफ व रबी में अलग-अलग किन साधनों से कितनी सिंचित भूमि है ? सिंचित भूमि पूर्ण कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत है ? क्या फतेहपुर जिले को पूर्ण सिंचित बनाने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो फतेहपुर जिला कब तक पूर्ण सिंचित हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

फतेहपुर जनपद का क्षेत्रफल 4.21 लाख हेक्टेयर है जिसमें से 3.57 लाख हेक्टेयर सकल कृषि योग्य भूमि है । वास्तविक कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल 2.91 लाख हेक्टेयर है । वास्तविक कृषि योग्य भूमि की सिंचाई नहरों नलकूप राजकीय, नलकूप निजी तथा अन्य स्रोतों से होती है । सिंचित क्षेत्र संबंधी आंकड़े निम्न प्रकार है :–

सकल सिंचित क्षेत्रफल

यूनिट	खरीफ	रबी	जायद	कुल
लाख हेक्टे०	0.77	1.36	0.05	2.18

शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल

यूनिट	नहरें	नलकूप राजकीय	नलकूप निजी	अन्य	कुल
लाख हेक्टे०	0.64	0.10	0.71	.04	1.49

शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल व वास्तविक कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत निम्न है

नहरें	नलकूप राजकीय	नलकूप निजी	अन्य	कुल
22.00 प्रतिशत	3.43 प्रतिशत	24.40 प्रतिशत	1.37 प्रतिशत	51.20 प्रतिशत

राज्य के अन्य जनपदों की भांति फतेहपुर जनपद की भी निजी स्रोतों के माध्यम से सिंचाई क्षमता बढ़ाने की योजना चालू है ।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में लगे राजकीय नलकूपों को खारिज किये जाने की शिकायत

*12–श्री बदन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में लगे सभी राजकीय नलकूप खारिज कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

फतेहपुर सीकरी में कुल 22 राजकीय नलकूपों में से 20 नलकूप असफल हो चुके हैं, जिनका परित्याग प्रस्तावित है। शेष दो नलकूप कम निकास के साथ बालू देते हुए चल रहे हैं। इस क्षेत्र में बने राजकीय नलकूपों के असफल होनेका मुख्य कारण खारा पानी है।

पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में सिंचाई की प्रभावी योजनाएं चलाये जाने की मांग

*13–इ० राम लोटन सिंह पटेल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र के सिंचाई हेतु कोई नयी प्रभावशाली कार्य योजना सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश के पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों में पहले से ही सिंचाई योजनायें कार्यरत है। फिलहाल किसी अन्य प्रभावशाली कार्य योजना का प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

ऐसे क्षेत्रों में भूगर्भ जल की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना तथा धन की उपलब्धता की दृष्टि से ही नयी योजनायें संभव होती है।

जनपद मथुरा के ब्लाक गोवर्धन के कतिपय गांवों की सिंचाई की कुव्यवस्था को ठीक करने की मांग

*14–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोवर्धन ब्लाक, जनपद मथुरा के लगभग 25 गांव पाडल, नीमगांव, भगोसा आदि से लेकर जतीपुरा गांव के काश्तकारों को सिंचाई सुविधा नहीं मिल पा रही है ? जबकि अपर कैनाल एवं कोसी राजवाह दोनों ही एक शाखाओं के द्वारा सिंचाई की जिम्मेदारी है ? क्या मील–23 पर रेग्यूलेटर लगाकर देवपुरा स्केप जो बन्द पड़ी हुयी है, को अपर कैनाल से कोसी राजवाह में जोड़कर सिंचाई हेतु काश्तकारों को पानी उपलब्ध कराया जायेगा ? क्या तत्काल सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराकर फसल को बरबादी से बचाने हेतु कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद मथुरा के गोवर्धन ब्लाक के संबंधित लगभग 25 गांवों की सिंचाई आगरा नहर के कोसी राजबहा प्रणाली से उपलब्ध होती है। प्राप्त सूचना के अनुसार केवल इस क्षेत्र के जतीपुरा एवं मलसराय को छोड़कर शेष सभी गांवों में समुचित सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है।

देवपुरा स्केपल, जो कोसी राजबहा के मील 19-7-615 से निकलकर आगरा नहर के मील 67-1-560 पर मिलती है, के माध्यम से आगरा नहर द्वारा कोसी राजबहा को पानी उपलब्ध कराना, दोनों नहरों के अधिकृत जल स्तर के लेविल में अधिक अन्तर होने के कारण तकनीकी रूप से संभव नहीं है।

वर्तमान फसल रबी 1401 में विभाग द्वारा ऊपर के क्षेत्र में जिला प्रशासन की सहायता से जल के अनाधिकृत उपयोग को रुकवाकर प्रश्नगत ग्रामों में टेल क्षेत्र में पानी पहुंचाया गया है।

प्रदेश स्तर पर वर्ष 1992 से 1993 के मध्य जिलावार हैजा एवं अन्य संक्रामक रोगों से मरने वालों की संख्या एवं कारण

*15–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992 से 15-12-1993 तक विभिन्न जनपदों में हैजा तथा अन्य संक्रामक रोगों से कितने लोगों की मृत्यु हुयी है ? क्या इसमें दूषित पेय जलापूर्ति भी कारण है ? इनकी रोकथाम हेतु क्या उपाय किये गये ? क्या स्थान विशेष पर इसे रोकने में विफलता हेतु किसी को जिम्मेदार पाया गया ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गोरखपुर मण्डी समिति की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाये जाने की मांग

*16–श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डी समिति की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है ? क्या अवैध कब्जा को शासन द्वारा अविलम्ब हटाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

अवैध कब्जे को हटाए जाने हेतु तहसील से पैमाइश करायी जा रही है जिसके लिए दि० 21-2-94 निर्धारित की गई है । पैमाइश के पश्चात् अवैध कब्जे को हटाए जाने की तत्काल कार्यवाही की जाएगी ।

कुमाऊं व गढ़वाल के लिए पर्वतीय सेवा उप संवर्ग नियमावली, 1992 को लागू किये जाने की मांग

*17–श्री बची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० शासन द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के कुमायूं व गढ़वाल मण्डल के लिये राज्य सरकार के 31 विभागों में श्रेणी 2, 3 व 4 के पदों पर सेवा हेतु पृथक से पर्वतीय सेवा उप संवर्ग 1992 का गठन किया गया था ? क्या इसकी नियमावली कार्मिक अनुभाग सं० 13-8-92 कार्मिक–1/1992 दिनांक 25-11-92 द्वारा तत्काल प्रभाव से लागू की गयी थी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त संवर्ग अब तक लागू क्यों नहीं किया गया है ? इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? क्या उपरोक्त सेवा संवर्ग लागू किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

कार्मिक अनु०-1 द्वारा प्रख्यापित पर्वतीय उपसंवर्ग नियमावली, 1992 के प्राविधानों के अनुरूप 31 विभागों में से 17 विभागों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित की जा चुकी है । 12 विभागों में अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करने की कार्यवाही की जा रही है । बाकी विभागों में उप संवर्ग लागू नहीं होना है ।

जी हां । नियमावली के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मडियाहूं ब्रांच इलाहाबाद की तली एवं स्लोप को पक्का किये जाने की योजना की जानकारी

*18–श्री नजमउद्दीन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मडियाहूं ब्रांच की तली एवं स्लोप पक्का करने की कोई योजना सिंचाई विभाग के 18वीं सर्किल, इलाहाबाद से प्रस्तावित होकर शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति देकर शासन कब तक धन आवंटित कर निर्माण कार्य शुरू करा देगा ? क्या उक्त योजना इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद के 1985-86 बैच के होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के परिणाम जारी करने की मांग

*19–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–(सीतापुर)

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० लोक सेवा आयोग इलाहाबाद में वर्ष 1985-86 से लम्बित "होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों का चयन परिणाम/संस्तुतियां, जिसके संबंध में सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया दिनांक 1-11-93 को आयोग द्वारा पूरी कर ली गयी है, कार्यहित एवं जनहित में तत्काल जारी कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

दिनांक 1-11-93 को आयोग द्वारा उक्त पदों पर साक्षात्कार सम्पन्न करा लिये जाने के तुरन्त बाद चयन परिणाम तैयार करने की अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई । चयन परिणाम तैयार करने में 2-3 माह का समय लग जाना स्वाभाविक है । आयोग की सूचनानुसार चयन परिणाम को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और ऐसी संभावना है कि चयन परिणाम एक सप्ताह के भीतर ही घोषित कर दिया जायेगा तथा उसके तुरन्त बाद यथाशीघ्र संस्तुतियां भी शासन को प्राप्त हो जायेंगी ?

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ के भवनहीन हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों के भवन निर्माण की योजना

*20–श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ में कितने राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टर कालेज भवनहीन है ? इनके भवन निर्माण हेतु शासन ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न

तहसील सलोन जिला रायबरेली के सिंचाई विभाग में माइनरों हेतु किए गए भूखण्डों के मुआवजा की मांग

1–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अठेहा रजबहा से निकलने वाली उमरार माइनर अपने हेड पर भूखण्ड सं०–928 गांव पूरे राई, परगना रोखा, तहसील सलोन, जिला–रायबरेली से निकाली गयी है ? यदि हां, तो क्या भूखण्ड संख्या–928 के भूस्वामी को जमीन का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या यह बात सत्य है कि भूखण्ड सं०–928 के स्थान पर भूखण्ड संख्या–92 का मुआवजा वितरित कर दिया गया है जबकि भूखण्ड संख्या–92 उपरोक्त माइनर से काफी दूर स्थित है ? क्या गलत मुआवजा वितरित करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

भूखण्ड संख्या–928 के स्थान पर भूखण्ड संख्या–92 के स्वामी को मुआवजा त्रुटिपूर्ण लैण्ड केस प्रेषित करने के कारण भुगतान किया गया । मुआवजा वितरित करने वाले अधिकारी का कोई दोष नहीं है । भूखण्ड संख्या–928 के भू-स्वामी को भुगतान करने की कार्यवाही की जायेगी तथा त्रुटिपूर्ण लैण्ड केस प्रेषित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रदेश स्तर पर नहरों की पटरियों को पक्का किये जाने की योजना में प्रगति की जानकारी

2–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 से प्रदेश में नहरों की पटरियों को पक्का किये जाने वाले कार्य की जो शुरुआत हुई थी, उसमें प्रदेश स्तर पर अब तक क्या प्रगति हुई है ? वर्तमान वर्ष में इसका लक्ष्य क्या है तथा उसकी अब तक की प्रगति क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1991-92 में नहर की पटरियों को पक्का करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया था बल्कि वर्ष 92-93 में योजना बनायी गयी थी लेकिन सक्षम स्तर का अन्तिम निर्णय नहीं हो सका था ? उक्त योजना का कार्यान्वयन भी तद्नुसार आरम्भ नहीं हो सका था । सक्षम स्तरीय अन्तिम निर्णय लिये जाने के अवसर पर ही लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है ।

उत्तरांचल में आये भूकम्प से क्षतिग्रस्त हुए विद्यालय भवनों में पुनर्निर्माण की मांग

3–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में आये भूकम्प राहत को पाने में कितने परिवार वंचित रह गये थे ? भूकम्प के द्वारा कितने विद्यालय एवं कालेज भवन क्षतिग्रस्त हुए थे ? क्या

इन भवनों के निर्माण हेतु शासन द्वारा धन आवंटित किया गया था ? यदि हां, तो विद्यालयों एवं कालेजों के भवनों का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार भूकम्प पीड़ित परिवारों को राहत दिलाने की सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक राहत दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

भूकम्प राहत पाने से कोई परिवार वंचित नहीं है ।

कुल 771 विद्यालय एवं कालेज भवन क्षतिग्रस्त हुए थे ।

जी हां ।

जनपद चमोली के 4 विद्यालयों के लिए जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत की गयी थी । भवन निर्माण हो चुका है । जनपद चमोली के क्षतिग्रस्त अन्य विद्यालयों/कालेजों तथा उत्तरकाशी व टिहरी के क्षतिग्रस्त विद्यालयों/कालेजों के भवन निर्माण विश्व बैंक से प्राप्त सहायता के अन्तर्गत कराये जाने प्रस्तावित है । अभी तक इस कार्य हेतु 215 लाख रुपये की धनराशि उत्तरकाशी टिहरी तथा चमोली के क्षतिग्रस्त भवनों के निर्माण के लिए स्वीकृत की जा चुकी है । क्षतिग्रस्त विद्यालयों/कालेजों के भवनों के निर्माण से पूर्व विश्व बैंक की शर्तों के अनुसार स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा उनका निरीक्षण किया जाना आवश्यक है । अभी तक जनपद उत्तरकाशी की स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसके अनुसार जनपद उत्तरकाशी के 30 भवनों पर कार्य माह फरवरी 1994 में शुरू हो गया है । अन्य जनपदों में स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण कार्य आरम्भ नहीं हो पाया है । रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त की जा रही है ।

सभी पात्र परिवारों को राहत पहले ही वितरित की जा चुकी है ।

उत्तरांचल में प्रस्तावित निर्माणाधीन मोटर मार्गों का विवरण

4–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में प्रस्तावित निर्माणाधीन कुल कितने मोटर मार्ग (कि० मी० सहित) हैं ? इन मोटर मार्गों के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कितनी राशि आवंटित की जा रही है ? इन मोटर मार्गों के कब तक पूरा होने की आशा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तरांचल में 452 मोटर मार्ग निर्माणाधीन है जिसकी कुल लम्बाई 4139 किलोमीटर है ।

इन मार्गों के निर्माण हेतु इस वर्ष 1993-94 में 3988.84 लाख रुपये आवंटित किया गया है । सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण और धनराशि आवंटित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित संसाधनों के कारण समय सीमा के निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गढ़वाल की पट्टी चौथान में प्रस्तावित कतिपय मोटर मार्गों के निर्माण की योजना

5–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गढ़वाल की पट्टी चौथान में प्रस्तावित निर्माणाधीन बैजरो-उफरेंखाल-बूंगीधार-नागचूलाखाल मोटर मार्ग व पैठाणी-त्रिपालीसैंण-थैलीसैंण-व्यासी-बूंगीधार-देघाट मोटर मार्ग कब और कितनी-कितनी लम्बाई के स्वीकृत हैं ? आज तक इन सड़कों का निर्माण पूरा न होने का क्या कारण है ? वन अधिनियम के कारण रुकी इन सड़कों पर निर्माण हेतु क्या

कार्यवाही हुई है ? निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने हेतु दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ? कब तक इन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग वर्ष 1974 में स्वीकृत किया गया था उक्त स्वीकृत मार्ग की कुल लम्बाई 103 कि० मी० है । प्रश्नगत मार्ग वर्ष 1974 में स्वीकृत किया गया । मार्ग की कुल लम्बाई 107 कि० मी० है ।

सीमित वित्तीय संसाधनों तथा वन भूमि प्राप्त न होने के कारण निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका ।

वनभूमि हस्तांतरण हेतु वन विभाग से निरन्तर प्रयास किया गया परन्तु हस्तान्तरण की स्वीकृति न प्राप्त होने के कारण इन सड़कों के कुछ भाग पर निर्माण नहीं कराया जा सका ।

उक्त कारणों से कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

वनभूमि हस्तान्तरण के बाद कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा ।

उत्तरांचल में पक्के मोटर मार्गों का विवरण तथा कच्ची सड़कों को पक्का किये जाने की मांग

6–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में कुल कितनी कि० मी० मोटर मार्ग है ? इन मोटर मार्गों का कुल कितने कि० मी० पक्कीकरण हुआ है ? क्या मानक के हिसाब से इतने ही कि० मी० मोटर मार्ग को पक्का होना चाहिए था ? यदि नहीं, तो कब तक इन कच्ची सड़कों को पक्का किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तरांचल में कुल 12103 किलोमीटर मोटर मार्ग हैं ।

उपरोक्त 12,103 में से 6540 किलोमीटर मोटर मार्ग पक्का किया जा चुका है ।

कच्चे मार्गों में से पक्का किये जाने का कोई मानक नहीं हैं ।

सीमित संसाधनों के कारण समय निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरांचल में श्रेणीवार पुलों का निर्माण

7–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में किन-किन श्रेणियों के पुल निर्माणाधीन हैं ? इन निर्माणाधीन पुलों में विलम्ब के क्या कारण हैं ? कब तक ये पुल पूरे हो सकेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तरांचल में 2 श्रेणियों के पुल निर्माणाधीन हैं:–

1–मोटर मार्ग सेतु

2–पैदल मार्ग सेतु

सीमित संसाधन ।

सीमित संसाधनों के कारण समय सीमा के निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्डों में कृषि रक्षा इकाई खोले जाने की मांग

8–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक विकास खण्ड में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा "कृषि रक्षा इकाई" खोलने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि विकास खण्ड नरेन्द्र नगर (फकोट) में "कृषि रक्षा इकाई" अब तक नहीं खोली गयी है ? क्या शासन द्वारा विकास खण्ड नरेन्द्र नगर (फकोट) में कृषि रक्षा इकाई को खोलने की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

नरेन्द्र नगर विकास खण्ड के अन्तर्गत मुनि की रेती में पहले से ही कृषि रक्षा इकाई खुली हुई है जो वर्तमान में कार्यरत है । अतः दूसरी कृषि रक्षा इकाई, फकोट में खोला जाना आवश्यक नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल डांगी नैलचामी टिहरी गढ़वाल तथा राजकीय एलोपैथिक अस्पताल बैज्वाड़ी डांगर टिहरी गढ़वाल के भवन निर्माण की मांग

9–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल डांगी नैलचामी टिहरी गढ़वाल के तथा राजकीय एलोपैथिक अस्पताल बैज्वाड़ी डांगर टिहरी गढ़वाल के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या भवन निर्माण वहां किया जा रहा है ? क्या शासन उक्त दोनों अस्पतालों का भवन निर्माण शीघ्र कराने के लिये कारगर कदम उठायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

पिपलीधार डागर तथा कड़ाकोट, टिहरी गढ़वाल में शासन द्वारा सस्ते गल्ले के गोदाम को चौकी कीर्तिनगर स्थानान्तरित किये जाने का मामला

10–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिपलीधार डागर तथा पहलगांव कड़ाकोट, टिहरी गढ़वाल में शासन द्वारा सस्ते गल्ले का गोदाम स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त दोनों गोदाम चौकी कीर्तिनगर में रखे जाने का क्या कारण हैं ? उक्त दोनों गोदामों को स्वीकृत स्थानों में न ले जाये जाने का क्या कारण है ? क्या शासन स्वीकृत स्थानों में सस्ते गल्ले का गोदाम भेजने की कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पहले पिपलीधार में ही खाद्यान्न गोदाम जिलाधिकारी के आदेश से खोला गया था । लेकिन बाद में ग्राम प्रधानों, एवं जन प्रतिनिधियों की मांग पर उनके आदेश से उस गोदाम को वहां से हटाकर उस क्षेत्र के केन्द्र स्थान चौकी में कर दिया गया है ।

पहलगांव कड़ाकोट में गोदाम खोलने के कोई आदेश नहीं हुये हैं । इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को खाद्य/चीनी की आपूर्ति कीर्तिनगर गोदाम से की जा रही है ।

चौकी स्थित खाद्यान्न गोदाम इस क्षेत्र के केन्द्र में होने एवं सड़क मार्ग से जुड़े होने के कारण इस गोदाम को पुनः पिपलीधार ले जाने की आवश्यकता नहीं है ।

विकास खण्ड देवप्रयाग (हिन्डोला खाल) टिहरी गढ़वाल के क्षतिग्रस्त भवन के पुनरोद्धार की मांग

11–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड देवप्रयाग (हिन्डोला खाल) टिहरी गढ़वाल का भवन क्षतिग्रस्त हुआ था ? यदि हां, तो कब ? क्या शासन द्वारा इसके पुनरोद्धार हेतु प्रयास किया गया ? यदि हां, तो क्या भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

भवन वर्ष 84–85 से क्षतिग्रस्त होना प्रारम्भ हुआ था तथा वर्ष 87-88 में लगभग पूरा भवन क्षतिग्रस्त हो गया था ।

क्षतिग्रस्त भवन के स्थान पर नव निर्माण के प्रस्ताव पर कार्यवाही चल रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय नलकूप मंगारी/रतनपुर व रामपुर प्रथम विकास खण्ड पिंडरा जिला वाराणसी को शीघ्र चालू किये जाने की मांग

12–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप मंगारी व रामपुर प्रथम, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी की री-बोरिंग हुये दो वर्ष से ऊपर हो गया है ? यदि हां, तो अब तक इसे चालू न करने का कारण क्या है ? क्या सरकार को जानकारी है कि सिंचाई विभाग, वाराणसी से विद्युत विभाग और अधिक धन मांग रहा है, जिसके कारण स्टीमेट बढ़ गया है ? क्या उक्त धन जमा नहीं किया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त नलकूप चालू कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

दोनों नलकूप चालू हो गये हैं ।

जी हां, केवल राजकीय नलकूप मंगारी के लिये इस्टीमेट बढ़ गया था ।

जी नहीं । धन जमा कर दिया गया है । दोनों नलकूप चालू हो गये हैं ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

13–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि राजकीय नलकूप रतनपुर, ब्लाक पिंडरा, वाराणसी में पानी रहते हुये भी नाली के अभाव में सिंचाई नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार एक नाली, उत्तर गांव देऊजी के सरहद तक अन्डर ग्राउन्ड बनाने का आदेश देगी ? क्या उसके लिये शीघ्र धन भी स्वीकृत करेगी ? क्या सरकार इसकी जांच भी अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप वाराणसी से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह सही है कि सीमित पक्की गूल के कारण राजकीय नलकूप, रतनपुर, ब्लाक पिंडरा के पूरे कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई नहीं हो पा रही है । राजकीय नलकूप का निर्माण, गूलो का निर्माण, चाहे वे अन्डरग्राउन्ड ही क्यों न हो और उनके जीर्णोद्धार के लिए धनराशि जिला सेक्टर से जिला स्तरीय समिति द्वारा आवंटन होने के पश्चात् दी जाती है । इसलिए गूल निर्माण संबंधी निर्णय लेकर इस समिति द्वारा जैसे ही धनराशि आवंटित होगी, नलकूप विभाग गूल का निर्माण सुनिश्चित कर देगा ।

ड्रेनेज प्रखण्ड गोरखपुर के ग्राम्य विकास अभिकरण महराजगंज द्वारा कूप योजना के अन्तर्गत वित्तीय घपला

14–श्री अखिलेश–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि महराजगंज जनपद के लक्ष्मीपुर विधान सभा अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में मधव नदी के तटबन्ध के निर्माण हेतु 10 लाख कूप योजना के अन्तर्गत बीस लाख रुपये ड्रेनेज प्रखण्ड गोरखपुर को ग्राम्य विकास अभिकरण, महराजगंज द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त धन के दुरुपयोग के सन्दर्भ में क्या प्रश्नकर्ता द्वारा भेजी गयी शिकायत पर जांच की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त जांच में अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? जांच में कितने रुपये का घोटाला पाया गया तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्नकर्ता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं होनी पाई गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला उद्यान अधिकारी लखनऊ के अधीनस्थ मालियों का बकाया वेतन के भुगतान की मांग

15–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ के अधीनस्थ स्थायी कार्यरत मालियों को मई, 1993 से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो दोषी पाये गये अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं । एक माली श्री हनुमान प्रसाद के अतिरिक्त सभी स्थाई मालियों का वेतन भुगतान नियमित रूप से किया गया है । श्री हनुमान प्रसाद, माली का स्थानान्तरण जिला उद्यान अधिकारी, कानपुर के अधीन किया गया था किन्तु उन्होंने वहां योगदान नहीं किया तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के माध्यम से अनुरोध करके अपना स्थानान्तरण आदेश संशोधित करा लिया था, जिसके अनुसार उन्हें

जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ के अधीन बिना पद के सम्बद्ध किया गया था। परिणाम स्वरूप उनको वेतन देने में विलम्ब हुआ जिसका भुगतान दिनांक 18 जनवरी, 1994 को किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

16–श्री हरक सिंह रावत–

[दूसरे मंगल में अता० प्र० सं० 99 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पौड़ी तथा टिहरी गढ़वाल को जोड़ने वाले देव प्रयाग पुल का निर्माण

17–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पौड़ी व टिहरी गढ़वाल को जोड़ने वाले देव प्रयाग पुल पर निर्माण कार्य कब शुरू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पौड़ी व टिहरी गढ़वाल को जोड़ने वाले देव प्रयाग पुल का निर्माण जून, 82 में आरम्भ किया जा चुका था मई, 1991 में क्षतिग्रस्त पुल के पुनरीक्षित आगणन शासन को प्राप्त हो चुके हैं। पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत होते ही कार्य आरम्भ करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

शिवराज सिंह व ग्राम प्रधान, ग्राम सभा हुसैन गंज कलां, ब्लाक जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर द्वारा खण्ड विकास अधिकारी जगदीशपुर, सुल्तानपुर के विरुद्ध उच्च अधिकारियों को भेजे गये शिकायती-पत्र

18–श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन को सम्बोधित तथा मण्डलायुक्त, फैजाबाद, जिलाधिकारी सुल्तानपुर, जिला विकास अधिकारी सुल्तानपुर, परगनाधिकारी मुसाफिरखाना को पृष्ठांकित श्री शिवराज सिंह व ग्राम प्रधान, ग्राम सभा हुसैनगंज कलां, ब्लाक जगदीशपुर, सुल्तानपुर का दि० 10-10-93 का प्रार्थना-पत्र, जिसमें बी० डी० ओ० जगदीशपुर, सुल्तानपुर के विरुद्ध गम्भीर आरोप व शिकायतें थीं शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कोई जांच की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

प्रश्नगत शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हीरा लाल बाजपेयी तत्कालीन स्टोर कीपर कम क्लर्क लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर की अनियमित पदोन्नति के संबंध में शिकायत

19–श्री रणजीत सिंह जूदेव–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के पहले गुरुवार दिनांक 18-7-85 को उत्तरित अता० प्र० सं० 129 के उत्तर के क्रम में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लाला लाजपतराय चिकित्सालय, कानपुर में कार्यरत तत्कालीन स्टोर कीपर कम क्लर्क श्री हीरालाल बाजपेयी को वर्ष 1979 में स्टीवर्ड तथा वर्ष 1982 में सहायक अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति तत्कालीन प्राचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर

द्वारा अनियमित रूप से दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त प्रोन्नति के समय श्री हीरालाल बाजपेयी की सेवा पुस्तिका व चरित्र पंजिका यू० एच० एम० चिकित्सालय, कानपुर से वहां का चार्ज न देने के कारण मेडिकल कालेज कानपुर को भेजी नहीं गयी थी ? यदि हां, तो क्या बिना चरित्र पंजिका व सेवा पुस्तिका के अवलोकन के की हुयी, उक्त अनियमित प्रोन्नति को निरस्त करने हेतु प्राचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर को निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र सं० एम० ई०–/सहायक अधीक्षक/87/4848, दिनांक 24-6-1982 एवं निदेशक, प्रशासन स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, लखनऊ का पत्र सं० 2484, दि० 12-6-1991 को भेजा गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रादेशिक संवर्ग के पदों पर की गयी उक्त प्रोन्नतियों को निरस्त करने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही शासन द्वारा की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

अनियमित प्रोन्नति निरस्त किये जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के अधीन मेडिकल कालेजों में उप-अधीक्षकों के रिक्त पदों को सहायक अधीक्षक के पद धारकों द्वारा आयु सीमा में छूट देकर पदोन्नति करने की मांग

20–श्री रणजीत सिंह जूदेव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत प्रदेश के मेडिकल कालेजों में कितने पद उप अधीक्षक के शासन के किन आदेशों के तहत, किन-किन मेडिकल कालेजों में स्वीकृत किये गये हैं ? क्या यह सही है कि उन पदों में से दो पद वर्ष 1984 व 1987 से अब तक रिक्त चल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वरिष्ठता के आधार पर आयु सीमा में छूट देकर, सहायक अधीक्षक के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को उन दोनों पर शीघ्र तैनात करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त के संबंध में स्टोरकीपर एवं स्टीवर्ड एसो०, उ० प्र०, लखनऊ के अध्यक्ष, श्री आर० आर० धूरिया के दिनांक 7-6-93 को प्रेषित पत्र सं० 102/39–94 पर व शासन में सचिव, चिकि० शिक्षा को प्रेषित पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों (एलोपैथी) इलाहाबाद, कानपुर, झांसी, मेरठ एवं गोरखपुर से सम्बद्ध चिकित्सालयों में उप-अधीक्षक के एक-एक पद स्वीकृत हैं । जिन आदेशों के तहत ये पद स्वीकृत किये गये हैं, उनमें से कतिपय आदेश अत्यधिक पुराने होने के कारण उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं । उक्त स्वीकृत पदों में से दो पद वर्ष, 1987 व 1988 से रिक्त चल रहे हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्बन्धित सेवा नियमावली की व्यवस्था के अनुसार उप-अधीक्षक के पद पर नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है । अतएव वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति से तैनाती संभव नहीं है । अभिलेखों के आधार पर यह पत्र संबंधित अनुभाग में नहीं प्राप्त हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हीरा लाल बाजपेयी भूतपूर्व स्टोर कीपर/लिपिक की अनियमित पदोन्नति का मामला

21–श्री रणजीत सिंह जूदेव–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं०–129 के उत्तर के क्रम में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब श्री हीरालाल बाजपेयी की नियुक्ति उनके नियुक्ति प्राधिकारी प्राचार्य मेडिकल कालेज, कानपुर द्वारा नहीं की गयी थी और लोकल कैडर (कालेज संवर्ग) की वरिष्ठता सूची में उनका नाम भी नहीं था ? यदि हां, तो फिर श्री हीरालाल बाजपेयी की प्रोन्नतियां क्रमशः स्टीवर्ड तथा सहायक अधीक्षक के पदों पर वर्ष 1979 व 1982 में तत्कालीन प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर द्वारा कैसे और किस वरिष्ठता सूची से की गयी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि श्री बाजपेयी प्रोन्नति के समय लोकल कैडर (कालेज संवर्ग) एवं प्रान्तीय संवर्ग के लाला लाजपतराय चिकित्सालय, कानपुर में कार्यरत अन्य कर्मचारियों से कनिष्ठ थे ? यदि हां, तो उन्हें उक्त अनियमित प्रोन्नति से पूर्व पद पर कब तक प्रत्यावर्तित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

श्री बाजपेयी को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्टीवर्ड के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर द्वारा की गई थी। अनियमित प्रोन्नति निरस्त किये जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्राचार्य, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कालेज, कानपुर द्वारा संयुक्त निदेशक (महिला) स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण एवं महानिदेशक के आदेशों पर अतिक्रमण करने की शिकायतें

22–श्री रणजीत सिंह जूदेव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश सं०–4427/चिकित्सा–चार–1034/1973, दिनांक 23-8-1973 द्वारा शासन ने राजकीय महिला अस्पतालों के अधीक्षक, राजकीय मेडिकल कालेज के अस्पतालों के अधीक्षक तथा टी० बी० अस्पताल एवं रिहेबिलिटेशन सेन्टर, लखनऊ के अधीक्षक को अपने-अपने कार्यालय के अधीनस्थ कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं कार्यालय पर होने वाले सभी प्रकार के आकस्मिक व्ययों के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित किया है ? यदि हां, तो वित्त विभाग के कार्या० ज्ञाप सं०-ए-2-170/दस-14-(4)/1973 दिनांक 28 जुलाई, 1973 के क्रम में जारी संयुक्त निदेशक, (महिला) स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण महानिदेशक, उ० प्र०, लखनऊ द्वारा जारी किये गये आदेश संख्या–18 एफ/32–ग/54/13445, दिनांक 15-10-1975 में निहित उन अधिकारों पर प्राचार्य, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कालेज, कानपुर द्वारा अतिक्रमण किन आदेशों के तहत किया जा रहा है ? क्या सरकार ने उक्त शासनादेश को यथावत् प्रभावी रखने हेतु माह नवम्बर, 1973 के प्रथम सप्ताह में उच्चस्तरीय बैठक में लिये गये निर्णयानुसार स्पष्टीकरण शासनादेश निर्गत किया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

प्रधानाचार्य, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कालेज, कानपुर द्वारा भ्रम वश उक्त आदेशों का अतिक्रमण शासनादेश संख्या–1300–सेक–1/5–जी–26/89 दिनांक 15-4-91 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत किया जा रहा था ।

इस संबंध में शासन द्वारा उच्च स्तरीय बैठक में सम्यक रूप से विचार विमर्श के उपरान्त प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों के अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को आहरण एवं वितरण अधिकार दिये जाने संबंधी स्पष्ट शासनादेश संख्या–7678–सेक–3/पांच–5(216)/93, दिनांक 24 दिसम्बर, 1993 निर्गत कर दिया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हीरा लाल बाजपेयी तत्कालीन स्टोरकीपर/लिपिक के विरुद्ध डेड स्टाफ बुक हस्तान्तरित न करके गायब करने एवं सरकारी सम्पत्ति नष्ट करने के विरुद्ध मुकदमा कायम करने की मांग

23–श्री रणजीत सिंह जूदेव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लाला लाजपतराय चिकित्सालय, कानपुर में सम्प्रति कार्यरत श्री हीरालाल बाजपेयी जिन्हें स्वास्थ्य सेवा निदेशक के आदेश संख्या 4एफ/5/55, दिनांक 15-6-1978 द्वारा यू० एच० एम० चिकित्सालय, कानपुर से स्थानान्तरित किया गया था, ने क्या अपने प्रतिस्थानी कर्मचारी श्री राम प्रवेश मिश्र, स्टोर कीपर को डेड स्टाक बुक तथा कैज्यूमेबुल स्टाक बुक हस्तान्तरित की थी ? यदि हां, तो उस हस्तान्तरण को हैण्डेड ओवर तथा टेकेन ओवर प्रमाण-पत्र की प्रति सदन के पटल पर रखते हुये क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त हस्तान्तरण किस तिथि को हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि डा० के० वी० वार्ष्णेय, तत्कालीन संयुक्त निदेशक, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद (सम्प्रति महानिदेशक चिकि० स्वा० एवं प० क०, उ० प्र०) ने अपनी जांच आख्या संख्या–जांच/एच०एन० बा०/85/2400 दिनांक 21-9-1985 में आरोपित श्री हीरालाल बाजपेयी के विरुद्ध डेड स्टाक बुक हस्तान्तरित न करने का अपराध सिद्ध पाया है ? यदि हां, तो क्या शासन सरकारी अभिलेखों को नष्ट करने तथा डेड स्टाक गायब करके, सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने संबंधी आपराधिक मुकदमा कायम करने एवं उन्हें निलम्बित करने हेतु विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

संबंधित कर्मचारी ने नहीं हस्तान्तरित की ।

जांच डा० के० वी० वार्ष्णेय, तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक से कराई गयी थी ।

जी हां ।

तत्कालीन प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर से जांच अधिकारी की संस्तुतियों के लिए समुचित कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई । प्रधानाचार्य ने श्री हीरा लाल बाजपेयी से रु० 1154–75 की वसूली

के आदेश दिये और वसूली कर ली गई थी साथ ही श्री हीरा लाल बाजपेयी की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि भी कर दी गयी ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कादीपुर जनपद सुल्तानपुर में दाइयों की संख्या एवं उनके वेतन भुगतान का विवरण

24–श्री तेजभान सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर में दाइयों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितनी दाइयां काम कर रही हैं ? क्या स्वीकृत पद से अधिक संख्या में दाइयां कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उन दाइयों का वेतन किस मद से दिया जा रहा है ? क्या संख्या से अधिक दाइयों में सुश्री शान्ती देवी दाई भी नियुक्त है ? यदि हां, तो इनकी नियुक्ति कब की गयी ? क्या उस समय नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था ? यदि हां, तो नियुक्ति किस आधार पर की गयी ? उक्त दाई को वेतन कैसे व किस मद से दिलाया जा रहा है ?

श्री बलराम यादव–

4 पद स्वीकृत हैं ।

एक

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं, सुश्री शान्ति देवी की सेवायें दिनांक 11-7-91 को समाप्त की जा चुकी हैं । सुश्री शान्ति देवी की नियुक्ति मुख्य चिकित्साधिकारी सुल्तानपुर के आदेश दिनांक 6-9-90 से की गयी थी ।

जी हां ।

यह नियुक्ति अज्ञानता-वश की गई और नियुक्ति पर प्रतिबन्धों की जानकारी होने पर सेवायें दिनांक 11-7-91 को समाप्त कर दी गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

25–श्री तेजभान सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

खाद्य निरीक्षक द्वारा दुबौलिया बाजार थाना बस्ती में सोलह सौ लीटर डीजल के चोरी का मामला

26–श्री दरोगा एवं श्री बशीर–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1991 के अक्टूबर माह में खाद्य निरीक्षक द्वारा दुबौलिया बाजार थाना बस्ती में 1600 लीटर डीजल के चोरी का मामला दर्ज कराया गया था ? यदि हां, तो उसमें कौन व्यक्ति अभियुक्त था ? क्या सरकार को जानकारी है कि जिला पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त अभियुक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करके छोड़ दिया गया और मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी है ? यदि हां, तो संबंधित रिपोर्ट दर्ज कराने वाले खाद्य निरीक्षक को वहां से हटाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

श्री चन्द्र भूषण पाण्डे, तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक ने जनपद बस्ती के थाना दुबौलिया में डीजल की चोरी का मामला दर्ज कराया था । इस प्रकरण में श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह ग्राम लक्ष्मनपुर अभियुक्त थे ।

श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह के द्वारा 1600 लीटर डीजल अनाधिकृत एवं अवैध बिक्री हेतु संग्रहीत पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया ।

विवेचनोपरान्त दिनांक 20-8-92 को पुलिस ने अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की । शासन के आदेश संख्या–एम० एल० ए०–509/92–गो०–7-60/66/92, दिनांक 18-11-92 द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत मामले की पुनः जांच सेक्टर आफिसर, सी० बी० सी० आई० डी० गोरखपुर द्वारा की जा रही है । संबंधित पूर्ति निरीक्षक का स्थानान्तरण जनहित में सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत किया गया था ।

जनपद सुल्तानपुर, फैजाबाद एवं रायबरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित समय में चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियों की शिकायत तथा शासनादेश की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

27–श्री तेजभान सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर, फैजाबाद, रायबरेली में मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति दिसम्बर, 91 से मार्च, 92 तक की गयी है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त नियुक्तियों हेतु चयन समिति बनाने का कोई शासनादेश है ? यदि हां, तो क्या ? किस स्तर के,कौन-कौन अधिकारी इसमें शामिल करने का प्राविधान है ? क्या उपरोक्त जिलों में उक्त समय में की गयी नियुक्तियों हेतु शासनादेश के अनुसार चयन समिति बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासनादेश के विरुद्ध की गयी उक्त नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जनपद सुल्तानपुर व रायबरेली में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां की गयी हैं, जनपद फैजाबाद में उक्त अवधि में सीधी भर्ती द्वारा कोई भर्ती नहीं की गयी ।

जी हां ।

शासन के कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या–20/7/1986 के अनुसार चयन समिति बनाने एवं उसमें निम्न अधिकारी रखे जाने का प्राविधान है :–

1–नियुक्ति प्राधिकारी

2–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ।

3–अल्प संख्यक समुदाय का एक तथा अन्य अधिकारी ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

न्याय पंचायत बारा, ब्लाक सेवापुरी जिला वाराणसी में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की मांग

28–श्री ऊदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या न्याय पंचायत बारा, ब्लाक सेवापुरी, जिला वाराणसी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वहां पर एक नई पी० एच० सी० मन्जूर करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं, प्रश्नगत स्थान पर कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की योजना जिला योजना के अन्तर्गत है । प्रश्नगत मामले में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन प्राप्त होने और उनके द्वारा आवश्यक परिव्यय की व्यवस्था किये बिना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना संभव नहीं है ।

श्री हीरालाल बाजपेयी, सहायक अधीक्षक, लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर की पदोन्नति को अनियमित घोषित किये जाने के संबंध में शासन से मांग

29–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता० प्र० सं० 129 के उत्तर के संबंध में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ० प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या–एम०इ०–1(क)/93/054–60, दिनांक 9-2-93 के साथ संलग्न मेडिकल कालेजों के अन्तर्गत कार्यरत लिपिक कर्मचारियों की अनन्तिम वरिष्ठता सूची में क्या श्री हीरालाल बाजपेयी, सहायक अधीक्षक, लाला लाजपत राय चिकि०, कानपुर का नाम लोकल कैडर (कालेज संवर्ग) में सम्मिलित है ? यदि नहीं,तो क्यों? क्या उनका नाम सम्मिलित न होने पर उक्त श्री बाजपेयी द्वारा उक्त आदेश में अंकित प्राविधानानुसार एक माह की निर्धारित अवधि में अपना नाम अंकित करने हेतु अभ्यावेदन अपने नियुक्तिकर्ता उच्चाधिकारी को दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या कालेज संवर्ग (लोकल कैडर) का कर्मचारी मानकर तत्कालीन प्राचार्य मेडिकल कालेज, कानपुर द्वारा उनकी सहा० अधी० के पद पर की गयी अनियमित प्रोन्नति को शासन निरस्त करेगा ?

श्री बलराम यादव–

संदर्भित पत्र दिनांक 9-2-93 में लिपिकीय वर्ग के लिए जो वरिष्ठता सूची जारी हुई है उसमें श्री हीरालाल बाजपेयी का नाम सम्मिलित नहीं है । क्योंकि उनकी वरिष्ठता पहले ही वर्ष 1976 में निर्धारित थी और उन्हें लोकल कैडर माना गया है ।

श्री हीरालाल बाजपेयी का प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

अनियमित प्रोन्नति निरस्त किये जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

30–31–श्री ऊदल–

[पहले शुक्र में अतारांकित प्रश्न सं०–177-178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

32–डा० सियाराम सागर–

[पहले गुरू में अतारांकित प्रश्न सं०–73 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद कानपुर देहात की विधान सभा क्षेत्र डेरापुर में लगे नलकूपों का विवरण

33–श्री रामदास पाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र डेरापुर में कुल कितने सरकारी नलकूप लगे हैं और भविष्य में कितने और नलकूप लगाये जाने की योजना है ? इस क्षेत्र में कितने नलकूप ठीक कार्य कर रहे हैं और कितने बन्द हैं ? वे कब तक ठीक हो जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र डेरापुर में 100 राजकीय नलकूप लगे हैं तथा एक नलकूप निर्माणाधीन है ।

चालू वित्तीय वर्ष में इस विधान सभा क्षेत्र में किसी नये नलकूप का निर्माण प्रस्तावित नहीं है ।

इस क्षेत्र में 93 नलकूप सिंचाईरत् है, 6 नलकूप असफल है तथा एक नलकूप उर्जीकरण के बाद से ही लम्बी विद्युत लाइन चोरी होने के कारण बन्द है।

विद्युत लाइन चोरी के कारण बन्द एक नलकूप को चालू कराने हेतु विद्युत विभाग के अधिकारियों से निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है। असफल नलकूपों का पुनः निर्माण जनपद योजना में स्वीकृति प्राप्त होने पर किया जाना सम्भव होगा।

जनपद कानपुर देहात के कृषि उत्पादन मण्डी, झीझक में बनी दुकानों की संख्या, किराया तथा रख रखाव का विवरण

34–श्री रामदास पाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात की कृषि उत्पादन मण्डी, झीझक में कुल कितनी दुकानें कितने रुपये की लागत से निर्मित करायी गयी हैं और उनके रख-रखाव पर प्रतिवर्ष क्या खर्च आ रहा है ? क्या जिन लोगों को यह दुकाने आवंटित की गयी हैं वह दुकानें खोले हैं। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

नवीन मण्डी स्थल, झींझक में "अ" श्रेणी की 3 नग "ब" श्रेणी की 12 नग दुकानें रु० 6.11 लाख की लागत से वर्ष 1979-80 में तथा "स" श्रेणी की 20 नग दुकानें रु० 4.65 लाख की लागत से वर्ष 83-84 में निर्मित कराई गई है। "अ" एवं "ब" श्रेणी की दुकानों की मरम्मत प्रथम बार वर्ष 83-84 में रु० 0.39 लाख की लागत से कराई गई थी तथा वर्ष 86 में दुकानों की रंगाई पुताई व मरम्मत का कार्य रु० 0.23 लाख की लागत से कराई गई है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के यू०एच०एम० चिकित्सालय के भूतपूर्व स्टोर कीपर, श्री हीरा लाल बाजपेयी द्वारा सरकारी धन का गोलमाल किये जाने की शिकायत तथा वरिष्ठता निर्धारण पर आपत्ति

35–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के प्रथम शुक्रवार में उत्तरित अता० प्रश्न संख्या 128 के उत्तर के क्रम में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त निदेशक, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद की जांच आख्या सम्बन्धी अ०शा०प०सं० एच०एल०बा०–85/2400 दिनांक 21-9-85 द्वारा प्रेषित संस्तुति पर अब तक 8 वर्षों में श्री हीरालाल बाजपेयी, सहायक अधीक्षक, लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

क्या यह भी बतायेंगे कि स्पष्ट संस्तुतियों के उपरान्त प्रशासनिक कार्यवाही करने में इतना समय लगने का औचित्य क्या है ? उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जायेगी ? क्या रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

श्री हीरालाल बाजपेयी से रुपये 1154.75 की वसूली के आदेश दिये गये थे और प्रधानाचार्य के कथनानुसार समुचित वसूली कर ली गयी है और चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की जा चुकी है।

विधान सभा क्षेत्र कोल असला, जिला वाराणसी में सिंचाई साधन रहित गांवों में नलकूप लगाये जाने की मांग

36–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि गांव सभा, बाराडीह, गांव पूरा रघुनाथपुर पश्चिमी, पुअरां, गांव राजपुर पूर्वी नये व पुरा व कोरों तथा अमौत पश्चिमी व गांव विक्रमपुर, गांव सभा मानपुर, विधान सभा क्षेत्र 245–कोल असला, जिला वाराणसी में उपरोक्त गांवों में सिंचाई का साधन नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन गांवों का सर्वेक्षण कराकर एक-एक ट्यूबवेल वहां पर लगाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गांव सभा मानपुर में केवल निजी सिंचाई के साधन हैं तथा अन्य गांवों में निजी सिंचाई व राजकीय सिंचाई के साधन हैं ।

जी नहीं ।

37–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व सिंचाई मंत्री ने प्रमुख सचिव, सिंचाई, उत्तर प्रदेश को पत्र संख्या 177/107, दिनांक 28 नवम्बर, 92 को इस आशय का लिखा था जिसमें कि ग्राम सभा छेड़ापुर, ग्राम सभा कोदई, ग्राम सभा विक्रमपुर, ग्राम सभा मानपुर, ग्राम सभा नहिया, विधान सभा क्षेत्र 245 कोल असला, वाराणसी में एक-एक नया राजकीय नलकूप स्वीकृत किया जाता है ? यदि हां, तो क्या औपचारिक आदेश जारी हुआ ? क्या इसके अलावा भी स्थानों की स्वीकृति की गयी थी ? यदि हां, तो उस आदेश पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां, जनपद प्लान 1993-94 में स्वीकृत 5 नलकूपों के स्थल चयन की स्वीकृति वाराणसी जिला स्तरीय समिति द्वारा की गई है ।

तत्कालीन सिंचाई मंत्री जी के पत्र दिनांक 28-11-92 में जनपद वाराणसी के 5 ग्रामों में से 3 ग्राम जहां नलकूप निर्माण सम्भव था, को जनपद स्तरीय चयन समिति के समक्ष 1993-94 में प्रस्तुत किया गया था, परन्तु अनुमोदित नहीं हुआ ।

राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, डागी, नैलचामी, टिहरी गढ़वाल के भवन निर्माण की मांग

38–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, डागी, नैलचामी, टिहरी गढ़वाल का भवन निर्माण हेतु भूमि की रजिस्ट्री क्षेत्रीय जनता ने स्वास्थ्य विभाग के नाम पर कर दी है ? यदि हां, तो किन कारणों से उक्त अस्पताल का भवन निर्माण नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार रा० आयुर्वेदिक अस्पताल, डागी, नैलचामी के भवन निर्माण हेतु विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक उक्त भवन का निर्माण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, भूमि की रजिस्ट्री हो गई है। परिव्यय की सीमित उपलब्धता को देखते हुये भवन निर्माण के आंगणन की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष में दी जानी सम्भव नहीं हो सकी है।

आगामी वित्तीय वर्ष में आंगणनों की स्वीकृति की दशा में भवन निर्माण कराये जाने पर विचार करना सम्भव हो सकेगा।

राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, बैज्वाडी डागर, टिहरी गढ़वाल के भवन निर्माण की मांग

39–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा० एलोपैथिक अस्पताल, बैज्वाडी डागर, टिहरी गढ़वाल का भवन निर्माण किन कारणों से नहीं हो पा रहा है ? क्या क्षेत्रीय जनता ने भवन बनाने हेतु भूमि का पंजीकरण स्वास्थ्य विभाग के नाम करा दिया है ? यदि हां, तो कब तक उक्त अस्पताल का भवन निर्माण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत निर्माण कार्य जिला योजना में आता है। जिले से अभी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जी हां, भूमि स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध हो गई है।

जिले से प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त होने पर ही विचार करना सम्भव होगा।

फतेहपुर जिले के लोअर गंगा व रामगंगा नहर के पानी के आवंटन एवं आपूर्ति की मात्रा

40–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के लिये लोअर गंगा व राम गंगा नहर के लिये कितना पानी प्रतिदिन आवंटित है ? आवंटित पानी की कितनी मात्रा प्रतिदिन मिलती है ? गत 3 वर्षों में कितना पानी आवंटित था तथा कितना प्राप्त हुआ ? प्राप्त हुआ पानी आवंटित पानी का कितने प्रतिशत था ? आवंटित जल न प्राप्त होने से कितने रजबहे व माइनर हैं, जिनमें नाम मात्र को पानी नहीं जाता ? कितने रजबहे व माइनर हैं, जिनमें टेल तक पानी नहीं पहुंचता ? आवंटित जल की पूर्ण मात्रा देने की सरकार की क्या योजना है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद फतेहपुर में फतेहपुर शाखा (लोअर गंगा नहर) तथा पश्चिमी इलाहाबाद शाखा (राम गंगा नहर) से सिंचाई होती है।

खरीफ में प्रत्येक शाखा को सामान्यतः 10 सप्ताह 800 से 1000 क्युसेक जल प्रतिदिन आवंटित होता है और रबी में फतेहपुर शाखा को 6 सप्ताह औसतन 1000 क्युसेक पानी आवंटित होता है तथा प०इ० शाखा को 6 सप्ताह औसतन 800 क्युसेक जल प्रतिदिन आवंटित होता है।

खरीफ में आवंटन का औसतन 50 से 65 प्रतिशत जल उपलब्ध होता है तथा रबी में 80 से 100 प्रतिशत तक पानी उपलब्ध हो पाता है।

गत तीनों वर्षों में फतेहपुर शाखा एवं प०इ० शाखा में खरीफ एवं रबी में आवंटित एवं प्राप्त जल का प्रतिशत निम्नानुसार है :–

आवंटित एवं प्राप्त जल का प्रतिशत

क्र०सं०	नाम शाखा	1399 खरीब	1399 रबी	1400 खरीब	1400 रबी	1401 खरीब	1401 रबी
1	फतेहपुर शाखा	57 प्रति०	77 प्रति०	63 प्रति०	85 प्रति०	48 प्रति०	31-1-94 तक 112 प्रति०
2	प०इ० शाखा	57 प्रति०	86 प्रति०	51 प्रति०	81 प्रति०	67 प्रति०	89 प्रति०

फतेहपुर शाखा में 4अल्पिकाओं तथा प०इ० शाखा के एक अल्पिका अर्थात् कुल 5 अल्पिकाओं में पानी नहीं पहुंचता ।

वर्तमान रबी में फतेहपुर शाखा की 123 नहरों में से 100 टेलों पर पानी पहुंचा है तथा प०इ० शाखा में 83 टेलों में से 68 टेलों पर पानी पहुंचा है ।

जनपद फतेहपुर में जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए ग्राम एझी कोटवा के पास यमुना नदी से 400 क्यूसेक्स जल उठाकर फतेहपुर शाखा के कि०मी० 116 पर डालने के लिये 400 क्यूसेक्स क्षमता की जरौली पम्प नहर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके पूर्ण होने पर फतेहपुर जनपद की जल उपलब्धता बढ़ेगी ।

श्री हीरालाल बाजपेयी, सहायक अधीक्षक, लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर की पदोन्नति निरस्त किये जाने का मामला

41–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि श्री वी०वी० सहाय तत्कालीन निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ का अर्धशासकीय पत्र संख्या–एम०इ०/1/(क)/92/180015, दिनांक 23-11-92, श्री पूर्ण चन्द्र शर्मा, तत्कालीन विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–5, विकास भवन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र के प्रस्तर–5 में उल्लिखित श्री हीरालाल बाजपेयी, सहायक अधीक्षक, लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर की उक्त पद पर प्रोन्नति को अनियमित बताया गया है ? यदि हां, तो उक्त सहायक अधीक्षक के पद पर की गयी उनकी उक्त अनियमित प्रोन्नति को निरस्त करने के सम्बन्ध में शासन के चिकित्सा अनुभाग–5 द्वारा अब तक आदेश निर्गत किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि कार्यवाही की जायेगी, तो कब तक ?

श्री बलराम यादव–

जी हां !

प्रोन्नति निरस्त किये जाने के आदेश शासन द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं ।

42–श्री राम औतार मिश्र–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

43–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

[पहले शुक्र में अता० प्र०सं० 176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद महाराजगंज के मुख्यालय के राजकीय चिकित्सालय के विस्तार की मांग

44–श्री चन्द्र किशोर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद महाराजगंज के क्षेत्र महाराजगंज मुख्यालय पर राजकीय चिकित्सालय का विस्तार किये जाने हेतु सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक इसका विस्तार हो जायेगा ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

उक्त चिकित्सालय के विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है । उपयुक्त भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है । भूमि उपलब्ध हो जाने के उपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए विस्तार का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड अमानीगंज के गांव सभा पूरावली में जवाहर रोजगार योजना पर आवंटित धनराशि एवं किये गये कार्यों की जानकारी

45–श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद विकास खण्ड अमानीगंज के गांव सभा पूरावली में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त आज तक की धनराशि एवं कराये गये कार्य की कभी किसी अधिकारी ने जांच की है ? यदि हां, तो किस अधिकारी ने तथा क्या जांच कार्यों के सत्यापन हेतु कभी ब्लाक स्तरीय प्रयास किये गये ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जांच में कोई कार्यवाही हुई है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

खण्ड विकास अधिकारी, अमानीगंज सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), अमानीगंज तथा अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेल द्वारा संयुक्त जांच की गयी ।

दिनांक 17-12-93

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्य सन्तोषजनक पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के अधीन लखनऊ में विभिन्न डिपोज में एरिया विक्रय सहायक के पदों को भरे जाने की मांग

46–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' तथा श्री बदन सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के अधीन लखनऊ में संचालित डिपो में रिक्त विक्रय सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन देकर उन पदों को शीघ्र भरने का आदेश सरकार देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सम्प्रति विक्रय सहायक का कोई पद रिक्त नहीं है । अतएव, विज्ञापन देकर उस पद को भरने का प्रश्न नहीं उठता है ।

राजकीय नलकूप रतनपुर, ब्लाक पिण्डरा, जिला वाराणसी में सिंचाई की अव्यवस्था की शिकायत

47–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप रतनपुर, ब्लाक पिण्डरा, जिला वाराणसी से सन् 89 से नवम्बर, 93 तक कितने एकड़ की सिंचाई की गयी है ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि इस नलकूप में गांव देउंजी के उत्तरी सरहद तक अब तक नाली बनायी ही नहीं गयी है ? क्या सरकार जांच करायेगी कि गांव देउंजी की सिंचाई नहीं हुई और सन् 93 में सारी धान की फसल सूख गयी ? क्या सरकार जांच कराकर उत्तरी नाली बनवाने हेतु धन देगी ? यदि हां, तो क्या एक अन्य नलकूप भी देउंजी गांव में लगायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 89 से नवम्बर, 1993 तक कुल 79 एकड़ की सिंचाई इस नलकूप द्वारा की गई ।

जी नहीं नाली का निर्माण हुआ था ।

जी नहीं, क्योंकि नलकूप के कमाण्ड में गांव देउंजी का क्षेत्र नहीं है । अतः जांच कराने का औचित्य नहीं है ।

निर्मित नाली (कच्ची गूल) को स्थानीय कृषकों द्वारा विस्तार कर दिया गया है, जिसे नियमानुसार निर्मित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देव प्रयाग के अन्तर्गत इन्द्रा आवासों के निर्माण में धांधली की शिकायत तथा दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

48–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के वि०खं० देवप्रयाग की ग्राम सभा भरपूर में इन्द्रा आवास का निर्माण किसने करवाया ? क्या उक्त इन्द्रा आवास का निर्माण संतोषजनक है ? यदि नहीं, तो क्या दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देवप्रयाग के अधीन वर्ष 1987-88 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत तीन आवास निर्मित हुए थे । इन्दिरा आवास योजना के अधीन आवास निर्माण का कार्य स्वयं लाभार्थी द्वारा कराया जाता है और विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरीदायी होता है । तकनीकी पर्यवेक्षण विकास खण्ड पर उपलब्ध अवर अभियन्ता द्वारा किया जाता है । प्रश्नगत आवासों का निर्माण कार्य असंतोषजनक पाया गया जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी एवं अवर अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है ।

विद्युत एवं गैस रहित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की मात्रा बढ़ाये जाने की मांग

49–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मिट्टी का तेल क्रमशः 5 लीटर तथा 10 लीटर के हिसाब से दिया जाता है ? यदि हां, तो शहरी क्षेत्र में बिजली एवं गैस की सुविधा के बावजूद भी 10 लीटर मिट्टी का तेल दिये जाने का क्या कारण है ? क्या यह भी बतायेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली एवं गैस के अभाव में भी 5 लीटर मिट्टी का तेल दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

(क) मिट्टी का तेल का निर्धारित वितरण स्केल निम्नवत् है :–

शहरी क्षेत्र–10 लीटर प्रति राशन कार्ड सामान्य श्रेणी एवं 5 लीटर प्रति राशन कार्ड जिनके पास एल०पी०जी० के कनेक्शन हैं ।

ग्रामीण क्षेत्र–5 लीटर प्रति राशन कार्ड ।

(ख) शहरी क्षेत्र में जिन लोगों के पास गैस कनेक्शन हैं उन्हे केवल 5 लीटर तेल दिया जाता है । शहरी क्षेत्र में बिना गैस कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 10 लीटर तेल इस लिए दिया जाता है क्योंकि शहरी क्षेत्र में ईंधन का वैकल्पिक साधन उपलब्ध नहीं है । जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा के साधन भी उपलब्ध हैं ।

खण्ड विकास अधिकारी, जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर के विरुद्ध शिकायत

50–श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर खण्ड विकास अधिकारी जगदीशपुर–सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री मोती लाल पुत्र श्री राम प्रसाद, ग्राम व पो०–हारीमऊ, सुल्तानपुर का दिनांक 23-8-93 का रजि० प्रार्थना-पत्र, जिसमें अपने ससुर श्री मतई पुत्र श्री भगवानदीन के नाम फर्जी निर्बल आवास का धन निकाल कर हड़प लेने तथा आवास न बनाने की शिकायत की गई है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या इस गांव में इसी तरह की और भी कालोनियों का भी पैसा निकाल कर हड़प करने की शिकायत मिली है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने की है ? जांच के बाद क्या अब तक कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं ।

श्री मतई पुत्र श्री भगवानदीन, ग्राम हारीमऊ से प्राप्त शिकायती-पत्र पर खण्ड विकास अधिकारी जगदीशपुर द्वारा जांच करायी गयी । जांच में दोषी पाये गये ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री शीतला प्रसाद तिवारी को दिनांक 15-10-92 को निलम्बित किया जा चुका है ।

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड निचलौल के कतिपय गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए छितौनी एडवांस बंधा बनाने की मांग

51–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद महराजगंज के विकास खण्ड निचलौल के ग्राम सभा कलनही, चन्ना, गुलरभार आदि ग्रामों को बाढ़ से बचाने के लिये कलनही से छितौनी एडवांस बंधा तक बांध निर्माण हेतु पूर्वांचल विकास निधि से 10,00,000.00 रुपये की धनराशि वर्ष 1992-93 आवंटित की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त कुल आवंटित धनराशि में से आज तक बंधा निर्माण पर कितनी धनराशि को खर्च किया गया है तथा कितनी धनराशि अवशेष है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत व भिकियासैण की अधिकांश नहरें टूटी फूटी होने की शिकायत

52–श्री बची सिंह रावत–

क्या सरकार को जानकारी है कि 15 दिन के भीतर सिंचाई विभाग की नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने के स्पष्ट आदेशों के बावजूद तहसील रानीखेत भिकियासैण, जिला–अल्मोड़ा की अधिकांश नहरें, टूटी फूटी व बंजर पड़ी है तथा उनमें पानी नहीं चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त नहरों में पानी न होने से क्षेत्र के कृषकों की फसल बर्बाद होने के कगार पर है ? क्या शासन इन बन्द नहरों में पानी उपलब्ध कराने के प्रभावी उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पर्वतीय क्षेत्र में गत सितम्बर, 93 की भीषण वर्षा के कारण लगभग पूरे पर्वतीय क्षेत्र में काफी नहरें क्षतिग्रस्त हुयी है जिनकी मरम्मत के लिये राहत मद के अन्तर्गत सीमित धन उपलब्धता के कारण इन तहसीलों में लगभग 50 प्रतिशत नहरों की मरम्मत कराकर पानी आवश्यकतानुसार चलाया जा चुका है । शेष नहरों में धन उपलब्धता के अनुसार मरम्मत कराकर टेल तक पानी पहुंचाया जाना सम्भव होगा ।

सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, जनपद अल्मोड़ा का कार्यालय कार्य क्षेत्र से बाहर होने की शिकायत

53–श्री बची सिंह रावत–

क्या सरकार को जानकारी है कि सिंचाई निर्माण खण्ड, रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के एक सहायक अभियन्ता का कार्यालय दूसरे जनपद नैनीताल के रामनगर में स्थित है ? क्या रामनगर, जि० नैनीताल

में स्थित उक्त सहायक अभियन्ता का कार्यक्षेत्र तहसील भिकियासैण के विकास खण्डों में है, जो करीब 150 कि०मी० की दूरी पर स्थित है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इतनी दूरी के कारण सिंचाई की नहरों का निर्माण व मरम्मत कार्य वहां पर सुचारू रूप से नहीं होता है व आवागमन में धन का अनावश्यक दुरुपयोग हो रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त सहायक अभियन्ता, सिंचाई के कार्यालय को उसके कार्यक्षेत्र में तहसील भिकियासैण मुख्यालय पर स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह सही है कि सिंचाई निर्माण खण्ड, रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के सहायक अभियन्ता का कार्यालय रामनगर जो जनपद नैनीताल में है, स्थित है ।

यह भी सही है कि इस अभियन्ता का कार्यक्षेत्र उसके कार्यालय से 40 कि०मी० से लेकर 90 कि०मी० के बीच है ।

यह मान लेना कि सरकारी दौरे पर सरकारी सेवक को देय धनराशि दुरुपयोग की श्रेणी में आयेगी, सही नहीं है ।

फिलहाल इस अभियन्ता के कार्यालय को स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

तहसील भिकियासैण, जिला अल्मोड़ा के सल्ट विकास खण्ड में पेसिया-पीपना मोटर मार्ग के दो किलोमीटर स्वीकृत मार्ग को बनाये जाने की मांग

54–श्री बची सिंह रावत–

क्या सरकार को जानकारी है कि तहसील भिकियासैण, जिला अल्मोड़ा के सल्ट विकास खण्ड में पेसिया-पीपना मोटर मार्ग के 2 किलोमीटर भाग में स्वीकृति के बावजूद अब तक निर्माण कार्य वर्षों से नहीं ही पाया है, जिसके कारण क्षेत्र की जनता यातायात की सुविधा से वंचित हैं ? यदि हां, तो सरकार इस शेष मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करवायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

पेसिया-पीपना मोटर मार्ग के 2 किलोमीटर भाग में वनभूमि पड़ती है जिसके हस्तान्तरण का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है । वनभूमि प्राप्त होने पर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

भिकियासैण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अल्मोड़ा के भवन निर्माण की मांग

55–श्री बची सिंह रावत–

क्या सरकार को जानकारी है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भिकियासैण, जिला अल्मोड़ा के भवन का वर्ष 1992 में विधिवत् उद्घाटन होकर स्वास्थ्य विभाग को सौंपे जाने के बावजूद अभी तक उस भवन में अस्पताल का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त नवनिर्मित भवन में चिकित्सा कार्य प्रारम्भ न होने से क्षेत्र की जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? क्या शासन द्वारा उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अस्पताल का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भिकियासैण, जनपद अल्मोड़ा का भवन स्वास्थ्य विभाग को स्थानान्तरित हो चुका है तथा उपचार कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिकियासैण में किया जा रहा है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा में विशिष्ट चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की जानी है। रोगी वाहन तथा एक्सरे मशीन की व्यवस्था की जा चुकी है।

विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था के लिये स्टाफ की स्वीकृति का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

जनपद हरदोई के बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में बहने वाली कतिपय नदियों से होने वाले कटाव को रोकने की मांग

56–श्री विश्राम सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद की 90 बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में गर्रा, नीलम, गम्भीरी कुंडा, गंगा नदियां बहती हैं, जो प्रतिवर्ष कटाव करके अनेकों गांवों को तबाह व बरबाद कर देती है ? यदि हां, तो क्या इन नदियों का कटाव रोकने का काम सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में गंगा और नीलम नदियों से कटाव नहीं होता है।

गर्रा, कुण्डा तथा गम्भीरी नदियों से कुछ गांवों का कटान होता है जो नदी के किनारे बसे हैं।

नदियों के कटान से हो रहे नुकसान की मात्रा तथा इनकी रोकथाम के लिए धनराशि की उपलब्धता पर ही इस प्रकार के कार्यों के बारे में सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है।

57–श्री विश्राम सिंह–

[पहले गुरू में अता० प्र० सं० 74 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

58–श्री राम औतार मिश्र–

[दूसरे गुरू में अता० प्र० सं० 72 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद चमोली के थिरपाक–कांडई मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में विवरण की जानकारी एवं मन्दाकिनी मार्ग पर पुल बनाये जाने की मांग

59–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गढ़वाल मण्डल पोड़ी के सचिव उत्तरांचल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित पत्रांक–5423/484 (यातायात)–पर्वतीय–दिनांक 31 अक्टूबर, 1992 के अनुसार सीमान्त जनपद चमोली के थिरपाक–कंडई मोटर मार्ग हेतु 76.89 लाख रुपयों का पुनरीक्षित आगणन भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या तद्विषयक स्वीकृति के औपचारिक शासनादेश निर्गत किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो कब ? क्या शासनादेश की प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत करते हुए बतायेंगे कि इसमें अनावश्यक विलम्ब के लिये कौन उत्तरदायी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त मोटर मार्ग में कितना निर्माण हो चुका है और उक्त प्रस्ताव के अनुसार उक्त मोटर मार्ग पर मन्दाकिनी नदी पर मोटर पुल तथा शेष मोटर मार्ग कब तक बनकर मोटर यातायात के लिये तैयार हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

विधायी स्वीकृति द्वितीय अनुपूरक वर्ष 1993-94 में प्राप्त करने के उपरान्त शासनादेश निर्गत होंगे ।

उपरोक्त स्थिति में सम्भव नहीं है । इसमें अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ है क्योंकि पुनरीक्षित आगणन की आपत्तियों के निराकरण करने में सामान्य समय लगा है । अतः विलम्ब के लिये किसी के उत्तरदायी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त मोटर मार्ग 3.5 कि०मी० तक निर्माण कराया जा चुका है । पुनरीक्षित शासनादेश जारी होने के उपरान्त सेतु तथा मार्ग का शेष कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा । सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण समय सीमा का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है ।

ग्राम गोपाला, विकास खण्ड सिसवा, जिला महराजगंज के निवासियों की समस्याओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

60–श्री दौलत राम–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम गोपाला, ब्लाक सिसवा, जिला–महराजगंज के निवासियों की शिकायतो से सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2 अप्रैल, 1992 को तत्कालीन मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में क्या-क्या शिकायतें थीं ? पत्र में क्या आदेश तथा किस तिथि को हुए ? यदि जांच के आदेश हुए तो जांच अधिकारी को कब प्राप्त हुए ? क्या संदर्भित दुकान का लाइसेन्स निरस्त किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जांच अधिकारी जांच हेतु मौके पर पाये गये ? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है ? यदि जांच अभी चल रही है तो क्या विलम्ब के लिये दोषी जांच अधिकारी को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

ग्राम–गोपाला, ब्लाक–घुघली, जिला महराजगंज के हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के निवासियों को कभी भी चीनी अथवा मिट्टी का तेल नहीं दिया जाता है तथा मांगने पर यह कहा जाता है कि मैं ऊपर के अधिकारियों को हिस्सा देता हूं जिसके कारण मैं चीनी व मिट्टी का तेल तुम लोगों को नहीं दे पाऊंगा । यदि ऊपर के अधिकारी प्रसन्न रहेंगे तो तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो ।

शासन के पत्र संख्या–एफ०एम० 177/29–खाद्य–6–9(23)/92, दिनांक 01 मई, 1992 द्वारा मा० दौलतराम विधान सभा सदस्य का पत्र भेजते हुए जिलाधिकारी, महराजगंज से जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था । यह आदेश जिलाधिकारी, महराजगंज को दिनांक 6-5-92 को प्राप्त हुआ ।

जांच के फलस्वरूप शिकायत निराधार पायी गयी । अतः दुकान का लाइसेन्स निरस्त करने अथवा किसी अधिकारी को दण्डित किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

विकास खण्ड देवप्रयाग, जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत भवन का पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग

61–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल का भवन किस सन् में क्षतिग्रस्त हुआ है ? वर्तमान समय में विकास खण्ड देवप्रयाग का कार्यालय कहां चल रहा है ? यदि यह कार्यालय किराये के भवन में चल रहा है तो कितना किराया प्रतिमाह देना पड़ रहा है ? उक्त विकास खण्ड का भवन क्यों नहीं बन पा रहा है ? क्या सरकार इस विकास खण्ड के भवन निर्माण के लिये धन आवंटित करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

भवन वर्ष 1987-88 में पूर्ण क्षतिग्रस्त हुआ था ।

हिण्डोलाखाल में ही किराये के भवन में चल रहा है ।

कुल रू० 1,078.00 प्रतिमाह किराया देना पड़ रहा है ।

क्षतिग्रस्त भवन के स्थान पर नवनिर्माण के प्रस्ताव पर कार्यवाही चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में दस वर्षों से अधिक समय से कार्यरत महिला चिकित्साधिकारी का विवरण एवं स्थानान्तरण की मांग

62–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के महिला चिकित्सालय में कितने ऐसे चिकित्साधिकारी जो दस वर्ष से अधिक समय से वहीं कार्यरत हैं ? क्या उन्हें शासन द्वारा जारी नीतियों के विरुद्ध स्थानान्तरण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? दस वर्ष से कम की अवधि वाले महिला चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण किये जाने का क्या कारण हैं ? क्या सरकार दस वर्ष से अधिक समय से कार्यरत महिला चिकित्सा अधिकारियों के स्थानान्तरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

महिला चिकित्सालय, लखनऊ में 9 ऐसे चिकित्सा अधिकारी हैं जो 10 वर्ष से अधिक समय से वहीं कार्यरत हैं ।

जनहित में स्थानान्तरण नहीं किया गया ।

10 वर्ष से कम अवधि की 1993 में एक महिला चिकित्सा अधिकारी का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर किया गया था और पुनः उनके ही अनुरोध पर स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया ।

आगामी स्थानान्तरण सत्र मे इस पर विचार किया जायेगा ।

प्रदेश स्तर पर पचास प्रतिशत से कम नमूना संग्रह करने वाले खाद्य निरीक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग

63–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने खाद्य निरीक्षक कार्यरत हैं ? प्रत्येक खाद्य निरीक्षक से विभाग द्वारा कितने नमूना संग्रह करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध विगत दस वर्षों में कितने नमूने संग्रहीत किये गये ? क्या 50 प्रतिशत से कम नमूना

संग्रह करने वाले खाद्य निरीक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

प्रदेश में वर्तमान में कुल 525 खाद्य निरीक्षक कार्यरत हैं।

प्रत्येक खाद्य निरीक्षक से प्रति माह 5 नमूने संग्रहीत किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सूचना एकत्र की जा रही है।

सम्यक विचारोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

–तदैव–

प्रदेश में राजकीय चिकित्सालयों में निर्धारित समय से अधिक समय तक योगदान करने वाली महिला चिकित्साधिकारियों को मानदेय दिये जाने की मांग

64–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समस्त पुरुष/महिला चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्साधिकारियों से कितने घंटे की ड्यूटी एक माह में लिये जाने का प्राविधान है ? उन नियमों के विरुद्ध महिला चिकित्सालय, लखनऊ में महिला चिकित्साधिकारी से कितने घंटे अधिक ड्यूटी करायी जाती है ? क्या अधिक ड्यूटी कराये जाने का कोई प्रतिफल उन्हें दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो अधिक ड्यूटी लिये जाने का कारण क्या है ?

श्री बलराम यादव–

राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला चिकित्सा अधिकारियों से सामान्यतः प्रतिदिन 8 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक ड्यूटी ली जाती है किन्तु चिकित्सालयों की आकस्मिक सेवाओं एवं चिकित्साधिकारियों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में अधिक अवधि तक भी कार्य लिया जा सकता है।

महिला चिकित्सालय, लखनऊ की महिला चिकित्साधिकारियों से भी तद्नुसार ही कार्य लिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

65–श्री शिव प्रताप शुक्ल–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

गाजियाबाद जनपद में जिला अस्पताल बनाये जाने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नगर में दी गयी भूमि के मामले को निपटाने की मांग

66–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद जनपद में जिला अस्पताल बनाने के लिये गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा संजय नगर में भूमि दिये जाने का प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकार किये जाने की सम्भावना है ? कब तक अस्पताल का निर्माण प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में शासन के चिकित्सा विभाग, आवास विभाग एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के बीच विचार-विमर्श चल रहा है । प्रकरण में अन्तिम निर्णय शीघ्र ही ले लिया जायेगा ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से भूमि प्राप्त होने के पश्चात् वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अस्पताल का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ तहसील के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों के ड्रेनों की खुदाई एवं सफाई का मामला

67–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ तहसील के अन्तर्गत रेकसहा, किरसिया, पेचारूया, हैदरगढ़, इनौना, सोनिकपुर, फिरोजाबाद, शिवगढ़, खुलहदा, शिवनाम, रायपुर, बहुता, गसेमिया ताल आदि ड्रेनों की खुदाई एवं सफाई का कार्य कराया जाना शासन के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक कार्य शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पेचरुवा, हैदरगढ़, सोनिकपुर, रामपुर, बहुता तथा फिरोजाबाद ड्रेनों पर कोई भी खुदाई एवं सफाई का कार्य कराया जाना प्रस्तावित नहीं है । जनपद बाराबंकी की हैदरगढ़ तहसील के अन्तर्गत रकसहा, हन्हौना, शिवगढ़, कुलेहटा, शिवनाम, गोमियाताल आदि ड्रेनों की खुदाई एवं सफाई का कार्य आवश्यकतानुसार कराने का प्रस्ताव है । किरसिया नाम की कोई ड्रेन नहीं बनाई गई है ।

जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र में चिकित्सालय खोले जाने की मांग

68–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत फतेहगढ़, दतौली, कान्हीपुर, चौबसी, बहुता, सरायपांडे, खानपुर, भिलवल तेजवापुर आदि स्थानों पर राजकीय चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक चिकित्सालय खोले जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपभोक्ता फोरम के कार्यकलाप में संशोधन की मांग

69–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उपभोक्ता फोरम को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार ऐक्ट में संशोधन करने जा रही है ? यदि हां तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को जिला फोरम की कोई रिपोर्ट मासिक व तिमाही प्राप्त होती रहती है ? यदि हां, तो क्या उपभोक्ता फोरम पर केन्द्रीय सरकार का कन्ट्रोल है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मुलायम सिंह यादव –

जी नहीं ।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, इसलिये इसके संशोधन करने या न करने के संबंध में वे ही सक्षम है ।

जी हां ।

त्रैमासिक रिपोर्ट प्राप्त होती है ।

केन्द्रीय सरकार का जिला फोरम पर सीधा नियंत्रण नहीं है ।

हिल कैडर जैसी सुविधा अन्य विभाग में द्वितीय श्रेणी तक लागू किये जाने की मांग

70–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बतालाने की कृपा करेंगे कि द्वितीय श्रेणी तक हिल कैडर किस तिथि से लागू हुआ है ? क्या सभी विभागों में उक्त शासनादेश का क्रियान्वयन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या समस्त रिक्त पदों को हिल कैडर के अनुरूप भरा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव –

कार्मिक अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 13/8/92-1/1992 दिनांक 25 नवम्बर, 92 द्वारा प्रख्यापित नियमावली के अनुसार हिल कैडर लागू किया गया है ।

जी हां । 17 विभागों द्वारा अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी कर दी है । शेष 12 विभागों द्वारा भी इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

जी हां । विभिन्न चिहिन्त विभागों के द्वारा पर्वतीय उप संवर्ग गठित करने के बाद रिक्त पदों को नियमावली के नियम–6 के प्राविधानुसार भरा जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

बरेली जनपद के विकास क्षेत्र फतेहगंज पश्चिमी के अन्तर्गत ग्राम ओंध का नदियों द्वारा कटान एवं ठोकर बनवाने की मांग

71–श्री हरीश कुमार गंगवार–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि बरेली जिले में विकास क्षेत्र फतेहगंज पश्चिमी के अन्तर्गत ग्राम ओंध की दो जोड़ा नदी ने इस वर्ष भूमि काट दिया है ? यदि हां, तो अगली वर्षा से पहले क्या मंत्री जी कटाव रोकने के लिये पत्थर की ठोकरें बनवा देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

वर्तमान में धनाभाव के कारण गांव के कटान रोकने का कार्य कराना सम्भव नहीं है ।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम प्रधानों को उपलब्ध कराये जाने वाले धन एवं उसके व्यय की वैज्ञानिक बाध्यता

72–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधानों को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले धन को व्यय करने के संबंध में मजदूरी व सामग्री के संबंध में कोई बाध्यता है ? क्या ऐसी बाध्यता का कोई वैज्ञानिक आधार है ? क्या प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से ऐसी बाध्यता में संशोधन करने का अनुरोध किया है ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी एवं सामग्री के संबंध में 60.40 की बाध्यता है ।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित बाध्यता है जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा आधार स्पष्ट करने का औचित्य नहीं है ।

जी हां ।

मार्च, 93 में प्रदेश सरकार द्वारा संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया था जिसे भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया ।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम प्रधानों को जनसंख्या के आधार पर विकास कार्य हेतु धन आवंटित करने की मांग

73–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम प्रधानों को ग्रामों के विकास हेतु जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जो धन उपलब्ध कराया जाता है, उसके लिये जनसंख्या का आधार वर्ष कौन सा है ? क्या शासन को जानकारी है कि गाजियाबाद नगर के पास के कई गांवों की आबादी तेजी से बढ़ी है ? क्या उस बढ़ी हुयी आबादी को भी नाली खड़न्जे आदि की आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने की शासन ने कोई योजना तैयार की है ? वित्तीय वर्ष 1993-94 में ऐसी आबादी को सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु कितने धन का प्राविधान रखा गया है ?

श्री श्रीराम यादव–

सम्प्रति जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामों के विकास हेतु ग्राम प्रधानों को वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर धन उपलब्ध कराया जाता रहा है ।

जी हां ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने की स्थानीय आवश्यकतानुसार प्राप्त योजनाओं/प्रस्तावों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

गोरखपुर सिंचाई विभाग की झुलनीपुर चालू नहर से होने वाली हानि को बचाने की मांग

74–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग, गोरखपुर के अन्तर्गत झुलनीपुर, चालू नहर में ग्राम मटरा घमऊर के सामने विभाग द्वारा लगवाये गये इन्लेट द्वारा नहर का पानी छोड़े जाने पर ग्राम सभा मटरा घमऊर के दलित किसानों, खेतिहर मजदूरों की थोड़ी बहुत जो खेती है, नहर के पानी से हर साल डूब जाया करती है ? क्या सरकार फसल की सुरक्षा के लिये इन्लेट के अतिरिक्त साइफन बनवाकर काश्तकारों की हर साल हजारों एकड़ नहर के पानी से डूबने वाली फसल को बचाने की कृपा करेगी ? क्या सरकार हर साल फसल को हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति काश्तकारों को दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

साइफन बनाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सदर बाजार, लखनऊ छावनी उपभोक्ता समिति का दुकान नं०–3 को परमिट शाप खोलने की मांग

75–कुं० सर्वराज सिंह तथा श्री महिपाल सिंह यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामचन्द्र वैश्य, सचिव, छावनी उपभोक्ता सहकारी समिति लि०, सदर बाजार, लखनऊ के नागरिकों की परेशानी को देखते हुए छावनी उपभोक्ता समिति शाप नं०–3 पर परमिट शाप खोलने हेतु सलाहकार (स) श्री आर० डी० सोनकर को एक पत्र जून, 1993 में दिया था, जिस पर सलाहकार (स) द्वारा दिनांक 30-6-1993 को अपने पत्र सं० 2854/50 (स)/93, दिनांक 6-7-93 में जिला पूर्ति अधिकारी, लखनऊ को शीर्ष प्राथमिकता के अन्तर्गत मामले का परीक्षण कर अपेक्षित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र में उल्लिखित तथ्य क्या थे और उस पर जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार नागरिकों की परेशानी को देखते हुए उक्त शाप का परमिट शाप खोलने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

छावनी क्षेत्र में कोई परमिट शाप न होने के कारण निलमथा, सदर व तेलीबाग में रहने वाले व्यक्तियों को विवाह आदि में चीनी के परमिट पर चीनी लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

भारत सरकार से चीनी की कम मात्रा प्राप्त होने के कारण अप्रैल, 93 के बाद स्पेशल परमिट पर आवंटन शासन द्वारा निर्गत नहीं किया जा रहा है । अतः परमिट शाप खोलने का कोई औचित्य नहीं पाया गया ।

जनपद मैनपुरी के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा की गयी नियुक्तियां

76–श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद मैनपुरी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 1992-93 में नियुक्तियां की गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? तथा उनमें आधार क्या बनाया गया है ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

तीन (3) ।

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अन्तर्गत ।

जनपद मैनपुरी में विगत दो सालों से दिये गये थोक दवा विक्रेता लाइसेंस

77–श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में पिछले दो सालों में कितने थोक विक्रेता के लाइसेंस दवा विक्रेता को दिये गये हैं ?

श्री बलराम यादव–

गत दो वर्षों (दिनांक 1-1-92 से 20-2-94 तक) में जनपद मैनपुरी में कुल सात थोक विक्रेता के लाइसेंस दवा विक्रेता को दिये गये हैं ।

जनपद सुल्तानपुर की जगईपुर माइनर व हरिकरनपुर ड्रेन के निर्माण में प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाना

78–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के जगईपुर माइनर व हरिकरनपुर ड्रेन के सम्बन्ध में ग्राम दुरामऊ की मुआवजा राशि वितरित करने हेतु, भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सुल्तानपुर को क्रमशः पत्रांक 5,दिनांक 20-6-91 द्वारा कुछ प्रमाण-पत्र व पत्रांक 274, दिनांक 29-2-92 तथा पत्रांक 643, दिनांक 21-7-93 द्वारा मांगी गयी धनराशि उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं ? उक्त माइनर ड्रेन किस वर्ष की निर्मित हुई हैं ? क्या सरकार किसानों की कठिनाई को देखते हुए अविलम्ब धनराशि उपलब्ध कराकर मुआवजा वितरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

भूमि अध्यापित सम्बन्धी कार्य जिलाधिकारी के माध्यम से होता है । जिलाधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही के पश्चात ही भूमि प्रतिकर के वितरण की कार्यवाही की जाती है । जगईपुर माइनर व हरिकरनपुर ड्रेन का निर्माण वर्ष 1981 में हो चुका है । भूमि प्रतिकर वितरण हेतु आवश्यक धनराशि सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है ।

नगर क्षेत्र समिति, सिसवा बाजार, महराजगंज के नगर के राशन कार्डों के नवीनीकरण का मामला

79–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर क्षेत्र समिति, सिसवा बाजार, महराजगंज ने अपने नगर के कार्ड धारकों के कटे-फटे, जले, गुमशुदा कार्डों के बदलने के लिये जिला प्रशासन को लिखित शिकायत वर्ष 91-92 में दी गयी थी ? जिला प्रशासन द्वारा ध्यान न देने पर क्या अध्यक्ष, क्षेत्र समिति ने तत्कालीन मंत्री जी को अपने पत्रांक 257/टा० ए० सिसवा/92-93, दिनांक 22-11-92 को कार्ड धारकों के कार्ड बनवाने एवं भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जांच में पाये-गये दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध-प्रशासनिक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज के सीमा से लगे कतिपय माइनर को गोरखपुर सिंचाई खण्ड से महराजगंज सिंचाई क्षेत्र विभाग में स्थानान्तरित किये जाने की मांग

80–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जनपद महराजगंज में सिंचाई विभाग के कार्यालय की स्थापना की जा चुकी है ? यदि हां, तो आज तक जनपद सीमा के अन्तर्गत पड़ने वाली नारायण, मधुबनी, मुख्य पश्चिमी, देवरिया नहर शाखा से सम्बन्धित माइनर गुलावा को सिंचाई विभाग महराजगंज में स्थानान्तरित न किये जाने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि इसी कारण जून, 93 के भीषण सूखा काल में नहरों पर दोहरी व्यवस्था होने से कृषकों को सिंचाई सुविधा में कठिनाई हुई है ? यदि हां, तो कृषकों के हित में क्या सरकार नहरों को तत्काल गोरखपुर सिंचाई खण्ड से महराजगंज सिंचाई विभाग को स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

नारायणी एवं मुख्य पश्चिमी नहर जनपद महराजगंज के अन्तर्गत प्रथम उपखण्ड सिसवा एवं मधुबनी तथा देवरिया नहर द्वितीय उपखण्ड, महराजगंज के नियंत्रण में हैं । अतः स्थानान्तरित करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

जी नहीं । कोई दोहरी व्यवस्था नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश स्तर के राजकीय चिकित्सालयों में रिक्त फार्मासिस्टों के रिक्त पदों का विवरण एवं आरक्षित पदों को भरे जाने की मांग

81–श्री मोलई–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के चिकित्सालयों में फार्मासिस्टों की कितनी जगहें रिक्त हैं ? इनमें से कितने स्थान अनुसूचित जाति के हैं । क्या इन रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति के प्रशिक्षित व रजिस्ट्रेशन कराये हुये फार्मासिस्टों को सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति विशेष भर्ती अभियान के द्वारा भर्ती की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

प्रदेश के चिकित्सा विभाग के विभिन्न चिकित्सालयों मे फार्मासिस्ट के 579 पद रिक्त हैं ।

रिक्त पदों में से 104 पद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित है ।

अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित पदों को नियमानुसार विशेष भर्ती अभियान द्वारा अनुसूचित जाति के प्रशिक्षित एवं पंजीकृत अभ्यर्थियों से यथाशीघ्र भरा जायेगा ।

राजकीय नलकूप संख्या तैतालिस मंगारी व नलकूप प्रथम रायपुर, विकास खण्ड पिंडरा, जिला वाराणसी की मरम्मत की मांग

82–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि राजकीय नलकूप नं०–43 मंगारी व नलकूप प्रथम, रामपुर ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी की रिबोरिंग हुए दो वर्ष से ऊपर हो गया है ? क्या यह सही है कि नलकूप नं०–43 मंगारी के लिये सिंचाई विभाग ने अब तक बिजली के इस्टीमेट का रुपया नहीं जमा किया गया ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने मुख्य मंत्री को दिनांक 14-12-93 को पत्र लिखा है ? क्या इसी तरह से रामपुर प्रथम नलकूप बिजली विभाग की लापरवाही से आज तक नहीं चला ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेगी और नलकूप चलाने का आदेश देगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

जी नहीं, उर्जीकरण के बाद दोनों नलकूप चालू हो गये हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

83–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

[पहले शुक्र में अता० प्र० सं० 160 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री धर्मपाल गर्ग, सहायक अभियन्ता चतुर्थ, रायबरेली द्वारा ड्रेनों के निर्माण में की गयी अनियमितता की जांच

84–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के सातवें बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री धर्मपाल गर्ग, सहायक अभियन्ता–चतुर्थ, रायबरेली के विरुद्ध जांच चल रही है ? यदि हां, तो उक्त जांच किस तिथि व वर्ष से आरम्भ की गयी ? क्या जांच लम्बे दिनों तक लम्बित रहने से उसके साक्ष्य पर असर पड़ा है ? यदि हां, तो तत्काल जांच समाप्त करने के आदेश कब दिये गये ? उक्त श्री गर्ग के विरुद्ध उपलब्ध अभिलेख के अनुसार इससे पूर्व कितनी जांचें और की जा चुकी हैं तथा उनके विरुद्ध कितनी शिकायतें मिली हैं ? निष्पक्ष एवं सत्य जांच के लिये कितना समय अभी और लगेगा ? श्री गर्ग के विरुद्ध जांच के लिये लगायी गयी लम्बी अवधि का दोषी कौन है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रारम्भिक जांच पूर्ण करने के उपरान्त आरोप पत्र स्वीकृत किया जा चुका है तथा जांच अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गयी है ।

अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की प्रारम्भिक जांच 6 अप्रैल, 1992 में प्रारम्भ की गई थी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार श्री धर्मपाल गर्ग के विरुद्ध लोअर खण्ड, आगरा नहर, आगरा की वर्ष 1980-83 कार्यकाल की अनियमितताओं से सम्बन्धित एक प्रकरण पर जांच पूर्ण कराकर इन्हें बृहत दण्ड दिया गया था । उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई शिकायत अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है ।

अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रारम्भिक जांच पूर्ण हो चुकी है जिसके आधार पर विभागीय कार्यवाही का निर्णय लेकर अपचारी अधिकारी के विरुद्ध आरोप-पत्र स्वीकृत होकर जारी हो चुका है जिसका उत्तर अपेक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पौड़ी जनपद में चिकित्सकों के प्रथम, द्वितीय एवं महिला अधिकारियों के रिक्त पदों की संख्या तथा उन्हें भरे जाने की मांग

85–श्री हरक सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी जनपद में चिकित्सकों के कुल प्रथम, द्वितीय एवं महिला अधिकारियों के कितने पद सृजित हैं ? उनमें से कितने पद रिक्त हैं ? क्या रिक्त पदों पर जनहित में शीघ्र तैनाती की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में चिकित्सा अधिकारियों के स्वीकृत/रिक्त पदों की सूचना निम्नवत् है :–

	स्वीकृत	रिक्त
1–प्रथम श्रेणी चिकित्सा अधिकारी	26	14
2–द्वितीय श्रेणी पुरुष चिकित्साधिकारी	172	87
3–द्वितीय श्रेणी महिला चिकित्सा अधिकारी	17	08

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया की तहसील हाटा में कुल लगे नलकूपों का विवरण आदि की जानकारी

86–श्री अम्बिका सिंह (देवरिया)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के हाटा तहसील में कुल कितने ट्यूबवेल हैं और कहां-कहां वे लगे हैं ? उनमें से कहां-कहां के ट्यूबवेल चालू हालत में हैं और कहां-कहां के ट्यूबवेल खराब हालत में हैं ? क्या खराब ट्यूबवेल को चालू करने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद देवरिया के हाटा तहसील में कुल 49 राजकीय नलकूप हैं । उक्त नलकूपों की ग्रामवार सूची संलग्न है । सूची में नलकूपों के चालू होने तथा खराब होने की स्थिति भी अंकित है ।

जी हां । प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 177–179 पर)

87–श्रीमती रानी देव लता–

[पहले शुक्र में अता० प्र० सं० 163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

महिला चिकित्सालय, लखनऊ में कार्यरत डा० संतोष सिंह उनके पति डा० अमर सिंह के स्थानान्तरण एवं यात्रा भत्ता आदि के भुगतान का मामला

88–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला चिकित्सालय, लखनऊ में कार्यरत डा० सन्तोष सिंह एवं इनके पति डा० अमर सिंह स्टेट ब्लड बैंक, लखनऊ का स्थानान्तरण जनपद नैनीताल की दो वर्ष की तैनाती की अवधि में कितने बार किये गये ? उसमें कितने का अनुपालन किया गया ? क्या उन सभी की प्रविष्टि उनकी सेवा पुस्तिका में अंकित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या उन सभी स्थानान्तरित आदेशों के परिपालन में यात्रा भत्ता दिया गया ? क्या यह भी सही है कि जनपद नैनीताल से स्थानान्तरित होकर आये महिला चिकित्सालय, लखनऊ में क्या कोई दो बैंक ड्राफ्ट नैनीताल से भुगतान हेतु वर्ष 1988 में भेजे गये ? क्या उन सभी का भुगतान करा दिया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो किस तिथि को ?

श्री बलराम यादव–

डा० सन्तोष सिंह का दो बार तथा डा० अमर सिंह का चार बार स्थानान्तरण किया गया ।

सभी स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन किया गया ।

जी हां ।

कथित दम्पत्ति के 4 यात्रा भत्ता देयकों का भुगतान किया गया है तथा दो यात्रा भत्ता देयक लम्बित हैं ।

जी हां ।

जी नहीं । भुगतान की कार्यवाही चल रही है ।

89–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला चिकित्सालय, लखनऊ में कार्यरत महिला चिकित्साधिकारी, डा० सन्तोष सिंह ने अपना कोई शिकायती-पत्र महानिदेशक, स्वास्थ्य को दिनांक 19-10-93 में प्राप्त कराया है ? क्या उक्त शिकायती-पत्र की जांच प्रमुख अधीक्षिका, महिला चिकित्सालय, लखनऊ से कराये जाने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर कोई जांच करायी गयी ? यदि हां, तो शिकायत के दौरान कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये ? दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं । अपितु दिनांक रहित शिकायती-पत्र जो निदेशक, (प्रशासन) को संबोधित है दिनांक 1-10-93 को प्राप्त हुआ है ।

जी हां ।

जी हां ।

दो कर्मचारी दोषी पाए गए जिन्हें भविष्य में सचेत रहने के लिए कड़ी चेतावनी दे दी गई है ।

जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुयी जनधन की हानि तथा बांधों की मरम्मत की मांग

90–चौ० रवीन्द्र प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिद्धार्थनगर जनपद के शोहरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में आयी विगत बाढ़ तथा अति जलवृष्टि से हुए बांधों की क्षति एवं अपार जन-धन हानि पर सहायता तथा बांधों की मरम्मत एवं नये बांधों के निर्माण हेतु कोई व्यवस्था तथा राहत कार्य की योजना सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी है ? यदि हां, तो कब और उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कोई नये बांध के निर्माण की योजना विचाराधीन नहीं है । पूर्व निर्मित नन्दबलिया बांध की सामान्य क्षति हुई है, उसकी मरम्मत अनुरक्षण मद से की जा रही है । वेदौला लखनापार बांध निर्माणाधीन ही है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत दप्सौरा व बहादुर पम्प कैनाल की पूर्ण क्षमता से चलाये जाने की मांग

91–श्री मदन गोपाल वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधान सभा क्षेत्र 285, जहानाबाद, जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत दप्सौरा पम्प कैनाल व बहादुर पम्प कैनाल पूर्ण क्षमता से चलायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, दप्सौरा पम्प कैनाल उपलब्ध लोड के अनुसार 20 क्यूसिक क्षमता से चलाई जा रही है । स्वतंत्र फीडर निर्माण होने के पश्चात् पूर्ण क्षमता 30 क्यूसिक से वर्ष 1995-96 में चलाई जा सकेगी ।

बहादुरपुर पम्प कैनाल पूर्ण क्षमता 20 क्यूसिक से चलाई जा रही है ।

जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत खराब पड़े नलकूपों को ठीक कराने की मांग

92–श्री मदन गोपाल वर्मा–

क्या सरकार को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र–285, जहानाबाद, जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत 85 प्रतिशत राजकीय नलकूप खराब पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । विधान सभा क्षेत्र 285 जहानाबाद के अन्तर्गत 147 चलित नलकूपों में से कुल 14 राजकीय नलकूप यांत्रिक व विद्युत दोष के कारण बन्द हैं । यह बंदी सामान्य प्रकार की है तथा इसको तत्परता से दूर करने हेतु विद्युत विभाग व नलकूप विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है ।

जनपद महाराजगंज के ग्राम सभा बसुली, बरईपार असिंचित क्षेत्र को सिंचित सुविधा प्रदान कराने की मांग

93–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड निचलौल, जनपद महराजगंज के ग्राम सभा बसुली, बरईपार असिंचित क्षेत्र को वसूली नहर से माइनर निकलवाकर, असिंचित क्षेत्र के दलित

अनुसूचित जाति के निर्बल काश्तकारों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । ग्राम सभा बसुली में गण्डक प्रणाली की ऊपरी नरायनी शाखा से तथा ग्राम बरईपार में राजकीय नलकूप से सिंचाई सुविधा उपलब्ध है ।

जनपद गाजीपुर के मोहम्मदा तहसील के ग्राम पलिया तथा उसके आस-पास के अन्य गांवों में राजकीय नलकूप लगवाये जाने की मांग

94–श्री अफजाल अंसारी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद–गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के ग्राम-पलिया में आस-पास के मौजों की लगभग 2000 एकड़ जमीन असिंचित है, जहां सिंचाई का कोई साधन न होने के कारण किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि इस क्षेत्र में पानी का स्टेटा 250 फीट है, जिसके कारण प्राइवेट बोरिंग नहीं हो पाती है या फिर फेल हो जाती है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस क्षेत्र में नलकूप राजकीय/विश्वबैंक की धनराशि से लगवाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । ग्राम-पलिया के आस-पास के ग्राम-बीरपुर लघु डाल नहर व राजकीय नलकूपों के कमाण्ड में हैं ।

जी हां, कुछ स्थानों पर ।

जी नहीं । राज्य स्तर पर ऐसी कोई योजना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

ग्राम–पलिया के आस-पास के ग्राम बीरपुर लघु डाल नहर व राजकीय नलकूपों के कमाण्ड में है ।

जनपद गाजीपुर में राजकीय नलकूपों की नालियां क्षतिग्रस्त होने के कारण सिंचाई सुविधा प्रभावित होने की शिकायत

95–श्री अफजाल अंसारी–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गाजीपुर में स्टेट ट्यूबवेलों की नालियों की बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण इस वर्ष किसानों को सिंचाई में बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि किन-किन नलकूपों की नालियां क्षतिग्रस्त हैं ? क्या इन नालियों की मरम्मत हेतु अतिरिक्त धन आवंटित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद गाजीपुर में 225 नलकूपों की वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त पाई गई है जिससे किसानों को सिंचाई में असुविधा होना स्वाभाविक है । राजकीय नलकूपों की स्थापना जल वितरण के लिये नालियों के निर्माण तथा उनके जीर्णोद्धार के लिए धनराशि जिला योजना से उपलब्ध होती है ।

वर्ष 1993-94 में इस जल वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार हेतु रु० 156.30 लाख की धनराशि की आवश्यकता अनुमानित है जिसके विपरीत जिला योजना में इस वर्ष इस कार्य हेतु केवल रु० 5.60 लाख की धनराशि का प्राविधान ही हो पाया है।

जनपद गाजीपुर में विश्व बैंक द्वारा प्रेषित राजकीय नलकूपों की खराबी को ठीक कराने की मांग

96–श्री अफजाल अंसारी–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गाजीपुर में कुल कितने राजकीय/विश्वबैंक पोषित नलकूप खराब होने के कारण बन्द पड़े हैं ? इसमें से कितने ऐसे नलकूप हैं, जो दो माह से अधिक समय से बन्द हैं ? मंत्री जी कब तक इन खराब नलकूपों की मरम्मत कराकर चालू करा देंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

साप्ताहान्त दिनांक 10-2-94 को जनपद-गाजीपुर के अन्तर्गत कुल 64 राजकीय/विश्वबैंक नलकूप यांत्रिक/विद्युत दोष के कारण अस्थाई रूप से बन्द बताए गए हैं।

उपरोक्त नलकूपों में से 6 नलकूप 2 माह से अधिक समय से विद्युत दोष के कारण बन्द हैं।

यांत्रिक/विद्युत दोष से बन्द इन नलकूपों को शीघ्र ही ठीक कराकर चालू कराया जा रहा है।

जनपद गढ़वाल में चौबट्टाखाल से दमदेवल-थैलीसैंण मोटर मार्ग को पक्का किये जाने की मांग

97–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद गढ़वाल में चौबट्टाखाल से दमदेवल-थैलीसैंण मोटर मार्ग किस सन् में बना था ? इतने वर्षों बाद भी इस सड़क का पुनर्निर्माण (पक्कीकरण) न होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार तत्काल इस मोटर मार्ग को पक्का करने के आदेश पारित कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

इस नाम से कोई मार्ग स्वीकृत नहीं है। स्वीकृत मोटर मार्ग चौबट्टाखाल-दमदेवल-चौरीखाल मार्च, 1992 में पूर्ण किया जा चुका है।

कार्य का पुनः निर्माण/पक्कीकरण स्वीकृत नहीं है।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है। अतः समय सीमा का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में पिठुण्डी से पैठाणी तक भारी वाहनों हेतु बन रही सड़क को शीघ्र पूरा किये जाने की मांग

98–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में पिठुण्डी से पैठाणी तक भारी वाहनों के लिए यातायात हेतु सड़क निर्माण विभाग ने कब शुरू किया और उसका उद्देश्य क्या था ? इस सड़क पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी ? कितनी धनराशि व्यय होनी थी ? उक्त सड़क पूरी तरह निर्मित क्यों नहीं की गयी है ? अवशेष सड़क कब तक पूरी की जायेगी ? क्या इस सड़क पर वन विभाग स्वयं पेड़ लगा रहा है ? यदि हां, तो सड़क के बीच पेड़ लगाने का औचित्य क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में वन विभाग द्वारा पिठुण्डी से पैठाणी तक वन मोटर मार्ग वर्ष 1977-78 में प्रारम्भ किया गया, जिसका उद्देश्य वन सम्पदा को निकासी एवं जनहित यातायात के लिए है।

सड़क निर्माण पर निम्न धनराशि व्यय की गई :–

वर्ष 1977-78	रु०	1,52,621.00
वर्ष 1978-79	रु०	20,923.00
वर्ष 1979-80	रु०	2,37,032.00
योग–	रु०	4,10,576.00

सड़क निर्माण पर लगभग रु० 15.00 लाख का व्यय अनुमानित था।

योजना के अन्तर्गत अपेक्षित धनराशि उपलब्ध न होने के कारण प्रश्नगत सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।

वन विभाग द्वारा प्रश्नगत सड़क पर कोई पौधारोपण नहीं किया गया है।

ग्राम्य विकास विभाग के अन्वेषक (सांख्यिकी) व सहायक संख्याधिकारी के वेतन संशोधन की मांग

99–श्री भगवत सरन गंगवार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों (डी० आर० डी० ए०) तथा जवाहर भवन स्थित ग्राम्य विकास निदेशालय में कार्यरत सांख्यिकीय कर्मियों को सचिव वित्त के अर्धशासकीय पत्र संख्या–वे० आ०-1-1495/दस-101(एम)/89, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1, दिनांक 7-7-1992 के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग ने अन्वेषक (सांख्यिकी) व सहायक संख्याधिकारी का वेतनमान रु० 1400–2600 से रु० 1600–2660 संशोधित किये जाने का शासनादेश आयुक्त, ग्राम्य विकास व समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष डी० आर० डी० ए० हेतु जारी किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि जारी किया गया है, तो शासनादेश संख्या क्या है ?

श्री श्रीराम यादव–

मामला शासन के विचाराधीन है।

जनपद गढ़वाल में पैठाणी–चाकीसैंण मोटर मार्ग पर अस्वीकृत पुल बनाये जाने की शिकायत

100–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद गढ़वाल में पैठाणी-चाकीसैंण मोटर मार्ग से नौड़ी तक कुल कितने कि०मी० सड़क कितनी धनराशि से किस सन् में स्वीकृत हुई ? क्या इस मोटर मार्ग को पांच कि० मी० में नौड़ी पहुंचना था ? यदि हां, तो वह निकटस्थ स्थान कौन सा था जहां विभाग ने पूर्व में सर्वे किया था ? वर्तमान में कहां से कार्य हो रहा है ? इस मोटर मार्ग को कि०मी० एक में पुल पड़ने (जो स्वीकृत नहीं है) के बाद भी जबरन किन परिस्थितयों में बनाया जा रहा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग 5.00 कि०मी० लागत रुपये 22.50 लाख की वर्ष 1991 में स्वीकृति की गई।

जी नहीं ।

उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 15 में माजरा-महादेव में सर्वेक्षण किया गया था ।

स्वीकृत मार्ग के कि० मी० 2 में स्थित स्थान विसुखाल से कार्य प्रारम्भ किया गया है । कि०मी०–1 में पड़ने वाला पुल नहीं बनाया जा रहा है ।

जनपद चमोली की धनपुर पट्टी में रैतोली से जसोली मोटर मार्ग की स्वीकृति एवं निर्माण का मामला

101–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली की धनपुर पट्टी में रैतोली से जसोली मोटर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति मिल गयी है ? क्या वित्त विभाग से भी उक्त मोटर मार्ग को सहमति मिल गयी थी ? यदि हां, तो इस मोटर मार्ग पर तत्काल कार्य शुरू न कराये जाने का क्या कारण है ? उस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि शासन स्तर पर लगभग सभी कार्यवाही होने पर तुरन्त आदेश मिलने की प्रत्याशा में लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर (चमोली, गढ़वाल) में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु पांच कि०मी० की टेण्डर तक अखबारों में आमंत्रित कर लिए थे ? यदि हां, तो किन कारणों से यह कार्य रुका ? क्या सरकार इस मोटर मार्ग को तत्काल स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य शुरू करने के आदेश निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

कार्य स्वीकृत नहीं है । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । बाद में स्वीकृति न मिलने पर निरस्त कर दिया गया ।

वित्तीय संसाधनों की कमी को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

हण्डिया तहसील के इण्डिया पम्प कैनाल तथा उसके अनेक माइनरों के अधूरे कार्य को पूरा कराने की मांग

102–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि इण्डिया पम्प कैनाल, जो गंगा जी में लगायी गयी है, का कार्य अभी अधूरा है और उस पम्प कैनाल की कई माइनरों में आज तक अधूरा होने की वजह से सिंचाई हेतु पानी नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरी नहर की जांच करायेगी और सभी माइनरों व नहरों को शीघ्र पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्न में अंकित इण्डिया पम्प कैनाल नाम की कोई पम्प कैनाल इस क्षेत्र में नहीं है किन्तु ज्ञानपुर पम्प कैनाल के अन्तर्गत हण्डिया तहसील में स्थित केहुनी नामक स्थान पर पम्प हाउस बनाकर गंगा जी से पानी उठाया गया है । इस पम्प नहर के पम्प हाउस का निर्माण पूर्ण हो चुका है परन्तु वितरण प्रणाली की माइनरें एवं नहरों का कार्य अभी अधूरा है, जिसके कारण इस प्रणाली में सिंचाई हेतु आंशिक रूप से ही पानी दिया जाता है ।

वितरण प्रणाली के निर्माण का कार्य भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी विवादों के कारण स्थगित है, जो मा० उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालय में लम्बित है ।

संयुक्त निदेशक, डा० बी० एम० माथुर द्वारा की गयी जांच के विरुद्ध सहायक अभियन्ता, लखनऊ द्वारा भेजे गये शिकायती-पत्र का विवरण एवं कार्यवाही की मांग

103–श्री चरन सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आश्वासन संख्या–130-27-89-89 से संबंधित चिकित्सा अनुभाग-5 के शासनादेश दिनांक 27-10-92 के क्रम में डा० बी० एम० माथुर, संयुक्त निदेशक द्वारा वर्ष 1988 में की गयी जांच के विषय में सहायक अभियन्ता, लखनऊ श्री एम० जी सिंघल का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 27-1-93 स्वास्थ्य सचिव एवं निदेशालय, सेन्ट्रल डायरी अनुभाग में फरवरी, 93 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके साथ पत्र में उल्लिखित कौन-कौन से संलग्नक प्राप्त हुए हैं ? संदर्भित शिकायती-पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही हुई है ? क्या दिसम्बर, 93 तक अपेक्षित कार्यवाही करने में कोई विलम्ब हुआ है ? उक्त पत्र में क्या-क्या बिन्दु उठाये गये हैं और उन परीक्षण/जांच के उपरान्त क्या-क्या तथ्य सही पाये गये हैं ? क्या मंत्री जी शिकायतकर्ता से सहयोग प्राप्त करके किसी जांच अधिकारी के माध्यम से जांच करायेंगे ? क्या जांच परिणाम से शिकायतकर्ता एवं सदन को अवगत करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

उल्लिखित पत्र के साथ 7 (सात) संलग्नक प्राप्त हुये है ।

श्री सिंघल, आदेश दिनांक 28-1-93 द्वारा सेवाच्युत कर दिये गये, अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में खिर्सू-मुसागली-दमदेवल मोटर मार्ग के निर्माण को पूरा कराने की मांग

104–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में खिर्सू-मुसागली-दमदेवल मोटर मार्ग कितने कि० मी० लम्बाई में और किस सन् में स्वीकृत हुआ था ? क्या उक्त मार्ग का निर्माण वन अधिनियम के कारण अवरुद्ध रहा ? यदि हां, तो विभाग ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की और कब तक इसे पूरा किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग सन् 1979 में 62.00 किलोमीटर स्वीकृत किया गया था ?

जी हां ।

वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव भारत सरकार में लम्बित है । लोक निर्माण विभाग ने दो बार स्मरण भी कराया है । वन भूमि की स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत सैजी नामक स्थान पर स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने की मांग

105–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत सैजी नामक स्थान पर स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कब तक किया जायेगा ? क्या इसके विस्तार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सैजी नामक स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं है । इस स्थान पर राजकीय ऐलोपैथिक औषधालय स्थापित है । भवन निर्माण तथा चिकित्सालय विस्तार जिला योजना के अन्तर्गत आता है । जिले से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर के कतिपय गांवों में जवाहर रोजगार योजना की धनराशि का उपयोग न किये जाने की शिकायत

106–श्री मोलई–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक-ब्रह्मपुर अन्तर्गत किन-किन ग्रामों की जवाहर रोजगार योजना की धनराशि विगत 3 वर्षों से अब तक बिना उपयोग किये हुए पड़ी है ? क्या इसमें ग्राम नेवदी व विशुनपुर मटियरा के अतिरिक्त अन्य ग्राम भी सम्मिलित हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से ? क्या इस विषय में श्री फिरंगी प्रसाद विशारद पूर्व विधायक व सांसद गोरखपुर के उक्त धन के प्रयोग हेतु मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर, बी० डी० ओ० ब्रह्मपुर व शासन को प्रेषित पत्र वर्ष 1992 से वर्ष 1993 के माह नवम्बर तक प्राप्त हुए ? यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि प्रत्येक ग्राम में प्रयोग होना अवशेष है ? कब तक शेष धन का प्रयोग होना प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

ब्लाक ब्रह्मपुर अन्तर्गत जवाहर रोजगार योजना की धनराशि विगत 3 वर्षों से ग्राम विशुनपुर मटियरा में तथा विगत 2 वर्षों से ग्राम सभा न्योढ़ी, अमडीहा तथा बोठा में अप्रयुक्त अवशेष है ।

जी नहीं ।

अवशेष धनराशि

ग्राम सभा विशुनपुर मटियरा	रु०	78864.00
न्योढ़ी	रु०	44299.97
बोठां	रु०	74997.15
अमडीहा	रु०	94436.00

अवशेष धनराशि का उपयोग आरम्भ कर दिया गया है तथा ग्राम सभा अमडीहा को छोड़कर यथा शीघ्र पूरी धनराशि का उपयोग कर लिया जायेगा । ग्राम सभा अमडीहा की धनराशि जांच में लम्बित है ।

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज के परिसर में प्राइवेट शिक्षा संस्था खोले जाने तथा उसके निर्माण में लाखों रुपये व्यय किये जाने की शिकायत

107–श्री मित्रसेन यादव–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि नरेन्द्रदेव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज के परिसर में डी० ए० वी० स्कूल की स्थापना की गयी है, जो कि एक प्राइवेट संस्था है ? यदि हां, तो प्राइवेट संस्था को कृषि विश्वविद्यालय परिसर में खोलने की अनुमति तथा इस पर प्रतिवर्ष तीन लाख रुपये व्यय किये जाने का कारण क्या है ? इतनी शासकीय धनराशि अनियमित रूप से उक्त निजी संस्था को दिये जाने का कारण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के बच्चों की उत्तम शिक्षा व्यवस्था हेतु विश्वविद्यालय की वित्त उप समिति तथा प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदनोपरान्त प्रश्नगत विद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है । प्रश्नगत विद्यालय ने केवल प्रथम तीन वर्षों तक आय-व्ययक के घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु मात्र तीन लाख रुपये की मांग की है । इसके पश्चात यह विद्यालय स्वावलम्बी होकर स्वयं अपना व्यय भार वहन करने लगेगा ।

चूंकि प्रश्नगत विद्यालय स्थापित करने का निर्णय विश्वविद्यालय के सक्षम स्तर अर्थात् प्रबन्ध परिषद् ने सम्यक् विचारोपरान्त लिया है, अतः इस पर होने वाले व्यय को अनियमित नहीं कहा जा सकता ।

डा० बी० एम० माथुर, संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य द्वारा श्री एम० जी० सिंघल के विरुद्ध की गई जांच आदि का विवरण

108–श्री चरन सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा० बी० एम० माथुर, संयुक्त निदेशक ने श्री एम० जी० सिंघल के विरुद्ध सन् 1988 में कोई जांच की थी ? यदि हां, तो जांच कब शुरू हुई एवं कब समाप्त की गयी ? जांच के दौरान कितने एवं किन-किन गवाहों की गवाही निदेशालय एवं अमौसी कार्यशाला लखनऊ में कब-कब ली गयी थी ? किन-किन गवाहों की गवाही अपचारी/आरोपित उक्त अभियन्ता की मौजूदगी में ली गयी है एवं किन गवाहों से पूछ-ताछ का अवसर अभियन्ता को दिया गया है ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जांच दिनांक 20-9-88 को आरम्भ हुई तथा दिनांक 7-10-88 के पूर्व समाप्त हुई ।

जांच के दौरान निम्न व्यक्तियों की आमौसी कार्यशाला में सितम्बर, 1988 में गवाही ली गई है ।

1–श्री ओ० एन० अग्रवाल, सहायक परिवहन अभियन्ता

2–श्री आर० मौर्या

3–श्री पी० के० श्रीवास्तव

4–श्री वी० के० गुप्ता

5–श्री शिव कुमार सिंह

6–श्री वी० पी० चौरसिया

7–श्री उमेश्वर प्रताप सिंह

8–श्री राजेन्द्र कुमार

9–श्री नियाज अहमद खां

10–श्री एफ० ए० सिद्दीकी

11–श्री सिया राम

12–श्री शफायत अली

13–श्री एम० सी० मसीह

14–श्री छेदी लाल

15–श्री एस० वी० सिंह

16–श्री आर० के० पाण्डेय

17–श्री योगेन्द्र शर्मा

18–श्री सालिक राम

19–श्री एम० एस० श्रीवास्तव

20–श्री इन्द्रासन राम

21–श्री सज्जन लाल

22–श्री जी० कुमार

23–श्री इरफान अली

24–श्री ओ० पी० श्रीवास्तव

25–श्री हरि मोहन

26–श्री जै नरायण दीक्षित

27–श्री जे० पी० यादव

अधिकतर गवाहियां श्री एम० जी० सिंघल के सम्मुख हुई, उनको बोलने का पूरा अवसर दिया गया। जिस दिन श्री सिंघल जांच के दौरान अनुपस्थित रहे उनको बुलवाया गया तथा लिखित बयान पढ़कर सुनाया गया।

109–श्री चरन सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री पूर्व प्रश्न के क्रम में बतायेंगे कि प्रश्नगत जांच में अभियन्ता की मौजूदगी में गवाही लेने तथा अभियन्ता को गवाहों से पूछ-ताछ का अवसर देने हेतु श्री सिंघल अभियन्ता से जांच अधिकारी, संयुक्त निदेशक प्रशासन एवं निदेशक प्रशासन तथा संयुक्त निदेशक महिला को अभियन्ता के पत्र दिनांक 7-10-88 और 27-10-88 प्राप्त हुए हैं ? इन पत्रों के मुख्य-मुख्य तथ्य क्या हैं ? वर्ष 1988

उत्तर प्रदेश विधान सभा

में एवं जांच रिपोर्ट देने से पूर्व जांच अधिकारी द्वारा इन पत्रों पर क्या समुचित विचार किया गया ? क्या पत्रों के बारे में कोई आदेश/निर्णय दिया गया ? यदि नहीं, तो क्या इस हेतु जांच अधिकारी के स्तर पर कोई कमी की गयी है ? क्या निदेशक प्रशासन श्री बी० एस० पाण्डेय एवं उनके कार्यालय द्वारा वर्ष 1990 में शासन को संस्तुति/रिपोर्ट भेजने के पूर्व इन पत्रों के विषय में कोई कार्यवाही किया जाना न्याय संगत/वांछित था एवं ऐसी क्या-क्या कार्यवाही निदेशालय द्वारा की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब प्रतिवेदनों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

उक्त पत्र दिनांक 7-10-88 एवं 27-10-88 प्राप्त नहीं हुये परन्तु श्री सिंघल का एक अन्य पत्र दिनांक 3-10-88 प्राप्त हुआ ।

चूंकि उक्त दोनों पत्र प्राप्त नहीं हुए ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

पत्र प्राप्त न होने के कारण, प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

110–श्री चरन सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक प्रशासन ने पत्र संख्या–3फ-ए-251–254, दिनांक 27-1-93 द्वारा संयुक्त निदेशक, भण्डार एवं वित्त नियंत्रक से सहायक परिवहन अभियन्ता, श्री एम० जी० सिंघल के शिकायती-पत्र दिनांक 21-12-92 के क्रम में एक सप्ताह में सूचनायें मांगी हैं ? यदि हां, तो क्या मांगी गयी सभी सूचनायें दोनों अधिकारियों से अनुभाग–3ए० को प्राप्त हो गयी है ? यदि नहीं, तो सूचनायें प्राप्त होने में विलम्ब हेतु अनुभाग–3ए/प्रभारी, संयुक्त निदेशक द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 27-1-93 पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही पूरी करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

संयुक्त निदेशक (भण्डार) द्वारा सूचना 29-1-93 को प्राप्त हो गयी है परन्तु वित्त नियंत्रक से सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

चूंकि श्री एम० जी० सिंघल आदेश दिनांक 28-1-93 द्वारा सेवाच्युत कर दिये गये थे, अतः मामले का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं रही ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र मुन्डेरा बाजार के अन्तर्गत डी० आर० डी० ए० योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990 से 94 तक व्यय किये गये धन एवं उससे किये गये कार्य का विवरण

111–श्री मोलई–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र मुण्डेरा बाजार (अ०जा०) के अन्तर्गत आने वाले ब्लाक ब्रह्मपुर सरदार नगर व खोराबार के गांवों से संबंधित विधायक कोटे में डी० आर० डी० ए० योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 एवं 1993-94 में कौन-कौन सड़कें, पुल, पुलिया, खड़न्जा मार्ग, सम्पर्क मार्ग कितनी-कितनी धनराशि से निर्माण कराया गया है ? प्रत्येक वर्ष में कितने मानव दिवस सृजित किये गये ? मेट व जे० ई० कौन-कौन थे ? क्या किये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जनपद में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत विधायक कोटा निर्धारित नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

कस्बा खुटार, जनपद शाहजहांपुर में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण की मांग

112–श्री चेतराम–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्षों में कस्बा खुटार, जनपद शाहजहांपुर में प्रा० स्वा० केन्द्र उच्चीकृत किये जाने हेतु शासन स्तर से धन स्वीकृत होकर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया था ? क्या उक्त उच्चीकृत प्रा० स्वा० केन्द्र अन्यत्र स्थानान्तरित हो गया ? यदि हां, तो खुटार में प्रा० स्वा० केन्द्र न बनाये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी खुटार में उच्चीकृत प्रा० स्वा० केन्द्र शीघ्र खुलवाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य के वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए इस हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन प्राप्त होने पर इस पर विचार करना सम्भव होगा ।

विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय, जनपद वाराणसी के अन्तर्गत जी० टी० रोड को कई स्थानों पर सही ढंग से न बनाये जाने की शिकायत तथा जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

113–श्री छब्बू पटेल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 240, मुगलसराय, वाराणसी, विधान सभा क्षेत्र में मण्डी समिति द्वारा जी० टी० रोड, दुलाहीपुर से नाथूपुर होते हुए दुर्गा जी मन्दिर तक तथा साहूपुरी से लंका तक सम्पर्क मार्ग व परशुरामपुर से उकौनी तक और जी० टी० रोड से लेडूआ तक, पड़ाव मषौली से कुण्डा तक जी० टी० रोड से भिसौड़ी का निर्माण कार्य बहुत ही घटिया स्तर का है ? क्या मंत्री जी इन

घटिया रोड की निर्माण की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । तथापि इस प्रश्न में दी गई सूचना के आधार पर संयुक्त निदेशक (निर्माण) मुख्यालय को निरीक्षण/ जांच करके आख्या देने का आदेश दिया गया है । निरीक्षण/जांच आख्या प्राप्त होने पर प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

114–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

[पहले सोम में अता० प्र० सं० 177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में कार्यरत खाद्य निरीक्षकों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वांछित रिपोर्ट के बिना वेतन आदि देने वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

115–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत खाद्य निरीक्षकों की तैनाती जनपद के प्रा० स्वा० केन्द्रों पर की जाती है ? यदि हां, तो क्या वह अपनी उपस्थिति एवं भ्रमण कार्यक्रम वहां के प्रभारी चिकित्साधिकारी को देते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सच है कि जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उनकी प्रतिमाह की उपस्थिति प्रा० स्वा० केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी से प्राप्त किये बिना ही वेतन आहरित करते हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त मुख्य चिकित्साधिकारी के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जी नहीं । संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को देते हैं ।

शासनादेश संख्या–1095/16-10-83, दिनांक 8 मार्च, 1983 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार जिला स्तर पर मुख्य खाद्य निरीक्षक एवं खाद्य निरीक्षक संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में रखे गये हैं । इसलिये प्रभारी चिकित्साधिकारी से प्रतिमाह उपस्थिति प्राप्त किये जाने की अनिवार्यता नहीं है ।

वर्णित परिस्थितियों में किसी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध प्रश्नगत मामले में कार्यवाही आदि का प्रश्न नहीं उठता है ।

नगर क्षेत्र समिति, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज में कृषि मंडी समिति के भवन के निर्माण की मांग

116–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर क्षेत्र समिति, सिसवां बाजार, जनपद महाराजगंज में कृषि मण्डी समिति के भवन निर्माण के लिए कृषि मण्डी समिति, गड़ौरा द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए विकास खण्ड, सिसवां बाजार के ग्राम सभा सिसवां बुजुर्ग में मण्डी समिति निर्माण हेतु भूमि प्रस्तावित है ? क्या प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण के लिए वर्ष 84-85 में अंकन रु० 72,000 (बहत्तर हजार रुपये)

भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर के कोष में जमा हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मण्डी समिति का भवन निर्माण वहां पर कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं । प्रस्तावित भूमि का अनुमानित प्रतिकर रुपया–3,58,600.00 (रु० तीन लाख अट्ठावन हजार छः सौ) था जिसकी बीस प्रतिशत धनराशि रु० 71,720 (रु० इकहत्तर हजार सात सौ बीस) दि० 20-2-87 को जमा की गयी ।

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने पर भवन का निर्माण सम्भव हो सकेगा ।

विद्युत सेल स्वास्थ्य भवन के माध्यम से निदेशालय/शासन में दैनिक वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

117–श्री चरन सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1991, 1992 एवं 1993 में कितने एवं कौन-कौन कर्मचारी विद्युत सेल स्वास्थ्य भवन के माध्यम से दैनिक वेतन कर्मचारी तथा वर्कचार्ज कर्मचारी के रूप में निदेशालय एवं शासन में कार्यरत रहे हैं ? उनकी तैनाती स्थान, कार्यरत रहने की अवधि, वेतन दर तथा नियुक्ति हेतु शासन/निदेशक के आदेश संख्या का विवरण क्या है ? क्या उल्लिखित कर्मचारियों को नियमानुसार रसीद प्राप्त करके उचित समय पर वेतन/मजदूरी भुगतान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो दिसम्बर, 1993 तक का बकाया का विवरण तथा बकाया का औचित्य क्या है ?

श्री बलराम यादव–

निदेशालय में कूलरों में पानी आदि डालने की व्यवस्था में जो दैनिक/श्रमिक कर्मचारी रखे गये हैं, उनका विवरण संलग्न है । सभी कर्मचारी स्वास्थ्य भवन, लखनऊ (मुख्यालय) में तैनात रहे हैं । वर्कचार्ज के रूप में कोई कर्मचारी नहीं रखा गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 180–182 पर)

श्री देवसिंह रावत, कैजुअल श्रमिक के वेतन भुगतान के संबंध में उपनिदेशक, विद्युत के आदेश का पालन न किये जाने की शिकायत

118–श्री चरन सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री उपरोक्त प्रश्न के क्रम में यह भी बतायेंगे कि एक कर्मचारी श्री देव सिंह रावत के संबंध में उपनिदेशक विद्युत द्वारा आहरित किये गये वेतन को भुगतान न करने के संबंध में उपनिदेशक विद्युत द्वारा जारी कार्यालय आदेशों की प्रतियां प्रेषित करते हुए श्री देव सिंह रावत के पत्र 26-6-93 व 13-7-93 एवं राज्य स्वास्थ्य परिवहन कर्मचारी तकनीकी संघ, लखनऊ से दिनांक 9-7-93 व 18-7-93 सहित जून, 1993 से अक्टूबर, 93 के बीच कितने शिकायती-पत्र शासन एवं निदेशालय को प्राप्त हुए हैं ? दिसम्बर, 1993 तक प्राप्त शिकायतों पर श्री देव सिंह रावत के प्रकरण में क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या उक्त कार्यवाही में कोई विलम्ब हुआ है ? यदि हां, तो विलम्ब हेतु कौन दोषी है तथा

दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? प्रारम्भिक परीक्षण में क्या-क्या आरोप सही पाये गये हैं ?

श्री बलराम यादव–

कूलरों में पानी की व्यवस्था हेतु कैजुअल श्रमिक के रूप में श्री देव सिंह रावत दिनांक 16-4-92 से 15-7-92 तक की अवधि में रखे गये थे । वेतन का भुगतान श्री रावत को कर दिया गया है । अतः आहरित किये गये वेतन का भुगतान न करने का प्रश्न नहीं उठता है । श्री देव सिंह रावत का पत्र दिनांक 26-6-93 एवं 13-7-93 नहीं बल्कि पत्र दिनांक 25-6-93 एवं 14-7-93 प्राप्त हुआ है तथा राज्य स्वास्थ्य परिवहन कर्मचारी तकनीकी संघ, लखनऊ का पत्र दिनांक 9-7-93, 18-7-93, 30-7-93, 21-7-93, 27-8-93 व 6-9-93 प्राप्त हुए हैं ।

श्री देव सिंह रावत से प्राप्त शिकायतों का परीक्षण किया गया और परीक्षणोपरान्त किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गई ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परीक्षण में कोई आरोप सही नहीं पाए गए ।

119–श्री चरन सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उक्त पूरे प्रकरण की जांच प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी के अथवा कम से कम विद्युत सेल से असंबंधित अधिकारी के माध्यम से जांच कराकर दोषी को दण्ड एवं उत्पीड़ित कर्मचारी को रोके गये वेतन भुगतान सहित नियुक्ति एवं कार्य करने की राहत दिलायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

श्री देव सिंह रावत को कैजुअल श्रमिक के रूप में गर्मियों में कूलरों में पानी भरने के लिये दिनांक 16-4-92 से 15-7-92 तक रु० 25/-प्रतिदिन की दर पर रखा गया था । जिसका उनको रु० 1950/- का भुगतान कर दिया गया है । इस प्रकार उनका कोई उत्पीड़न नहीं हुआ है और प्रकरण में किसी जांच की आवश्यकता नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

120–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

[दूसरे शुक्र में अता० प्र० सं० 155 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

दीन दयाल रोजगार छतरी योजना के अन्तर्गत रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों का विवरण

121–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गांव के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लागू "दीन दयाल रोजगार छतरी" योजना के अन्तर्गत कितने लोगों को अब तक रोजगार का अवसर उपलब्ध हो सका है ? क्या यह भी बतायेंगे कि ऐसे बेरोजगारों हेतु वर्तमान सरकार की योजना क्या है ?

श्री श्रीराम यादव–

दीन दयाल विकास योजना "प्रोजेक्ट एप्रोच" के आधार पर सितम्बर, 1991 से प्रारम्भ की गयी। योजनान्तर्गत स्थायी रोजगार प्रदान करने हेतु क्षेत्र विशेष की स्थानीय उपलब्ध संसाधनों एवं आवश्यकताओं को देखते हुये अलग-अलग स्वभाव की प्रोजेक्ट तैयार कर स्वीकृति के उपरान्त जनपद विशेष में योजनायें संचालित की जाती हैं। कुल 37 योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं।

स्वीकृत योजनाओं की कुल लागत 20613.645 लाख रुपये हैं, जिसमें 5397.044 लाख रुपये दीन दयाल विकास योजना अंश से आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध होंगे शेष धनराशि बैंक, लाभार्थियों, विभागों तथा अन्य स्रोतों से उपलब्ध होगी।

दि० 1-1-94 तक दीन दयाल विकास योजना अंश से 3540.67 लाख रु० उपलब्ध कराये जा चुके हैं तथा 46601 लोगों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है।

खाद्य विभाग के निरीक्षकों द्वारा फुटकर विक्रेताओं के बजाय थोक विक्रेताओं के यहां से सेम्पुल लिए जाने की मांग

122–श्री ऊदल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिण्डरा ब्लाक, जिला वाराणसी में खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर द्वारा बाजार मंगारी, पिण्डरा, फूलपुर, सिंधोरा के दुकानदारों की दुकानों से कितने प्रकार के सेम्पुल किन-किन सामानों का लिया गया है ? क्या सरकार को पता है कि फुटकर विक्रेता वाराणसी से थोक विक्रेताओं के यहां से सामान लाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार फुटकर विक्रेताओं का उत्पीड़न बन्द करने तथा जहां से थोक बिक्री होती है और कारखानों में तेल, आटा आदि सामान उत्पादित होता है वहां से सेम्पुल लेने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

खाद्य विभाग के इंस्पेक्टरों द्वारा फुटकर व्यापारियों के यहां से कोई सेम्पुल नहीं लिया जाता है।

खाद्य विभाग के अधीन किन्हीं स्तरों पर इस प्रकृति की कोई सूचना संकलित नहीं की जाती है।

उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–3 के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने की मांग

123–श्री ऊदल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 27 अगस्त, 90 को कृषि उत्पादन आयुक्त ने आदेश पारित किया है कि अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–3 में जो 700 पद रिक्त हैं, उन पर कृषि डिप्लोमा धारकों में से नियुक्ति कर दी जाय ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि कृषि निदेशालय के पत्रांक संख्या–ए० सी०–215 द्वारा दिनांक 3-6-92 को ही उ० प्र० शासन को 216 रिक्त पदों पर कृषि डिप्लोमा धारकों को नियुक्ति दे दिये जाने के संबंध में सूचना भेजी गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ?

जी हां । किन्तु कृषि निदेशक ने अपने पत्रांक ए० सी० 719 ए/वर्ग–3, दिनांक 5-11-92 में पूर्व प्रस्ताव को संशोधित कर रिक्तियों की संख्या 204 दर्शायी है ।

यह निर्णय लिया गया है कि प्रश्नगत 204 पदों पर समादेश क्षेत्र से वापस हुये कर्मचारियों की नियुक्ति की जाये ।

मृतक आश्रित श्री धीरज श्रीवास्तव, श्री श्रीराम व श्री चन्द्र शेखर प्रसाद की तृतीय श्रेणी में नियुक्ति की मांग

124–श्री ऊदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी ने अपने पत्र संख्या–सं०मु०चि०अ०/मृ०आ०/93-94, दिनांक 24-11-93 के द्वारा महानिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/नियुक्ति अनुभाग–4डी/ए को लिखा है कि मृतक आश्रित श्री धीरज श्रीवास्तव, श्री श्रीराम पुत्र स्व० श्री भगवान दास व श्री चन्द्र शेखर प्रसाद जो कनिष्ठ लिपिक की योग्यता रखते हैं, नियुक्त किया जाय ? क्या यह सही है कि इन लोगों की नियुक्ति इसलिये नहीं हो पायी कि महानिदेशक ने तार भेजकर रोक लगा दी है ? यदि हां, तो मृतक आश्रितों की नियुक्ति के लिए रोक लगाये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त रोक को तुरन्त हटाकर उपरोक्त तीनों मृतक आश्रितों को कनिष्ठ लिपिक के पदों पर नियुक्त करेगी ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जी हां ।

कनिष्ठ लिपिक का पद उ० प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में चला गया था, परन्तु कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–6/12/93–का–2/93, दिनांक 5 नवम्बर, 1993 द्वारा स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

जी हां ।

125–श्री रंगनाथ–

[पहले शुक्र में अता० प्र० सं० 159 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद वाराणसी में ज्ञानपुर नहर की सफाई तथा नहर से अर्जुनपुर माइनर के टेल तक पानी पहुंचाने की मांग

126–श्री रंगनाथ–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में ज्ञानपुर नहर की इस वर्ष सफाई हुई ? यदि हां, तो कितनी दूरी तक सफाई हुई है ? यदि नहीं, तो कब तक होगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ज्ञानपुर नहर की इस वर्ष निम्नलिखित अल्पिकाओं में लगभग 20 किमी० लम्बाई में सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया है ।

1–डोमैला माइनर 4 किमी०

2–झावां माइनर	4 किमी०
3–सुरहन माइनर	3 किमी०
4–अर्जुनपट्टी माइनर	5 किमी०
5–खेमईपुर माइनर	4 किमी०

नहर की सफाई आवश्यकतानुसार धन उपलब्ध होने पर कराई जाती है ।

127–श्री रंगनाथ–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में ज्ञानपुर नहर से अर्जुनपुर माइनर के टेल तक पानी पहुंच रहा है ? यदि नहीं, तो कब तक पानी वहां पहुंचेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अर्जुनपुर माइनर की कुल लम्बाई 5 किमी० है । इस माइनर के किमी० 4.2 तक पानी पहुंचा है, इसके आगे इसमें 50 मीटर की लम्बाई में अवरुद्ध होने के कारण अन्त के लगभग 800 मीटर भाग में पानी नहीं चल सका ।

वाराणसी में ज्ञानपुर की नहर को पार करने हेतु बरवां तथा बिगड़ी लठिया के बीच पुल बनाये जाने की मांग

128–श्री रंगनाथ–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में ज्ञानपुर नहर को पार करने हेतु किसानों के लिए गोविन्दपुर में बरवां तथा बिगहीं लठिया के बीच में कोई पुल बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

धनाभाव के कारण कथित स्थान पर वर्तमान में पुल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जनपद पीलीभीत के बीसलपुर तथा बिलमण्डा नगरों में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाओं एवं स्टाफ का अभाव

129–श्री राम सरन वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि 59–बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद पीलीभीत में नगर बीसलपुर तथा नगर बिलमण्डा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (उच्चीकृत) तथा ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों एवं दवाइयों का अभाव है ? क्या यह भी सही है कि बीसलपुर उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक्स-रे मशीन होने के उपरान्त एक्स-रे सुविधा उपलब्ध नहीं है ? क्या महिला चिकित्सालय में कोई महिला डाक्टर नियुक्त है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार वहां क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पौड़ी एवं चमोली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने की मांग

130–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी एवं चमोली गढ़वाल में कुल कितने स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र मौजूद हैं ? क्या पहाड़ की विषम परिस्थितियों को देखते हुए इनकी संख्या पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या पांच हजार की जनसंख्या को आधार मानकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की निर्धारित संख्या में स्थापना सरकार करने जा रही है ? यदि हां, तो क्या जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसण, कर्ण प्रयाग, धनपुर पट्टी कपीरी पट्टी एवं जनपद पौड़ी के विकास खण्ड पावौ, थैलीसैंण खिर्सू पोखड़ा वीरौखाल में इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोला जायेगा ? यदि हां, तो कहां-कहां और किन-किन स्थानों पर तथा कब ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद पौड़ी व चमोली में उपलब्ध प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उपकेन्द्र निम्न प्रकार है :–

	पौड़ी	चमोली
प्राथमिक केन्द्र	32	19
उप केन्द्र	208	123

भारत सरकार के जनसंख्या मानकों के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उपकेन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं । उत्तराखण्ड में प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र प्रति 20,000 ग्रामीण जनसंख्या व उपकेन्द्र 3000 जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है । प्रा० स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों की स्थापना मानकों के आधार पर की जाती है तथा मानकों के आधार पर पर्याप्त हैं ।

निर्धारित मानकों में परिवर्तन भारत सरकार द्वारा किया जाता है । मानकों के परिवर्तन का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

जिला चमोली में विकास खण्ड गैरसैंण, कर्णप्रयाग तथा पौड़ी में विकास खण्ड पावौ, वीरोखाल, पोखड़ा, खिर्सू व थैलीसैंण में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं । शेष स्थानों पर प्रा० स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना संबंधी प्रकरण शासन में विचाराधीन नहीं है ।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक वण्डा में वण्डा खुटार से सुनासरनाथ रोड को पूरा कराये जाने की मांग

131–श्री चेतराम–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक वण्डा में वण्डा खुटार से सुनासरनाथ रोड, मण्डी परिषद् से बनायी जा रही है ? यदि हां, तो उक्त रोड बनाये जाने हेतु कितना धन स्वीकृत हुआ तथा कितना खर्च हुआ ? मार्ग अपूर्ण होने के क्या कारण हैं ? उक्त रोड सतल लेपन तक कितनी अवधि में पूर्ण कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

रु० 27.00 लाख स्वीकृत हुआ जिसमें से रु० 23.97 लाख अभी तक खर्च हुआ है ।

मैक्सफाल्ट की उपलब्धता में विलम्ब ।

यथासंभव मार्च, 1994 तक पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में जखोली विकास खण्ड के विभाजन का मामला

132–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश में नवीन विकास खण्डों का सृजन करने जा रही है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश में सबसे बड़े ब्लाक जखोली, टिहरी गढ़वाल के विभाजन का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इस विकास खण्ड का विभाजन कर नवीन विकास खण्ड हुलाणाखाल का सृजन किया जायेगा ?

श्री श्रीराम यादव–

वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रकरण शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

133–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[तीसरे बुद्ध के लिये स्थगित]

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हुलाड़ाखाल, विकास खण्ड जखोली, टिहरी गढ़वाल के भवन निर्माण की मांग

134–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हुलाणाखाल, विकास खण्ड जखोली, टिहरी गढ़वाल के भवन निर्माण हेतु वन भूमि की स्वीकृति दी जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि उच्चीकृत प्रा० स्वा० केन्द्र, हुलाणाखाल, टिहरी गढ़वाल का भवन निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है ? क्या निकट भविष्य में सरकार इस अस्पताल का भवन बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हुलाणाखाल, विकास खण्ड जखोली, टिहरी गढ़वाल के निर्माण हेतु वन भूमि के हस्तान्तरण की प्रक्रिया चल रही है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हुलाणाखाल, टिहरी गढ़वाल के भवन निर्माण हेतु भूमि अभी उपलब्ध नहीं हुई है ।

भूमि उपलब्ध होने पर ही विचार करना संभव है ।

पट्टी नैलचामी, विकास खण्ड जखोली, टिहरी गढ़वाल में बाढ़ नियंत्रण का कार्य पूरा करने की मांग

135–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पट्टी नैलचामी, विकास खण्ड जखोली, टिहरी गढ़वाल में बाढ़ नियंत्रण का काम कब से चल रहा है ? कितना काम यहां किया गया ? कितना कार्य अवशेष है ? बाढ़ नियंत्रण कार्य में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार निकट भविष्य में बाढ़ नियंत्रण करने हेतु कोई ठोस कदम उठाये जाने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक उक्त कार्य पूर्ण हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद टिहरी गढ़वाल के जखोली विकास खण्ड के अन्तर्गत नैलचामी पट्टी में नैलचामी बाढ़ सुरक्षा योजना का कार्य वर्ष 1988 में प्रारम्भ किया गया था, जो अब पूर्ण हो गया है । इस योजना के अन्तर्गत 1154 नं० सी०सी० ब्लाकों एवं 5 घाटों का निर्माण किया जाना था, जो पूर्ण हो चुका है । जखोली विकास खण्ड में वर्तमान में कोई अन्य बाढ़ योजना प्रस्तावित नहीं है ।

वर्ष 1988 से 1990 तक की अवधि में सहायक परिवहन अभियन्ताओं के बकाये वेतन का विवरण

136–श्री किशन लाल दिलेर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन पूर्व सहायक परिवहन अभियन्ताओं के वर्ष 1988-89-90 की किस-किस अवधि के बकाया वेतन प्रकरण लम्बित हैं ? उन प्रकरणों को निर्णीत करने हेतु चिकित्सा अनुभाग–10 के शासकीय पत्र दि० 25-10-93 एवं 15-11-93 सहित वर्ष 1993 में शासन से कितने एवं कब-कब पत्र निदेशालय को प्रेषित हैं एवं निदेशालय में प्राप्त हैं ? इनमें से कितने पत्रों का उत्तर निदेशालय से शासन को वर्ष 1993 में किस-किस दिनांक को भेजा गया है ? क्या पत्रों के उत्तर शासन को भेजने में कोई विलम्ब हुआ है ? यदि हां, तो विलम्ब के लिये क्या मंत्री जी उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

एक पूर्व सहायक अभियन्ता के वर्ष 1988, 1989 तथा 1990 को निम्न अवधि के बकाया वेतन प्रकरण लम्बित हैं ।

1– 16-6-90 को एक दिन ।

2– 17-3-88 से 20-3-1988 तक 4 दिन

शासकीय पत्र दिनांक 25-10-93 एवं 15-11-1993 भेजे गये जो निदेशालय में प्राप्त हुए ।

प्रकरण के संबंध में विस्तृत सूचना निदेशालय के पत्र दिनांक 3-12-93 एवं 4-2-94 द्वारा भेजी गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तेजभान सिंह, ग्राम व पो० अचलपुर, जिला सुल्तानपुर का ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सुल्तानपुर के विरुद्ध आरोप

137–श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको सम्बोधित तेजभान सिंह, ग्राम व पो० अचलपुर, जिला सुल्तानपुर का दिनांक 23-8-90 का रजिस्टर्ड पत्र जिसमें ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सुल्तानपुर के विरुद्ध गम्भीर शिकायत थी, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां । संदर्भित पत्र में उल्लिखित शिकायतों की प्रारम्भिक जांच अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, परिमण्डल फैजाबाद से करायी गयी किन्तु उनकी जांच आख्या स्पष्ट न होने के कारण उन्हें पुनः तथ्यात्मक जांच कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं । अपेक्षित जांच आख्या प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री धर्मपाल गर्ग, सहायक अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड 4 के संबंध में की गई जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की मांग

138–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के 1992 के प्रथम सत्र के सातवें बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–18 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित सहायक अभियन्ता को सम्बन्धित क्षेत्र का चार्ज 9-2-90 को मिला है ? यदि हां, तो 1-8-90 को कार्यादेश करना क्या फर्जी व बैक डेटिंग नहीं है ? यदि हां, तो इस संबंध में जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? प्रश्नगत मामले में निरस्त कार्यादेश 1/92 किस दिनांक को निरस्त हुआ ? क्या कार्यादेश निरस्त करने का अधिकार अधिशासी अभियन्ता को है ? यदि नहीं, तो कार्यादेश किसने निरस्त किया ? 1-4-91 का पत्र 18-9-91 को भेजने का क्या औचित्य है ? क्या निरस्त कार्यादेश की सभी प्रतियां कार्यादेश पुस्तिका में सुरक्षित हैं ? यदि हां, तो क्या उसे सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या उक्त मामले में जांच समाप्त हुई ? यदि नहीं, तो इतने विलम्ब का कारण क्या है ? क्या जांच अधिकारी इसके लिये दोषी हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत मे मितेपुर माइनर के पुनर्निर्माण की मांग

139–श्री राम सरन वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि तहसील बीसलपुर, पीलीभीत के अन्तर्गत मितेपुर माइनर जो कि देवहा नदी की बाढ़ से विगत 5 वर्षों से कटा हुआ है जिसके कारण लगभग 1 हजार एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित है, जिसका कि सर्वेक्षण शारदा कैनाल डिवीजन शाहजहांपुर के अधिशासी अभियन्ता ने माइनर के पुनर्निर्माण का अनुमानित व्यय लगभग 3,04,298.00 लाख की परियोजना बनाकर दिनांक 23-11-91 को शासन को प्रेषित की है ? क्या इस योजना की वित्तीय स्वीकृति देकर योजना का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह सही है कि देवहा नदी द्वारा पीलीभीत जनपद की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत मितेपुर माइनर को क्षतिग्रस्त किये जाने के कारण लगभग 1000 एकड़ में सिंचाई सुविधा नहीं हो पा रही है । इस माइनर के क्षतिग्रस्त भाग के पुनर्निर्माण के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है । विभाग द्वारा माइनर के क्षतिग्रस्त भाग को नहर को पीछे हटाकर पुर्नस्थापित करने का प्रयास किया गया परन्तु कृषकों द्वारा भूमि देने में विरोध प्रकट करने के कारण इसमें प्रगति नहीं हो सकी ।

साबेपुर माइनर तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत का देवहा नदी से हुई कटान तथा उसके रोकथाम की मांग

140–श्री राम सरन वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील बीसलपुर (पीलीभीत) के अन्तर्गत साबेपुर माइनर गांव दुर्गापुर बढिगवां के राजस्व क्षेत्र में नदी देवहा के कटान से कटकर लगभग 25 फिट गहरा गड्ढा बन गया है जिसके कारण दो हजार एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित है तथा नदी देवहा के बाढ़ का पानी भी इसी नहर के कटान से नगर बीसलपुर में प्रवेश कर जाता है जिससे कि काफी क्षति होती है ? क्या

सरकार के पास कोई योजना इस माइनर को बचाने की है ? यदि हां, तो उसका कब तक कार्यान्वयन होगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत साबेपुर माइनर को नदी देवहा ने कटान से क्षति पहुंचाई तथा 10 फिट गहरा गड्ढा भी बना दिया जिससे 927 एकड़ कृषि योग्य भूमि सिंचाई से वंचित हो गयी । इस कटान से नगर बीसलपुर में देवहा नदी में बाढ़ आने के कारण पानी का प्रवेश हो जाता है । बाढ़ की स्थिति से बचने के लिये आवश्यकतानुसार अग्रिम कार्यवाही के लिये सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है ।

प्रारम्भ डेवलपमेन्ट आफ डिमियोलोजिकल सर्विसेज एण्ड लेबोरेटरी स्पोर्ट की योजना के डाक्टरों को सेवा में लिये जाने की मांग

141–श्री गजराज सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अमेरिका के सहयोग से जिला अस्पताल रायबरेली में प्रारम्भ डेवलपमेनट आफ डिमियोलोजिकल सर्विसेज एवं लेबोरेटरी स्पोर्ट की योजना जो कि इस योजना को सुचारु रूप से चलाने हेतु शासकीय व्यय पर अमेरिका से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त डाक्टर जिनका स्थानान्तरण 3 वर्ष तक न करने के निर्देशों के उपरान्त भी स्थानान्तरण करने के फलस्वरूप योजना से मिलने वाले लाभ से वंचित हो चुकी ? यदि हां, तो क्या जनता एवं डाक्टर के विशेष प्रशिक्षण पर व्यर्थ हो रही धनराशि को सार्थक बनाने के लिये इस योजना के अन्तर्गत विशेष प्रशिक्षण प्राप्त डाक्टर की नियुक्ति करके पुनः प्रारम्भ कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री बलराम यादव–

मामला उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, लखनऊ के विचाराधीन है ।

लेखाकार श्री मोती लाल, कृषि निदेशालय, लखनऊ के संबंध में तत्कालीन मुख्य मंत्री के आदेश फरवरी, 1990 के पालन न होने की शिकायत

142–श्री विश्वनाथ–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि निदेशालय, लखनऊ के लेखाकार श्री मोती लाल को तत्कालीन मुख्य मंत्री ने कृषि निदेशक के द्वारा किये गये स्थानान्तरण पर रोक लगाकर उसे उसी स्थान पर रखने का आदेश फरवरी, 1990 में किया था ? यदि हां, तो उक्त आदेश का पालन न करने तथा श्री मोती लाल को नौकरी से पृथक करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही सरकार करेगी ? क्या श्री मोती लाल को मुख्य मंत्री द्वारा आदेशित स्थान पर पुनः प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम प्रधान अटवा, असिगांव, विकास खण्ड हरियांवा, जिला हरदोई को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दिये धन, आवास संबंधी किये गये कार्यों तथा आवास हेतु दिये गये भूमि के पट्टों का विवरण

143–श्री रामपाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद में ग्राम सभा अटवा, असिगांव, विकास खण्ड हरियांवा के ग्राम प्रधान को दिनांक 1-6-88 से 30-11-93 तक जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कालोनी शौचालय, नाली खड़ंजा आदि का कार्य कराने के लिये कुल कितना धन आवंटित किया गया ? उक्त धनराशि से क्या-क्या कार्य कराया गया तथा इस हेतु कितना-कितना धन खर्च हुआ ? कितनी धनराशि अवशेष बची ?

श्री श्रीराम यादव–

ग्राम सभा अटवा असिगांव को दिनांक 1-6-88 से 30-11-93 तक जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्बल वर्ग आवास सहित विभिन्न अनुमन्य कार्यों के लिये कुल रु० 5,01,115.00 आवंटित किया गया । ब्याज सहित ग्राम सभा के पास कुल रु० 5,03,316.70 है ।

उक्त धनराशि से कराये गये कार्यों एवं खर्च की धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	कार्य	धनराशि
1	कच्चा सम्पर्क मार्ग	1,56,292.00
2	खडन्जा/पड़न्जा निर्माण	2,13,543.05
3	हैण्ड पम्प	33,982.00
4	कूप निर्माण	8,184.00
5	कूप मरम्मत	16,232.00
6	नाली निर्माण	900.00
7	पुलिया	2,200.00
8	खड़ंजा/पड़ंजा मरम्मत	8,850.00
9	निर्बल वर्ग आवास	49,309.00
10	वृक्षा रोपण	5,232.00
11	प्रशासनिक मद में	5,963.00
		5,00,687.05

रु० 2,629.65 की धनराशि अवशेष ग्राम सभा के पास बची ।

144–श्री रामपाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-6-88 से 30-11-93 तक की अवधि में उक्त प्रधान द्वारा हरिजन पिछड़ी एवं सवर्णों के आवास (कालोनी हेतु) जो भूमि पट्टे के रूप में दी गयी है, उसे किन-किन व्यक्तियों को आवंटित किया गया है ? उनके नाम, पते तथा रकबा सहित पूर्ण विवरण सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री श्रीराम यादव–

दिनांक 1-6-88 से 30-11-93 तक उक्त ग्राम सभा के अन्तर्गत 41 लाभार्थियों को 4100 वर्ग मीटर आबादी हेतु भूखण्ड का आवंटन किया गया है ? आवंटियों में 36 अनुसूचित जाति, 1 पिछड़े वर्ग तथा 4 सबर्ण जाति के हैं । विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 183–184 पर)

स्टेट ब्लड बैंक तथा बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ मे मरणासन्न तथा गरीब मरीजों को निःशुल्क रक्त दिये जाने की पूर्व नीति लागू करने की मांग

145–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के स्टेट ब्लड बैंक, लखनऊ तथा बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ के रक्त कोष से मरणासन्न/निर्धन तथा डेस्टीट्यूट मरीजों हेतु शुल्क रक्त की आपूर्ति प्रोफेशनल ब्लड डोनर से रक्त लेकर की जाती थी ? यदि हां, तो क्या उक्त व्यवस्था को बन्द कर दिया गया है ? क्या इन मरणासन्न मरीजों के लिये उक्त रक्त कोषो द्वारा निःशुल्क रक्त प्राप्त करने हेतु कब तक व्यवस्था की जायेगी ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऐसे मरीजों को निःशुल्क ही रक्त उपलब्ध कराया जाता है, रक्त का कोई शुल्क नहीं लिया जाता ।

146–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि सरकारी अस्पतालों के रक्त कोषों में अब प्रोफेशनल ब्लड डोनर से रक्त नहीं लिया जाता है जबकि वहां पर समुचित स्टाफ तथा जांच करने की व्यवस्था है ? क्या सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरणासन्न तथा निर्धन मरीजों के लिये, बाहर से प्राइवेट ब्लड बैंकों से अधिक धनराशि देकर रक्त प्राप्त करके मरीजों को चढ़ाया जाता है जबकि प्राइवेट ब्लड बैंकों से एड्स (जानलेवा बीमारी) जांच करने की कोई भी व्यवस्था नहीं है ? क्या सरकार पुनः स्टेट ब्लड बैंक, लखनऊ तथा बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में पूर्व की स्थिति स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

प्रोफेशनल ब्लड डोनर से रक्त लेने की व्यवस्था को बन्द नहीं किया गया है ।

जी नहीं । राजकीय चिकित्सालयों में मरणासन्न तथा निर्धन रोगियों को रक्त राजकीय चिकित्सालयों से निःशुल्क ही दिया जाता है । प्राइवेट ब्लड बैंक में रक्त दाताओं से रक्त लेने से पूर्व एड्स का परीक्षण अनिवार्य है ।

पूर्व की भांति ही स्थिति लागू है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री इन्द्र देव मिश्र, सेनेटरी इन्सपेक्टर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर को ट्रेनिंग दिये जाने तथा जून, 1993 से वेतन दिये जाने का मामला

147–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री इन्द्र देव मिश्रा, सेनेटरी इन्सपेक्टर, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत नमूना संग्रह हेतु तीन माह का प्रशिक्षण लोक सेवा अधिकरण, उ० प्र०, लखनऊ के निर्णय दिनांक 31-3-93 के आधार पर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सच है कि श्री मिश्रा को तीन माह का प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु संस्तुति महानिदेशालय द्वारा शासन को भेजी गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त संस्तुति पर भी शासन विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

इस विषय से संबंधित कई मामले मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं, अतः अभी कोई अन्तिम निर्णय सम्भव नहीं है ।

नमूना संग्रह का तीन माह का प्रशिक्षण खाद्य निरीक्षक बनाये जाने हेतु निर्धारित अर्हताओं का अंग है और स्वास्थ्य निरीक्षकों को खाद्य निरीक्षक बनाये जाने का प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

जी हां ।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए विचार किया जाना सम्भव नहीं है ।

148–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री इन्द्र देव मिश्रा सेनेटरी इंसपेक्टर, बी० आर० डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर को सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–आर-233–सेक–14/पांच-डब्ल्यू–373/91, दिनांक 22-6-1993 द्वारा प्रधानाचार्य, बी० आर० डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर ने अपने पत्र दिनांक 29-6-93 द्वारा कार्यमुक्त कर दिया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि श्री मिश्रा ने उक्त आदेश के परिपालन में अपनी योगदान आख्या मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर को दिनांक 30-6-93 को प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो क्या श्री मिश्रा को जून, 1993 से वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस तिथि से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जी हां ।

श्री मिश्रा को स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर तैनात करने एवं उनके अवशेष वेतन का भुगतान करने के आदेश शासनादेश संख्या–150/पांच–10-94-11(125)/90, दिनांक 31-1-94 द्वारा जारी किये गये । महानिदेशालय के पत्र दिनांक 17-2-94 द्वारा श्री मिश्रा को, जून, 1993 से वेतन आहरित किये जाने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर को दे दिये गये हैं ।

श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, खाद्य निरीक्षक, महराजगंज द्वारा उत्कोच लिये जाने के आरोप में निलम्बन से बचाने के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

149–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, खाद्य निरीक्षक, जनपद महराजगंज तथा श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, खाद्य निरीक्षक, जनपद जौनपुर सतर्कता अधिष्ठान द्वारा उत्कोच लेने के आरोप में गिरफ्तार कर बन्दी बनाये गये थे ? यदि हां, तो क्या श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह को शासन द्वारा निलम्बित कर दिया गया ? क्या श्री त्रिपाठी विगत एक वर्ष से उक्त आरोप में आरोपित होने के कारण दण्डित किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि श्री त्रिपाठी को निलम्बन से बचाने के लिये कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? क्या शासन दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जी हां 1

जी नहीं । विद्यमान आदेशों के अनुसार ट्रेप की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित कर्मचारी को निलम्बित कर दिया जाना चाहिए । तद्नुसार श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह को निलम्बित किया गया । श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी के ट्रेप के संबंध में सूचना 18 जून, 1992 को प्राप्त हुई थी । श्री त्रिपाठी के मामले में मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17-6-92 को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्री त्रिपाठी का निलम्बन आवश्यक नहीं पाया गया ।

कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

उपरोक्त को देखते हुए किसी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही आदि का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र में कतिपय नहरों की खुदाई एवं सफाई की मांग

150–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र में इन्हौना, रकसहा, पेचारखा, रायपुर, गोमियाताल बहुता शिवनाम चिलूला सोनिकपुर शताब्दी आदि ड्रेनों की खुदाई एवं सफाई का कार्य शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, केवल शताब्दी ड्रेन की खुदाई छोड़कर ।

शताब्दी ड्रेन की खुदाई/निर्माण का प्रस्ताव राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित न होने के कारण प्रस्तावित नहीं है ।

बेस चिकित्सालय श्रीनगर (गढ़वाल) को मेडिकल कालेज में परिवर्तित किये जाने की मांग

151–श्री हरक सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेस चिकित्सालय श्रीनगर (गढ़वाल) को मेडिकल कालेज में परिवर्तित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निर्धनों, मजदूरों, किसानों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उपकेन्द्रों से अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करने संबंधी सरकार की नयी योजना की जानकारी

152–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उपकेन्द्रों को प्रभावी एवं जनोपयोगी बनाने की कोई व्यवस्था सुनिश्चित की गई है जिससे गरीब, निर्धन, मजदूरों, किसानों को प्राथमिक उपचार मिल सके ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या बिहार, नेपाल से लगे देवरिया जनपद को विशेष सुविधा दी जा रही है ?

श्री बलराम यादव–

जी हां, ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के उपचार हेतु इन क्षेत्रों में 3,653 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 20,153 उप केन्द्र और अन्य राजकीय चिकित्सालय जिनमें आयुर्वेदिक यूनानी व होम्योपैथिक चिकित्सालय भी सम्मिलित हैं, पहले से स्थापित हैं । इसके अतिरिक्त विशेषज्ञ चिकित्सा उपचार हेतु तहसील एवं विकास खण्ड स्तर पर 248 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं जहां से ग्रामीण क्षेत्र की जनता को चिकित्सा उपचार की समुचित सेवायें उपलब्ध हैं ।

जी नहीं ।

मुरादाबाद जनपद को फल पट्टी घोषित करने की मांग

153–श्री प्रीतम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद में आम सर्वाधिक पैदा होता है ? क्या वहां आम फल पट्टी घोषित न होने से उत्पादकों को परेशानी हो रही है ? क्या सरकार मुरादाबाद जनपद को फल पट्टी घोषित करने की घोषणा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

उत्तर प्रदेश में इसका कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

जनपद मुरादाबाद में आम के उत्पादन और आम के बागों की सघनता को देखते हुए विकास खण्ड अमरोहा तथा जोया के 216 ग्रामों को फल पट्टी क्षेत्र घोषित करने की अधिसूचना दिनांक 26-6-93 को जारी की जा चुकी है । उक्त जनपद के हसनपुर तथा गजरौला विकास खण्डों के 216 ग्रामों में भी आम के बागों की सघनता को देखते हुए फल-पट्टी घोषित किये जाने के उद्देश्य से आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति दिनांक 18-2-94 को जारी की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गंगेश्वरी विधान सभा क्षेत्र, मुरादाबाद के ग्राम साथलपुर को अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत निर्धारित कार्य के पूरे न होने की शिकायत

154–श्री प्रीतम सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद के गंगेश्वरी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम साथलपुर सन् 1989-90 में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना में सम्मिलित किया गया था ? क्या उसमें समस्त विकास कराने तथा एक अस्पताल बनवाने का भी प्रस्ताव था ? क्या अभी तक उक्त ग्राम में अस्पताल बना है ? क्या सरकार बतायेगी कि अभी तक ग्राम साथलपुर में उक्त कार्य न होने का क्या कारण है ? यदि उक्त कार्य होंगे, तो कब तक ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं । 1989-90 में यह ग्राम अम्बेडकर ग्राम घोषित नहीं हुआ है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी नहीं ।

मानक के अनुसार वहां अस्पताल नहीं खोला जा सकता क्योंकि इसके 3 किलोमीटर की दूरी पर अस्पताल पहले से ही कार्यरत है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बरेली स्थित टेहरा एवं कुल्ली बांध को पूरा किये जाने की मांग

155–श्री भगवत सरन गंगवार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहेड़ी, जनपद बरेली में टेहरा बांध एवं कुल्ली बांध इस वर्ष पूरे किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद बरेली के बहेड़ी क्षेत्र में टेहरा बांध एवं कुल्ली बांध बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सिंचाई विभाग के अधिकांश पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के अधिशासी अभियन्ताओं को कार्यालय में अटैच किये जाने की शिकायत

156–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के 65 अधिशासी अभियन्ता कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि सिर्फ 15 को फील्ड में रक्खा गया है और 50 को पी० ए० पर अटैच तथा प्रतिबंधित पर रक्खा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही नियमानुसार कराने का आदेश देगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सिंचाई विभाग में 69 अधिशासी अभियन्ता (सिविल) तथा 13 अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) अनुसूचित जाति के कार्यरत हैं । इनमें से 36 अधिशासी अभियन्ता (सिविल) तथा 6 अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) विभाग के कार्यकारी पदों पर कार्यरत हैं तथा 40 अनुसूचित जाति के अधिशासी अभियन्ता प्रतिबंधित पदों पर कार्यरत हैं । निर्धारित स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत अधिशासी

अभियन्ताओं की तैनाती वर्ग विशेष के आधार पर किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है । अतः किसी जांच अथवा कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत थैलीसैंण, पोखड़ा विकास खण्डों में पंचायत भवनों के निर्माण की मांग

157–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड थैलीसैंण, विकास खण्ड बीरोखाल, विकास खण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत किन-किन ग्राम सभाओं को पंचायत भवन निर्माण हेतु धनराशि वितरित की गयी ? क्या वर्तमान समय में अन्य ग्राम सभाओं को भी इस योजना का लाभ मिल रहा है ? उपरोक्त विकास खण्डों में ऐसे गांव कितने हैं, जहां पंचायत भवनों का निर्माण कार्य हो रहा है ? क्या इन भवनों पर नियमित अवधि के अन्दर कार्य पूरा होगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आगामी सत्र में यह सुविधा उपरोक्त विकास खण्डों के वंचित अन्य गांवों को भी उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड थैलीसैंण, बीरोखाल और पोखड़ा में संलग्न सूची के अनुसार क्रमशः 14, 26 तथा 16 ग्राम सभाओं में पंचायत भवन निर्माण हेतु धनराशि वितरित की गयी है ।

जी नहीं ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 1993-94 में मात्र विकास खण्ड थैलीसैंण में एक गांव रौता में पंचायत भवन का निर्माण कार्य हो रहा था जो पूर्ण हो चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वंचित गांवों के विषय में कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 185–186 पर)

कृषि निदेशालय लखनऊ के लेखाकार श्री मोती लाल के प्रत्यावेदन पर कार्यवाही की जानकारी

158–श्री विश्वनाथ–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निदेशालय लखनऊ के लेखाकार श्री मोती लाल का कोई प्रत्यावेदन सचिव, उ० प्र० सरकार कृषि विभाग को दिनांक 3 अप्रैल, 1993 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय हुआ है ? यदि नहीं, तो कब तक निर्णय किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रकरण परीक्षणाधीन है ।

परीक्षणोपरान्त यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

जनपद फिरोजाबाद में शिकोहाबाद से मुस्तफाबाद मार्ग पर नगला गोंग सम्पर्क मार्ग को बनाये जाने की मांग

159–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में शिकोहाबाद–मुस्तफाबाद मार्ग से नगला गोंग सम्पर्क मार्ग (लिंक रोड) के महत्व को देखते हुए अब तक निर्माण न कराये जाने के क्या कारण हैं ? क्या शासन इसके निर्माण हेतु विचार करेगा ?

श्री श्रीराम यादव–

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण फिरोजाबाद में प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण निर्माण कार्य नहीं हो सका ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों द्वारा ही प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लिया जाता है ।

जनपद वाराणसी के भदोही सिंचाई खण्ड में खराब पड़े नलकूपों तथा गूलों को ठीक किये जाने की मांग

160–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के भदोही सिंचाई खण्ड में लगाये गये नलकूपों की 80 प्रतिशत नालियां क्षतिग्रस्त हैं, जिससे नलकूप का पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाता है ? क्या सरकार इन क्षतिग्रस्त नालियों को ठीक कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद वाराणसी से भदोही सिंचाई खण्ड में लगाये गये नलकूपों की 34.73 प्रतिशत गूले क्षतिग्रस्त बताई गई हैं । राजकीय नलकूप, गूलों का निर्माण तथा इनके जीर्णोद्धार की धनराशि जिला सेक्टर से प्राप्त होती है । पर्याप्त धनराशि प्राप्त न होने के कारण क्षतिग्रस्त गूलों के जीर्णोद्धार का कार्य रुका हुआ है ।

161–श्री रंगनाथ–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग भदोही खण्ड भदोही, जनपद वाराणसी में बन्द पड़े अधिकांश नलकूपों को सरकार कब तक ठीक करायेगी ? सरकार सिंचाई खण्ड भदोही के बन्द पड़े नलकूपों को चलाने हेतु कब तक धन मुहैया करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्तमान में सिंचाई विभाग भदोही खण्ड–वाराणसी में 13 नलकूप बन्द (असफल) थे । इनमें से 5 नलकूपों का परित्याग किया जाना प्रस्तावित है । 4 नलकूपों का पुनः निर्माण का कार्य प्रगति में है ।

शेष 4 नलकूपों पर सुधारात्मक/पुर्ननिर्माण की कार्यवाही आगामी जनपद योजना में उपलब्ध वित्तीय प्राविधानों पर निर्भर होगी ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

162–श्री बालेश्वर त्यागी–

[पहले गुरू में अता० प्र० सं० 76 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सिंचाई विभाग सिद्धार्थनगर के मेखड़ा नाले के पानी का दुरुपयोग किये जाने की शिकायत

163–श्री धनराज यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिद्धार्थनगर जनपद के वर्डपुर नं० 89 एवं 10 क्षेत्र में मेखड़ा नाले पर दो स्थानों पर रेगुलेटर लगाकर विभाग उक्त पानी से अन्यत्र सिंचाई करता है ? क्या यह भी सही है कि मेखड़ा नाले पर बने रेगुलेटरों से पानी मात्र नाले में ही नहीं, वरन् नाले के दोनों तरफ काश्तकारों के खेतों में भी भरता है ? यदि हां, तो कितने क्षेत्रफल में पानी का भराव होता है ? क्या उस पानी से मेखड़ा पूर्वी तथा मेखड़ा पश्चिमी एवं जानकी नगर नहरों से कितने एकड़ की सिंचाई हुई ? क्या वर्ष 1991-92 में सरकार को सिंचाई शुल्क प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो कितना ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

मेखड़ा रेगुलेटर तथा जानकी नगर रेगुलेटर से क्रमशः 74 हेक्टेयर तथा 66 हेक्टेयर जल भराव होता है ।

उस पानी से वर्ष 91-92 में मेखड़ा पश्चिमी एवं जानकी नगर से 160.70 हेक्टेयर की सिंचाई हुई है ।

जी हां ।

रु० 9098.00 की धनराशि सिंचाई शुल्क के रूप में प्राप्त हुई है ।

ग्राम्य विकास अभिकरणों में अनुबन्ध पर कार्यरत कम्प्यूटर प्रोग्राम्स के पदों के सृजन की मांग

164–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में 6-7 वर्षों के पूर्व से अनुबन्ध पर कार्यरत कम्प्यूटर प्रोग्रामर्स के लिये पद का सृजन किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विभिन्न अभिकरणों में वेतन में एकरूपता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? आयुक्त ग्राम्य विकास स्तर से पद के सृजन के संस्तुति के उपरान्त भी अब तक पद का सृजन न होने का कारण क्या है ? जनपद स्तर पर तकनीकी योग्यता प्राप्त कार्यरत प्रोग्रामर को हटाकर दूसरे व्यक्तियों को रखने पर रोक लगायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त प्रोग्रामर्स का निर्धारित वेतन का पुनः निर्धारण अब तक क्यों नहीं किया गया ? क्या उक्त विभाग में मंहगाई भत्तों में निरन्तर वृद्धि हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशालय में पद सृजन का औचित्य नहीं पाया गया ।

नियुक्ति अधिकारी इस प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम हैं ।

अनुबन्ध पर कार्यरत व्यक्तियों को वेतनमान एवं महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है । अतः बढ़ोत्तरी करने का प्रश्न नहीं उठता ।

165–श्री नसीम, श्री दरोगा तथा श्री फौजदार–

[पहले गुरू में अता० प्र० सं० 151 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में सभी नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने तथा इसमें बाधा पहुंचाने वाले को दंडित किये जाने की मांग

166–श्री बदन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सभी नहरों राजवाहों एवं माइनरों के अंतिम छोर पर पानी पहुंचाने का निर्णय शासन ने लिया है ? यदि हां, तो नहरों की कटिंग करने वाले अवैध रूप से सिंचाई करने वाले कृषकों को रोकने के लिये कोई प्राविधान शासन द्वारा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि जनपद आगरा की गोपऊ राजवाहा और जाजऊ राजवाहा तथा उनकी सभी अल्पिकाओं (माइनरों) में नहर विभाग के कर्मचारियों की सांठ-गांठ से बहुत से फर्जी कुलावे लगने के कारण भी नहरों के छोर पर पानी नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो क्या सिंचाई विभाग के दोषी कर्मचारी दण्डित किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह कहना सही है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की सभी नहरों, राजवाहों एवं माइनरों के अंतिम छोर पर पानी प्रयास करके पहुंचाने का निर्णय है ।

नहरों की कटिंग करके अवैध रूप से सिंचाई करने वालें के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश है ।

प्राप्त सूचना के अनुसार राजवाह गोपऊ व जाजऊ एवं इनकी समस्त अल्पिकाओं के छोरों पर पानी पहुंचा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–वाराणसी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिंडरा व बड़ा गांव को उच्चीकृत किये जाने की मांग

167–श्री ऊदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ा गांव व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिंडरा, जिला वाराणसी को उच्चीकृत करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उच्चीकृत कर दिया जायेगा ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एलोपैथिक राजकीय अस्पताल दांदूपुर (धवकलगंज) ब्लाक बड़ागांव, वाराणसी के विद्युतीकरण की मांग

श्री ऊदल–

168–क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एलोपैथिक राजकीय अस्पताल दांदूपुर (धवकलगंज) ब्लाक बड़ागांव, वाराणसी का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा और मुख्य गेट कब तक बन जायेगा ?

श्री बलराम यादव–

जी हां, प्राथमिक सवास्थ्य केन्द्र दांदूपुर का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ।

विद्युतीकरण का कार्य कराने हेतु उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में दिनांक 9-2-92 को रुपये 1,18,330.00 की धनराशि जमा की जा चुकी है परन्तु अभी तक विद्युत परिषद् द्वारा कनेक्शन नहीं दिया गया है । मुख्य गेट का कार्य पूर्ण हो चुका है ।

जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील बुढ़ाना पर चौगामा नहर के निर्माण के पक्ष में जन आन्दोलन के अनुरूप कार्यवाही करने की मांग

169–श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (मुजफ्फरनगर)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील बुढ़ाना पर चौगामा नहर के निर्माण की मांग को लेकर किसानों द्वारा आन्दोलन (धरना/भूख हड़ताल) चल रहा है ? क्या सरकार इस महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील बुढ़ाना के प्रांगण में चौगामा नहर के निर्माण की मांग को लेकर किसानों द्वारा आन्दोलन (धरना) किया गया था, जो दिनांक 15-1-94 को समाप्त हो गया ।

इस समस्या के समाधान हेतु हिंडन कृष्णी दोआब नहर परियोजना बनाई गई है जिसके प्रथम चरण की स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली द्वारा जनवरी, 1994 में प्राप्त हो गयी है । परियोजना पर धन उपलब्ध होने पर कार्य कराया जायेगा ।

170–श्री मातवर सिंह कंडारी–

[पहले शुक्र में अता० प्र० सं० 161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय एलोपैथिक अस्पताल दिगधार बड़मा, जिला टिहरी गढ़वाल के भवन निर्माण की मांग

171–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय एलोपैथिक अस्पताल दिगधार बडमा, टिहरी गढ़वाल के भवन निर्माण हेतु क्षेत्रीय जनता ने हसरा खसरा सहित भूमि स्वास्थ्य विभाग को दे दी है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि लो० नि० वि० धनसाली, टिहरी गढ़वाल इस अस्पताल का भवन निर्माण नहीं करा रहा है ? क्या सरकार इस अस्पताल के भवन निर्माण कराने की सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

क्षेत्रीय जनता द्वारा जो भूमि उपलब्ध कराई गई थी वह अनुपयुक्त पाई गई ।

भूमि उपलब्ध न होने के कारण निर्माण सम्भव नहीं है ।

भूमि उपलब्ध होने पर जिला योजनान्तर्गत जिले से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जाना सम्भव होगा ।

मथुरा जिला चिकित्सालय में पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग

172–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि मथुरा चिकित्सालय में पेयजल की आपूर्ति मरीजों एवं कर्मचारियों हेतु पर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो उसके लिये अब तक क्या प्रयत्न किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जल आपूर्ति हेतु 23.08 लाख रुपये की योजना को स्वीकृति दी गई है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रामपुर तहसील सदर के गांव घाटमपुर का कोशी नदी से कटाव रोकने की मांग

173–स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि रामपुर की तहसील सदर में घाटमपुर गांव को बरसात में चारों ओर से कोशी नदी का पानी घेर लेता है और नदी भी गांव का कटान कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव को नदी के कटान से रोकने के लिये पत्थर की अड्डी अथवा बांध वहां पर बनावायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 में कटान निरोधक कार्य कराये गये थे ।

सितम्बर, 1993 की अभूतपूर्व बाढ़ के कारण हुई क्षति का सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा सम्भावित कटान की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाये जाने हेतु आवश्यक मरम्मत व सुदृढ़ीकरण के कार्य माह अप्रैल से जून, 1994 तक कराया जाना प्रस्तावित है ।

जनपद रामपुर की तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम गढ़ई खेड़ा, ठाकुरद्वारा का गंगा नदी से कटान रोकने की मांग

174–स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद रामपुर में ग्राम गढ़ईखेड़ा, ठाकुरद्वारा, तहसील सदर के गांव को गंगा नदी के कटान से क्षति हो रही है ? यदि हां, तो क्या इस गांव को नदी के कटान से बचाने के लिये पत्थर की अड्डी अथवा बांध सरकार बनावायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

धनाभाव के कारण गांवों के कटान को रोकने का कार्य कराना सम्भव नहीं है ।

श्री कोट (गंगानाली) पौड़ीगढ़वाल को लघु–औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की मांग

175–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री कोट (गंगानाली) पौड़ी गढ़वाल लघु औद्योगिक क्षेत्र लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी वीरान है ? क्या उसके विकास के लिये शीघ्र कार्य शुरू किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री कोट (गंगानाली) पौड़ी-गढ़वाल में औद्योगिक आस्थान हेतु 11.63 एकड़ भूमि अधिगृहित की गई थी, उक्त भूमि दो फेजों में थी । दोनों फेजों के मध्य नाला है, प्रथम फेज में 6.29 एकड़ भूमि में भूखण्ड विकसित करने तथा अवस्थापन सुविधाओं हेतु रुपया 8.32 लाख व्यय किया गया है । अब प्रथम फेज में उत्तराखण्ड विकास विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

नाले के दूसरी तरफ का भू-भाग जिसका क्षेत्रफल 5.34 एकड़ है द्वितीय फेज है । मुख्य बाधा नाले की है जिसमें डाट होना आवश्यक है । अतः अब तक द्वितीय फेज विकसित नहीं किया जा सका ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड पावौ में सैंजी नामक स्थान पर स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण

176–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड पावौ में स्थित सैंजी नामक स्थान पर स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कब तक किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सैन्जी नामक स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं है । इस स्थान पर राजकीय एलौपैथिक औषधालय स्थापित है इसका भवन निर्माण जिला योजना के अन्तर्गत आता है । जिले से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जाना सम्भव होगा ।

वर्ष 1984-85 में विधान सभा क्षेत्र गौरीगंज जिला सुल्तानपुर में भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा बिना अनुमति के बनवाये गये सम्पर्क मार्गों का विवरण

177–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के सातवें सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–161 के उत्तर के क्रम में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सूचना अब तक एकत्र की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत मामले का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

वर्ष 1984-85 में जनपद सुल्तानपुर के गौरीगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि संरक्षण अधिकारी, गौरीगंज द्वारा बिना स्वीकृति के 21 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया गया था, जिनकी मजदूरी का भुगतान मजदूरों के मस्टर रोल आदि विवादास्पद होने के कारण लम्बित है । इन कार्यों की जांच

दिनांक 21-4-1987 व 22-4-1987 को उ० प्र० शासन द्वारा गठित समिति से करायी गयी थी, न कि 21-4-86 व 22-4-86 को ।

शासन द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 21-4-1987 व 22-4-1987 को की गयी जांच के मुख्य विवरण निम्नवत् है :–

(1) समिति ने जांच में पाया कि मजदूरों के मस्टर रोल सही नहीं हैं, एवं संस्तुति की कि मजदूरों के उपलब्ध मस्टर रोल रु० 10,22,028/- के विरुद्ध रु० 5,10,890/- के मस्टर रोलों का भुगतान किया जाय, तथा इस हेतु वास्तविक मजदूरों की पहचान कर भुगतान की कार्यवाही के लिये ग्राम प्रधान के समक्ष उनकी गवाही पर समिति द्वारा की जाय, जिसमें वर्तमान भूमि संरक्षण अधिकारी, गौरीगंज, जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा मनोनीत एक अधिकारी एवं जिला अपर मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर द्वारा मनोनीत एक अधिकारी शामिल हो ।

समिति द्वारा धनराशि के संबंध में संस्तुति की गयी कि मजदूरी के भुगतान हेतु धनराशि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर "विशिष्ट मामले" के तौर पर डी० आर० डी० ए० मद से उपलब्ध करायें ।

इस कार्य में की गई अनियमितता हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की भी संस्तति की गयी ।

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड जगदीशपुर में क्षेत्र समिति की बैठक में खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध पारित प्रस्ताव पर कृत कार्यवाही

178–श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक जगदीशपुर में क्षेत्र समिति की दिनांक 9-12-93 की बैठक में बी० डी० ओ० के विरुद्ध सर्वसम्मति से कोई प्रस्ताव पास हुआ है ? यदि हां, तो क्या ? उक्त बैठक में कुल कितने प्रधान उपस्थित थे ? क्या जिले व तहसील के उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

आज दिनांक 9-12-93 को क्षेत्र समिति की बैठक हुई जिसमें सदस्यों ने खण्ड विकास अधिकारी के विरोध के कारण बैठक न करके बैठक सर्वसम्मति से स्थगित कर दी गई । जब तक खण्ड विकास अधिकारी रहेंगे बैठक नहीं करेंगे ।

उक्त बैठक में कुल 48 प्रधान प्रमुख, एक उप प्रमुख तथा 3 अनुमेलित सदस्य उपस्थित थे ।

जी हां ।

खण्ड विकास अधिकारी जगदीशपुर को स्थानान्तरित कर दिया गया ।

कृषि निदेशालय में आशुलिपिकों के रिक्त पदों पर आरक्षित जातियों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति का विवरण

179–श्री बैजनाथ रावत–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि निदेशालय में आशुलिपिकों के कितने पद स्वीकृत हैं ? इनमें से कितने पद भरे एवं कितने रिक्त हैं ? भरे पदों पर अनुसूचित जाति/जन जाति के कितने व्यक्ति नियुक्त हैं क्या अनुसूचित जाति जनजाति का कोटा पूरा कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कोटा कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कृषि निदेशालय में विभिन्न वेतनमानों में आशुलिपिकों के 45 पद स्वीकृत हैं।

वर्तमान में 40 पद भरे तथा 5 पद रिक्त है।

कोई नहीं।

जी नहीं।

वर्ष 1987 के बाद सीधी भर्ती द्वारा चयन न होने के कारण।

कोटा पूर्ण न करने हेतु रिक्त पदों को अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों से भरने हेतु आवश्यक अधियाचन उ० प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दिनांक 27-9-93 को भेजा जा चुका है।

विधान सभा क्षेत्र पनियारा, जिला महराजगंज में राप्ती नदी पर बनाये गये बांध के निर्माण में ली गयी जमीन का मुआवजा दिये जाने की मांग

180–श्री गनपत सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र पनियारा, जनपद महराजगंज में राप्ती नदी पर बनाये गये बांध में ग्राम रिगौली, बहवोलिया, मुसावार, झिकाहिरिया, सनगद, गैरुई खुर्द गैरुई बुजुर्ग, भरवलिया के किसानों की जो जमीन पड़ी थी, शासन ने अब तक उसका कोई मुआवजा दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ग्राम गैरूई बुजुर्ग में चकबन्दी से सामूहिक कटौती से बांध हेतु भूमि प्राप्त हुई तथा ग्राम सनगढ़ व गैरूई खुर्द में कोई भूमि नहीं ली गई। अन्य ग्रामों की ली गई भूमि हेतु धन उपलब्ध न होने के कारण मुआवजा वितरण होना बाकी है।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, सिंचाई विभाग, गोरखपुर द्वारा अवर अभियन्ता श्री अहमद नईम तथा एस० एन० मौर्या के खिलाफ मुख्य अभियन्ता को दिये गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

181–श्री गनपत सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ सिंचाई विभाग द्वारा अवर अभियन्ता श्री अहमद नईम खां तथा श्री एस० एन० मौर्या के खिलाफ भ्रष्टाचार के जांच हेतु मुख्य अभियन्ता गण्डक गोरखपुर मण्डल के पास कोई शिकायती-पत्र दिनांक 28-1-93 को भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या इस पर कोई कार्यवाही हुई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त जानकारी के अनुसार अवर अभियन्ता श्री अहमद नईम खां तथा श्री एस० एन० मौर्या के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच हेतु गोरखपुर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ सिंचाई विभाग का कोई शिकायती पत्र दिनांक 28-1-93 मुख्य अभियन्ता (गंडक) गोरखपुर को प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अल्मोड़ा के सामुदायिक विकास केन्द्र भिकियासैन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देघाट में टेक्नीशियन के अभाव में एक्सरे मशीन के कई वर्षों से बेकार पड़े होने की शिकायत

182–श्री बच्ची सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद अल्मोड़ा में सामुदायिक विकास केन्द्र भिकियासैन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देघाट में वर्षों से एक्स-रे मशीने खरीद कर रखी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इन एक्स-रे मशीनों को संचालित करने के लिये टेक्नीशियन व सहायक के पदों का सृजन न होने से जनता को भारी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त एक्स-रे मशीनों का संचालन करने के लिये पदों का सृजन कर नियुक्तियां की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद अल्मोड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भिकियासैन के लिये एक्सरे मशीन वर्ष 1991 में तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देघाट के लिये एक्सरे मशीन वर्ष 1990 में क्रय की गयी ।

पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

उत्तरांचल में मैदानी क्षेत्र के कर्मचारियों को पर्वतीय विकास भत्ता दिये जाने की मांग

183–श्री बच्ची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तरांचल क्षेत्र में लागू पर्वतीय विकास भत्ता उत्तरांचल के मैदानी भू-भाग में कार्यरत कर्मचारियों को भी प्रदान किया जायेगा ? यदि हां, तो क्या पर्वतीय विकास भत्ते की समान दर लागू की जायेगी ? यदि हां, तो यह भत्ता कब से लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । शासनादेश सं० ई 886/28-4-91-2(14)91 दिनांक 9 फरवरी, 1991 द्वारा उत्तराखंड के मैदानी भू-भाग में कार्यरत कर्मचारियों को भी पर्वतीय विकास भत्ता देय है ।

पर्वतीय विकास भत्ते की समान दर लागू किये जाने संबंधी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

विधान सभा क्षेत्र मुजेहना जनपद–गोण्डा में खराब पड़े राजकीय नलकूपों को ठीक कराकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

184–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा, विधान सभा क्षेत्र मुजेहना में किस-किस ग्राम सभा में राजकीय नलकूप खराब पड़े हैं ? क्या यह सही है कि सिंचाई की सुविधा वहां पर बाधित हो रही है ? क्या सरकार खराब पड़े नलकूपों को ठीक कराकर पुनः चालू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद गोण्डा के मुजेहना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम–लालपुर, बसन्तपुर, राजा भवनियापुर, केवलपुर, देवरिया–कला, केवलपुर व पारोसराय में एक-एक राजकीय नलकूप खराब (फेल) हैं ।

जी हां ।

मुजेहना विधान सभा क्षेत्र के कुल 7 खराब (फेल) राजकीय नलकूपों में से 4 नलकूपों का पुनः निर्माण कार्य प्रगति पर है । शेष 3 नलकूपों का पुनः निर्माण आगामी जनपद योजना में प्राविधान के अनुसार कराया जायेगा ।

इसका प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम प्रधान भुजैनी व समशुद्दीनपुर विकास खण्ड सियर जिला बलिया को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दिये गये धन से कराये गये कार्यों का विवरण

185–श्री उमाकान्त यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया विकास खण्ड सियर अन्तर्गत ग्राम सभा भुजैनी के ग्राम प्रधान व ग्राम सभा समशुद्दीनपुर के ग्राम प्रधान को वर्ष 1990-91, 1991-92 व 1992-93 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितना धन ग्राम प्रधानों (उपरोक्त) को मिला था ? ग्राम समाज की भूमि व पोखरे से कितना धन प्राप्त हुआ था ? उक्त धन का किन-किन विकास कार्यों में प्रयोग किया गया ? क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त दोनों ग्राम प्रधानों द्वारा जवाहर रोजगार योजना से मिले धन का निजी हित में प्रयोग किया है ? क्या सरकार इसकी किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराकर दण्डित करने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा भुजैनी व समशुद्दीनपुर के ग्राम प्रधानों को वर्षवार धन प्राप्ति का विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	भुजैनी ग्राम सभा	समशुद्दीनपुर ग्राम सभा
1990-91	24232.00	100803.00
1991-92	19114.00	34165.00
1992-93	18979.00	34142.00
	62,325.00	1,69,110.00

ग्राम समाज के पोखरे से कोई धंन प्राप्त नहीं हुआ है ।

उक्त धन का निम्न विकास कार्यों में प्रयोग किया गया है :–

1–सम्पर्क मार्ग निर्माण

2–मिट्टी पटाई कार्य

3–कच्चा सड़क मरम्मत

4–दीवाल प्लास्टर स्कूल एवं चहारदीवारी निर्माण

5–हैण्ड पम्प लगाने का कार्य

6–खड़न्जा निर्माण कार्य

7–पुलिया निर्माण एवं कूप मरम्मत

8–ट्यूज पाइप

9–सोलिंग हेतु मिट्टी कार्य

10–निर्बल वर्ग आवास खाते में अंशदान

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला अल्मोड़ा के प्रसिद्ध कतिपय पर्यटन स्थलों का सौन्दर्यीकरण की मांग

186–श्री राम प्रसाद टम्टा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जिला अल्मोड़ा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पिण्डारी, ग्लेशियर, पाण्डूस्थल, शिखर, चण्डीका पालड़ी चौगांवछीना बैजनाथ, लखनी परकटेश्वर, लीती एवं गोगिना पर्यटक स्थलों को उ० प्र० पर्यटन मानचित्र में अंकित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त पर्यटन स्थलों के सौन्दर्यीकरण हेतु क्या व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद अल्मोड़ा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पिण्डारी ग्लेशियर, शिखर, बैजनाथ, लीती–गोगिना उ० प्र० के पर्यटन मानचित्र में अंकित है तथा पाण्डूस्थल, चण्डीका पालड़ी, चौगांवछीना, लखनी तथा परकटेश्वर उ० प्र० के पर्यटन मानचित्र में अंकित नहीं है ।

पिण्डारी ग्लेशियर पर लोहारखेत, धाकुरी, खाती, दाली तथा फुर्किया नामक पड़ावों पर पर्यटन आवास गृहों का निर्माण किया जा चुका है । पर्यटन स्थल शिखर के सौन्दर्यीकरण हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है । पर्यटन स्थल बैजनाथ में पर्यटक आवास गृह तथा सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है । पर्यटन स्थल लीती गोगिना में फेब्रीकेटेड हट्स के निर्माण के लिये आगामी वित्तीय वर्ष 1994-95 में वित्तीय व्यवस्था करायी गयी है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद हरदोई में लघु एवं सीमान्त किसानों को फ्री बोरिंग हेतु ऋण को सीधे दिये जाने की मांग।

187–श्री विश्वनाथ–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में कितने लघु सीमान्त कृषकों को फ्री बोरिंग योजना के अन्तर्गत छूट पर ऋण दिया गया है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इन किसानों से बैंक/प्राधिकृत डीलरों द्वारा बड़े पैमाने पर धन लेकर ऋण दिलाने से किसानों को काफी आर्थिक क्षति होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन किसानों को उक्त ऋण सीधे प्रदान किये जाने हेतु कोई योजना तैयार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

कार्यक्रम के प्रारम्भ से जनवरी, 94 तक हरदोई जनपद में 35373 लघु एवं सीमान्त कृषकों को छूट पर ऋण दिया गया है।

इस संबंध में किसी स्तर से कोई पुष्ट तथ्य शासन के संज्ञान में नहीं आये हैं।

शासनादेश संख्या–1035 एम० आई०/38-4-94–1299(33)/90, दिनांक 13-10-93 द्वारा आई० आर० डी० योजना की भांति निःशुल्क बोरिंग योजना में पम्पसेट क्रय हेतु बैंक से ऋण का भुगतान लाभार्थी को नकद चेक द्वारा किये जाने की व्यवस्था की गई है, जिससे कृषक पम्पसेट का क्रयअपनी इच्छानुसार किसी भी डीलर से कर सकें।

जनपद फैजाबाद में श्री विजय नारायन तिवारी द्वारा फर्जी पद नाम से जनपद फैजाबाद शहर के गुलाब बाड़ी में जमीन हड़पने का मामला

188–श्री मित्रसेन यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक विकास दल विभाग में शासन/विभागाध्यक्ष द्वारा "प्रभारी निरीक्षक पी० आर० डी०" पदनाम सृजित है ? यदि नहीं, तो क्या जनपद फैजाबाद में श्री विजय नारायन तिवारी जो मात्र अवैतनिक स्वयंसेवक था, ने फर्जी पदनाम "प्रभारी निरीक्षक पी० डी० स्वयं सेवा संस्था थाना कोतवाली, रीडगंज, शहर फैजाबाद" लिखकर गुलाब बाड़ी फैजाबाद का मैनगेट का ऊपरी तल "नजूल विभाग" से अपने नाम आवंटित करा लिया है ? यदि हां, तो क्या फर्जी पदनाम लिखकर जालसाजी करके पट्टा लेने वाले के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराकर उससे खाली कराया जा सकेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त कक्ष को पी० आर० डी० जवानों के ड्यूटी दौरान निवास हेतु जवानों को सुलभ कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

जी हां।

श्री तिवारी के विरुद्ध जालसाजी का मुकदमा कोतवाली में दर्ज करा दिया गया और आवंटन निरस्त कर खाली करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट फैजाबाद को निर्देशित किया गया है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री तिवारी द्वारा इसे खाली किये जाने पर, इस हेतु जिलाधिकारी फैजाबाद को निर्देशित किया जायेगा।

इसके लिए समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला युवा कल्याण/प्रादेशिक विकास दल अधिकारी जिला–फैजाबाद द्वारा भेजे गये पत्र के विवरण एवं पत्रांक के बारे में विस्तृत जानकारी की मांग

189–श्री मित्रसेन यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि जिला युवा कल्याण/प्रादेशिक विकास दल अधिकारी–फैजाबाद के पत्रांक–415/प्रा०वि०द०/दिनांक 21 जून, 1991 में कौन-कौन तथ्य वर्णित हैं ? पत्र किस स्थान, अवधि के किस कार्य हेतु किसको लिखा गया है ? संदर्भित पत्र की प्रतियां अन्य किसे दी गयी हैं ? क्या अंकित पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जा सकेगी ? क्या इसके पूर्व और भी पत्र इस सन्दर्भ में जारी हुए हैं ? यदि हां, तो उन पत्रों को जारी करने वाले अधिकारी के नाम (पदनाम सहित) पत्र संख्या व दिनांक का क्या-क्या ब्यौरा है ? क्या इसके पश्चात् भी इस सन्दर्भ में कोई पत्र जारी हुए हैं ? यदि हां, तो उपरोक्तानुसार पत्रांक व तिथि क्या-क्या हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

21 जून, 1991 के इस पत्र में श्री रामअकबाल तिवारी, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी मसौधा से उनके द्वारा मस्टररोल प्रस्तुत न किये जाने के लिए स्पष्टीकरण मांगते हुए माह नवम्बर, 90 से मई, 91 तक के मस्टररोल को कोतवाली अभिलेख (जी० डी०) के आधार पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे।

यह पत्र जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, फैजाबाद द्वारा फैजाबाद में माह नवम्बर, 90 से मई, 91 तक (नगर कोतवाली की) जी० डी० के अनुसार सत्यापित मस्टररोल उपलब्ध कराने हेतु श्री राम अकबाल तिवारी को लिखा गया था।

जी हां। प्रतिलिपि संलग्न है।

मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद द्वारा पत्र संख्या–1321/प्राविद/सुरक्षा/ड्यूटी/90-91 दिनांक 9-10-90 जारी किया गया।

जी हां।

इसके पश्चात् निम्न पत्र जारी किया गया है।

श्री नन्हकू सिंह, जि० यु० क० एवं प्रा० वि० द० अधिकारी, फैजाबाद द्वारा पत्र सं०–537/दि०–6-8-91 क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रा० वि० द० अधिकारी, मसौधा को।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 187–188 पर)

भारतीय जनता पार्टी शासन काल में जनपद पीलीभीत में अवशीतन केन्द्र बनाये जाने हेतु किए गये निर्णय के कार्यान्वयन की मांग

190–श्री राम सरन वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भा० ज० पा० शासन काल में जिला योजना के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत में एक नया अवशीतन केन्द्र स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो अब तक उसे स्थापित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जनपद पीलीभीत में नये अवशीतन केन्द्र की स्थापना हेतु वर्ष 1993-94 में जिला योजनान्तर्गत भूमि क्रय किये जाने के निमित्त रु० 2,33,000 की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है ।

[12बजकर 20 मिनट]

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम–301 की सूचनायें ले रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपने 311 की अनुमति दी थी ।

श्री अध्यक्ष–

इसके तुरन्त बाद लिया जाएगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

फिर आप औचित्य ले लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

पहले नियम 311 लेंगे, फिर औचित्य लेंगे । आज दि० 23 फरवरी, 94 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत 26 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । प्राप्त सूचनाओं में शलाका के आधार पर अग्राह्य सूचनाओं को छोड़ते हुए निम्नलिखित सात सूचनायें स्वीकार हुई हैं । श्री तिलक राज बेहड़, की सूचना नैनीताल जनपद के तराई किसानों का उत्पीड़न करने के संबंध में है । दूसरी सूचना कुंवर सर्वराज सिंह की है, यह अनुपस्थित हैं इसलिए इनकी सूचना नहीं ली जायेगी । श्री रंगनाथ मिश्र इनकी सूचना "दि काशी सहकारी चीनी मिल औराई" के बन्द होने से किसानों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न होने के संबंध में है । चौथी सूचना श्री सत्य प्रकाश विकल जी की है, इन्होंने आगरा के गंभीर पेयजल संकट के हल के संबंध में सूचना दी है । पांचवी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की है, उन्होंने शाहजहांपुर में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है । छठी सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की है इन्होंने हरदोई जनपद में बिलग्राम तहसील पहुंचने के लिए हरपालपुर व सांडी से बसें चलवाने के संबंध में सूचना दी है । सातवीं सूचना श्री अवनीश कुमार सिंह की है इन्होंने समता समिति की संस्तुतियां लागू

होने के फलस्वरूप प्रदेश के कोषागारों में कार्यरत लिपिकीय कर्मचारियों के लिए स्टापिंग पैटर्न से वंचित कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड एवं प्रोन्नति वेतनमान देने के संबंध में सूचना दी है । श्री कुंवर सर्वराज सिंह जी उपस्थित नहीं हैं इसलिए उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से श्री महेन्द्र सिंह माहरा की सूचना स्वीकार की गई हैं । इनकी सूचना पिथौरागढ़ नगरपालिका के लीज पट्टाधारकों का उत्पीड़न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । डा० सरजीत सिंह डंग जी की सूचना प्रतीक्षा सूची में थी, यह नहीं आ पाई है इसको अस्वीकार किया जाता है । इसके अतिरिक्त जिन माननीय सदस्यों की सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है उनके नाम इस प्रकार हैं । डा० शिव प्रताप यादव, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री मन्नू लाल कुरील, श्री तेजभान सिंह, श्री सतीश भाटिया, श्री बच्ची सिंह रावत, श्री रमेश पोखरियाल निशंक, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री बदन सिंह, श्री धनराज पादव, श्री शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री मातवर सिंह कण्डारी, श्री अजय कुमार पोइया, श्री मित्रसेन यादव, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री जगदम्बिका पाल, श्री अरिमर्दन सिंह ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

मान्यवर, 301 की सूचना मैंने भी भिजवाई थी ।

श्री अध्यक्ष–

वह आई नहीं है वरना निश्चित रूप से पंजीकृत होती ।

(सदन की सहमति से सात स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुयी मानी गयी)

नैनीताल जनपद के तराई किसानों का उत्पीड़न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तिलक राज बेहड़–

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं ।

नैनीताल जनपद में नदी नालों व झीलों के किनारों को समतल कर बीस वर्ष पूर्व भूमि कृषि योग्य बनाई गई थी । परन्तु प्रशासन द्वारा उनका शोषण कर उनके खिलाफ न्यायालय में केस चलाकर बेदखल किया जा रहा है । जबकि उक्त भूमि को वर्ग–4 के अन्तर्गत मानकर संबंधित कब्जेदारों से राशि भी जमा कराई जा चुकी है । लेकिन पट्टे न दिए जाने से हजारों किसानों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्यवाही कर उत्पीड़न किया जा रहा है । काफी कठिनाइयों के उपरान्त तराई की उक्त भूमि को इन लोगों द्वारा कृषि योग्य बनाया गया था ।

प्रशासन द्वारा किसानों को बे-दखल कर व तहसील द्वारा आर० सी० जारी कर क्षतिपूर्ति वसूली जा रही है । उत्पीड़न की कार्यवाही से किसानों में भारी असंतोष व्याप्त है ।

आपसे निवेदन है कृपया इस प्रकरण पर शासन कड़ी अविलम्ब कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दि काशी सहकारी चीनी मिल औराई वाराणसी के बन्द होने से किसानों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रंगनाथ–

[महोदय, दी काशी सहकारी चीनी मिल औराई के 14 फरवरी को भ्रष्टाचार के चलते बन्द कर दिया गया जिससे किसानों के सामने घोर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है ।

जिला गन्नाधिकारी वाराणसी तथा जौनपुर ने किसानों के खेत के गन्ने का जो आंकड़ा दिया है उसके अनुसार मिल को अप्रैल तक चलना चाहिये किन्तु प्रबन्धक की लापरवाही तथा ट्रांसपोर्टरों से भारी कमीशन के कारण रामपुर, मड़ियांहूं, जलालपुर तथा मार्टिन गंज, चन्दौली, कपसेठी, राजा तालाब से ट्रांसपोर्ट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पायी । आज भी किसानों के गन्ने खेत में सूख रहे है तथा मिल बन्द हो गई है, मशीनरी के अच्छे रख रखाव न होने के कारण तथा उसी जगह तौल लिपिक विहीन कनेली और उद्दीन में तौल लिपिक विहीन क्रय केन्द्र जनवरी में खोलकर फर्जी पेमेंट अपटूडेट किया गया, जिससे लाखों रुपये मिल का बर्बाद किया गया ।

अतः यह लोक महत्व का प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं ।]

आगरा में गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश विकल–

[आगरा महानगर में पेयजल संकट की गम्भीरता अभी से बढ़ती जा रही है । यह स्पष्ट है कि आगामी 6 महीने आगरा की लाखों जनता के लिये बीते हुये हर वर्षों की तरह या उससे भी ज्यादा पानी की एक-एक बूंद के लिये तरसाने वाले होंगे । इस समय हालत यह है कि नगर के अनेक मोहल्लों में पानी नहीं पहुंच रहा है । मकानों की ऊपरी मंजिल में तो पानी पहुंचता ही नहीं, नीचे की मंजिल में भी कहीं एक दो घंटे के लिये पानी आता है और कहीं वह भी नहीं पहुंचता है । पेयजल संकट से जनता बुरी तरह त्रस्त है । नगर में लगे हुये हैण्ड पम्पों में से एक तिहाई से भी ज्यादा खराब पड़े हुये हैं जिनको ठीक करने या उनके रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है । सिवाय हैण्ड पम्प लगाये जाने के जलापूर्ति का वर्तमान में अन्य कोई विकल्प नहीं है । यदि इनके लगाने में देरी की गई तो ग्रीष्म काल में भीषण जल संकट के कारण गंभीर जन-असंतोष की स्थिति पैदा हो जायेगी ।

अतएव अविलम्बनीय लोक महत्व के इस गम्भीर विषय को शासन के संज्ञान में लाते हुये मैं मांग करता हूं कि आगरा महानगर में तत्काल 300 नये हैण्ड पम्प लगाये जाने तथा पुराने हैण्ड पम्पों को युद्ध स्तर पर ठीक कराये जाने के आदेश किये जायें ।]

शाहजहांपुर में गंभीर पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[महोदय, शाहजहांपुर नगर में पीने के पानी का संकट पिछले डेढ़ वर्षों से है । नगर में पेयजल सप्लाई हेतु दो वाटर टैंक हैं, जिसको भरने के लिये 13 ट्यूबवेल हैं, जिसमें से अधिकांश खराब रहते हैं । इनके समय पर ठीक न होने से तथा कुछ के स्थायी रूप से खराब रहने के कारण नगर में जलापूर्ति

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सुचारू रूप से नहीं हो पाती है । पेयजल की आपूर्ति ठीक प्रकार न होने के कारण समाज का प्रत्येक वर्ग इस समस्या से ग्रसित है ।

मेरा आपके माध्यम से यह सरकार से अनुरोध है कि शाहजहांपुर नगर में अविलम्ब पेयजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायें ।]

हरदोई जनपद में बिलग्राम तहसील के लिए हरपालपुर व सांडी से बसें चलवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विश्राम सिंह यादव–

[महोदय, हरदोई जनपद में बिलग्राम तहसील मुख्यालय है परन्तु तहसील मुख्यालय बिलग्राम पर जनता को पहुंचाने के लिये हरपालपुर व सांडी से कोई भी बसें नहीं चलती है जिससे इस विशाल क्षेत्र की जनता को तहसील मुख्यालय पहुंचाने में काफी कठिनाई होती हैं । बिलग्राम तहसील मुख्यालय पर पहुंचाने के लिये लगभग 5 लाख जनता का आवागमन होता रहता है ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व की इस समस्या को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।]

प्रदेश में कोषागारों में कार्यरत लिपिकीय कर्मचारियों के लिए सेलेक्शन ग्रेड एवं प्रोन्नति वेतनमान देने के संबंध में नियम 301 की सूचना

श्री अवनीश कुमार सिंह–

[माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । प्रदेश के कोषागारों के हजारों लिपिकीय कर्मचारियों को समता समिति की संस्तुतियां लागू होने के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतनमान में सेलेक्शन ग्रेड तथा प्रोन्नति वेतनमान लाभ से वंचित रखा जा रहा है, जिसके कारण उक्त सभी हजारों कर्मचारियों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है, तथा इन्हें आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है ।

दिनांक 1-1-86 से समता समिति की संस्तुतियां लागू हो गई है परन्तु प्रदेश में लिपिकीय कर्मचारियों के लिये स्टाफिंग पैर्टन की सुविधा समाप्त कर दी गयी है, तथा इसके स्थान पर जनवरी, 86 से सेलेक्शन ग्रेड एवं 6 वर्ष पश्चात् प्रोन्नति वेतनमान अनुमन्य कराया जाना था, परन्तु इतना अधिक समय बीत जाने के बाद भी उक्त सेलेक्शन ग्रेड एवं प्रोन्नति वेतनमान से स्टाफिंग पैर्टन से वंचित कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं कराया गया है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सूचना के संबंध में मेरा आपके माध्यम से शासन से मांग है कि प्रदेश के सेलेक्शन ग्रेड एवं प्रोन्नति वेतनमान से वंचित सभी कोषागारीय, लिपिकीय कर्मचारियों को समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन शासनादेश सं०–एस–3–2908/दस–89–34(75)/87 दिनांक 6 फरवरी, 1990 के आधार पर शीघ्र उपलब्ध कराया जाये ।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पिथौरागढ़ नगरपालिका के लीज पट्टाधारकों का उत्पीड़न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

[मान्यवर, सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के जिला मुख्यालय के अन्तर्गत पिथौरागढ़ नगर पालिका में लगभग 105 वर्षों से भी अधिक की अवधि से वहां निवास करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय, गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन निर्वाह करने वाले, तथा भूतपूर्व सैनिक परिवारों के 90 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले लीज पट्टा धारकों को अपनी आवासीय भूमि का 1,70,000 रु० प्रति नाली की दर से फ्रीहोल्ड के नाम से जो नोटिस उन्हें जारी किये जा रहे हैं उससे वहां के मूल निवासियों का उत्पीड़न हो रहा है । इससे यहां के लोगों में भारी रोष व असंतोष व्याप्त है वहां कभी भी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है । इस विस्फोटक व संकटपूर्ण समस्या से सरकार को बार-बार अवगत कराने के बाद भी समस्या का हल नहीं निकाला जा सका है । अतः अब जनता में व्यापक आक्रोश है तथा लोकतंत्रीय व्यवस्था में अलोकतंत्रीय अथवा सामन्तीय प्रवृत्ति का रूप देखने को मिल रहा है ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय मंत्री जी से इस दुरूह स्थिति को दूर करने हेतु तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।]

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 23-2-94 को नियम–311 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

जो नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं ग्राह्यता पर सुने जाने के लिए स्वीकार की गई हैं उनमें पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल, श्री जगदम्बिका पाल की है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य चीनी निगम की 8 इकाइयों को निजी क्षेत्र में बेचने के निर्णय से हजारों मजदूरों एवं किसानों में व्याप्त आक्रोश के संबंध में है । दूसरी श्री किरन पाल सिंह, श्री राम आसरे वर्मा, श्री तेजपाल सिंह, श्री वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर), श्री विश्वनाथ की डंकल प्रस्ताव के बारे में है । तीसरी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सत्य प्रकाश विकल, डा० सरजीत सिंह डंग, श्री श्याम देव राय चौधरी की है । विषय है, राज्य सरकार द्वारा साम्प्रदायिकता की तुष्टीकरण की नीति अपनाए जाने के बारे में है ।

(श्री शिव प्रताप शुक्ल, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री मयंकर सिंह आदि कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

इनके अलावा बाकी सभी की सूचनाएं अस्वीकृत हो चुकी हैं अतः मैं अब किसी भी सदस्य को नहीं सुनूंगा । आप अपनी सूचना कल दे सकते हैं कल इनकी ग्राह्यता पर विचार किया जायेगा । क्योंकि सबको ग्राह्यता पर नहीं सुना जा सकता, समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा । आप नियम पढ़ लीजिए, पुस्तकालय जाकर कार्यवाही उठाकर देख लें, सबको ग्राह्यता के अन्तर्गत नहीं सुना जाता है ।

श्री मयंकर सिंह–

आप सबको स्वीकार तो कर नहीं लेंगे आपने कहा था कि आपको प्रश्नकाल के बाद सुन लिया जायेगा ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी भावनाओं से पूरी तरह से अवगत हूं और यह सही है कि सदन बहुत दिनों के पश्चात् चला है और आप यह समस्याएं प्रस्तुत कर रहे हैं.। एक बारगी में इन सबको नहीं लिखा जा सकता है। आप कल भी दे सकते हैं।

(शोरगुल के मध्य)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं लाटरी बन्द करने के संबंध में अपनी बात कहना चाहता हूं।

क्रिकेट के टेस्ट मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने का नया विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले भारत के यशस्वी खिलाड़ी श्री कपिल देव के लिए बधाई प्रस्ताव

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

एक महत्वपूर्ण कार्य है पहले उसको हो जाने दो।

मान्यवर, मैं मद संख्या–3 पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्रीमन्, बड़े हर्ष और गर्व के साथ हम प्रस्ताव कर रहे हैं कि विश्व में एक रिकार्ड बनाया है, श्री कपिल देव निखंज ने। श्रीमन्, कपिल देव आज भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के जाने माने आलराउन्डर क्रिकेट खिलाड़ी हो गये हैं।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि :–

> "यह सदन क्रिकेट के टेस्ट मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने का नया विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के लिये भारत के यशस्वी खिलाड़ी, श्री कपिल देव को बधाई देता है।"

मान्यवर, श्री कपिल देव ने क्रिकेट के खेल में सबसे पहले सादिक मोहम्मद का विकेट लिया था। श्री कपिल देव 1983 से 1986 तक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे और उनके नेतृत्व में भारत ने 1983 में विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता में इंग्लैंड में विजय प्राप्त की। कानपुर में 163 मिनट में 163 रन बनाकर उन्होंने एक रिकार्ड कायम किया। इसके अतिरिक्त 74 बालों पर 100 रन बनाने का उनका रिकार्ड रहा है। अभी हाल ही में श्रीलंका और भारत की क्रिकेट टेस्ट मैच श्रृंखला जो बंगलौर में हुयी, उसमें 30 जनवरी, 1994 को उन्होंने 431 विकेट लेकर श्री रिचर्ड हैडली द्वारा स्थापित विश्व रिकार्ड की बराबरी की। इसी श्रृंखला का अगला टेस्ट मैच जो अहमदाबाद में हुआ, उन्होंने जनवरी, 1994 को श्री रिचर्ड हैडली द्वारा स्थापित विश्व रिकार्ड से एक विकेट अधिक लेकर एक नया विश्व रिकार्ड बनाया और अपना ही नहीं बल्कि भारत का दुनियां में मस्तक ऊंचा किया।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, श्री कपिल देव निखंज ने जो विश्व कीर्तिमान क्रिकेट के क्षेत्र में बनाया, उससे वह इस देश के एतिहासिक पुरूष बन गये हैं। हम सबको उनके ऊपर गर्व है। यह प्रस्ताव लाकर हम अपने हर्ष की भावना उन तक पहुंचाना चाहते हैं।

* नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, आज कपिल देव के ऊपर न केवल इस सदन को, न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र को गौरव की अनुभूति हो रही है । (मेजों की थपथपाहट) क्रिकेट के क्षेत्र में विश्व रिकार्ड को तोड़कर एक नया कीर्तिमान जो उन्होंने स्थापित किया है उससे सचमुच में उनका नाम भारत के इतिहास में अमर हो गया है । आगे आने वाली पीढ़ियां सदैव उनसे प्रेरणा ग्रहण करती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है । श्री कपिल देव जी ने विश्व रिकार्ड कायम करके यह सिद्ध कर दिया है कि भारतवर्ष में प्रतिभाओं और योग्यताओं की कमी नहीं है । यदि उन्हें समुचित अवसर प्रदान किया जाय, तो अनेक क्षेत्रों में भारत के नौजवान विश्व रिकार्ड को तोड़कर नये-नये कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं । मैं चाहूंगा कि प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान दे और विशेष रूप से नौजवानों को उत्साहित करने के लिये खेल जगत को ज्यादा से ज्यादा सुविधायें देनी चाहिये । उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये, और उनके खानपान की ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे वह नौजवान भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में इसी प्रकार के कीर्तिमान स्थापित करें और अपने राष्ट्र का नाम उज्जवल करें । आज श्री कपिल देव जी के लिये किन शब्दों में बधाई दी जाय, शब्द छोटे पड़ जायेंगे । आज कपिल देव सचमुच में भारत की कोटि-कोटि जनता के अंतःकरण की हार्दिक बधाई के पात्र बन गये हैं । वैसे श्रीमन् यह तो मैं जानता हूं कि मंत्रि-परिषद् के सदस्यों की सरकार में सामूहिक जिम्मेदारी होती है, लेकिन कदाचित यह बेहतर होता कि इस महत्वपूर्ण बधाई के प्रस्ताव को माननीय नेता सदन प्रस्तुत करते, तो ज्यादा अच्छा होता और माननीय नेता सदन, सदन में उपस्थित भी हैं । मेरे अपने विचार से इससे प्रस्ताव की गरिमा और महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है । मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

एजेंडा आपने नहीं पढ़ा कि प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करेंगे ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, भारत माता की धरती के सपूत कपिल देव जी भारत ही नहीं विश्व के भी जाने-माने बालर आल राउन्डर हैं । श्री कपिल देव जी ने क्रिकेट जगत में भारत का सम्मान ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि उन्होंने भारत के स्वाभिमान को और हर भारतवासियों के स्तर को ऊंचा किया है । इसलिए निश्चित रूप से वह बधाई के पात्र हैं और सदन भी बधाई का पात्र है कि आज खड़े होकर उन्हें बधाई दे रहा है । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी से यह अनुरोध करुंगा कि वह निश्चित रूप से कुछ कहेंगे । मैं माननीय मुख्य मंत्री से यह अनुरोध करुंगा कि महान क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव को बुलाइये और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उपहार के रूप में उन्हें कुछ देंगे, तो इससे प्रदेश की सरकार का सम्मान बढ़ेगा । उन्हें आर्थिक रूप से भी सहायता प्रदान की जाय और यदि उनकी प्रतिभा का उपयोग नये खिलाड़ी बनाने में हो सके, तो ज्यादा अच्छा होगा । हमें आज गर्व है कि उत्तर प्रदेश की धरती का रिकार्ड तोड़ने के लिए कोई धरती का सुपुत्र खड़ा हो गया ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री किरनपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री कपिल देव जी ने क्रिकेट जगत में सर्वाधिक विकेट लेकर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है । हम सभी उससे गौरव ही नहीं महसूस कर रहे हैं, बल्कि अपार हर्ष भी महसूस कर रहे हैं । श्री कपिल देव जी जिस समय भारत के क्रिकेट मैच में प्रवेश किये, उस वक्त खेल युग नहीं था, उस समय में पाकिस्तान की धरती पर जाकर सबसे पहला विकेट सादिक मोहम्मद का लिया था और क्रिकेट में भारत की स्पिनर्स के रूप में प्रसिद्धि है । श्री कपिल देव की लगन, त्याग और मेहनत का यह परिणाम है कि इन्होंने सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ते हुए हिन्दुस्तान के नाम को विश्व में बढ़ाया है कि आज हर एक भारतवासी के जबान पर कपिल देव का ही नाम है । मान्यवर, विदेशों में और हमारे देश में खिलाड़ियों के लिए जो सम्मान और मान है क्रिकेट में, अब तक, रिचर्ड हैडली को सर की उपाधि और सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा मिली थी । ब्राजिल के पेले को राष्ट्रपति की ओर से सम्मान मिला था । तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है । हमारे दृष्टिकोण में खिलाड़ियों के प्रति सम्मान होना चाहिये । हम इस बात के प्रति जागृत हुये हैं कि हमारा इतना बड़ा विशाल देश है, कि विश्व में अच्छे-अच्छे खिलाड़ी पैदा कर सकता है । कपिल देव ने सर्वाधिक विकेट लिये हैं, उन्होंने क्रिकेट खेल जगत में एक कीर्तिमान स्थापित किया है । उन्होंने क्रिकेट में बालिंग के साथ ही साथ रन बनाने का भी कीर्तिमान स्थापित किया है । ऐसे भारत के सपूत पर हम सभी को गौरव है और जो माननीय प्रमोद तिवारी जी ने एक बात रखी है, तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी सहमत होंगे कि उनको उत्तर प्रदेश की धरती पर बुलाकर उनका सम्मान करें और उनका अभिनन्दन किया जाये और चाहे उनको आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो या न हो, जिस तरह से भी हो उनका सम्मान किया जाये, तो इससे उत्तर प्रदेश का नाम होगा और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा कि वह विश्व में अपना रिकार्ड बनायें । इन शब्दों के साथ मैं कपिल देव को विश्व रिकार्ड बनाने के लिये बधाई देता हूं और जो भावनायें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने और माननीय नेता विरोधी दल ने रखी हैं, मैं उनसे अपने आप को जोड़ता हूं और कपिल देव को बार-बार बधाई देता हूं ।

* श्री मित्र सेन यादव–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की ओर से जो प्रस्ताव रखा गया है, उस पर जो अन्य माननीय नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनसे अपने आप को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी क्षेत्र में जो भी कीर्तिमान स्थापित करता है, वह बधाई का पात्र है । यह पहला मौका है कि कपिल देव ने विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया है और हिन्दुस्तान को गौरवान्वित किया है । मेरा सुझाव है कि उत्तर प्रदेश में उनका अभिनन्दन और स्वागत होना चाहिये । प्रमोद तिवारी जी ने जो प्रस्ताव किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि उनको उत्तर प्रदेश की धरती पर बुलाया जाये और उनका अभिनन्दन किया जाये । इस प्रस्ताव को माननीय मुख्य मंत्री जी को सहर्ष स्वीकार करना चाहिये, क्योंकि वह भी किसी जमाने में खिलाड़ी रहे हैं, चाहे जिस क्षेत्र में रहे हों । तो मैं ऐसे सपूत को जिसने भारत का मस्तक ऊंचा किया, सारे विश्व में, उनका सम्मान करना चाहिये । उसने हिन्दुस्तान को गौरवान्वित किया है और विश्व की निगाहों में ऊपर उठाया है । हम उनके इस कीर्तिमान से गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो हमें चाहिये कि उनका अभिनन्दन किया जाये और उनको उत्तर प्रदेश की धरती पर बुलाया जाये । मैं चाहता हूं कि जिस तरह से भी हो उनको सम्मानित किया जाये । इससे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खेल जगत के लोगों को प्रेरणा मिलेगी । कपिल देव को उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को मार्ग दर्शन देने का अवसर भी दिया जाना चाहिये । इन्हीं शब्दों के साथ कपिल देव को मैं बधाई देता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह उनका स्वागत करने के लिये उत्तर प्रदेश में बुलायें ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

मान्यवर, माननीय नेताओं ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये.....

श्री अध्यक्ष–

अगर मैं इस पर कुछ कह लूं और तब आप घोषणा करें, तो ठीक रहेगा ।

(विरोध पक्ष की ओर से आवाजें पहले मुख्य मंत्री जी कहें)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, आपकी आज्ञा का पूरा पालन है । अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कपिलदेव की बधाई के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । वह हमारे देश के गौरव है । सम्मान बढ़ाया है और पूरी दुनिया में हमारे देश का सिर ऊंचा किया और हमारे देश के नौजवानों को खेलों के प्रति रुचि और प्रेरणा भी दी और मुझे खुशी है कि अभी पिछले दिनों कपिलदेव जी जब यहां आये, तो मैंने घर पर उनको भोजन के लिए बुलाया, पहले से भी हमारे परिचित हैं, बातचीत होती रहती थी उन्होंने मुझसे कहा सभी के सामने, करीब हम लोग 15-20 लोग थे कि प्रदेश को आप सम्भालें और खेल को हम सम्भालेंगे । इतने आत्मविश्वास के साथ अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले कहकर लखनऊ से गये थे, मुझसे मिलकर भी गये थे, मेरे व्यक्तिगत संबंध भी हैं, हमारा सम्मान भी बहुत करते हैं हो सकता था हम जल्दी ही बुलाते ऐसे मौके पर लेकिन अब हमें गर्व है, सदन को पूरा गर्व है, पूरे देश को गर्व है और आज पूरा सदन अपने देश के एक नौजवान जिसने विश्व में एक रिकार्ड कायम किया है । ऐसे मौके और ऐसा इतिहास नौजवान कभी-कभी बनाते हैं, देश का इतिहास बनाया है कपिलदेव जी ने । आप हमारा स्वभाव भी जानते हैं कि हम खेलों से जुड़े भी रहे हैं, हमें भी इनाम मिले हैं और हमें भी प्रोत्साहन मिला है और हमने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में भी लिखा है शायद पढ़ा होगा, कि जितने उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं ।

इस बजट सत्र के बाद या आप सभी नेताओं की जब भी राय होगी तो पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी कलाकार हैं चाहें खिलाड़ी हो या अन्य और भी क्षेत्रों में काम करने वाले हों, उनको सम्मानित करूंगा लेकिन विशेष सम्मान कपिलदेव जी का लखनऊ में ही करूंगा । उनको आमंत्रित करूंगा और पांच लाख एक रुपये का इनाम भी दूंगा । मुझे खुशी है और ऐसे नौजवानों पर मुझे गर्व है ऐसा यशस्वी नौजवान जो बहुत ही हरफनमौला नौजवान है और हमारे देश का सर ऊंचा किया है, हमारे नौजवानों को आगे बढ़ने की उनसे प्रेरणा मिलेगी । माननीय मित्रसेन जी ने जो सुझाव दिया है कि वह यहां आये तो मुझे विश्वास है कि हम जब चाहेंगे वह यहां आ जायेंगे और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को खेलों में प्रोत्साहन देने के लिए वह समय देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है । हम उनसे अनुरोध भी करेंगे, और बुलायेंगे भी और जब सम्मानित करेंगे तो आप माननीय सदन के सभी सदस्यों से निवेदन है कि आपको हम पहले से

सूचना दे देंगे । सब लोग रहें कहीं भी जो स्थान है उसमें सभी को आमंत्रित करता हूं और पांच लाख एक रुपया हम उनको देंगे भी ।

श्री अध्यक्ष–

सरकार की ओर से श्री कपिलदेव जी के संबंध में प्रस्ताव उन्हें सम्मानित करने से संबंधित आया है और हमारे सभी दल के नेताओं ने और पूरे सदन ने जो भावनाएं व्यक्त की, सहमति दी, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए प्रशंसा करना चाहूंगा ।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कपिल देव जी को सम्मानित करने के लिये बात कहकर और उनको पांच लाख एक रुपये का पुरस्कार देकर, केवल कपिल देव जी को ही सम्मानित नहीं किया, बल्कि पूरे राष्ट्र के राष्ट्रीय स्वास्थ्य में भी वृद्धि करने का कार्य किया है । शायद हमारे सभी नेता गण और सदस्यगण इस बात से सहमत होंगे कि जब क्रिकेट के खिलाड़ी को सम्मान मिलेगा तो हमारे बहुत से नौजवान क्रिकेट और अन्य खेलों में रुचि के अनुसार भाग लेंगे । भले ही वे राष्ट्रीय स्तर तक न पहुंच सकें, लेकिन यह तो सुनिश्चित ही है कि उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी और जब स्वास्थ्य में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से उनकी बुद्धि में भी विकास होगा, बुद्धि भी सबल होगी । इसलिये स्वास्थ्य के साथ-साथ बुद्धि में भी प्रखरता और शक्ति आयेगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कपिलदेव जी को बधाई देते हुए, अपनी बात समाप्त कर रहा हूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से एक बात और कहना चाहता हूं ।

सरकार खेलों के प्रति कितनी रुचि रखती है, इसके बारे में सूचना देनी है कि 10 मार्च, 1994 को हमारे गांव में ही दंगल है पहलवानों का, दारा सिंह उस दंगल का उद्घाटन करेंगे, वहां स्टेडियम तेजी से बन रहा है, आपने तो उसको रुकवा दिया था, नहीं तो पहले ही बन जाता, आपने तो आदेश दे दिया कि नहीं बनाया जायेगा । अब वह चंदगी राम जी के नाम से होगा ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

आपका रोल उसमें कोई रहेगा या नहीं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं रेफरी बन जाऊंगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, उस स्टेडियम की शुरूआत आपने की थी, उनका निर्माण इन्होंने रुकवा दिया था, माननीय कल्याण सिंह जी ने रुकवा दिया था, इसलिये निवेदन है कि एक नुमाइशी कुश्ती आप दोनों की वहां करा दीजिये, तो ठीक रहेगा ।

(हंसी)

श्री मित्रसेन यादव–

अब तो आपने इनको वहां से उठाकर यहां पर बैठा दिया है यह तो सबसे बड़ी कुश्ती हो ही गयी ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय नेता विरोधी दल ने सुझाव दिया कि पुरस्कार दिया जाये, हमने स्वीकार किया है । जो दंगल है, उसका उद्घाटन दारा सिंह करेंगे, चंदगी राम जी के नाम से वह स्टेडियम बन रहा है, सरकार की खेलों को प्रति पूरी रुचि है । हमने पूरी कोशिश की थी कि वह स्टेडियम बन जाने दें घोषणा कर चुके थे, लेकिन उसको नहीं बनने दिया गया, अब फिर शुरू हो गया है, वह चंदगी राम के नाम से रहेगा । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, निर्माण निगम उसे बनवा रहा है, उस पर दिन-रात काम करा दीजिये, ताकि वह 10 मार्च तक बन जाय । हम उसमें सभी को आमंत्रित करते हैं । माननीय नेता विरोधी दल को जरूर आमंत्रित करते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रस्ताव रख रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि यह सदन क्रिकेट के टेस्ट मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने का नया विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के लिये भारत के यशस्वी खिलाड़ी श्री कपिल देव को बधाई देता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

प्रदेश में लाटरी बन्द किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, लाटरी का बन्द होना प्रदेश में बहुत जरूरी है । लाटरी की वजह से बहुत से लोग बरबाद हो रहे हैं । (व्यवधान) लाटरी को बन्द किये जाने के संबंध में हमने 311 में सूचना दी है उसको ले लें ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

अभी माननीय खन्ना जी सवाल उठा रहे थे, मैं खुद ही घोषणा करने वाला था, वह यह है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्वयं संचालित 24 लाटरी योजनायें तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा प्राधिकृत/आर्गेनाइजर्स के माध्यम से संचालित लगभग 78 लाटरी योजनाएं चल रही हैं । इनके अलावा 3 प्राइवेट लाटरीज के संचालन की भी सूचना है । लाटरी व्यवसाय पर अब तक कोई नियंत्रण न होने के फलस्वरूप विभिन्न कुरीतियों एवं भ्रष्ट कार्यशैलियों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जैसे पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार की राशि न मिलना अथवा पुरस्कार राशि के भुगतान में हेरा-फेरी, पुरस्कार घोषणा की विधि एवं व्यवस्था में दोष तथा लाटरी टिकटों के नम्बर पर सट्टा खेला जाना आदि ।

उपर्युक्त कुरीतियों एवं भ्रष्ट कार्यशैली पर पर्याप्त अंकुश लगाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने अधिनियम बनाकर प्राइवेट लाटरियों तथा अन्य राज्य सरकारों/यूनियन टेरीटरी प्रशासनों/केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत लाटरियों को प्रतिबन्धित करने के निर्णय लिया है ।

प्रस्तावित अधिनियम के संगत प्राविधानों का उल्लंघन संज्ञेय अपराध माना जायेगा ; जो अजमानती होगा तथा दण्डस्वरूप रु० 2500 तक जुर्माना एवं/अथवा एक साल के कारावास की सजा दी जा सकेगी । अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार आपराधिक स्थानों की तलाशी एवं अपराध से संबंधित वस्तुओं का अधिग्रहण किया जा सकेगा ।

राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद भी स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अथवा अन्य राज्य सरकारों अथवा यूनियन टेरीटरी प्रशासनों द्वारा संचालित लाटरियां स्थापित रहेंगी ।

प्रदेश सरकार, अन्य राज्य सरकारों तथा यूनियन टेरीटरी प्रशासनों से विचार-विमर्श करके अवशेष लाटरी व्यवसाय की व्यवस्थाओं में यथा-आवश्यक सुधार लाने का प्रयास करेगी । उदाहरण के लिए लाटरी प्रणाली को दैनिक के स्थान पर साप्ताहिक बनाया जाना, टिकट के आखिरी अंक पर आधारित इनाम प्रणाली के स्थान पर आखिरी 3 अंकों पर आधारित इनाम प्रणाली लागू किये जाने पर विचार किया जा सकता है । उपर्युक्त तथा अन्य सुधारात्मक कदमों के बारे में अन्य राज्य सरकारों तथा यूनियन टेरीटरी प्रशासनों के साथ बात-चीत कर मतैक्य हो जाने पर कार्यवाही की जा सकेगी ।

प्राइवेट लाटरियों एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्राधिकृत लाटरियों को उपर्युक्तानुसार प्रतिबन्धित करने का कोई प्रतिकूल प्रभाव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वयं संचालित लाटरी से हो रही आय पर पड़ने की संभावना नहीं है ।

अब, मान्यवर, मेरी प्रार्थना है, माननीय नेता कांग्रेस, श्री प्रमोद तिवारी से भी मेरी बात हुई थी सारे कार्यक्रम शून्य प्रहर से समाप्त रहेंगे और नेता, विरोधी दल का भाषण, अभिभाषण पर सुन लें । माननीय खन्ना जी ने जो बात कहनी चाही थी वह मैंने कह दी है ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं पूरी बात सुन नहीं पाया । कृपया मुझे यह बता दें कि आखिरी नम्बर के संबंध में एवं दैनिक के स्थान पर साप्ताहिक बनाये जाने के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने क्या कहा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उसमें सुझाव आ रहे हैं और उसे देख लिया जायेगा ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं पूरी बात नहीं सुन पाया था ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय खन्ना जी आप अपने अन्य माननीय सदस्यों से इसकी जानकारी प्राप्त कर लें । सारे सदस्यों ने जान लिया है लेकिन आप नहीं जान पाये । आप अपने अन्य माननीय सदस्यों से इसकी जानकारी प्राप्त कर लें । वैसे यह कल अखबार में भी छप जायेगा ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं ।

आजाद काश्मीर को भारत वर्ष में मिलाने तथा पाकिस्तान को चेतावनी देने संबंधी प्रधानमंत्री के कथन विषयक प्रस्ताव को नियम 110 के अन्तर्गत रखे जाने की मांग

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं नियम 110 के माध्यम से एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं । मैं जानता हूं कि आप भी इससे सहमत होंगे और सम्पूर्ण सदन भी सहमत होगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

आप व्यवस्था बताइये, प्रस्ताव की बात मत कहिये ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं नियम 110 के अन्तर्गत प्रस्ताव रखता हूं, आपको उचित लगे तो अनुमति दीजियेगा ।

कल भारत की संसद के दोनों सदनों में दिनांक 22-2-94 को पाकिस्तान को चेतावनी दी है...

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, आप बैठ जाइये, पहले मेरी बात सुन लीजिये । मैं स्पष्ट कर दूं कि वर्तमान स्थिति जो सदन में है, उसमें कोई अव्यवस्था है, तो उस संदर्भ में आप कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन नये प्रस्ताव को लाने के लिये आप कोई व्यवस्था नहीं उठा सकेंगे । दूसरी बात अगर आपको प्रस्ताव लाना है तो उसकी कापी मुझे दीजियेगा । मैं नेता सदन और कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों से अथवा स्वविवेक से निर्णय लूंगा, उसके पश्चात् उस पर अनुमति दूंगा । आप मेरी बात कृपापूर्वक पहले सुन तो लिया करें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, नियम 110 बना, इसलिये है कि बिना सूचना के प्रस्ताव लिया जा सकता है, मैं कैसे आपको सूचना दे दूं ?

श्री अध्यक्ष–

आप मुझे बिना कापी दिये हुये यहां पढ़ भी नहीं सकते ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, नियमावली के नियम 110 को जरा देख लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

मैं कह रहा हूं, मेरी जानकारी के बगैर किसी चीज को पढ़ भी नहीं सकते ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जब आप सुनेंगे नहीं तो आपको जानकारी कहां से होगी ।

श्री अध्यक्ष–

पहले आप मुझे इसकी कापी दीजिये ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है और गुलाम काश्मीर को आजाद भारत में मिलाया जाय, जिसको विरोध करना हो करे ।

श्री अध्यक्ष–

नियम–110 में है । बिना सूचना के प्रस्ताव, निम्नलिखित प्रस्ताव यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दें, बिना सूचना के, किये जा सकते हैं लेकिन मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, पहले मेरे पास उसकी कापी आनी चाहिये ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका निर्णय ठीक है, लेकिन माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से चाहे वह कोई स्त्री, पुरुष, बच्चा हो, सब सहमत हैं और काश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय नेता विरोधी दल का नाम पुकारे जाने पर कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है और आजाद कश्मीर को भारत वर्ष में मिलाने के लिये हम प्रधान मंत्री जी के कथन से सहमत हैं और पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं कि वह भारत के अन्दरूनी मामलें में दखल देना बन्द करे ।

*नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, जहां तक भारत के अन्दरूनी मामलों में किसी भी विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप का प्रश्न है, हम दुनिया के किसी भी शक्ति को भारत की अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं दे सकते । यह हमारा राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता का प्रश्न है, राष्ट्रीय अखण्डता और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्न है । जहां तक कश्मीर का प्रश्न है । कश्मीर नाम की कोई समस्या नहीं है । कश्मीर कल भारत का अभिन्न अंग था और आज भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा हमेशा भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा । दुनिया की कोई भी शक्ति भारत से अलग नहीं कर सकती । समस्या अगर है तो मात्र एक तिहाई कश्मीर की है जो पाकिस्तान के कब्जे में है । मैं चाहता हूं कि भारत सरकार कोई ऐसा कदम उठाये, ताकि वह जो एक तिहाई कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में पड़ा सिसक रहा है, वह भी भारत का अभिन्न अंग बन जाये । मैं यह भी मानता हूं कि अगर भारत सरकार इतनी दृढ़ता का परिचय दे और ऐसा कोई कदम उठाये जिससे एक तिहाई कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में पड़ा सिसक रहा है वह गुलाम कश्मीर भी आजाद हो करके भारत का अभिन्न अंग बन जाये । तो मैं और मेरी पार्टी भारत सरकार के इस कदम की पुरजोर समर्थन करेगी ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

आप सब बैठ जायें, मैं सबकी बात सुनूंगा । सबसे पहले जो हमारे तिवारी जी ने बात कही है उसे मैं मानता हूं । आपका प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है और सारा सदन इससे सहमत है लेकिन जो नियमावली की बात कही, तो सुन लीजियेगा । नियम–110 में निम्नलिखित प्रस्ताव, यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दें, बिना किसी सूचना के लिये जा सकेंगे–संवेदना या बधाई प्रस्ताव, उपवेशन स्थगित करने का प्रस्ताव, अजनबियों को हटाने का प्रस्ताव , समितियों के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव, किसी विधेयक या संकल्प या प्रस्ताव या उस पर संशोधन को वापस लेने का प्रस्ताव, किसी कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव, वाद-विवाद को समाप्त करने का प्रस्ताव, किसी नियम के निलम्बन का प्रस्ताव, किसी उपवेशन की कालावधि बढ़ाने का प्रस्ताव, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव ।

श्री प्रमोद तिवारी–

इसकी क्या आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष–

नियम की बात आप कह रहे हैं, मैं बोलवाऊंगा, मैं बोलवाने के लिये तैयार हूं, लेकिन नियम की बात का उल्लेख मत करिये ।

(कई मा० सदस्यों के बोलने से व्यवधान)

* श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, आप मेरी बात सुन लें, आपने मुझसे कहा आपकी बात सुन ली । माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रमोद तिवारी जी ने बात रखी है और यह जो इनके प्रस्ताव का हिस्सा है वह कोई डिवेट का विषय नहीं है, उसमें कोई बहस नहीं है । कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, इस पर न हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर न कहीं और यहां कोई बहस करने के लिये हम तैयार नहीं है । केवल बिना मतलब के नया मुद्दा बहस के लिये रखा गया । हम इस पर कोई डिवेट करते नहीं है, इस पर कोई डिवेट हुई नहीं है न पाकिस्तान के साथ अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर न और कहीं हुई है । लेकिन आजाद कश्मीर का जो मसला है, हिन्दुस्तान को आजाद हुए इतने दिन हो गये अभी तक वह हिस्सा एक तिहाई गुलाम पड़ा हुआ है । आज देश के प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द निकला है संसद में, तो इसमें इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है । हमको इस बात का क्षोभ है कि भारत को आजाद हुए इतने दिन हो गये हैं और हमारे पास इतनी शक्तिशाली फौज है जो दिल्ली के हाथ में है, वह हिस्सा आज तक आजाद हो जाना चाहिये था ।

हम यह कहना चाहते हैं कि हमारा जो हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसको मुक्त करने के लिए भारत सरकार अविलम्ब कदम उठाये और उसे पाकिस्तान के शिकंजे से मुक्त कराये । केवल शब्दों का इस्तेमाल करने से कोई काम चलने वाला नहीं है । आज जो दखलन्दाजी हो रही है, केन्द्र सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर कमजोर पड़ रही है, सरकार दबाव में आ रही है, अनेक रूपों में दबाव में आ रही है और दबाव तो बरदाश्त हो सकते हैं परन्तु भारत की एक इंच भूमि को लेने के संबंध में किसी भी दबाव को बरदाश्त नहीं किया जा सकता है । हम बधाई न देकर, इस सदन के द्वारा चेतावनी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और आगाह करें, कि जो हमारा हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वह भारत के हिस्से में हो, ताकि हमारी जो शक्तिशाली फौज है, उसका मनोबल ऊंचा हो और उसे अविलम्ब पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराये ।

(श्री मित्रसेन यादव व कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपा पूर्वक बैठ जायं । माननीय श्री मित्रसेन यादव जी आज बैठ जायं । पहले मेरी बात को सुन लिया जाय । अभी इस प्रकरण पर माननीय मुख्य मंत्री जी के विचार आ गये, माननीय नेता विरोधी दल के विचार भी आ गये और स्वयं तिवारी जी, आपके विचार भी आ गये । मैं नियमों को शिथिल करते हुए श्री तिवारी जी, आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा, कि आप प्रस्ताव पेश करें, जिससे विधिवत् नियमों में उसे बांधा जा सके और प्रस्ताव को पास कराया जा सके ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, यह कोई बात नहीं है ।...

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, [x x x]

(जनता दल, कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर शोर/व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

ठीक है, मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं ।....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर शोर/व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आपको संशोधन भी स्वीकार करना पड़ेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है ।...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए कह दिया है ।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जब कोई प्रस्ताव पेश होगा, तो हमारे नियमों में प्राविधान है कि उसका संशोधन भी पेश हो सकता है। माननीय नेता विरोधी दल ने अपने विचार प्रकट करते समय एक महत्वपूर्ण बात जोड़ी। उन्होंने कहा जो हिस्सा काश्मीर का पाकिस्तान के कब्जे में है उसे छुड़ाने का प्रयास करना चाहिये। अभी तक ऐसा प्रयास नहीं हुआ, इसके लिये भारत सरकार की खिंचाई और माननीय नेता जनता दल ने बड़े जोरदार शब्दों में इस बात पर बल दिया, कि जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है उसे छुड़ाने का उल्लेख किया जाना चाहिये। इसलिये माननीय प्रमोद तिवारी जी के प्रस्ताव में इन भावनाओं को प्रतिबिम्बित करने के लिये संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। मेरा सुझाव है, अभी तक परिपाटी भी रही है, माननीय नेता सदन ने कदाचित इस बात पर ध्यान नहीं दिया, जो शासन की तरफ से ऐसे प्रस्ताव आते हैं हमारा प्रयास होता है सर्वसम्मति से पास हों वह सभी नेताओं से परामर्श करके प्रस्ताव करते हैं। अच्छा होगा, आप पहले प्रस्ताव को मंगा कर नेताओं से परामर्श कर लें और आवश्यकता हो, तो प्रस्ताव को रि-ड्राफ्ट कर लें अन्यथा, उसमें माननीय कल्याण सिंह जी और माननीय नेता जनता दल किरन पाल सिंह जी की भावनओं का समावेश आवश्यक है। मुझे अफसोस है कल जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, पाकिस्तान को धिक्कार रहे थे (व्यवधान) वह यही कह रहे थे। मेरा सुझाव है कि प्रस्ताव की ड्राफ्टिंग देख लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने सुन लिया अब आप बैठ जायं। (श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर) (व्यवधान) माननीय वर्मा जी को सुन लूं (व्यवधान) आपको भी सुनूंगा उसके बाद।

श्री राम आसरे वर्मा–

नियम 110 के अन्तर्गत माननीय प्रमोद तिवारी जी ने प्रस्ताव रखा, माननीय नेता सदन ने भावना भी व्यक्त कर दी। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि कौन सी ऐसी नयी बात इस प्रस्ताव में माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कही है जिसके पीछे समय बर्बाद किया जा रहा है। मान्यवर, आपने उसे अस्वीकार कर दिया, स्पष्ट रूप से कहा था अनुज्ञा नहीं दी जाती। मान्यवर, अब उसके बाद ऐसा लगता है चोर की दाड़ी में तिनका। यह समझ में नहीं आ रहा है कि आज ही यह राष्ट्रीय भावना क्यों पैदा हुई आज से पहले क्यों नहीं समझ में आया ? चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत यह चरितार्थ कर रहे हैं। जब आपने प्रस्ताव को रखने की अनुमति नहीं दी।

श्री अध्यक्ष–

आपकी व्यवस्था की बात आ गयी, अब आप बैठ जायं। (व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

यह राष्ट्रीय भावना का मखौल माना जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

मैंने सुन लिया माननीय वर्मा जी (व्यवधान) आप बैठ जायें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लिया जाय।

* लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, यह राष्ट्रीय गौरव का प्रश्न था । कल लोक सभा में स्पीकर साहब यह प्रस्ताव लाये थे और सभी दलों ने बिना किसी राजनीतिक विवाद के सर्वसम्मति से पारित किया और अपने देश के जवानों का मनोबल ऊंचा करने के लिये और पाकिस्तान के सिर में थोड़ी सी खराबी आ रही है उसे ठीक करने के लिये । हम सब लोगों को सोचना चाहिये कि जो बातें कर रहे हैं इस बात का प्रेस भी संज्ञान ले रहा है, दूसरे लोग भी ले रहे हैं । तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय विवाद के विषय नहीं होते । ऐसे मसलों पर अनुरोध है माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता सदन मिल कर, बैठकर कोई प्रस्ताव ले आये । यह विदेश नीति से संबंधित प्रश्न है इसे राजनीति से जोड़ना मैं समझता हूं उचित नहीं है । इस पर कोई विवाद न किया जाय । आप सब नेताओं की बैठक बुला लें, यहां पर जो प्रस्ताव लाना हो । जहां तक भावना का संबंध है उत्तर प्रदेश भारत का हृदय है, पाकिस्तान की किसी भी, जो काश्मीर के बारे में, जो गलत बयानी होगी उसमें उत्तर प्रदेश विधान सभा क्या उत्तर प्रदेश का एक-एक बच्चा मुंहतोड़ जबाब देने के लिये, केन्द्र सरकार को समर्थन देने के लिये हर वक्त तैयार रहेगा ।

[11 बजकर 20 मिनट]

मान्यवर, जो भावना व्यक्त की गयी है इसमें कोई बहस और विवाद नहीं होना चाहिये । इसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना चाहिए और विवाद का मुद्दा इसको नहीं बनाना चाहिये ।

श्री मित्रसेन यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विषय श्री प्रमोद तिवारी जी ने रखा है उस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए और न किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए । लेकिन जो उन्होंने पहला पक्ष रखा है कि अतिक्रमण अंग है, इससे संदेह होता है । इसलिये इन्हें यह कहना चाहिए कि आजाद कश्मीर को मुक्त कराना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आपकी अनुमति हमें मिल चुकी है ....।

(घोर व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ... ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी आपकी मंशा क्या है, वह स्पष्ट आनी चाहिए ।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय प्रमोद तिवारी जी प्रस्ताव के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं जिसकी आपने अनुमति दे दिया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पूरा देश, पूरा प्रदेश और पूरा सदन इसमें एक मत है कि कश्मीर हमारा था, है और रहेगा और पाकिस्तान की दखलंदाजी किसी भी स्तर पर बरदाश्त नहीं की जाएगी। इसमें श्री प्रमोद तिवारी जी को आपने अनुमति दे दिया है किन्तु जब हम सब एक हो गये हैं, पूरा सदन सहमत है, तो प्रस्ताव पेश करने की जरूरत नह । लेकिन आप अनुमति दे चुके हैं, आप पेश कराना चाहते हैं और हम सब सहमत हैं, तो आप कहे कि सदन की भावनाओं से केन्द्र सरकार को अवगत करा देंगे।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के ऊपर सभी दलों के माननीय नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और इस मूल भावना से सभी सहमत हैं कि काश्मीर के मामले में पाकिस्तान की दखलंदाजी बरदाश्त नहीं की जाएगी और इस बात से सहमत हैं कि जो 1/3 काश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान में है जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान के पास है उसको आजाद कराने के लिए ठोस कदम उठाये जाएं।

मान्यवर, आपसे मेरी दो प्रार्थनायें हैं। एक तो आप इन सभी भावनाओं को अपनी ओर से सदन की भावनाओं से केन्द्र सरकार को अवगत करा सकते हैं जैसा माननीय नेता सदन ने कहा है। इसलिये इसमें औपचारिक प्रस्ताव की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि प्रस्ताव की बात है तो मेरा सुझाव है कि कोई मतभेद न रह जाए चूंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिये सदन के अन्दर उचित नहीं है बल्कि प्रस्ताव सदन की ओर से यदि करना है तो नेता सदन द्वारा सभी दलों के नेताओं को बुलाकर बैठक करके निर्णय ले लिया जाए। जो मैंने भावना व्यक्त की है उसको केन्द्र तक पहुंचा दें और प्रस्ताव लाने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है किन्तु अगर प्रस्ताव लाना है .....(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नेता सदन का बड़ा आभारी हूं ....

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ....

श्री अध्यक्ष–

तिवारी जी ने वापस ले लिया है, अब इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मेरी व्यवस्था की बात इसी से सम्बन्धित है, इसलिए प्रश्न उठा रहा हूं, आप सुन तो लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

जो आप कह रहे हैं, कहना चाहते हैं, उसी को मैं कहने जा रहा हूं, आप बैठ जाइये।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आप कार्यवाही उठाकर देख लें, आपने उनको प्रस्ताव लाने की अनुमति नहीं दी है, इस पर आपकी ओर से कोई अनुज्ञा नहीं दी गई है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता सदन का हृदय से आभारी हूं, उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरी भावना से अपनी सहमति व्यक्त की है और नेता विरोधी दल ने भी सहमति व्यक्त की, और सदन का भी यह मत है इसलिए मैं सदन के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं और जैसा कि सुझाव आया है आप सबकी ओर से आया है कि काश्मीर के मामले में पाकिस्तान की दखलन्दाजी बन्द की जाए, भारत सरकार इस मामले में पहल करे और भारत के अन्दरूनी मामलों में पाकिस्तान दखल देना बन्द करे । आजाद काश्मीर को आजाद कराने के लिए और भारत के अविभाज्य अंग आजाद काश्मीर को भारत में मिलाने के लिए और भारत की सार्वभौमिकता की रक्षा के लिए वह प्रयास करे । तीसरे काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, इन तीन बिन्दुओं पर सदन की भावना से आप केन्द्र को अवगत करा दें । बस ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अभी माननीय तिवारी जी ने जो बिन्दु सदन के समक्ष प्रस्तुत किया था, उस सन्दर्भ में बहुत कुछ कह दिया । प्रस्ताव का जहां तक प्रश्न है इसलिए कह दिया था कि किसी तरह नियम में बांधकर इस प्रस्ताव को हम जनता तक पहुंचा दें, लेकिन अब चूंकि प्रस्ताव को अपने वापस करते हुए.....

श्री प्रमोद तिवारी–

नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

यहीं बात तय हुई प्रस्ताव को वापस करते हुए .....

श्री प्रमोद तिवारी–

नहीं नहीं, यह नहीं है.... (व्यवधान)

(श्री प्रमोद तिवारी व श्री नरेश चन्द्र आदि तमाम कांग्रेस पार्टी के सदस्य खड़े हो गये और खड़े होकर बोलने लगे ।)

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, मान्यवर, यह बात आ गई कि जो भावना व्यक्त की थी । तो न तो वापस का सवाल न पेश का सवाल । सारे नेताओं की, सारे सदन की भावना आ गई है, आप उसे भारत सरकार तक पहुंचा दें । यही आपको कहना चाहिए था कि भारत सरकार तक पहुंचा देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

यही मैं कहने जा रहा था, लेकिन तिवारी जी सुनना ही नहीं चाहते हैं । "व्यवधान" आप सुन तो लें, मेरी बात सुन तो लिया करिये । ऐसा है मैंने अभी जो बात केन्द्र की की थी ....

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

इन्होंने अभी यही कहा था, कि जो अभी सूचना दी है, उसको वापस कर रहे हैं ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने अभी कहा कि जो बिन्दु सदन के सामने उपस्थित किया गया उस सन्दर्भ में माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य सभी नेताओं की बात, उनकी मंशा, उन की भावनाएं सदन के समक्ष आयीं और उससे सब लोग सहमत हैं तो मैं अब इसे प्रस्ताव के रूप में न लेकर प्रस्ताव की कोई आवश्यकता न समझते हुए इन सब भावनाओं को जनता तक पहुंचा दिया जायेगा, भावनाओं से सहमत हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आप मेरी भावनाओं से सहमत हो गये, कृपया आप इस रूलिंग पर कायम रहिये। आपने प्रस्ताव में रखी भावनओं को स्वीकृत किया, मैं इसके लिये आपका आभारी हूं।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, सवाल इस बात का है कि माननीय तिवारी जी की भावनाओं से हम सबने अपनी भावनाएं जोड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने बतलाया न कि पूरे सदन की भावनाओं से सहमत हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अभी 311 में बहुत चर्चा होनी है, मैं उसमें आप सबको सुनूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

गुप्ता जी, आप याचिका प्रस्तुत करें उसके बाद 311 को टेक अप कर लेंगे।

महर्षि दधीचि की तपोस्थली मिश्रिख तीर्थ, सीतापुर के पवित्र तीर्थ के सुधार तथा सुन्दरीकरण किये जाने विषयक श्री गया प्रसाद मिश्र आदि की याचिका †

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से महर्षि दधीच की तपोस्थली मिश्रिख तीर्थ, सीतापुर के पवित्र तीर्थ के सुधार तथा सुन्दरीकरण किये जाने विषयक, श्री गया प्रसाद मिश्र, निवासी-सरैंया मैनासी, सीतापुर, श्री सर्वराज सिंह तथा श्री बृजकिशोर अवस्थी निवासीगण-ग्राम व पोस्ट बनरवां, सीतापुर आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

नियम 300 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को नियम 311 के अन्तर्गत लिये जाने की मांग

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है । आप 311 की नोटिस लेने जा रहे हैं । प्रमोद तिवारी, राम आसरे वर्मा जी ने जो विषय दिया है वही विषय मैंने 300 में दिया है इसलिये मैं आपसे चाहता हूं कि आप मेरी सूचना को भी 311 में ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय यादव जी, मैंने जब कह दिया, कि सारे सदन की भावनाओं को....

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह 311 की बात कह रहे हैं यह कह रहे हैं कि जो नोटिस प्रमोद तिवारी जी ने 311 में दिया है । तीन लोगों ने दिया है उसी विषय की सूचना उन्होंने 300 में दी है । अतः यह चाहते हैं कि इनकी सूचना को भी 311 में ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

300 भी सुनूंगा, सुन लूंगा । अभी आप लोग शान्त रहें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप 311 में किस को सुनेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश है, उसको एक मिनट में हो जाने दीजिये, उसके बाद शुरू करेंगे ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 21 फरवरी, 1994 की अपनी बैठक में सदन के दिनांक 22 फरवरी, 1994 से 6 मार्च, 1994 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

[सदन के दिनांक 22 फरवरी, 1994 से 6 मार्च, 1994 तक के उपवेशनों का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :–

फरवरी, 1994	
22 मंगलवार	निधन के निर्देश ।
23 बुधवार	(1) श्री कपिल देव, क्रिकेट खिलाड़ी को विश्व कीर्तिमान स्थापित करने पर बधाई प्रस्ताव (प्रश्न काल के उपरान्त) । (2) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

24 गुरुवार	श्री राज्यपाल क अभिभाषण पर चर्चा ।
25 शुक्रवार	
26 शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
27 रविवार	
28 सोमवार	

मार्च, 1994

1 मंगलवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।
2 बुधवार	असरकारी दिवस ।
3 गुरुवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (अन्तिम दिन) ।
4 शुक्रवार	1–असरकारी दिवस (आधा दिन) ।
	2–विधायी कार्य (आधा दिन) ।
5 शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
6 रविवार	

2–दिनांक 22 फरवरी, 1994 को केवल निधन के निर्देश हों और प्रश्नकाल न रखा जाय तथा नियम 51, नियम 56, नियम 300, नियम 301 तथा नियम 311 के अन्तर्गत कोई सूचना न ली जाय ।

3–दिनांक 23, 24 फरवरी, 1994 तथा 1 मार्च एवं 3 मार्च, 1994 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दिनों में नियम 56 की सूचनायें न ली जायं ।]

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य-मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों के संबंध में, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, से सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति के संबंध में जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री द्वारा किया गया है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–9 पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, नियम–311 का क्या हुआ ?

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य-मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, नेता विरोधी दल को बोलना है उनको हम लोग भी सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो शून्य प्रहर की कटौती कर लें और नेता विरोधी दल को बुलवा लें।

डा० सरजीत सिंह डंग–

इस सदाशयता के लिए धन्यवाद।

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के प्रबन्ध बोर्ड पर तथा उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइब्ज कौंसिल में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो-दो सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम तथा श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का सुझाव

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

एक सूचना सदन को देनी है। गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों तथा उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइब्ज कौंसिल में कार्य करने के लिए यू० पी० नर्सेज एण्ड मिडवाइब्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइब्ज, आग्जिलियरी नर्स मिडवाइब्ज एण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1934 की धारा–4 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के उपखण्ड (II) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों, जिनमें एक महिला सदस्य होगी, के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :–

1–नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तिथि तथा समय	मंगलवार, 1 मार्च, 1994 को अपराह्न 4.00 बजे तक,

2–नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	बुधवार, 2 मार्च, 1994 को अपराह्न 3.00 बजे (सचिव, विधान सभा के कक्ष में),
3–नामों की वापसी की तिथि तथा समय	शुक्रवार, 4 मार्च, 1994 को अपराह्न 4.00 बजे तक,
4–निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान	शुक्रवार, 11 मार्च, 1994 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.30 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा ।

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जायेगा ।

उक्त निर्वाचन सम्बन्धी नाम-निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किए जा सकते हैं ।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

अध्यक्ष जी, मेरा सुझाव यह है कि यदि मा० नेता सदन सहमत हो जाएं तो इन समितियों के लिए आपको नामांकन का अधिकार दे दें । यह सदन आपको यह अधिकार दे दे ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

ठीक है, मैं सहमत हूं ।

सर्वसम्मति से श्री अध्यक्ष को नामांकित करने के लिए प्राधिकृत किया गया ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य चीनी निगम की आठ इकाइयों के अधिग्रहण से हजारों मजदूरों एवं किसानों में व्याप्त आक्रोश के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल ने नियम 311 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य चीनी निगम की 8 इकाइयों के अधिग्रहण से हजारों मजदूरों एवं किसानों में व्याप्त आक्रोश के संदर्भ में सूचना दी है अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप संक्षेप में अपनी बात रखें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आज जिस विषय को लेकर हम अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं वह किसानों और मजदूरों की रक्षा का अत्यन्त महत्वपूर्ण सवाल है । आज इस सवाल को लेकर मान्यवर पूरे प्रदेश का मजदूर, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् आंदोलित है 8 दिसम्बर से इसी मुद्दे को लेकर विधान सभा के समक्ष धरना चल रहा है । इस सरकार के पूर्व में भी जब डाला सार्वजनिक उपक्रम को निजी हाथों में बेचा गया था तो भी मजदूरों ने आंदोलन किया था ।...

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात कृपया 5 मिनट में ही समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

ठीक है । तो मान्यवर, उस सरकार ने चीनी निगमों को बेचने का फैसला कर लिया और फैसला मंत्रि-परिषद् में पास हो गया और एक कमेटी श्री अरबिन्द वर्मा (आई० ए० एस०) की अध्यक्षता में गठित कर दी गई, जिसमें केन कमिश्नर भी थे । उस रिपोर्ट पर अमल नहीं किया गया और जनता की जो गाढ़ी कमाई है उसको बरबाद किया जा रहा है । यह कहा जा रहा है कि यह मिलें जर्जर हो चुकी थीं और किसानों के गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा था । मान्यवर, प्रदेश के गन्ना किसानों एवं श्रमिकों के हितों एवं अन्य जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए निजी मिल मालिकों से अधिनियम संख्या 23/1971 के अधीन अधिग्रहण किया गया था तथा इसे संचालित करने के लिए चीनी निगम को सौंपा गया जबकि प्रदेश की 8 चीनी मिलों मुण्डेरवा, वैतालपुर, बाराबंकी, बुढ़वल, नवाबगंज, घुघली, नेकपुर, बरेली, मलियाना (मेरठ) जिन्हें निजी क्षेत्र में देने का निर्णय लिया गया है उन मिलों में वर्ष 1989 में विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए प्रत्येक मिलों में कम से कम 5 करोड़ रु० खर्च हो चुके हैं ।

इन मिलों में अरबों की सम्पत्ति है । मेरठ के पास 85 एकड़ भूमि, बरेली मिल के पास 55 एकड़ बाद में 600 एकड़ और ली गई है । बाराबंकी के पास 75 एकड़ भूमि है । बस्ती के मुंडेरवा मिल के पास भी 100 एकड़ भूमि है । इतनी कीमती जमीनों एवं मिलों को निजी क्षेत्र में देना तर्कपूर्ण नहीं है । आप श्रमिकों एवं किसानों को गिरफ्तार करते हैं लेकिन मिल मालिकों को नहीं ।

इन सारी शुगर मिलों के पास करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति है । उद्योगपतियों ने चक्कर लगाना शुरू कर दिया है कि इनका मूल्यांकन कम मूल्य पर हो । जिस वैल्यू पर सरकार ने इन मिलों का अधिग्रहण किया था वह बहुत कम थी लेकिन आज इन मिलों में करोड़ों की सम्पत्ति है । विस्तारीकरण के लिये करोड़ों रुपया इन मिलों में लगाया जा चुका है । मुंडरेवा चीनी मिल में 5 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है । फाउंडेशन बन गयी है, प्लांट का आर्डर हो गया है । इसी प्रकार से यह जो 8 चीनी मिलें हैं इनमें सरकार का करोड़ों रुपया लग चुका है । इन मिलों को बेचने के संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई चर्चा नहीं की गयी । सरकार पूंजीवादी व्यवस्था को अंतिम रूप से स्वीकार कर चुकी है । जो मिश्रित अर्थ व्यवस्था बनायी गयी थी और पब्लिक सेक्टर तथा प्राइवेट सेक्टर दोनों को माना गया था, उसी नीति का उल्लंघन हो रहा है और पब्लिक सेक्टर को बंद करके उनकी सम्पत्ति को कौड़ियों के मोल पर बेचने का फैसला किया गया है । इससे महत्वपूर्ण और कोई सवाल नहीं है । हजारों मजदूर जो रैली में आये उन पर लाठी चार्ज हुआ है । स्थिति विस्फोटक है इस प्रस्ताव को आप स्वीकार करें ।

(श्री नरेश अग्रवाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने अभी जो कहा है उससे हटकर नये बिन्दुओं पर आप बोलें ।

*श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, निगमों का गठन जनता के हित के लिये होता है पूंजीपतियों के हित के लिये नहीं होता है । मैं किसी की नीयत पर कोई शंका नहीं करता लेकिन जिन 8 चीनी मिलों को बेचने का फैसला लिया गया है वह उचित नहीं है ! इन चीनी मिलों का अधिग्रहण क्यों किया गया था इसको आप देख लीजिये । इसका मुख्य कारण यह था कि जो इन मिलों के मालिक थे उन्होंने किसानों के करोड़ों रुपयों का भुगतान नहीं किया था । हरदोई शुगर मिल राज्य चीनी निगमों को जिस समय सौंपी गयी उस समय इसके मालिक पर किसानों का 2 करोड़ रुपया बकाया था । किसानों का आज तक बकाया जो है, उनको भुगतान नहीं मिला है । शंका यह पैदा होती है कि जिन चीनी मिल मालिकों ने करोड़ों रुपया किसानों का जब्त कर लिया, उन्हीं को यह सरकार चीनी मिलें सौंपने जा रही है । आज चीनी निगम ने लगभग 85 फीसदी गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है लेकिन जो पिछला बकाया है, जो मिल मालिकों पर बकाया है आज भी उसका भुगतान नहीं हो पाया है । अगर इन मिलों को प्राइवेट लोगों को दे दिया गया, तो क्या भविष्य में किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान हो पायेगा यह निश्चित नहीं है । जो मजदूर हैं वह बेकार हो जायेंगे । किसान घटतौली के शिकार होंगे । तुलसीपुर शुगर मिल के सम्बन्ध में आपकी पार्टी के विधायक रिजवान साहब ने एक सेंटर को चेक किया और वहां पर की जा रही घटतौली के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है यह विधायक की स्थिति हो गयी है इन निजी मिल मालिकों के सेंटर्स की चेकिंग के सम्बन्ध में । क्या गारंटी है कि प्रदेश के किसानों, मजदूरों के साथ आगे चल कर न्याय होगा । शंका पैदा हो गयी है, इसलिये 311 में प्रस्ताव दे रहे हैं ।

आपने मजदूरों पर लाठी चार्ज करवा दिया, गरीब लोगों पर लाठी चार्ज हो गया, आप इससे संतुष्ट हो गये, लेकिन जो इसमें घायल हो गये हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है । इसलिये मुख्य मंत्री जी आप घोषणा करिये कि यह जो 8 चीनी मिलें देने की नीयत बनायी है इसका क्या कारण है, क्यों आप दे रहे हैं ? मैं 311 के प्रस्ताव पर बल देते हुये अनुरोध करूंगा कि इसको स्वीकार करें इससे सरकार की स्थिति सामने आ जायेगी ।

*श्री प्रमोद तिवारी–

अध्यक्ष महोदय, मैं जहां तक समझ सका हूं कि यह चीनी मिलें लगातार घाटा दे रहीं थीं और इस घाटे को पूरा करने के लिये प्रदेश सरकार को धन देना पड़ता था । लेकिन मैं उनका ध्यान तीन बिन्दुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । लोकतंत्र में जब सरकारों का गठन होता है, तो वह कल्याणकारी सरकारें कहलाती हैं और उन्हें जनहित में कल्याण ारी कदम उठाना होता है । आज जो मौजूदा सरकार है, कल्याणकारी सरकार है, उसने जनता के कल्याण करने का वायदा किया है । ऐसी सरकारें व्यापारी नहीं हुआ करती है । उत्तर प्रदेश की सरकार व्यापारी नहीं है कि वह हानि-लाभ देखे । यह काम तो व्यापारियों का है कि वह अपने-आप को देखे कि कौन सा काम लाभ का और कौन सा काम हानि का है ? लेकिन जब मैं हजारों किसानों, मजदूरों को देखूंगा और उससे जुड़े लाखों किसानों को देखूंगा, तो यह रुपयों की हानि कोई माने नहीं रखती और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण लाखों लोगों की रोजी-रोटी है ।

माननीय मुख्य मंत्री जी, आज गन्ने का मूल्य बढ़ाया पी०वी०नरसिंह राव की सरकार ने, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं । लेकिन आपसे मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि आपने ए०टी०एल० को निजी लोगों के हाथ में सौंपा है, लेकिन आज तक प्रतापगढ़ के लोग समायोजित नहीं हो सके । माननीय

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुख्य मंत्री जी, जब आप उत्तर देने आयें, तो इस सम्बन्ध में बतायें कि हजारों मजदूरों को समायोजित करने के लिए क्या रणनीति बनाई है ? यह कदम कल्याणकारी राज्य के लिये उचित कदम नहीं होगा। कल को एक बात कही जा सकती है कि शिक्षा विभाग के जो विद्यालय हैं, शिक्षा विभाग का घाटे का बजट चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि सरकार इसको व्यापारियों को सौंप देगी ; कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जिसमें लाभ-हानि नहीं देखी जाती है, बल्कि जनता का हित देखा जाता है। घाटे पर चलने वाली मिलों के बारे में आइये मिल-जुलकर कोई रास्ता सोंचे। लेकिन इसको बन्द करके व्यापारियों को सौंपना उचित कदम नहीं होगा। इसलिये मैं नियम 311 के अन्तर्गत इसको लाया हूं। कृपया इस विचार को त्याग दें। आज फेडरेशन नहीं चला पा रहा है, तो आप व्यापारियों को दे रहे हैं। क्या गारंटी है कि व्यापारी इसको चला पायेगा। आपकी नियत साफ है, लेकिन इस पर पुनः विचार करने के लिए आग्रह करूंगा। लेकिन उन हजारों लोगों को अपने सामने रख लीजिएगा, लाखों किसानों को सामने रख लीजिएगा, जिनके गन्ने मिलों में नहीं पेरे जा रहे है, उनके गन्ने कोल्हू पर जा रहे हैं। सभी दलों के नेताओं को बुला लीजिए और इस पर विचार कर लीजिए। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, नियमों को शिथिल करके इस पर चर्चा करायें।

(श्री मित्रसेन के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं एक बात के लिए आपको सूचना दे दूं कि नियम 300 के अन्तर्गत आपकी इस सूचना को मैंने स्वीकार कर लिया है, तो आप उस पर बोल लीजिएगा।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, नियम 311 का विषय और जो मैंने सूचना दी है, उसका विषय एक ही है, इसलिए इसको परिवर्तित करके नियम 311 में कर दें और मुझे सुन लें।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए मैं आगाह करना चाहता हूं कि आपने यह नहीं सोचा कि 8–10 हजार मजदूर बेकार होने जा रहे हैं। आपका कहना यह सही है कि यह मिलें घाटे पर हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या घाटे को दूर करने के लिये कोई और उपाय नहीं है ? आप घाटे को दूर करने के लिये कितने विभागों को निजी क्षेत्र में दे देंगे, आप बिजली बोर्ड को निजी क्षेत्र में देने की सोच रहे हैं और सही प्रकार से तमाम विभागों को निजी क्षेत्र में देने की सोच रहे हैं, तो क्या इससे आप की समस्या दूर हो जायेगी। पहले आपने इनको अपने हाथ में लिया और फिर उन्हीं हाथों में देने जा रहे हैं, इससे गरीब मजदूरों और किसानों का शोषण होगा और उसको आप रोक नहीं पायेगें। इन गन्ना मिलों में आप डिस्टलरी लगा सकते हैं, उससे घाटा दूर हो सकता है।

मैं बताना चाहता हूं कि इनमें दो तीन मिलें ऐसी थीं, जो अपने घाटे को पूरा करने के लिये स्वयं डिस्टलरी लगाने के लिये सोच रही थीं। इस बारे में कोई कदम उठाने के पहले आपको इन मिलों में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखना होगा और उसको दूर करना होगा, तभी कुछ सम्भव हो सकता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रदूषण नियंत्रण के लिये संयंत्र लगाने लिए दो लाख रुपया खर्च होता है। श्री रणधीर सिंह डाइरेक्टर शुगर टेक्नालोजी हैं, वह प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाने में 10 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं और उसके कारण भी मिलें घाटे पर जा रही हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप चीनी लोड करने के लिये बोरा लेते हैं, वह आप सीधे फैक्टरी से नहीं लेते हैं, उसे आप पी०सी०एफ० के माध्यम से लेते हैं और इस कारण इसमें बहुत कमीशनखोरी होती है और

बोरे गलत ढंग से खरीदे जाते हैं और मिल में घाटा होता है, तो मजदूरों को निकाला जाता है, उनका शोषण किया जाता है ।

अगर किसान गन्ना नहीं पैदा करेगा तो मिलें कैसे चलेंगी, जो प्राइवेट लोग हैं वह गन्ना उत्पादकों का शोषण करेंगे । हमारी यह सरकार कल्याणकारी सरकार है, इसलिये मेरा निवेदन है कि घाटे के कारणों को जाना जाये, उनको बारीकी से जाना जाये और उसको दूर करने का प्रयास किया जाये । 8 मिलें हैं, उनमें डिस्टलरी लगायी जा सकती है । अभी हमारे एक साथी सदस्य ने कहा कि इन मिलों के पास कमर्शियल वैल्यू की जमीने हैं, तो उससे भी इनका घाटा पूरा किया जा सकता है, लेकिन इन सब बातों पर विचार न करके आप प्राइवेट सेक्टर में देने जा रहे हैं । पहले घाटे के कारण इनको अपने हाथ में लिया था और फिर उनको प्राइवेट सेक्टर में देने जा रहे हैं । इस प्रदेश की सरकार की क्या छबि बनेगी और प्रदेश के किसानों का क्या होगा, प्रदेश मजदूरों का क्या होगा, इसलिये आपसे आग्रह है कि आप इस पर पुनः विचार करें और आप इनको निगम के जरिये ही चलावें और मजदूरों की जिन्दगी और किसानों का शोषण रोकें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य सुन्दर लाल जी आपका नाम तो इसमें नहीं है । आप इस पर न बोलें । दूसरी जो सूचना है वह माननीय किरन पाल सिंह जी की है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर सूचना पर हों, उन्हीं को बोलने का अवसर दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

इस सन्दर्भ में पहले संसदीय कार्य मंत्री जी के विचार जान लें, या फिर तीनों को इकट्ठा ले लें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, एक-एक लें ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, जैसा माननीय जगदम्बिका पाल साहब, श्री प्रमोद तिवारी जी, श्री नरेश अग्रवाल जी तथा श्री मित्रसेन जी ने कहा ।

श्री अध्यक्ष-

आपकी आवाज तेज रहे जिससे सुनाई दे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह सही है कि राज्य चीनी निगम की घाटे में चलने वाली 8 ऐसी चीनी मिलें हैं जिनको निजी क्षेत्र में सौंपने का निर्णय लिया गया है और श्रीमन्, यह आज की परिस्थिति मैं और भी इस पर थोड़ा व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है । योजना आयोग के सामने न मालूम कितनी कोशिशों के बावजूद कुछ ले पाये और हमको यह भी जानकारी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय प्रमोद तिवारी जी या जो नेता हैं 8 चीनी मिलों के निजीकरण को योजना आयोग के समक्ष यह लोग अपनी सहमति दे आये हैं । श्रीमन्, यह जो किताबी सिद्धान्त हैं इसको लेकर कब तक चलाते रहेंगे ।

आज प्रदेश के जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं अगर यह देखा जाय तो सबसे ज्यादा विकास में कोई बाधा है तो सार्वजनिक क्षेत्र का घाटा है अरबों का और हमारी समझ में इस समय 50 अरब से ज्यादा यह होगा ।

श्री मित्रसेन यादव–

आपने इनकी शक्ल को साफ कर दिया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हमारी इनकी शक्ल एक है । हम भी चाहते हैं कि जो घाटे की मिलें है उनको निजी क्षेत्र में या मिश्रित क्षेत्र में सौंपने का निर्णय लेना ही पड़ेगा । हमारे जिले में बुढ़वल और बाराबंकी में दो चीनी मिलें हैं, वहां जब से प्राइवेट लाइसेंस मिल गया है तब से बाराबंकी और बुढ़वल चीनी मिल को कोई किसान गन्ना नहीं देना चाहता है । इसलिये कि वहां पर उनकी तौल अच्छी होती है, भुगतान समय से मिलता है, खेत जल्दी खाली हो जाते हैं । आज चीनी मिलों की ऐसी स्थिति हैं कि जो चीनी निगम का घाटा है वह और बढ़ेगा तो इसका फर्क देश और पूरे प्रदेश पर होगा । आखिर कब तक मरम्मत के लिए, भुगतान के लिए पैसा देते रहेंगे । इसलिए प्रदेश के हित में निर्णय लिया गया है कि 8 चीनी मिलों को निजी क्षेत्र को दे दिया जाय और साथ ही साथ यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि राज्य चीनी निगम की प्रश्नगत/प्रस्तावित 8 चीनी मिलों को निजी क्षेत्र में सौंपने के पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उनके अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान की जिम्मेदारी शासन द्वारा निर्वाह की जायेगी तथा यह भी प्रयास रहेगा कि नियुक्त कर्मचारियों को चीनी निगम में निहित होने के दौरान मिल रहे हितों में कोई ह्रास न हो । तो इसको भी ध्यान में रखा जायेगा कि जो कर्मचारी हैं उनको जो लाभ मिल रहा है उसमें कोई कटौती न होने पाये ।

इसलिए प्रदेश के हित में 8 चीनी मिलों को निजी क्षेत्र में लेने का निर्णय लिया गया है । कर्मचारियों को और जो किसान हैं उनके हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा जायेगा । मुझे पूरा विश्वास है माननीय तिवारी जी कि उत्तर प्रदेश के किसानों को हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा गन्ने का मूल्य मिल रहा है । मुलायम सिंह जी तो किसान के घर के हैं और नेता विरोधीदल भी जरूर किसान के घर के हैं लेकिन् उनको संकेत पता नहीं कहां से मिल रहा है । हमारी सरकार तो बड़े से बड़ा जोखिम उठाकर बड़े से बड़ा कदम उठाकर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए हर तरह से तत्पर रहेगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आप मेरी बात तो सुन लें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उन्होंने साफ कहा है । भारत सरकार की नीति है कि किसी की भी छटनी नहीं की जायेगी, एक भी मजदूर बेरोजगार नहीं होगा दूसरे इन चीनी मिलों को भरसक प्रयत्न करके अपने संसाधनों से अपने पैरों पर खड़े होने का पूरा प्रयास किया जायेगा । और किसी भी मजदूर को बेरोजगार नहीं होने दिया जायेगा । हमारा अनुभव दूसरा है, ए०टी०एल० का हुआ था, वहां लोग बेरोजगार हैं । हम चाहते है कि एक भी बेरोजगार न हो

इसकी गारंटी दें । उनके संसाधन को बढ़ाकर, पैरों पर खड़े होने का उन्हे आप मौका नहीं दे रहे हैं । इसके विरोध में मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

प्रमोद तिवारी जी एक मिनट सुनकर जाइये । माननीय प्रमोद जी, नरेश जी, जगदम्बिका पाल और मित्रसेन जी से यह कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से किसी भी मजदूर को कोई हानि नहीं होगी, समायोजन भी किया जायेगा । किसानों के हितों के लिये, अगर निगमों मे कमी आयी, सार्वजनिक क्षेत्र में कमी आयी तो इसकी हमको चिन्ता कम है, किसान प्रदेश के विकास की चिन्ता ज्यादा है । मित्रसेन जी जानते हैं कि सिद्धान्त चलाकर सोवियत संघ में क्या हो गया । इससे पहले 1989 में ऐसी नीति अपनायी थी, लेकिन हमारे बाद जो सरकार आयी, उस सरकार के बारे में मुझे नहीं कहना है, पता नहीं कैसी बात है कि 48 करोड़ रु० घाटा हुआ है और उसी डाला फैक्ट्री को साढ़े आठ करोड़ और देना पड़ेगा । ढाई सौ–तीन सौ करोड़ का डाला फैक्ट्री में घाटा है । यह कहा गया था कि एक-एक मजदूर नहीं निकाला जायेगा, मजदूर को बोनस और ज्यादा दिया जायेगा । डेढ़ साल में कितने विकास की बात चली, आग लगी, गोली चली, बरबादी हुई, कितना विकास हुआ । इसलिए सरकार की पूरी नीति निजी प्रकरण की है, सार्वजनिक क्षेत्र की नीति है । जो निजीकरण के परिणाम अच्छे नहीं होंगे उस नीति को नहीं स्वीकार करेंगे । हम अपने प्रदेश और जनता के खुशहाली के लिये, मजदूरों और किसानों के हित के लिये काम कर रहे हैं यह सरकार की पहली नीति है ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मुख्य मंत्री जी की ओर से कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं आया है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

निजी खरीददार हेतु यह कन्डीशन रखना प्रस्तावित है कि निजी क्षेत्र में जाने के अन्तर्गत छटनी नहीं की जावेगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

चूंकि यह स्पष्ट रूप से आश्वासन नहीं आया है, इसलिये मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रमोद तिवारी, नरेश अग्रवाल जी, जगदम्बिका पाल जी ने जो चीनी मिलों के सम्बन्ध में 311 के अन्तर्गत नोटिस दी थी, उसके सम्बन्ध में उनके विचार सुनें ...

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने दो आश्वासन दिये हैं एक तो इन चीनी मिलों के निजी क्षेत्र में पहुंचने के बाद किसी भी श्रमिक की छटनी नहीं होगी और उसको जितने लाभ उपलब्ध हो रहे हैं उनमें कोई कटौती नहीं होगी । दूसरा अश्वासन दिया है कि किसानों के हित को सम्मिलित किया जायेगा अर्थात् जो कुछ भी किसानों का बकाया आज भी है वह बकाया भी अदा किया जायेगा और उनके गन्ने की कीमत की यथासमय भुगतान की व्यवस्था की जायेगी । मैं केवल तीसरा आश्वासन यह चाहता हूं कि यह जितने सौदे हों, वह डाला चुर्क और चुनार सीमेन्ट कारपोरेशन की तरीके से न हों करोड़ों का माल कौड़ियों में चला गया । क्या यह सरकार यह आश्वासन देने की स्थिति में है कि उनको आज की कीमत पर खुली बिक्री के द्वारा दिये जाने हेतु मानक निर्धारण करेगी ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं नहीं कहना चाहता हूं, मा० हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डाला फैक्ट्री के सम्बन्ध में जजमेंट पढ़ा होता, तो यह बात नहीं कह सकते थे । सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया है कि सरकार को निजीकरण में ले जाने का अधिकार है । यदि किसी को शंका है कि सम्पत्ति कम हुई या ज्यादा हुई तो उसका परीक्षण करा लिया जायेगा ।

श्री कल्याण सिंह–

हम उस अधिकार को चुनौती नहीं दे रहे हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

जो आपने कहा कि दो कौड़ियों में बेंच रहे हैं तो कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

ए०टी०एल० के बारे में आपने क्या किया ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

तो बन्द क्यों नहीं किया ? हम लोगों को साफ दिल से सोचना होगा । 1985-86 में जब हम लोग इसके बारे में बोले, तब आप, बोले, हमने यह कहा था कि यह सफेद हाथी बन गये हैं और इसे खत्म करना चाहिए । मान्यवर, मैं पूरे सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि आज निगमों की जो हालत हो चुकी है उसे आगे नहीं चलाया जा सकता है । इसलिये सदन की अनुमति लेकर यह कहा गया है कि 10 करोड़ के ऊपर के जितने निगम घाटे पर हैं उसको बन्द करेंगे या फिर निजी क्षेत्र में सौंपेंगे । उस नीति का समर्थन किया गया । मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं हम सबको इस पर विचार करना होगा । माननीय मित्रसेन जी कोई सुझाव लायें तो उसे मानने के लिए तैयार हैं मगर अब इसमें बहुत बहस हो चुकी है और कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है । अब तो चीन ने भी शुरू कर दिया है अतः इसको बदलना होगा ।

श्री कल्याण सिंह–

जहां तक निजीकरण का प्रश्न है मैंने इसका विरोध नहीं किया है । मैं अच्छी तरह से यह अनुभव करता हूं कि जो निगम हमारे घाटे पर चल रहे हैं और अनेक निगमों में जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च करना पड़ रहा है । जो पैसा विकास के कामों पर होना चाहिए, जैसे पाठशाला है, सड़क हैं,

चिकित्सालय हैं वहीं पैसा आज इन घाटे के निगमों पर खर्च करना पड़ रहा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी एक कमेटी तैयार कर ली जाये जो यह वर्गीकरण करें कि कितने निगम बन्द होने चाहिए, कितनों में सुधार की आवश्यकता है और कितने चालू किये जा सकते हैं । हम निजीकरण के विरोध में नहीं हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि, जो चीनी मिलें निजी क्षेत्रों में बेची जा रही हैं उनका वैल्यूऐशन आज की परिस्थितियों के अनुसार किया जायेगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

हम उसकी पूरी समीक्षा करवायेंगे । जहां तक कीमत की बात है उसमें कोई हानि नहीं होगी ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैंने नियम 103 के अन्तर्गत एक प्रश्न उठाया था...

श्री अध्यक्ष–

पहले मेरी बात सुन लें । अभी चर्चा हो रही थी श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल व श्री जगदम्बिका पाल जी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 8 चीनी मिलों को निजी क्षेत्रों में सौंपे जाने से हजारों मजदूरों के बेरोजगार हो जाने एवं किसानों को व्याप्त घाटे के बारे में एक सूचना दी थी और चिन्ता भी प्रकट की थी, उसमें मैं यह समझता हूं कि यह नोटिस प्रस्ताव योग्य नहीं है और सारी शंकायें माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा व माननीय नेता विरोधी दल द्वारा भी निर्मूल कर दी गयी हैं इसलिए इसे निरस्त किया जाता है ।

डंकल प्रस्ताव समझौते पर केन्द्र सरकार से हस्ताक्षर न करने के लिए आग्रह विषयक दी गयी नियम 103 की नियम 311 में परिवर्तित सूचना

श्री अध्यक्ष–

अब मैं माननीय राम आसरे वर्मा जी द्वारा दी गयी अगली सूचना ले रहा हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव यह है कि "यह सदन राज्य सरकार से मांग करता है कि वह केन्द्र सरकार से आग्रह करे, कि डंकल प्रस्ताव के रूप में गैट समझौते पर हस्ताक्षर न करे" । यद्यपि डंकल का प्रस्ताव केन्द्र की सरकार से सम्बन्धित है लेकिन आज डंकल प्रस्ताव के नाम पर जिस तरह इस देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वह चिन्ता का विषय बना हुआ है । सारे देश में इसके खिलाफ आवाज उठने लगी है । मान्यवर, केन्द्र सरकार ने आर्थिक नीति में उदारीकरण का रास्ता अपनाया है, उस उदारीकरण के रास्ते के तहत हजारों विदेशी कम्पनियों को भारत की धरती की छाती को रौंदने के लिये आमंत्रित किया गया है । मुझे वह दिन याद आ जाते हैं, जब एक कम्पनी इस देश में पैर रखने की जगह मांगकर आई थी और उसका परिणाम हम सबको मालूम है, सैकड़ों साल के लिये देश गुलाम हुआ था और आज जब हजारों विदेशी कम्पनियां इस देश की छाती को रौंदने के लिये बुला ली जायेंगी तो उसका अंजाम क्या होगा ? मान्यवर, पूरा प्रदेश और पूरा देश इससे चिन्तित है ।

मान्यवर, डंकल प्रस्ताव किसानों की गर्दन का फंदा बन गया है, किसान अपनी उपज के मालिक बनकर कितने दिन रह पायेंगे, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है ? अनुसंधान के नाम पर जो खोज और विकास का सिलसिला चल रहा था, उस सिलसिले पर भी रोक लग जायेगी । बौद्धिक सम्पदा, जड़ी-बूटियों आदि का जो खजाना इस देश में है, वह सबके सब विदेशी कम्पनियों के नाम नीलाम हो

जायेंगे । इससे बड़ी बात यह है कि जब इस देश की छाती को रौंदने के लिये यह विदेशी कम्पनियां आ जायेंगीं तो जाहिर है कि हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता पर भी इसका असर पड़ेगा । आज इन सब बातों को लेकर सारा देश चिन्तित है । ऐसे समय में हमारे प्रदेश की सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है । अभी थोड़ी देर पहले कपिल देव के कीर्तिमान स्थापित करने पर पूरा सदन बधाई दे रहा था" मान्यवर, अगर डंकल के डंक ने इस देश को डस लिया...

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं, यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

मैं सुन रहा हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इनके बोलने के बाद मुझे स्पष्टीकरण का अवसर अवश्य दीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी, आप संक्षेप में बोलिये ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा यह प्रस्ताव नियम 103 के अन्तर्गत है । प्रमोद तिवारी जी आप जान लें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

यह 103 के अन्तर्गत नहीं आता ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मैंने प्रस्ताव किया है कि यह सदन राज्य सरकार से मांग करता है कि केन्द्र सरकार से वह आग्रह करे, कि वह डंकल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर न करें ।

[2 बजकर 20 मिनट]

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी मेरी बात सुन लीजिये, अगर आप कहते हैं कि नियम 103 की बात तो आप स्वयं नियमों को जानते हैं । (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर) पहले मेरी बात सुन लीजिये । ऐसा है कि आपका यह प्रस्ताव नियम 103 में स्वीकार तो मैंने किया नहीं है, उस प्रस्ताव को मैंने नियम 311 में परिवर्तित कर दिया था सुनने के लिये । अगर उस प्रस्ताव को यहां लाना होता तो फिर आप स्वयं जानते होंगे, उसका परीक्षण होता, कार्यमंत्रणा समिति में जाता और उसमें जब निर्णय हो जाता तो यहां आता ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

तिवारी जी आप बैठ जाइये ।

* नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

अध्यक्ष जी वास्तव में विषय बहुत गम्भीर है । गैट समझौते के अन्तर्गत डंकल प्रस्ताव किसानों की गुलामी का पैगाम हैं । ... (व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मेरी बात सुन लीजिये ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, हम लोगों की बातों में व्यवधान पैदा करने की इतनी छूट न दी जाये, इस प्रवृत्ति को रोकिये । जब मान्यवर, आपने किसी को अनुमति दे दी है तो उसको सदन सुने ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन् एक सुझाव देना चाहता हूं, कोई भाषण नहीं देना है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मेरी बात सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

क्या नेता विरोधी दल के बोलने पर कोई व्यवस्था का प्रश्न है ?

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मेरी बात पूरी नहीं हुई और बीच में ही व्यवस्था का प्रश्न कहां से आ गया ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी बैठ जाईये, गलत परम्परा मत डालिये । पहले नेता विरोधी दल को सुन लीजिये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, पहले मेरी बात सुन लीजिये, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

यह गलत बात है, आप बैठ जाइये, आपकी कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, मैं कतई नहीं सुनूंगा । पहले नेता विरोधी दल बोलेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कल्याण सिंह–

अध्यक्ष जी, मैं कोई भाषण देने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं एक सुझाव देने के लिये खड़ा हुआ हूं। गेट्स समझौते के अन्तर्गत डंकल प्रस्ताव के बारे में पूरे देश भर में एक चिन्ता बनी हुई है। हमारे देश की आर्थिक आजादी पर ग्रहण लगने की सम्भावना है। हो सकता है कुछ माननीय सदस्य उसके पक्षधर हों और हम विरोध कर रहे हैं। इसलिए माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की ओर से एक गैर सरकारी प्रस्ताव आपके पास यहां पहुंच चुका है। जिसमें यह लिखा गया है कि यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि डंकल प्रस्ताव को अमान्य कर दे। इस गैर सरकारी प्रस्ताव पर सभी माननीय सदस्यों व नेताओं को अपने विचार रखने का मौका मिलेगा। जो उसके पक्ष में बोलना चाहेगा वह पक्ष में बोलेगा और जो विरोध में बोलना चाहेगा वह विरोध में बोलेगा, ताकि जनता के सामने वह उजागर हो जायं। इस पर आप खुली चर्चा करवा दें। इस प्रकार टुकड़ों में उसे न लिया जाय।

* श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल हमारे एक वरिष्ठ नेता हैं और नेता सदन भी रह चुके हैं। आपने श्री वर्मा जी को अनुमति भी दे दी। वह अपनी आधी बात खत्म भी कर चुके थे। माननीय श्री कल्याण सिंह जी को यह सुझाव नहीं देना चाहिए था। मैं समझता हूं कि उन्होंने यह सुझाव सोच-समझ कर नहीं दिया है। आपने प्रस्ताव पर श्री वर्मा जी को बोलने की अनुमति भी दे दी। वह अपनी आधी बात समाप्त भी कर चुके थे, थोड़ी बात उनको और कहनी थी। कल क्या आयेगा, अगले हफ्ते क्या आयेगा, उसका नोटिस आज लिया जाना आवश्यक नहीं है। अनुमति देते समय आपने अपना विवेक इस्तेमाल किया होगा। यह एक महत्वपूर्ण बात है। एक बात शुरू हो चुकी है तो उस पर आप श्री वर्मा जी को सुन लें। सारा देश आज इससे परेशान है, किसान परेशान है। जो इसे जानता हो, वह भी इससे परेशान है और जो नहीं भी जानता है वह भी इससे परेशान है। इस डंकल प्रस्ताव पर और इस गेट्स समझौते के बारे में आमतौर पर देहातों में किसानों में भय व्याप्त है।

श्री अध्यक्ष–

आप चर्चा के विषय में न जायें।

श्री किरन पाल सिंह–

यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के सामने। इसलिए इस पर श्री वर्मा जी को आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

पहले आप मेरी बात तो सुन लें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आपने मेरी सूचना को नियम–311 के अन्तर्गत परिवर्तित कर लिया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, नियम–103 को आप देख लें । जिसमें लिखा है "संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर अध्यक्ष की सम्मति से किये गये प्रस्ताव के बिना सामान्य लोक हित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी ।"

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, इसमें अध्यक्ष की सम्मति से जुड़ा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य आप पहले श्री तिवारी जी की बात को तो सुन लीजिये । यदि आप उनकी बात से सन्तुष्ट न हों तो तब आप अपनी बात कहें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप दूसरों को तो नियमों में सुन ले रहे हैं, परन्तु मुझे नहीं सुन रहे हैं । आप मेरे प्रस्ताव को तोड़-मरोड़ रहे हैं । आप मेरे प्रस्ताव को अन्यथा ले रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

श्री वर्मा जी आप जो कह रहे हैं, वही मैं भी कहने जा रहा हूं । नियम–103 में लिखा हुआ है " लोक हित के किसी विषय पर प्रस्ताव द्वारा चर्चा–संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर अध्यक्ष की सम्मति से किये गये प्रस्ताव के बिना सामान्य लोक हित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी ।" आप देखें मैंने आपकी चर्चा को नियम 311 में इसलिए कनवर्ट किया, लिखित है, आप अपनी बात भी कह लें, आप जो कहना चाहते हैं वह भी कह लें और नियम 103 की बाध्यता से दूर हट जायं (व्यवधान) आप 311 में कह लीजियेगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

यही मैं कह रहा हूं । (व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दी शिरोधार्य है । मैं अपनी बात इस संबंध में इस समय कहना भी उचित समझता हूं । नियम 311 का तात्पर्य यह होता है कि नियमों को निलम्बित करके प्रस्ताव लाया जाय । नियमों का निलम्बन करने का प्रस्ताव आप मेरी नोटिस देख लें, उसमें लिखा है, प्रस्ताव के रूप में दिया है और आपने अनुमति भी दे दी । फिर भी जो व्यवस्था दी है उसे शिरोधार्य करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप जो कह रहे हैं, उसके लिए मद संख्या कौन सी डालें, (व्यवधान) मद संख्या क्या होगी ?

श्री राम आसरे वर्मा–

मद संख्या होगी 311 की ।

श्री अध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर बोलें 311 पर ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मैंने निवेदन किया आपने व्यवस्था दे दी वह शिरोधार्य है। डंकल प्रस्ताव ने सारे देश में हलचल मचा दिया है उससे देश की आजादी को खतरा पैदा हो गया है। ऐसा लगता है केन्द्र सरकार भारत को दुनिया के किसी चौराहे पर नीलाम करने जा रही है। सदन के सामने भी यह बात है, मैंने इसे प्रस्ताव के रूप में रखा है ताकि पता लग जाय इस देश को नीलाम करने में कितने हाथ उठाते हैं और कितने हाथ नहीं उठाते हैं। इस देश को गुलाम बनाने के लिए एक ईस्ट इण्डिया कम्पनी आयी थी और सैकड़ों साल तक उसी वजह से हम गुलाम रहे। उस एक कम्पनी की गुलामी के बन्धन से छुड़ाने के लिए जिस पार्टी और जिस झण्डे ने भी जन्म लिया वे सब एक हुए थे आज उसी पार्टी के झंडे के नीचे देश को गुलाम बनाने का सामान जुटाया जा रहा है। मैं मांग करता हूं यह सरकार कहे डंकल प्रस्ताव पर जो अप्रैल में हस्ताक्षर करने जा रहे हैं वह हस्ताक्षर न करें। यह बहुत अहम सवाल है इसको नजरअंदाज कर दिया गया तो अभी थोड़ी देर पहले देश के मस्तक पर गौरव का तिलक लगाने की जो बात कह रहे थे तो अगर डंकल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हो गये तो इससे देश का सिर झुक जायेगा। यह देश की आजादी के साथ जुड़ा हुआ है। इस पर चर्चा के लिए आप अनुमति दें, यह मेरी मांग है और सरकार से मेरा आग्रह है कि यह सरकार केन्द्र सरकार से कहे कि इस पर हस्ताक्षर न करें।

श्री अध्यक्ष–

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर) माननीय तिवारी जी आप खड़े हैं कुछ कहने के लिए, किस नियम के अन्तर्गत और क्या कहना चाहते हैं ?

श्री प्रमोद तिवारी–

इस सदन की सामान्य परम्परा रही है जब किसी दल का नाम लिया जाय तो उस दल को स्पष्टीकरण करने का अधिकार होता है आप नियम देख लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

आप सुन लीजिये, आपने मुझसे कहा था स्पष्टीकरण का अधिकार दूंगा, मैं स्पष्टीकरण के अधिकार पर बल देता हूं। आजादी की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने लड़ी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मा० तिवारी जी यदि आप स्वयं अपने भाव प्रकट कर सकते हैं तो दूसरों को भी अपने भाव प्रकट करने दें। तत्पश्चात् यदि स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो अनुज्ञा लेकर देंगे।

श्री किरन पाल सिंह–

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री प्रमोद तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि जो अति महत्वपूर्ण देश एवं जनहित के मामले हैं उनके संबंध में दलगत आधार पर यहां न कहें। मान्यवर, कोई विषय विवादित है और उस पर अभी विचार हो रहा है तो इस सदन में उसमें यहां बात रख दी जाये, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। मान्यवर, यह डंकल प्रस्ताव और पेटेंट ला और उसके बाद गैट समझौता यह विस्तृत विषय है। हमें

इस बात को स्वीकार करने में कोई शर्म और हिचक नहीं है कि इसके बारे में और देश के बारे में गहराई से गिने चुने लोग ही असलियत को जानते हैं। लेकिन मुझ जैसे लोग भी यहां बैठे हैं जो मोटे तौर से इस अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता जो हो रहा है। उसका हमारे देश पर क्या प्रतिभाव पड़ेगा उसका हम लोग अंदाजा अच्छी तरह से लगा रहे हैं।

मान्यवर, जो बड़े-बड़े विकसित देश इसमें अगुवा हैं जैसे अमेरिका, यूरोपियन देश वे आज इस स्थिति में हैं कि वे हमसे 100–150 साल आगे हैं और हमारा देश 100–150 साल पीछे है। आज उन देशों की शर्तों पर अपने यहां अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार करें तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे, इसलिए इस पर गम्भीर होकर विचार करने की जरूरत है कि इस समझौते से देश के किसानों पर क्या असर पड़ेगा ? विकसित देशों का दबाव यह है कि छोटे-छोटे किसानों को जो छूट, सब्सिडी मिलती है उसको समाप्त किया जाये और उसके बाद जब उत्पादन बाजार में जायेगा तो वह महंगा बिकेगा। इसलिए हमको यह भी देखना है कि बाजार में जाने वाला उपभोक्ता जेब में क्या रखता है ?

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, लाल बत्ती न जलायें।

श्री अध्यक्ष–

मैं ग्राह्यता पर सुन रहा हूं। यह चर्चा नहीं है। श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में आप अधिक कह लेना। अब आप समाप्त करें।

श्री किरन पाल सिंह–

ठीक है, मैं समाप्त कर रहा हूं। लेकिन कहना चाहता हूं कि डंकल प्रस्ताव से किसानों की बरबादी साफ नजर आ रही है। उपभोक्ता के सामने विकट समस्या आने वाली है। इसके साथ ही बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या देश के सामने आने वाली है। यदि यह समझौता लागू हुआ तो इस देश में जो गरीब लोग हैं, जो बीमार हैं उनके पास अपना इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता तो बिना इलाज के मर जायेंगे चूंकि इससे दवाइयां और अधिक महंगी हो जायेंगी और वन सम्पदा के नाम पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा स्टेट्स विकास की दृष्टि से वैसा नहीं है जो इससे लाभ उठा सके, उल्टे नुकसान काफी होगा। आप समय ज्यादा देते तो मैं इसको स्पष्ट करता। हमारा इससे स्टेट्स उस स्तर का नहीं है, जिस स्तर का उन देशों का है जिनके साथ हम समझौता कर रहे हैं। हमारा दल भी इसके विरुद्ध संघर्षरत है और सारे देश में इसका प्रबल विरोध हो रहा है, रैलियां चल रही हैं। किसानों के सामने इससे बड़ी समस्या पैदा हो गयी है। यह लागू हो गया तो देश गुलाम हो जायगा। हमारी संघीय सत्ता पर इससे आंच आयेगी। इसलिए आप वर्मा जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसको मान लीजिये। आप मुझे समय देते तो मैं बताता कि इसके साथ जो तिवारी जी की समस्या है उसका भी समाधान हो जाता। इस मामले को दलगत आधार पर नहीं लेना चाहिए। वर्मा जी के प्रस्ताव पर-विचार करके निर्णय लिया जाय। इसका लागू होना देश के हित में नहीं होगा। आप इससे सहमति व्यक्त कीजिये। और इसको स्वीकार किया जाय।

(श्री जगदम्बिका पाल व अन्य कई सदस्य एक साथ बोलने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

आपका कोई नोटिस नहीं है। जिनका नोटिस है, उन्हीं को बुला रहा है। दूसरे किसी को नहीं।

श्री जगदम्बिका पाल–

अब मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, उसे सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

हर बात पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं आना चाहिए, हर प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं होना चाहिए । इस तरह करियेगा तो कोई कुछ सुन ही नहीं पायेगा ।

व्यवधान (कई तरफ से सदस्य एक साथ बोलते रहे जिससे व्यवधान होता रहा)

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, डंकल प्रस्ताव के लागू होने से देश में भयंकर बड़े परिणाम होंगे । तटकर और व्यापार पर आम समझौता यानी गैट के प्रस्ताव लागू होने के कुछ साल बाद देश में 10 करोड़ छोटे और सीमान्त किसान खेती-बाड़ी से बाहर हो जायेंगे । उन्हें मजबूरन रोजी रोटी की तलाश में शहरों की ओर भागना पड़ेगा । साथ ही गैट समझौता लागू होने से केवल सात साल बाद भारत में भूखे लोगों की संख्या मौजूदा 20 करोड़ से बढ़कर 24 करोड़ हो जायेगी । जो देश आज इसका समर्थन कर रहे हैं, वही देश 1986 में इसका विरोध कर रहे थे (व्यवधान) मान्यवर, आज यूरोपीय देश, अमेरिका, कनाडा समुदाय के देश जो आज विकसित देश हैं, उनके पास इतना अनाज सरप्लस है कि आज उनके सामने संकट यह है कि वह यह अनाज कहां डालें । ये देश डंकल प्रस्ताव को लागू करके हमारे गरीब देशों के ऊपर अपने अनाज को क्षोप देना चाहते हैं मनमानी शर्तों पर । हमारे किसानों पर वह उसे थोपने का प्रयास करेंगे । इससे हमारे जो छोटे और सीमान्त कृषक हैं, उसको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । उसको अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिलेगा तो धीरे-धीरे वह खेती करना बन्द कर देंगे । जिस तरीके से आज अमेरिका आदि देशों ने अपने किसानों के लिए सेट असाइड नीति लागू की है, उससे वहां के जो किसान खेती-बाड़ी नहीं करेंगे उन्हें मुआवजा दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष–

देखिये, इसे इस तरह आप पढ़िये नहीं ।ऐसा है आपने इसे लिखकर दे दिया है । इसे पढ़ें नहीं ।

श्री राकेश सचान–

किसान भी परेशान हो जायेगा और उसकी मजदूरी भी खत्म हो जायेगी घर-बार छोड़कर शहर की ओर रोजी-रोटी कमाने के लिए भागना पड़ेगा । मान्यवर, इस तरह से किसानों के ऊपर गुलामी का फन्दा डाला जा रहा है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदेश में कैसी स्थिति लाना चाहते हैं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इस संबंध में.....

श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

मान्यवर, हमें भी तो सुनिये । हमारी बात दो मिनट भी नहीं सुनी जाती है । यह कांग्रेस के सदस्य ही सारे दिन बोलते रहते हैं, हमें तो अपनी बात कहने का मौका तक नहीं दिया जाता है ।

(कई सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायं, इनकी बात तो सुन लीजिये ।

* श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

आप इन्हें अनुमति नहीं देंगे । तिवारी जी को बैठने को कहें तो मैं भी बैठ जाऊंगा । मान्यवर, यह सदन के नियमों के विरुद्ध है । किसी को आप इतनी देर-देर तक सुनते हैं और किसी को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं देते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप मेरी बात तो सुन लीजिये । मैं माननीय तिवारी जी से यह कहूंगा कि आप स्वयं नियमों के ज्ञाता हैं और स्वयं अपनी भावना सदन के समक्ष रखेंगे लेकिन अधिकार दूसरे लोगों को भी है कि वह सदन में अपनी भावनाओं को रख सकें । अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात को दूसरे लोग सुनें और नियमों के अन्तर्गत सुनें तो फिर दूसरों की बात को भी आप सुनें । अगर किसी सदस्य ने आपके भाषण के बीच में, आपकी बात के बीच में टोका हो और स्पष्टीकरण किया हो तो फिर आपको भी चाहिए स्पष्टीकरण दें । हर दल के सदस्य अपनी भावनाओं के अनुरूप और अपनी सरकार की नीति के अनुरूप सदन में अपनी भावनाओं को रखते हैं उसका स्पष्टीकरण माननीय संसदीय कार्य मंत्री या माननीय नेता सदन ही प्रस्तुत करते हैं । स्पष्टीकरण के लिए किसी दूसरे दल के सदस्य को नहीं बोलना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

मान्यवर, आप इन्हें बोलने की अनुमति न दें । यह बैठ जायं तो मैं भी बैठ जाऊंगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अभी कहा कि बोलिये और उसके बाद नहीं बोलने देंगे । इस तरह से सदन नहीं चलेगा ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप मेरे इस प्रस्ताव पर चर्चा तय करा दीजिये । माननीय प्रमोद तिवारी और कांग्रेस के नेता जो कुछ वह बोलना चाहें उस समय बोल लें ।

(घोर व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को आधे घण्टे के लिए स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने 2 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित कर दी ।

3 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री अशोक बाजपेयी के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे माननीय राम आसरे वर्मा व साथी किरन पाल सिंह व अन्य साथियों द्वारा डंकल के प्रस्ताव पर चिन्ता जो प्रकट की है चूंकि इस प्रस्ताव का मेरे दल से सीधा संबंध है, इसलिए उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी तक तो भारत की संसद ने ऐसा कोई कानून बनाया है। विभिन्न अवसरों पर हमारे प्रधान मंत्री जी ने, वाणिज्य मंत्री जी ने भी इस पर अपने विचार प्रकट किये हैं और यह स्पष्ट कर दिया है कि डंकल प्रस्ताव की कोई भी ऐसी शर्त नहीं मानी जायगी जो भारत के हितों के विपरीत हो। दूसरे जब यह समझौता हो जायगा, तो इस पर भारत की संसद में चर्चा होगी उस पर सभी राजनैतिक दल इस प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करेंगे और उन्हें पूरा समय मिलेगा इस पर अपने विचार रखने का।

डा० सरजीत सिंह डंग–

अधिष्ठाता महोदय मैं यह बात कहना चाहता हूं कि श्री तिवारी जी किसके बिहाफ में बोल रहे हैं न तो यह भारत सरकार के मंत्री हैं न तो यह प्रधान मंत्री हैं.....

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह डंग जी के मुंह का परीक्षण करवा लें। कहीं इनके मुंह में कोई रोग तो नहीं हो गया है।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने व्यवस्था दे दी है। अब आप लोग शान्त रहिये।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

यह आपकी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं यह सदन का अपमान कर रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं इस संबंध में प्रधान मंत्री जी के कथन को दोहराना चाहता हूं कि उन्हीं शर्तों को ग्राह्य किया जायगा जो भारत के हित में होगी। जहां तक मान्यवर, डंकल प्रस्ताव की बात है यह पूर्ण रूप से केन्द्र का विषय है। और यह देश के सम्मुख आयगा। मुझे गर्व है कि मैं ऐसी पार्टी का सदस्य हूं जिसने हमारे देश को आजादी दिलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही ऐसा दल है जिसने देश को सही मार्ग दिखाया है। मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर यह बातें यहां पर न कही गयी होतीं तो मेरे बोलने का औचित्य नहीं था चूंकि यह बातें कार्यवाही में आ गयी हैं इसलिए मुझे जवाब देना पड़ रहा है।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि तिवारी जी बोल लें उसके बाद अपनी बात रखें। बीच में टोका-टाकी करेंगे तो सदन का समय जाया होगा। तिवारी जी आप संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरे दल की सरकार, जिसका शासन केन्द्र में है उसने राष्ट्र के हितों के विरुद्ध न तो कोई समझौता किया है और न आगे करेगी चाहे उसके लिए कितनी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े ? जब यह समझौता हुआ था तो उस समय इस देश के प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिला हुआ था और उसी की बैशाखी पर वह राजनीति में थे। हम उस दल के लोग नहीं हैं जिसके गृह मंत्री ने अपनी बेटी को बचाने के लिए खतरनाक आतंकवादियों को छोड़कर देश के स्वाभिमान को गिरवी रखा था।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तिवारी जी, जो विषय सदन में विचाराधीन है केवल उसके संबंध में बोलें, आप विषयान्तर न हों।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने तिवारी जी को बुलाया है, उनको अपनी बात कह लेने दें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं अपनी बात पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि जो राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है उसका निर्वहन हमारे दल ने किया है। हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी सरकार केन्द्र में है, कोई भी ऐसा समझौता कभी स्वीकार नहीं करेगी, जो देश के हित में न हो। हमारे दल का कोई प्रधान मंत्री कभी इस तरह से विदेशी ताकत के सामने घुटने नहीं टेकेगा, जिस तरह से तत्कालीन विदेश मंत्री ने मानवाधिकार आयोग को यहां आने की इजाजत देकर काश्मीर की समस्या खड़ी की। एक बात दोहराते हुए फिर कहना चाहता हूं कि डंकल प्रस्ताव में कोई भी ऐसी शर्त हम स्वीकार नहीं करेंगे, जो भारत के किसानों के हितों के विपरीत होगी। हम उन्हीं शर्तों को स्वीकार करेंगे, जो भारत के किसानों के लाभ के लिए होंगी।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है।

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी की समझ के ऊपर तरस आ रही है, तरस, इसलिये आ रही है कि ....

(घोर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह कोई व्यवस्था का सवाल है ?

(घोर व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, एक सत्तारूढ़ पार्टी की दो पलियां आपस में सौत की तरह से लड़ रही हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये। मुझे आपने अनुमति दी है ?

श्री अधिष्ठाता–

वर्मा जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

हमारे माननीय सदस्य सभी वरिष्ठ सदस्य हैं। सदन की यह परम्परा रही है कि जो व्यक्ति माननीय सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके संबंध में सदन में चर्चा न की जाय और इस संबंध में जब भी कोई इस तरह की बात उठती है, तो निश्चित रूप से टोका-टोकी होती है। इस संबंध में तिवारी जी ने कोई नाम

लिया, और वर्मा जी ने उस पर आपत्ति की । आज बहुत विषय हैं, इसलिये इसको आगे बढ़ाना उचित नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे अनुमति दी थी, मैंने एक वाक्य कहा था, उसके बाद व्यवधान शुरू हो गया ।

श्री अधिष्ठाता–

हम आपको समय देंगे आप अपनी बात रख लीजिएगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे अनुमति दिया था, मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ था, एक वाक्य बोल पाया था, उसके बाद व्यवधान पैदा हो गया ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपको औचित्य के प्रश्न पर अनुमति दी थी ।

(घोर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है .....

श्री राम आसरे वर्मा–

व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिये आपने मुझे आज्ञा दी थी । आपने मेरे व्यवस्था के प्रश्न को नहीं सुना । मेरे बोलने पर व्यवधान ही होता रहा ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको भी समय दूंगा और उनको भी समय दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय नेता कांग्रेस पार्टी हैं और जो उनकी पार्टी के सदस्य हैं, उनकी समझ पर मुझे तरस आ रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

उन्हें अपनी बात को कहने दें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मैंने एक बात यहां पर कही, कि आजादी की लड़ाई हुई ....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

वर्मा जी, अब आप बैठ जायें ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री राम आसरे वर्मा–

आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी ने लड़ी थी और आज महात्मा गांधी की भावनाओं की हत्या की जा रही है, इनके दल के प्रधान मंत्री हैं ....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने भाषण की अनुमति नहीं दी है। आप केवल व्यवस्था पर बोलें। आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह तोड़ मरोड़ कर बात को पेश करते हैं। असलियत कुछ और है और कहते यह कुछ और हैं।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आप मेरी व्यवस्था को सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना आसन ग्रहण करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना आसन ग्रहण करें। आपको हम समय देंगे, कृपया आप बैठ जायें। इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं।

(व्यवधान)

श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

मान्यवर, यहां पर चर्चा हो रही थी डंकल प्रस्ताव पर, लेकिन मैं समझता हूं कि लोग आपस की नोकझोक पर रह गये थे। मान्यवर, डंकल प्रस्ताव के अन्दर बौद्धिक सम्पदा का पेटेन्ट कानून आ गया है तथा यह कृषि पर लागू हो गया है इसमें बीज पौधे और पशु आ गये हैं। अब किसान बीज लेने के बाद जो बीज उत्पादन करेगी उसको दुबारा नहीं बो पायेगा। जिन वृक्षों का पेटेन्ट अमरीका में बन गया है, यद्यपि उनका उत्पादन भारत में होता है, उन वृक्षों से दवाओं का उत्पादन भारत में नहीं कर सकेंगे। यह पशुओं पर भी लागू होता है। अमेरिकन विधि से उत्पन्न जानवरों से हम दुबारा जानवर नहीं उत्पन्न कर सकेंगे। मान्यवर, हमें शंका है कि कहीं यह आदमियों पर न लागू हो जाय। इसको तोड़ने पर 3 साल की सजा या 10,000 रु० जुर्माना या दोनों की व्यवस्था है। इसके बाद किसानों को हम कोई सब्सिडी नहीं दे पायेंगे। जिससे हमारे यहां उत्पादन महंगा होगा। इतना ही नहीं हम अपनी खपत का 3.3 प्रतिशत अर्थात् लगभग 65 लाख टन गल्ला हमें विकासशील देशों से बिना आवश्यकता के आयात करना पड़ेगा इससे हमारी आर्थिक स्थिति चरमरा जायेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव पर गहन रूप से विचार किया जाय। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के लोग विधान सभा में बहुत अधिक समय लेते हैं

जबकि उनकी सदस्य संख्या कुल 28 है तथा दूसरे सदन संख्या के 6 प्रतिशत हैं इनको एक घंटे में साढ़े तीन मिनट तथा 6 घंटे में समय में कुल 21 मिनट मिलना चाहिए । सदन की संख्या के आनुपातिक आधार पर इन्हें समय दिया जाना चाहिए ।

(श्री ऊदल का नाम पुकारे जाने पर व्यवधान)

श्री ऊदल–

मान्यवर, आपने हमको बुला लिया है ये लोग तो बोलते ही रहते हैं इनको क्या पता है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी ने एक व्यवस्था दी थी कि जिनके नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं हैं, उन माननीय सदस्यों को सदन में नहीं बोलने दिया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने ऊदल जी को बुला लिया है वह एक पार्टी के नेता हैं उनके विचार आ जाय उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री जी के विचार आ जायं ।

* श्री ऊदल–

यह जो 311 के अन्तर्गत डंकल प्रस्ताव के बारे में जो यहां पर बातचीत हो रही है उसके संबंध में आपसे बहुत थोड़े ही शब्दों में और थोड़े ही समय में आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं । मान्यवर, इसमें किसी दल का प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न है पूरे देश का और पूरे देश की अर्थव्यवस्था का, इसलिए इस पर खुले दिल से विचार करने की आवश्यकता है । श्रीमन्, यह डंकल साहब हैं क्या यह प्रमोद तिवारी जी से पूछ लें, कि यह कौन हैं क्या थे ?

श्री प्रमोद तिवारी–

इनका नाम आर्थर डंकल है यह उस संगठन के महासचिव थे ।

श्री ऊदल–

यह जो आयात निर्यात का संगठन था दुनिया भर के लिये 40–45 देशों के लिये बना था उसके डायरेक्टर थे और श्रीमन्, आज यह जाते-जाते इस नतीजे पर आ गये हैं कि उन्होंने पिछड़े देशों के लिये 460 पन्ने का प्रस्ताव पेश कर दिया और उस प्रस्ताव को इन पिछड़े देशों को विचार के लिये भेज दिया । अमरीका का दबाव था । वे अमरीका के रहने वाले हैं । उस पौधे के बारे में हमारी सरकार और हमारे भाई कहते हैं कि उसमें जो हमारे देश के खिलाफ है उसको हमारी सरकार नहीं मानेगी । आप उन सब चीजों को दिखवायेंगे जो हमारे देश के हित में नहीं है । विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो संगठन हैं, वे जो कर्जा देते हैं वह अपनी शर्तों पर देते हैं । जितने पिछड़े हुए देश हैं उनको हर हालत में उन्हें मानना पड़ेगा । उस प्रस्ताव का असर हमारी कृषि व्यवस्था के ऊपर, हमारे उद्योग के ऊपर, हमारी वन सम्पदा के ऊपर जो जड़ी-बूटी पैदा हो जाती है उसके ऊपर और सबसे खतरनाक बात जो होने जा रही है वह बौद्धिक सम्पदा की है । जिसमें हमारे वैज्ञानिक लोग जो हैं जो शोध करके हर देशों को शोध-पत्र उपलब्ध कराते हैं वे उनके अधीन हो जायेंगे । हम अपने देश के लिये अपने वैज्ञानिकों से कोई

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शोध नहीं करायेंगे जब तक डंकल प्रस्ताव के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक उसकी इजाजत नहीं देंगे । हम अपने देश की हर सम्पदा के अमरीका के हवाले इस डंकल प्रस्ताव के माध्यम से करने वाले हैं । इसलिये यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सरकार की तरफ से इसका विरोध भारत सरकार को भेज देना चाहिए कि देश के खिलाफ कोई भी कार्यवाही जो डंकल प्रस्ताव में निहित है उसमें न की जाय और न स्वीकार की जाय ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

यह ऐसा विषय है जिसके बारे में हम लोगों को कोई अधिकार ही नहीं और जो सूचना उपस्थित की गयी है वे मेरी समझ में नियम संगत कदाचित नहीं है । नियम 311 में आप कौन सा निष्कर्ष निकाल लेंगे जो नेता विरोधी दल और उनके दल का संकल्प है उसके ऊपर चर्चा करके संकल्प पारित करके संदेश भेज सकते हैं । 311 में इस पर कितनी देर तक बहस हो गयी है नेता विरोधी दल को हम लोग सुनना चाहते थे जब यह बात आयी कि उनके दल का कोई संकल्प है । मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि यह भारत सरकार की जो उदारीकरण की नीति है और डंकल प्रस्ताव का जो प्रस्ताव है आपकी पार्टी के नेता अमरीका और यूरोप में जाकर यह कह आये हैं कि और जो अखबारों में छपा है । आर्थिक उदारीकरण की सराहना वे विदेशों में जा कर कर आयें और यह भी कह आये हैं कि नरसिंह राव जी जो हैं वे लाल बहादुर शास्त्री के बाद दूसरे भले प्रधान मंत्री हैं । यह बातें सभी लोगों ने जो राजनीति करने वाले हैं पढ़ी होगी । भावना तो यह रहती है कि वोट जिससे मिले, वही बात किया जाय नीति चाहे जो हो । डंकल ड्राफ्ट के बारे में जो हमारा स्टैंड सत्ता में आने से पहले था वह आज भी है । भारत सरकार की ओर से भी यह बयान आया है कि किसानों के हितों के खिलाफ किसी भी तरह का कोई अंश होगा उसे भारत सरकार नहीं मानेगी । इसी संदर्भ में मुख्य मंत्री जी ने भी प्रधान मंत्री जी से अनुरोध किया है कि मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाकर इस पर विचार किया जाय । प्रणव मुखर्जी जी की ओर से यह बात छपी है कि मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाया जाना स्वीकार कर लिया गया है । मा० मुख्य मंत्री जी बैठक में जायेंगे और उत्तर प्रदेश के किसानों के संदर्भ में अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे और अपना विरोध जतायेंगे, ताकि किसानों का अहित न होने पाये । इससे शोध कार्य भी प्रभावित होंगे । लेकिन उस पर हम लोगों को विश्वास करना चाहिए । लोकप्रिय सरकार दिल्ली में भी और आपकी भी है और हिन्दुस्तान में कोई भी राजनीति करने वाला किसानों के साथ विश्वासघात करके राजनीति नहीं कर सकता है । इसलिये मान्यवर, कदाचित् 311 में इसको विचार करने के लिये स्वीकार नहीं करना चाहिए । जो संकल्प आगे आने वाला है उस पर विचार हो जाये तो यह अनुचित बात नहीं होगी ।

श्री किरनपाल सिंह–

यह एक बड़ा ही गम्भीर मामला था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने केन्द्र सरकार की बड़ाई में ही अपना समय बिताया । हमारी जो मंशा थी उसको नहीं समझा । मैं और मेरे दल के लोगों ने इस जनहित के सवाल को उठाया था मगर इसको उन्होंने हल्केपन से लिया, इसलिये मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री किरनपाल सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(श्री मित्रसेन यादव भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि राजनीति के लिये नाटक नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी से बोलना चाहिए ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने मेरी पार्टी के बारे में कुछ टिप्पणी की है । मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी डंकल प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया । हमने सदैव उसका विरोध ही किया है । जैसा कि उन्होंने कहा कि बड़े भलेमानस हैं तो मैं भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भलामानस मानता हूं और उन्हें इस तरह की बेबुनियाद बात नहीं कहनी चाहिए थी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल काफी वरिष्ठ सदस्य भी हैं और विद्वान भी हैं । आर्थिक उदारीकरण नीति की सराहना आप लोगों द्वारा की गयी है और उसी का अंश है यह डंकल प्रस्ताव ।

श्री कल्याण सिंह–

मेरी पार्टी ने इस गलत आर्थिक नीतियों का समर्थन कभी नहीं किया । उदारीकरण के नाम पर उधारीकरण की नीति का हम सदैव विरोध करते रहे हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सच्चाई पर पर्दा डालने वाले फासिस्टवादी हैं यही इनकी नीति है और इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने नियम 311 के अन्तर्गत माननीय किरनपाल सिंह जी और माननीय राम आसरे वर्मा जी द्वारा दी गयी सूचना को सुना और इस पर जो विचार आये हैं वह नियम 311 के अन्तर्गत नहीं आते हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी इसमें मैंने सुना और मुझे लगा कि वह भी इसमें चिंतित हैं इसलिये यह सूचना निरस्त की जाती है ।

राज्य सरकार द्वारा साम्प्रदायिकता की तुष्टीकरण की नीति अपनाये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं अगली सूचना जो माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की है, ले रहा हूं ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, देश और प्रदेश के हितों को ताक पर रखकर इस वर्तमान सरकार ने साम्प्रदायिक ताकतों के तुष्टिकरण की पराकाष्ठा कर दी है और उसका परिणाम यह हुआ कि जहां एक ओर साम्प्रदायिक ताकतों ने देश और प्रदेश में विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ाया वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी ताकतों को गहरा धक्का लगा है । मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं । जो आरोप लगाया गया है उसके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रकरण में कहना चाहूंगा । आपके संज्ञान में भी यह मामला है । 6 दिसम्बर को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाया गया था । एक ढांचे के गुलामी के निशान को खत्म करके श्री राम जी के मंदिर के निर्माण का कार्य प्रशस्त किया गया । उस मामले पर केन्द्र सरकार ने कुछ काम किया और वहां 70 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया और इसके साथ ही साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक मामला संदर्भित किया । मामला यह संदर्भित किया गया कि ढांचा ढहने से पहले वहां मंदिर था कि नहीं । अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई प्रारम्भ हो रही है । मान्यवर, ढांचा ढहने के स्थान पर जो चीजें खुदाई में निकली हैं, उन साक्ष्यों को देखकर न्यायपालिका भी इस निर्णय पर पहुंच रही है कि वहां श्री राम का मंदिर था अन्य कोई चीज नहीं थी, इस बात को जानकर उत्तर प्रदेश सरकार के मन में एक बात पैदा हुई । साम्प्रदायिक ताकतों, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कितने दबाव में यह सरकार है, इसी के तहत सरकार ने एक ऐसा गलत, अप्रासंगिक और देश के राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करने वाला काम किया । पहला तो यह कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील को निर्देशित कर दिया कि आप जाकर अधिग्रहण के मामले का विरोध करो और दूसरा यह कि अनुच्छेद 138(2) के तहत यह सम्पूर्ण मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाय ।

मान्यवर, यह सौंपने का तात्पर्य क्या है, इसका औचित्य क्या है ? मान्यवर, वहां जो चीजें निकलीं, जिनसे यह साफ हो गया कि वहां मंदिर था, इसीलिये जानबूझकर इन ताकतों को बढ़ावा देने की नीयत से उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने पुराने वकील को हटा दिया और नये वकील को निर्देशित कर दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि यह निर्णय परसों-नरसों किया गया होगा, जब इसकी जानकारी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोगों को मिली तो अयोध्या में जहां पर 70 एकड़ जमीन की सुरक्षा हेतु त्रिस्तरीय बाड़ लगायी गयी थी, उसको उन्होंने काट दिया और 70 एकड़ जमीन में प्रवेश करके श्री रामलला की मूर्ति को ध्वस्त करने की साजिश बनाकर रास्ता साफ किया । आश्चर्य की बात तो यह है कि यह उस दिन हुआ, जिस समय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री अयोध्या में किसी कार्यक्रम में गये हुए थे और वहां भारी सुरक्षा के अन्तर्गत पुलिस, पी० ए० सी०, केन्द्रीय सुरक्षा बल लगे हुए हैं । इन ताकतों का हौसला कैसे बढ़ा, यह प्रोत्साहन देने वाली बातें क्या थीं जिसके तहत उन लोगों ने 5 फीट तार काटकर रास्ता प्रशस्त कर लिया । अभी कल की घटना है, मुजफ्फरनगर में हिन्दुओं की हिन्दू संगम के नाम से एक विशाल रैली हो रही थी, जो कल शाम 5 बजे के लगभग खत्म हुई । रैली खत्म होने के बाद जो लोग थे, वह जब अपने घरों के लिये चले तो अंसारी रोड, सरवर गेट होते हुए जब वह बकरा मार्केट होते हुए हौज वाली मस्जिद के पास पहुंचे तो पूर्व नियोजित, सुनियोजित षड़यन्त्र के तहत उन पर फायरिंग शुरू हो गयी, पत्थर फेंके जाने लगे, इस घटना में दर्जनों व्यक्ति घायल हो गये, 3 की हालत चिन्ताजनक है । लेकिन अफसोस की बात है कि उस समय तक जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब से 15 मिनट पहले तक की जानकारी है कि उन हमलावरों में से एक भी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार करने का साहस नहीं किया ।

मान्यवर, साहस क्यों नहीं किया ? क्योंकि वे एक विशेष समुदाय के हैं । वे लोग जिस समुदाय, जिस उपासना पद्धति के मानने वाले हैं उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, अगर उनको पकड़ लिया जायेगा तो सरकार का दृष्टिकोण उनके प्रति क्या होगा, यह वहां के एस० पी० और डी० एम० सोच रहे हैं । मुजफ्फरनगर के कातिलों को जानबूझकर मान्यवर, नहीं पकड़ा जा रहा है । यह वही स्थान है जब "राम ज्योति" वहां से निकल रही थी तो उसको उलट दिया गया था बड़ा संवेदनशील स्थान है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर वहां रैली हो रही थी, शासन की अनुमति से रैली हो रही थी और यह मालूम था कि इस रास्ते से रैली निकलेगी तो सरकार ने सुरक्षा की क्या व्यवस्था की ? कौन सा इंतजाम किया ?

कानपुर में काला बच्चा मारा गया उसके तीन घण्टे बाद पुलिस हरकत में आयी, रैपिड एक्शन फोर्स 5 घण्टे बाद वहां पहुंचा, जब लखनऊ से निर्देश दिया गया। मान्यवर, इस प्रकार की गम्भीर बात को ध्यान में रखते हुए, हमें इस बात की आवश्यकता है कि सरकार अपने साम्प्रदायिकता के सामने घुटने टेकने की नीति को त्यागे और उत्तर प्रदेश के वृहत्तर ध्यान में रखकर यह जो स्टैण्ट सरकार ने 138 (2) में लिया है, यह उचित नहीं है। 6 दिसम्बर, 1992 को ढांचा ढहाये जाने के बाद वहां से घण्टा, घडियाल, शंख जो मंदिर में होता है, यह प्राप्त हुए हैं, जिसको साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है और इतिहासकार भी इस बात को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को स्वीकार करने के मूड में मालूम देती है। इसलिये जनता की भावना को ध्यान में रखकर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होना चाहिए।

इसलिये मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि जानबूझकर जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं उनको रौंदने का कुचक्र सरकार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। मैंने 311 पर सूचना दी है और उसकी ग्राह्यता पर बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इस पर आप विस्तार से चर्चा करायें।

* डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, इस सरकार के अस्तित्व में आने के बाद से इसको सरकार के लोग स्वीकार करें अथवा न करें, सामान्य जनता यह अनुभव कर रही है कि साम्प्रदायिक ताकतों के मन्सूबे और उनका मनोबल बढ़ा है और उसका स्पष्ट कारण है। इनकी हर हरकत से यह सिद्ध होता है कि यह केवल वोट बैंक की चिन्ता कर रहे हैं, अगले चुनाव की चिन्ता कर रहे हैं, अगली पीढ़ी की चिन्ता कर रहे हैं। मान्यवर, जिस घटना की ग्राह्यता पर मैं बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। 6 दिसम्बर की घटना के पश्चात् अगर केन्द्र सरकार ने भूमि का अधिग्रहण किया था तो उसके पीछे मंशा यह थी कि वहां का यह विवाद सदैव-सदैव के लिये निपटा दिया जाय और सुप्रीम कोर्ट को धारा–143-ए के अन्तर्गत यह मामला रिफर कर दिया गया था कि उस विवादित स्थल पर जहां वह विवादित ढांचां था उसकी असलियत क्या थी ? यहां पर मंदिर इस ढांचे के पहले था अथवा नहीं था और यह भी तथ्य है कि ढांचा गिरने के पश्चात् जो वहां से सामान मिले वह निश्चित रूप से इस बात की और संकेत कर रहे हैं कि वहां मंदिर था। मामला बिल्कुल निर्णय की स्थिति में पहुंच चुका है, स्पष्ट बात जनता के सामने आनी वाली है लेकिन बाबरी एक्शन कमेटी के सदस्यगण इस मामले को पुनः विवादित बनाना चाह रहे हैं। इस मामले को सरकार भी किसी न किसी प्रकार से प्रोत्साहन दे रही है क्योंकि उनके मन में कमजोरी है, लालच है, यह सोच रही है कि कहीं ऐसा न हो कि कुछ लोग हमसे नाराज हो जायें।

मान्यवर, सच्चाई, सच्चाई होती है। जैसा गुप्ता जी ने बताया कि 143-ए के अन्तर्गत मामला रिफर कर दिया गया था, उसको 138 (2) के अन्तर्गत रेफर किया जा रहा है। अब इसके पीछे मंशा क्या है ? मंशा बड़ी साफ है, मंशा यह साफ है कि हम एक पक्ष का तुष्टीकरण करेंगे चाहे किसी कीमत पर करें। मान्यवर, यह चेतावनी देना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जब दंगे होंगे, इस देश में जब दंगे होंगे तो हिन्दुस्तानी मारा जायेगा, भले ही वह किसी कौम का हो, किसी मजहब का हो। जो कल मुजफ्फरनगर की घटना में हुआ मैं बताना चाहता हूं हिन्दू संगम से बिल्कुल निहत्थे लोग उस सम्मेलन में भाग लेकर लौट रहे थे और मान्यवर, सरकार की इन्हीं कदमों के कारण उन ताकतो की मंशा इतनी बढ़ी है कि उन निहत्थे लोगों पर आक्रमण किया गया और केवल आक्रमण ही नहीं किया, पत्थर चलाये गये, गोलियां

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चलायी गयीं, बम फेंके गये और मान्यवर, दुःख की बात है कि उनमें से तीन की हालत बहुत ज्यादा खराब है । मान्यवर, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि कृपा करके वोटों की सौदागिरी को लेकर जनता के प्राणों के साथ खेलना बंद करे अन्यथा इसके परिणाम अगली पीढ़ी के लिये घातक होंगे । अपने बच्चों को हम अपना पेट काटकर बढ़ा रहे हैं और एक भविष्य संजोये हुए हैं । जिस प्रकार बकरे को बलि पर चढ़ा देने के लिये पाला जाता है क्या उसी बकरे की तरह हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं । यह प्रश्न केवल एक पार्टी का नहीं है । आज इस पर सभी दलों को दल-दल से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा । मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई आदेश दिया गया है तो उसे जनता के हित में और अगली पीढ़ी के हित में तत्काल वापस ले लिया जाय । इन शब्दों के साथ में नियम–311 के अन्तर्गत जो सूचना दी गयी है, उसकी ग्राह्यता पर बल देता हूं ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत दिये गये नोटिस के पक्ष में माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने, माननीय श्री सरजीत सिंह डंग जी ने अपने विचार रखे । एक ऐसा बीज इस सरकार द्वारा फिर से बोने की कोशिश प्रदेश में की जा रही है जिससे साम्प्रदायिक विद्वेष की भावना से इस प्रदेश में घृणा व नफरत की आग लग जाय । जो एक शान्ति का वातावरण है, उसमें फिर से आग लगाने का काम हो रहा है । यह सरकार और इस सरकार के मुख्य मंत्री जी बार-बार यह कहते हैं कि हम साम्प्रदायिकता के विरोधी हैं हम साम्प्रदायिकता के दुश्मन हैं । परन्तु देखा जाय तो इनके सारे कदम और इनकी सारी सोच साम्प्रदायिकता पर आधारित है और तुष्टीकरण पर आधारित है । औरों पर नजर रखकर व साम्प्रदायिकता भड़काने की राजनीति कर फिर से उसे हवा देने का काम यह सरकार कर रही है । पहले भी यह ऐसा ही करते रहे हैं और आज फिर वैसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं । 6 दिसम्बर को एक घटना हुई । अयोध्या में ढांचा ढह गया । उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस मामले को 143(1) की सर्वोच्च न्यायालय को प्रेषित कर दिया । केन्द्र सरकार की भी मंशा थी कि इस देश में जो कुछ भी हुआ और राम जन्म भूमि, बाबरी मस्जिद का जो विवाद है उसका समाधान होना चाहिए इसलिए उस भूमि का केन्द्र सरकार ने अधिग्रहण कर लिया । सोचा गया कि सर्वोच्च न्यायालय से (43) (1) के अन्तर्गत राय ले ली जाय कि विवादित स्थल पर क्या पहले मंदिर था । केन्द्र सरकार ने बार-बार कहा कि बाध्यता न होने पर भी उसकी राय को हम मानेंगे । ढांचा ढह जाने के बाद जो प्रमाण मिल रहे हैं, पुरातत्व के महत्व की जो चीजें मिली हैं, मूर्तियां मिली हैं, उनसे यह सिद्ध होने जा रहा है कि वहां मंदिर था । जब इस सरकार को ऐसा लगने लगा कि मंदिर के पक्ष में फैसला आ सकता है तो उस फैसले में बाधा डालने के लिये, फिर से इस प्रदेश में साम्प्रदायिक हवा को बढ़ावा देने के लिये इस सरकार ने एक घिनौना काम किया । (43) (1) के अन्तर्गत जो मामला दिया गया था, उसे (38)(2) के तहत लाने के लिये मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने उठकर चीजों को फिर से सड़कों तक लाया जा रहा है । इस मामले के जो पहले एडवोकेट थे, श्री दास सरकारी जिन्हें राष्ट्रपति शासन में मनोनीति किया गया था, उन्हें हटाकर इस सरकार के द्वारा श्री कपिल सिब्बल को एडवोकेट बना दिया गया । जब इस प्रकार की चीजें हो रही हैं तो उससे एक आशंका हो रही है कि इस प्रदेश में एक बार फिर साम्प्रदायिकता का ताण्डव शुरू करने जा रही है यह सरकार, आज जो साम्प्रदायिक ताकतें हैं, उन्हें यह सरकार बढ़ावा देना चाहती है ।

इससे आज जो यहां पर आग लगाना चाहते हैं, इससे उनको बल मिलेगा । इसी की परिणति है कि मुजफ्फरनगर में एक शर्मनाक घटना हुई । निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गईं, पत्थर फेंके गये और बम

फेंके गये । उसमें कई लोग घायल हुए । तीन लोगों की हालत बहुत खराब है । वहां आज स्थिति बहुत तनावपूर्ण है । जिस प्रकार के कदम यह सरकार उठा रही है, उसे प्रदेश की जनता कब तक भोगेगी । अगर हमें प्रदेश को बचाना है तो हमें उन साम्प्रदायिक ताकतों का मोह त्यागना होगा । इसलिये (38) (2) के तहत मामले सुनवाई के लिये जो आदेश दिया गया है, उसे वापस लिया जाय । जो पहले से चल रहा था, उसी पर आगे कार्यवाही होने दें । मैं अपनी इस नोटिस पर बल देते हुए पुनः कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने (43) (1) के तहत जो मामला संदर्भित किया है, उसी पर यह सरकार अमल करे और अपने आदेश को वापस ले ।

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारने पर)

श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, हमें भी कहना है (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना देने का जो मंतव्य है उस पर सरकार का पक्ष तो आ जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अधिष्ठाता महोदय उसमें मुजफ्फरनगर का मामला सन्निहित है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने संदीय कार्य मंत्री जी को बुलाया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मयंकर सिंह, माननीय श्यामदेव राय चौधरी (दादा) जी ने भी सूचना दी है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी अलग से सूचना है, अभी दो सूचनायें विचाराधीन हैं आपकी सूचना अलग से है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

इसी पर है, जिस पर माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी बोले हैं उस पर मेरा भी है ।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्यमंत्री जी की बात आ जाने दीजिये उसके बाद कुछ कहना शेष रह जाता है तो कह दीजियेगा । (व्यवधान) माननीय चौधरी जी जितने लोगों के हस्ताक्षर हों सब को बुला लिया जाय यह परम्परा नहीं है ।

* नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी बड़ा गम्भीर प्रश्न माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने प्रस्तुत किया है और 311 की उस नोटिस पर अनेक माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हैं । इसके साथ-साथ मुजफ्फरनगर का एक काण्ड है । कदाचित वह अलग से दिया होगा, मैं निवेदन करूंगा जिनके 311 की नोटिस पर हस्ताक्षर हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वे थोड़ी थोड़ी अपनी बात कह लें अगर मैं समझता हूं कि इस पर मुजफ्फरनगर का केस भी समाहित कर लिया है तो वह जो माननीय सदस्य हैं उनको भी थोड़ा-थोड़ा समय अवश्य दे दें। तत्पश्चात् माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपनी बात रख लें।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, 311 के तहत जो सूचना दी है उस पर हमारे दल के उप नेता माननीय गुप्ता जी तथा माननीय डा० सरजीत सिंह डंग एवं माननीय सत्य प्रकाश विकल जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। यह बिल्कुल स्पष्ट है प्रदेश की जनता के सामने कि जब से यह सरकार सत्ता में आई है तब से प्रदेश में जो साम्प्रदायिक ताकतें हैं उनका मनोबल दिनों दिन बढ़ रहा है। वे ताकतें जो भाजपा सरकार के समय बिल्कुल कुचल दी गयी थीं और उन्हें सिर उठाने की हिम्मत नहीं थी आज फिर से सिर उठाकर ऐसी-ऐसी हरकतें कर रही हैं जिससे प्रदेश में शान्ति व्यवस्था को पूरी तरह खतरा उत्पन्न हो गया है। मैं इसी संदर्भ में कहना चाहूंगा, कि हमारे बनारस के अन्दर पिछले शासनकाल में दंगे कराये गये। अभी 15 फरवरी को सरस्वती पूजा का जो जुलूस जा रहा था उस पर मस्जिद के अन्दर से ढेला फेंका गया। ईश्वर की कृपा से वह ढेला मूर्ति पर नहीं पड़ा ट्रक के शीशे पर पड़ा जिससे कई लोग घायल हो गये। हजारों लोगों ने एकत्रित हो करके, विरोध करके प्रशासन को ठप कर दिया, प्रशासन के लोग मेरे पास आये और कहा कि इस संकट से हमें उबारिये, नहीं तो बनारस के अन्दर आग लग जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

आप ग्राह्यता पर बोलें।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

उसी पर बोल रहा हूं। उसी समय संकट मोचन बंद करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते उत्तेजित भीड़ को समझा बुझाकर मैंने बनारस में आग लगने से बचा लिया। लेकिन प्रशासन की जो करनी है और इसी तरह का उनका मनसूबा रहा, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में इस प्रदेश के अन्दर साम्प्रदायिक आग लग सकती है और अयोध्या के अन्दर अभी जो काण्ड हुआ और तार के बाड़ काट दिये गये (व्यवधान) निश्चित रूप से यह श्री राम लला को नुकसान पहुंचाने के लिये किया गया।

(श्री सुरेश संगल के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य मुजफ्फरनगर आप बैठिये।

श्री अधिष्ठाता–

श्री श्याम देव राय चौधरी जी अब आपका समय समाप्त हुआ और आप बैठ जायं। श्री सुरेश संगल, मा० सदस्य मुजफ्फरनगर आप अपनी बात कहें।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

(व्यवधान) मेरा आरोप है कि इस प्रदेश को साम्प्रदायिक आग में झोंकने के लिये एक सोची समझी रणनीति के तहत पुनः अयोध्या प्रकरण को प्रदेश सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में एक मुश्त इस मामले को

संदर्भित किया है । जो स्पष्ट करता है कि इस शासन की मंशा साम्प्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देना है । इसलिये नियम 311 में जो सूचना दी गयी है इस पर मैं बल देता हूं और मांग करता हूं कि शासन इस बेजा हरकत से बाज आये ।

श्री सुरेश संगल–

मान्यवर, मैं मुजफ्फरनगर से आता हूं, इसलिये वहां की घटना तक ही मैं सीमित रहूंगा । मान्यवर, वहां जिस स्थान पर यह घृणित कार्य हुआ है वहां का इतिहास है कि जब जब एक समुदाय के लोग किसी भी अपनी मान्य परम्परा पर चलते हैं तो दूसरे समुदाय के लोग धौसियाने के लिये कहते हैं यहां से गुजरने नहीं दिया जायेगा और इसीलिये वे बार-बार हमला करते आये हैं । कई साल पहले इसी स्थान पर इन्हीं तत्वों ने राम ज्योति को पलट दिया था और थाने में रिपोर्ट लिखाई गयी थी लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की थी । इसलिये उनके हौसले बढ़ते गये और उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे जनप्रिय नेता भूतपूर्व नगर अध्यक्ष, श्री कृष्ण चन्द्र हकीम की राम ज्योति की घटना के फलस्वरूप उनकी हत्या कर दी गयी और हत्यारों के खिलाफ किसी की गवाही देने तक की हिम्मत नहीं हुई । इसलिये उन लोगों की हिम्मत बढ़ती जा रही है ।

मान्यवर, कल उनका फिर साहस हुआ और जबकि हिन्दू संगम से सारे लोग शान्तिपूर्वक निपट कर बिना नारेबाजी के वापस लौट रहे थे तो उन पर गोलियां और पत्थर बरसाये गये जिससे दर्जनों लोग घायल हुए और जिसमें तीन की हालत गम्भीर है । मान्यवर, पुलिस हिम्मत नहीं कर रही है मस्जिद में छिपे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें । उस मस्जिद में अवैध शस्त्र मौजूद हैं । इसलिये मैं मांग करता हूं कि उस मोहल्ले की जहां पर कई बार घटनायें हुई हैं घर-घर तलाशी ली जाय और सख्त कार्यवाही की जाय । इसके साथ ही दोषी व्यक्तियों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी बात कहें ।

(घोर व्यवधान)

श्री मयंकर सिंह–

मुझे भी बोलने का समय दिया जाय (व्यवधान)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मुझे भी अपनी बात कहने दी जाये ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

नियम 311 में चार लोगों के हस्ताक्षर से सूचना मिली है और उसमें आपके नाम नहीं हैं । मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है । इसलिये आप लोग जायं । आपकी सूचना बाद में ली जाएगी ।

[4 बजकर 20 मिनट]

संसदीय कार्य मंत्री को मैने बुलाया है, मयंकर सिंह जी आप बैठिये । सारी बात आ गई है ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

उस नियम 311 के अन्तर्गत सूचना मेरी और जिप्पी तिवारी जी की भी है । यह भी उसी पर है । हम लोग सबेरे से यही कह रहे हैं कि इस पर हमें सुन लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर केवल चार लोगों के हस्ताक्षर हैं, जिस पर चर्चा हो रही है । आपकी सूचना अलग है, आप बैठिये ।

श्री मयंकर सिंह–

नियम 311 पर जिसकी-जिसकी सूचना है, उन सबको सुन लिया जाय, यही उनके (संसदीय कार्य मंत्री) के भी कहने का आशय था ।

श्री अधिष्ठाता–

केवल चार लोगों के इस पर हस्ताक्षर हैं । आपकी अतिरिक्त सूचना है । इस पर पहले संसदीय कार्य मंत्री जी के विचार आ जाने दीजिये ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने, जो उनके दल की नीति है– देश से ज्यादा वोट की परवाह–उसी को ध्यान में रखकर उन्होंने जो सूचना यहां पर दी और जिसके बारे में विचार भी व्यक्त किये हैं और मेरे पक्ष पर आरोप भी लगाया है, उस पर सबसे पहले तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि न तो हम तुष्टीकरण के रास्ते पर चलना चाहते हैं न 6 दिसम्बर जैसी देश तोड़क घटना पुनः होने देना चाहते हैं । श्रीमन्, इन्होंने हमारा घोषणा पत्र भी देखा होगा, उस घोषणा पत्र में हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम अयोध्या मसले में समाधान चाहते हैं किन्तु उसमें किसी को अपनी हार जीत का अनुभव हुए बिना । उसी के अनुरूप इस तरह का शान्तपूर्ण समझौता और न्यायपूर्ण हल हम निकालना चाहते हैं । पहले संविधान की धारा 143(ए) में उच्चतम न्यायालय को जो रेफर किया गया है, उसमें उसको सिर्फ परामर्श देने का अधिकार है । यदि आपके पक्ष में परामर्श नहीं आया तो कदाचित् आप भी नहीं मानेंगे और यदि दूसरी पार्टी के पक्ष में फैसला नहीं आयेगा तो वह भी नहीं मानेगा इस प्रकार हर हाल में स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी । इसी को दृष्टि में रखकर अनुच्छेद 138(2) में उच्चतम न्यायालय के रेफर करने की बात है, जिससे वह सम्पूर्ण मामले में सारे पक्षों को सुनकर अपना फैसला दे और उसका यह फैसला हर पक्ष पर बाध्यकारी होगा और सारे हिन्दुस्तान को मानना होगा । सारा देश उसे मानने के लिये विवश होगा । इसीलिये हमने यह किया है । उच्चतम न्यायालय से फैसला होगा, तो उस पर आपको सोचना पड़ेगा, कि आप उस फैसले को मानेंगे या नहीं और दूसरे पक्ष को भी सोचने के लिये मजबूर होना पड़ेगा । मैं समझता हूं कि यहां पर जितने लोग बैठे हैं वह देश और संविधान के प्रति अपने को प्रतिबद्ध करने की शपथ लेने के बाद ही यहां पर बैठे हुए हैं । इस गम्भीर मसले पर आज हमारे देश की ही नहीं बल्कि सारे विश्व की निगाहें लगी हुई हैं । तो 138(2) में इसका फैसला आ जाए । इसे आपको भी मानना चाहिए । यही 138(2) में रेफर करने का तात्पर्य है, जिससे शान्तिपूर्ण और सम्मानपूर्ण उसका फैसला निकल आए, जिसमें कोई पक्ष न अपनी हार समझे न कोई पक्ष अपनी जीत समझे ।

दूसरे, उन्होंने जो मुजफ्फरनगर की घटना के बारे में कहा, हम काफी नुकसान इससे उठा चुके हैं । आज कोई भी बड़ा उद्योगपति इस प्रदेश में आने के लिये तैयार नहीं है सिर्फ अयोध्या प्रकरण और यहां

फैली साम्प्रदायिकता को ध्यान में रखकर । इन छोटी-छोटी घटनाओं को यदि हम राजनैतिक हित के लिये विधान सभा में विषय बनायेंगे, तो हम अपने प्रदेश के साथ कोई न्याय नहीं करेंगे । यह सही है कि एक घटना हुई, उसमें कुछ तीन लोग घायल हो गये हैं । वे ठीक हैं और तीसरे व्यक्ति की भी हालत ठीक है, कोई खतरे में नहीं है । इस संबंध में जो रिपोर्ट है, उस पर विवेचना हो रही है । उसमें कोई पक्षपात किसी किस्म का नहीं होगा । हो तो लिखकर दे दीजियेगा, कहेंगे, तो उसके लिये मैं नेता विरोधी दल के पास उनके घर भी चला जाऊंगा । अगर कहें तो गलती की है तो जो वैधानिक प्रक्रिया है उसके अनुसार दण्ड मिलेगा । इसके लिये सरकार पक्षधर है । वैधानिक प्रक्रिया का पूरी तरह से अनुपालन किया जायेगा ।

श्री कल्याण सिंह–

अध्यक्ष जी, मुझे केवल दो चीजों का निवेदन करना था । मामला वास्तव में सम्वेदनशील और बहुत महत्वपूर्ण है । हम सब चाहते हैं कि राम जन्म भूमि का सर्वस्वीकार्य समाधान निकल आये । इसे अनन्त काल के लिये लटकाये रहना न हिन्दू के लिये, न मुसलमान के लिये और न राष्ट्र के हित में है । मुझे याद है कि जो मैंने मुख्य मंत्री के रूप में इस प्रदेश की सेवा करने का संकल्प लिया था, तो माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ बैठक हुई थी । गृह मंत्री जी भी थे । मुझसे यह कहा गया कि मैं अपनी सहमति इस बात के लिये दे दूं कि इस मामले को संविधान के अनुच्छेद 138(2) के अन्तर्गत संदर्भित करने के लिये सहमत हो जाऊं । मैंने उस समय भी अपना दृष्टिकोण रखा था, अपनी सरकार का दृष्टिकोण रखा था कि हम इस मामले को 138 (2) के अन्तर्गत संदर्भित करने के पक्ष में नहीं हैं । और यह भी बताया था कि यदि इसे 138(2) के अन्तर्गत मान भी लिया जाय और उच्चतम न्यायालय का कोई निर्णय आ जाय तो मेरे दृष्टिकोण से उससे देश के अन्दर समस्याओं का राज और खुलेगा । मैं यह नहीं कहता कि उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय है परन्तु मैं यह कह रहा हूं कि यदि यह दृष्टिकोण बन गया कि वहां मंदिर था जिसे तोड़ा गया वहां फिर से मंदिर बनाया जाना चाहिए ।

अब यदि यह हो जाय कि यह सुप्रीम कोर्ट की नजीर है तो इससे देश के अन्दर इतिहास बताता है कि बहुत मंदिर तोड़े गये थे उन स्थानों पर मस्जिद बनाई गई थी, आज वहां सारे मंदिर बनाये जायं तो हम इस मामले को यहां नहीं लाना चाहते हैं । सुप्रीम कोर्ट की यदि ऐसी नजीर बन गई तो देश के कोने-कोने से कोर्ट में केस चले जायेंगे और कोर्ट यह कह देगा कि वहां तोड़कर मंदिर बनाया जाय । इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कह दिया था कि इस मामले को संविधान के अनुच्छेद 138 (2) के अन्तर्गत रखना उचित नहीं होगा । यदि आवश्यक ही है तो इसे 143(1) के अन्तर्गत संदर्भित कर दिया जाय जिसमें कि न्यायालय की ओपीनियन आती है ।

उस समय केन्द्र ने इसे स्वीकार नहीं किया था बाद में मुझे अच्छी तरह से जानकारी है 143(1) में संदर्भित करने का निर्णय केन्द्र सरकार ने लिया । बहुत लोगों ने इस पर ऐतराज किया । केन्द्र सरकार में लोक सभा के सारे भाषणों में रिकार्ड है उन्होंने तर्क इस बात के दिये थे कि 138(2) के अन्तर्गत नहीं 143(1) के अन्तर्गत ही संदर्भित करना उचित होगा । अब 143(1) के अन्तर्गत संदर्भित कर दिया । वैसे तो मैं यह समझता हूं कि इसे 138 या 143(1) के अन्तर्गत संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है । वहां जो भी शिलालेख, मूर्तियां मिलती हैं उनकी जांच आंख का अन्धा आदमी भी टटोलकर कर सकता है यह अवशेष मंदिर के हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, यह जो फैसला दे रहे हैं, हम समझते हैं यह अनावश्यक है ।

श्री कल्याण सिंह–

आज तो मैं यह समझता हूं कि यह सब न आवश्यक है, न उपयोगी है । वर्तमान सरकार ने इस मामले को 138(2) के अन्दर संदर्भित किये जाने का जो दृष्टिकोण अपनाया है, मेरा स्पष्ट कहना है कि वर्तमान सरकार इस समस्या को, राम जन्म भूमि के मसले को सुलझाने के बजाय और अधिक उलझा रही है, इसे और लटकाने की कोशिश कर रही है । इसी प्रकार की कोशिश पहले केन्द्र सरकार करती रही है थी जिसका परिणाम आज हमारे सामने है । मैं समझता हूं कि यह सरकार उस मामले को और अधिक उलझाने की कोशिश न करे । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की रजामन्दी से हो रहा है या नहीं । क्या इस विषय पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य मतभेद हैं ? केन्द्र सरकार इसे 143(1) में लेना चाहती है और राज्य सरकार इसे 138(2) में । मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या केन्द्र की सरकार का और राज्य सरकार का इस महत्वपूर्ण विषय में मतभेद है । अयोध्या में बाड़ काटी गयी हो सकता है रामलला की मूर्ति को क्षति पहुंचाने की साजिश रखी गई हो । सरकार को पता नहीं चला और नाक के नीचे सब हो गया । सब खड़े हैं चौकसी पर और बाड़ कट रही है । बाड़ कट गई । श्रीमन्, एक हादसा होने से बच गया । रामलला की मूर्ति को क्षति पहुंचती तो कोई हादसा हो सकता था । बाड़ जिन लोगों द्वारा काटी गयी उन लोगों के खिलाफ शीघ्रातिशीघ्र पता लगाकर कठोर कार्यवाही आप करेंगे, तीसरी बात मुजफ्फरनगर की घटना के बारे में कहना चाहूंगा शान्तिपूर्वक सम्मेलन हो रहा था सम्मेलन करने का तो हर व्यक्ति को अधिकार है उन पर साम्प्रदायिक तत्वों ने गोलियां चलाई उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल से मुझे व्यक्तिगत लगाव है । यह एक किसान के घर में पैदा हुए, पिछड़े के घर में पैदा हुए इनसे इसलिये भी लगाव है । लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि यह उन शक्तियों को ताकत दे रहे हैं जिन शक्तियों ने इस देश को हजारों साल गुलाम रखा हो, बहुसंख्यक लोगों को गुलाम बनाये रखा ।

श्री कल्याण सिंह–

यह क्या जवाब है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

पिछड़े होकर मनुवादी ताकतों को बढ़ावा देने की कोई गुंजाइश नहीं है । धर्म जाति के झगड़े में देश को कमजोर करने वाली जो ताकतें हैं । इसको बढ़ावा नहीं देना है ।

(सत्तापक्ष की ओर से मेजें थपथपाई गई)

इससे लाभ नहीं ले सकते हैं । इनको पिछले चुनाव से सबक लेना चाहिए । ऐसी घटना कर दी लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आप कह दें, कि बाबरी मस्जिद तोड़ी है । मनुवादी ताकतें चोरी से काम कर सकती हैं । 138(2) में दूध का दूध और पानी का पानी हो जायगी, फैसला हो जाये । उसे आप भी मानें हम भी मानें । जो नहीं मानेगा, सरकार उससे मनवायेगी । गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों की गांव की बहुसंख्यक आबादी है । राजनीतिक षडयंत्र नहीं चलने वाला है । मनुवादी ताकतें नहीं चल सकती हैं ।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, हमने तीन प्रश्न उठाये । इन्होंने इधर-उधर की बातें बता दीं । केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में इस बात पर मतभेद है ? यह इस बात पर हां या न कर दें । हम 143(1) कह रहे थे यह 138 (2) कर रहे हैं । इन्होंने जो अयोध्या में बाड़ कट गई न तो उसके बारे में बताया और न ही जो मुजफ्फरनगर में हमला हुआ, उसके बारे में बताया, न प्रदेश की शान्ति व्यवस्था के बारे में बताया । पता नहीं कहां से मनुवादी इनको रट गया है । हमारी आस्था संविधान में है । किसी मनुवादी या शरीयत में नहीं है । शरीयत के हिसाब से आप चल रहे हैं । यह कहना मुनासिब नहीं है कि मैं मनुवादी व्यवस्था के हिसाब से चल रहा हूं । आपने जो उत्तर दिया वह मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है । इसलिये हम और हमारा दल इसके विरोध में सदन का बहिर्गमन करता है ।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों के साथ बाहर चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना अस्वीकार की जाती है ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 23-2-94 को नियम 300 के अन्तर्गत 7 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । इनमें श्री प्रमोद तिवारी व श्री जगदम्बिका पाल की बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री द्वारा श्री मुलायम सिंह यादव सरकार के कार्यों की समीक्षा के बारे में है । श्री बालेश्वर त्यागी की दिनांक 21-12-1993 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन में दी गई सूचना का उत्तर प्राप्त न होने के संबंध में है । श्री अजय कुमार पोइया की विगत सत्र में मा० अध्यक्ष के निदेश के बावजूद दिनांक 22-12-1993 को जिलाधिकारी, मथुरा की अध्यक्षता में जनपद के सिंडिकेट बैंक द्वारा बैठक आयोजित किये जाने के बारे में है । श्री नरेश अग्रवाल की दिनांक 22 दिसम्बर, 1993 को मा० मुख्य मंत्री द्वारा 6 माह के भीतर बिक्रीकर समाप्त किये जाने की घोषणा के बारे में है । श्री बदन सिंह की दिनांक 27 जनवरी, 1994 को आगरा जनपद के थाना खेड़ा राठौर के ग्राम महुआशाल में चम्बल के दस्यु नेता नेतराम उर्फ नेता तथा उसके तीन अन्य साथियों के मारे जाने से उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की पुलिस में उत्पन्न तनाव के बारें में है । श्री मित्रसेन यादव की सूचना प्रदेश सरकार द्वारा आठ चीनी मिलों को बेचने के प्रस्ताव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना मा० श्री दीनानाथ भास्कर राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा मंत्रिपद की शपथ तोड़ने के बारे में है । पहली सूचना के संबंध में गम्भीरता पूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि यह सूचना निरस्त की जाती है । दूसरी सूचना श्री बालेश्वर त्यागी की है इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है । तीसरी सूचना श्री अजय कुमार पोइया की है इसके बारे में जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिये जाएं कि वह विधान सभा सत्र के समय बैठक इत्यादि न बुलायें जिससे कि माननीय सदस्य विधान सभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकें । श्री नरेश अग्रवाल ने जो सूचना दी है उस संबंध में कोई औचित्य का-प्रश्न नहीं बनता है । 5वीं सूचना बदन सिंह जी की है । आप अपनी बात कहें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं निर्णय दे चुका हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, रंगनाथ जी की सूचना है। संविधान के अन्तर्गत जो मंत्रियों को शपथ दिलायी जाती है उसका विखंडन हुआ है।

श्री अधिष्ठाता–

इसके बाद सुनूंगा।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, अगर इस तरह से निर्णय लेंगे तो संकट पैदा हो जायगा। आप अलग-अलग तरीके से निर्णय दे रहे हैं। आप पहले ग्राह्यता पर सुन लेते, नियमों को सुन लेते और उसके बाद निर्णय देते तो ठीक होता। आपने सुनने के पहले ही निर्णय दे दिया तो मान्यवर, मुझे संरक्षण कैसे प्राप्त होगा। मेरी सूचना बहुत महत्वपूर्ण है। आपने पहले निर्णय ले लिया, आप हमें संरक्षण दें।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपकी जो सूचना नियम 300 के अन्तर्गत प्राप्त हुई थी उस पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया और विवेचन किया। वह औचित्य के प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये उसको निरस्त कर दिया गया है। जब पीठ से निर्णय हो जाता है तो वह मान्य होता है उस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाने का औचित्य नहीं है।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन मुख्य मंत्री के खिलाफ सुनना नहीं चाहते हैं। बिना सुने आपने निर्णय ले लिया है इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री नरेश अग्रवाल अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

जनपद आगरा के थाना खेड़ा राठौर के ग्राम महुआशाला में चम्बल के दस्यु नेता नेतराम उर्फ नेता तथा उसके साथियों के मारे जाने से उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश पुलिस में तनाव विषयक औचित्य के प्रश्न

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व का ऐसा विषय लाना चाहता हूं। जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में उत्पन्न तनाव से संबंधित है। मान्यवर, यह एक ऐसा विषय है जिसकी तरफ, यदि ध्यान नहीं दिया गया और शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो इसके बड़े भयंकर परिणाम होंगे। दिनांक 27 जनवरी, 1994 को जनपद आगरा के थाना खेड़ा राठौर के ग्राम महुआशाला में दस्यु नेता नेतराम उर्फ नेता और उसके तीन साथी डकैतों की पारस्परिक मुठभेड़ में मृत्यु हो गयी उसका कारण 21 वर्ष की गुड्डी के साथ यौनाचार करने का था। मान्यवर, आगरे की पुलिस के घटना स्थल पर पहुंचने के पहले भिंड जिले का थाना अटेर जो निकट पड़ता है वहां की पुलिस पहुंच गयी और

उसके मृतक डकैतों के शवों हथियारों और गुड्डी तथा उसके जेठ नवाब सिंह को उठाकर अटेर थाना ले गयी । जब आगरे की पुलिस को इसकी सूचना मिली तो आगरे के डी० आई० जी, एस० एस० पी०, एस० पी० देहात घटनास्थल पर गये और उसके बाद अटेर थाना पहुंचे और मृतक शवों, हथियारों और गुड्डी की वापसी की बात कही । इस पर मध्य प्रदेश की पुलिस ने साफ मना कर दिया और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने स्वयं ही इन डकैतों को मध्य प्रदेश क्षेत्र में मारा है । जबकि आगरे की पुलिस का मानना है कि इन डकैतों की मृत्यु मुखबिर द्वारा फैलाये जाल में फंसकर आपसी मुठभेड़ होने के कारण हुई है । और वहां पर उसके साफ लक्षण भी मौजूद मिले हैं । वहां पर दुर्घटना-स्थल पर खून मिला है और शवों को खींचने के निशान भी मिले हैं, जिनकी फोटो आगरा पुलिस ने ले लिये हैं । मध्य प्रदेश की पुलिस ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को न तो लाशों, हथियारों और न अपहृतों (गुड्डी और उसको जेठ नवाब सिंह) को दिया है और न दुर्घटना-स्थल पर ही आने को तैयार हुई है । उनका दावा है कि मध्य प्रदेश क्षेत्र में डकैतों को मुठभेड़ में उन्होंने मारा है और आगरा पुलिस का मानना है कि उनके द्वारा फैलाये हुए मुखबिरों के जाल में फंस कर डकैत स्वयं मुठभेड़ में मरे हैं । इसमें वाद-विवाद बढ़ गयी है कि दोनों राज्यों की पुलिस ने एक दूसरे के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है ।

यदि आपके शासन ने इस पर उचित कदम नहीं उठाया, तो प्रदेश की पुलिस का मनोबल गिर जायगा.और हमारे यहां से जो गुड्डी, उसके जेठ नवाब सिंह से मिलने के लिये उसके पति गुलाब सिंह पहुंचे, तो उनको भी बन्दी बना लिया, ताकि उनसे अपने पक्ष में मध्य प्रदेश पुलिस कहलवा सके कि डकैतों को मध्य प्रदेश में मारा गया है । यह उत्तर प्रदेश शासन व उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन के संज्ञान में पूरा मामला है, क्योंकि इस घटना के दो दिन पूर्व में दो लाख रुपये का पुरस्कार इस डकैत गिरोह को खत्म करने के लिये घोषित किया गया था । उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को एस० एस० पी०, आगरा ने सी० बी० आई० की जांच के लिये भी लिखा है । इसलिये यह साफ औचित्य का प्रश्न बनता है । इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को शासन के संज्ञान में लाकर मैं चर्चा की मांग करता हूं और निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले की सी० बी० आई० से जांच कराये । इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में अपराध करने वाले डकैतों और बदमाशों को पकड़ने के लिये जो समन्वित योजना चल रही थी, उसको बड़ा भारी धक्का पहुंचा है । इस विषय पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के उच्च अधिकारियों की बैठक 7 सितम्बर, 1992 को सर्किट हाउस, आगरा में हुई थी । दूसरी बैठक इसी दिसम्बर, 1993 में हो चुकी है । मान्यवर, इसके बारे में यदि उचित कदम उत्तर प्रदेश शासन ने नहीं उठाया, तो इसका परिणाम बड़ा गम्भीर होगा । इसलिये आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर चर्चा की मांग करता हूं और गुड्डी तथा उसके परिवारजनों को जो अपहरण करके ले जाये गये हैं, उनको उत्तर प्रदेश में लाने की मैं मांग करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

यद्यपि यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मैं सरकार का ध्यान इस विषय पर आकर्षित करता हूं ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, आप निर्णय दे चुके हैं, इस घटना के संबंध में विवेचना सी० बी० आई० को सौंपने के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

सातवीं सूचना माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की है, इस पर पहले विस्तार से चर्चा हो चुकी है, इसलिये इसको भी अस्वीकार किया जाता है ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)

(घोर व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 21 फरवरी, 1994 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ।

(घोर व्यवधान)

श्री रंगनाथ–

[× × ×]

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह लिखा नहीं जायगा । इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है आप बैठ जायं । फिर कभी आप किसी नियम में इसको लायें । आप स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप स्थान ग्रहण करें, मैंने वर्मा जी को बुला लिया है । माननीय सदस्य शान्त रहें । आप जो बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा, वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा । आप जिस विषय को उठा रहे हैं, उस पर चर्चा हो चुकी है । यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है । यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है । आप स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

यह कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

(व्यवधान)

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

माननीय नेता विरोधी दल बैठे हैं । नियमावली में इस प्रकार का प्राविधान है कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं कही जा सकती है । इसलिये आप इसको कार्यवाही से निकलवा दें और नियम विरुद्ध कोई कार्यवाही चलने के लिये मजबूर न करें ।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, लोकतंत्र में जिनका बहुमत होता है, सरकार उन्हीं की बनती है परन्तु इस देश की विडम्बना है आजादी के 46 वर्ष व्यतीत हो गये लेकिन सरकार उन्हीं की बनती रही, जो इस देश में मुट्ठीभर सामंतशाही प्रतिक्रियावादी और पूंजीवादी लोग हैं, वह कमजोरो, दलितों और गरीबों के बल पर अपनी सरकार बनाते रहे और बहुसंख्यक लोगों पर राज्य करते रहे, बहुसंख्यक समाज को गुलाम बनाये रखे रहे, वह एक दो दिन की कहानी नहीं है । एक लम्बे समय से इस समाज में जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था बनाकर और ऊंच नीच की भावना पैदा करके 6 हजार टुकड़ों में तोड़कर सीढ़ीनुमा व्यवस्था बनाकर, गुलामी और लाचार की जिन्दगी के लिये विवश कर दिये हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मैं उसी पर बोल रहा हूं । वह अच्छा खाना नहीं खा सकते थे, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे और उनको गन्दी जगहों पर रहने के लिये मजबूर किया जाता था । जिससे उनके बाहुबल को समाप्त कर दिया और तरह-तरह की कहानियां और कहावतें बनाकर मनोबल को समाप्त कर दिया गया और गुलामी की जिन्दगी जीने के लिये मजबूर किया, लेकिन बुजुर्गों के संघर्ष के कारण, डा० अम्बेडकर के संघर्ष के कारण आज समाज में चेतना आयी है । काशीराम और मुलायम सिंह जैसे लोगों को सत्ता सम्भालने का मौका मिला । यह एक अनहोनी घटना हो गयी । इस देश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। जो सदस्य कमजोर थे और कभी सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, वह आज चुनाव जीत कर आ गये हैं और यहां पर सदस्य हैं और उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद् में हैं और जिनको सामंतवादी लोग एम० एल० ए० बनना नहीं देख सकते थे ।

(इस समय 4 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

जिनको कभी गांव का प्रधान बनना नहीं देख सकते थे ऐसे लोग उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद् में हैं । मान्यवर, आज की जो मंत्रिपरिषद् बनी है वह मंत्रिपरिषद् इस देश की एक अद्वितीय मंत्रिपरिषद् बनी है और ऐसी मंत्रिपरिषद् इस देश में शायद कही बनी हो । जिसमें हर समाज के लोगों की भागीदारी हो, ऐसी सरकार बनने पर समंती प्रतिक्रियावादी और प्रतिगामी शक्तियों को यह लगता है कि यह कैसे हो गये, जो हल चलाने वाले लोग हैं, खेतों और खलिहानों को सजाने वाले लोग हैं, साइकिल चलाने वाले लोग हैं, भैंस चराने वाले लोग हैं वह सरकार बना लिये हैं कैसे हो गये ?

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष कहते थे कि यह पंचर जोड़ने वाले लोग आ गये हैं तो यहां पर मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि यह मेहनतकश लोग आये हैं जिनकी श्रमशक्ति है, जनशक्ति है, मेहनती और देशभक्त ऐसे लोग हैं इस लोकतंत्र में काशीराम जी के संघर्षों के बदले उत्तर प्रदेश विधान सभा तक पहुंचे हैं और बेहतर ढंग से सरकार चला रहे हैं । मान्यवर, इसी तरह से आज जो प्रतिकूल परिस्थितियां

हैं, जो अनहोनी थी जिसको ये लोग कभी सोच नहीं सकते थे, उस अनहोनी को होनी माननीय मुलायम सिंह जी ने बनाकर दिखा दिया है। ये लोग कहते थे कि "कोई नृप होय हमें क्या हानि, चेरि छांड़ि न होबे रानी। उन्हें यह सिखाया जाता था कि तुम्हें वोट देने से क्या मिलेगा ? तो अब ऐसे लोगों के अन्दर जागरूकता आयी है, ऐसे लोग अपने अधिकार के लिये खड़े हो रहे हैं जिनके सदियों से अधिकार छिने हुए थे। अब उनको कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है और यह लोग नहीं चाहते थे उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी है और बनते ही इस सरकार ने जो ऐतिहासिक निर्णय देना शुरू कर दिया है। पहला निर्णय माननीय मुलायम सिंह यादव जी का था जो उन्होंने वायदा भी किया था अपने चुनाव घोषणा-पत्र में कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, इसलिये मुख्य मंत्री जी ने कुर्सी पर बैठते ही पहला निर्णय लिया कि यह जो छात्रों को हथकड़ी लगाकर जेलों में भेजने का काम है, जो इस देश के भविष्य हैं, आशा के केन्द्र हैं, ऐसे लोगों को जेल में भेजने के इस काले कानून को समाप्त करने का उन्होंने काम किया है। दूसरा निर्णय उन्होंने 16 घंटे तक ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देने का लिया है चाहे भले ही शहरों की बिजली काटनी पड़े लेकिन गांवों के किसानों को सिंचाई करने के लिये बिजली मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो दूसरा काम किया है नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने का और वह व्यवस्था की गयी है। ऐसा निर्णय किसानों के भले के लिये, शोषितों के भले के लिये लिया गया है।

उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था को बनाते हुए विकास के कार्यों को बढ़ावा दिया। विकास की ओर जैसे ही प्रदेश चलने लगा तो यह यहां की प्रतिगामी लोगों को पसन्द नहीं आया। उनको लगने लगा कि जो उत्तर प्रदेश की विकास की गाड़ी बन्द थी अगर वह तेजी से विकास पथ पर चलने लगी तो इस सरकार को इसका श्रेय मिलेगा और जैसे आजमगढ़ में हुआ है, मऊ में हुआ है, पूर्वांचल के जिलो में हुआ है कि एक भी किसी दूसरी पार्टी के व्यक्ति को सदस्य, विधान सभा बनाकर जनता ने नहीं भेजा, ऐसा पूरे प्रदेश में हो जायगा तो इनका क्या होगा, इसलिये ऐसी कुचेष्टा करना शुरू किया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़े जो उद्यमी इधर आना चाहते हैं, उद्यम लगाना चाहते हैं, जो माहौल यह सरकार बना रही है, वह माहौल को बिगाड़ा जाय ताकि कोई बड़ा उद्योग इधर न लगने पाये कोई बड़ा उद्यमी आने न पाये। इसलिये बनारस में, कानपुर में घटना की जा रही है, दूसरे जिलों में घटनायें करायी जा रही हैं।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव जी की जो यह हमारी सरकार है वह दृढ़ प्रतिज्ञ है कुचेष्टाओं का जवाब देते हुए, इन्हें समाप्त करते हुए, उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखेंगे और विकास की गाड़ी को आगे बढ़ायेंगे (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) इस स्थिति में जब पूरे देश में 29.9 प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं वही प्रदेश में 35.1% लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यह स्थिति है। आज जो हमारे देश के ऊपर विदेशी कर्ज है वह 2 लाख 66 हजार 214 करोड़ का है देशी कर्जा जो है वह 3 लाख 90 हजार 7 करोड़ का है। इस तरह से दोनों को मिलाकर 6 लाख 56 हजार 221 करोड़ रु० हुआ। इसी तरह से जो हमारा केन्द्र सरकार का बजट है उसमें हमारी जो आन्तरिक देनदारी 59.7 प्रतिशत है लगभग 5.9 प्रतिशत दे रहे हैं देशी ऋण का टोटल अनुमानित बजट का 55.6 प्रतिशत है हम ऋण और ब्याज दे रहे हैं।

ऐसी स्थिति में जब देश आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, प्रदेश में जो मुलायम सिंह यादव जी की लोकप्रिय सरकार है जिनको सत्ता में आने पर समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, खाली खजाना है, उनका मानना है कि खाली खजाने के लिये रोयेंगे नहीं बल्कि जहां से भी संसाधन बन पड़ेंगे, संसाधन जुटाकर इस प्रदेश का विकास करेंगे। उसी के चलते आज जो यह तय किया गया है कि इस सरकार ने

तय किया है, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का बजट होगा उसका 70 प्रतिशत गांवों के विकास पर खर्च किया जायेगा । आज तक कोई सरकार ऐसा नहीं करती रही । इस देश में 85 सैकड़ा इंसान गांवों में रहते हैं उनकी खुशहाली होगी उनकी तरक्की होगी उनके विकास की योजनायें बनेंगी तब यहां पर तरक्की होगी । किसानों की यह हालत हो रही है कि जिनके पास 10 बीघा खेती है खेत 50-60 हजार रु० बीघा बिक रही है 5-6 लाख रु० उनको मिलेंगे उससे करीब 80 प्रतिशत सूद मिल जाता है । जबकि जो किसान खेती करते हैं उसी जमीन पर, खरीफ रबी की फसल पैदा करते हैं उनकी 50 हजार 60 हजार की फसल प्रति वर्ष नहीं होती है यह घाटे का सौदा है । माननीय मुलायम सिंह यादव जी की लोकप्रिय सरकार ने यह ऐलान किया है कि ऐसे किसानों के चेहरों पर मुस्कान लायेंगे उपज का लाभकारी मूल्य उन्हें दिलायेंगे उनको लाभ में लायेंगे इसके लिये उन्होंने व्यवस्था की है । किसानों के लिये बिजली 16 घंटे देकर पानी की व्यवस्था करके खाद की व्यवस्था करके उनके उत्पादन में वृद्धि कराने का प्रयास किया जा रहा है । प्रति उत्पादन की जो पूरे प्रदेश की स्थिति है दूसरे प्रान्तों की स्थिति है मैं उसमें थोड़े में निवेदन करना चाहूंगा पंजाब में गेहूं 36.67 कुंटल प्रति है० पैदा होता है हरियाणा में 34.07 कुंटल प्रति है० पैदा होता है उत्तर प्रदेश में 22.54 प्रतिशत प्रति कुंटल प्रति है० पैदा होता है हमारा प्रति हैक्टेयर उत्पादन कम है इसको बढ़ाने के लिये और दूसरे प्रदेशों के बराबर लाने के लिये हमारी इस लोकप्रिय सरकार ने फैसला किया है । दूसरा चावल पंजाब में 27.70 कुन्तल, हरियाणा में 23.99 कुन्तल और उत्तर प्रदेश में 17.27 प्रतिशत प्रति क्विंटल प्रति हैक्टेयर होता है । इसी तरह से गन्ना 61.86 टन पंजाब में, 50.23 हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में 50.26 प्रतिशत टन प्रति हैक्टेयर होता है । इसकी उत्पादकता को बढ़ाना होगा ताकि ज्यादा उत्पादन हो और उनको ज्यादा पैसा मिले इसी के साथ मुझे बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि जो खेती करते हैं उनके पास अपनी जमीन नहीं है और दूसरे के खेतों में कार्य करते हैं वह कृषि मजदूर कहे जाते हैं और जो भू-स्वामी हैं, जिनके पास अपने खेत हैं वह लैण्डलार्ड कहे जाते हैं, किसान कहे जाते हैं तो हमें इस अंतर को बदलना है । जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं जो दूसरों के खेतों में काम करके अपना पसीना बहाते हैं, खून पसीना बहाते हैं ऐसे लोगों के लिये मजदूरी में वृद्धि की गयी है ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि जो बारीक चावल हम खाते हैं उसे अगर तीन-चार छोटी जाति की बेटियां न हों तो एक पूजा भर धान की रोपायी नहीं होगी और चावल नहीं होगा । उनकी तरफ किसी का ध्यान क्या गया है ? इन श्रमदेवियों के आंसू पोछने वाला भी कोई है । इनको सम्मानित करने के बारे में सोचा जायेगा । इनको सम्मानित करके इनके पसीने की कीमत चुकाना और इनको अच्छा पैसा मिले इसका निर्णय भी लिया जायगा । इन श्रमदेवियों को जो दूसरे के खेतों को सजाने संवारने का कार्य करती हैं, जो दूसरे के खेतों में चावल पैदा करने का काम करती हैं इनको देश में सम्मान मिलना चाहिए, इनको भी पुरस्कृत किया जाना चाहिए और हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है ।

मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने जो गन्ने का मूल्य है, जो पिछली सरकार में तय किया गया था जो जल्दी पकने वाला है उसका दाम 49 रुपये और जो देर से पकने वाला है उसका दाम 46 रुपये प्रति क्विंटल था इसको बढ़ाकर जल्दी पकने वाले का दाम 61 रुपये और देर से पकने वाले का दाम 58 रुपये किया है और यह 12 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा मिल रहा है । मान्यवर, मुझे किसानों ने बताया है, मेरे घर में स्वयं खेती होती है, मैंने जो देखा है कि इस साल एक एकड़ गन्ने की खेती में 26 हजार से 30 हजार रुपये का गन्ना किसानों का पैदा हुआ है और इस तरह से पूरे प्रदेश में गन्ने की जो पेराई की गयी है उसमें 100 करोड़ रुपया अधिक किसानों की जेबों में गया है । यह जो 100 करोड़

रुपया किसानों की जेबों में गया है उससे वह घर बनाने के लिये ईंट खरीदेगा, लोहा खरीदेगा, लकड़ी खरीदेगा। तो इस तरह से लोहे का उत्पादन बढ़ेगा और इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उससे कपड़ा खरीदेगा तो कपड़ा मिलों में काम ज्यादा उत्पादन करना होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा इसी तरह से यह पूरा चक्र चलेगा। तो यह जो ऐतिहासिक काम हमारी सरकार ने किया है उससे 100 करोड़ रुपया किसानों की जेबों में गया है। यह वही पैसा है जो दूसरे लोगों की जेबों में जाया करता था। एक निर्णय और लिया गया है कि जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का चावल होता है, जिसको हम बेचकर विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं इसको बढ़ावा देने के लिये, सब्सिडी देकर प्रोत्साहित करके, अच्छी तकनीक देकर, अच्छे बीज उपलब्ध कराकर एक्सपोर्ट क्वालिटी चावल का बड़े पैमाने पर उत्पादन करायेंगे, इससे किसानों की जेब गरम होगी और ज्यादा पैसा उनकी जेबों में जायेगा। इसके अलावा प्रदेश से बाहर अनाज भेजने के लिये जो बैरियर सिस्टम था, जो रोक लगी हुई थी, उसको भी हटाने का निर्णय लिया गया है, इसका उल्लेख माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में है।

मान्यवर, इसी तरह से बहुत से ऐसे लोग, जिनके कोई आंसू पोछने वाला नहीं था जैसे मल्लाह जाति के लोग, कहार जाति के लोग उनको तालाबों के पट्टे दिये जायेंगे और इस तरह से पट्टे देकर इस सरकार ने उनके भी आंसू पोछने का काम किया है। जो इस सरकार का संकल्प है कि हम आखिरी व्यक्ति के होठों पर मुस्कान देखना चाहते हैं, उसी के सिलसिले में जो दस्तकारी करने वाले लोग थे, जिनका पूरा जीवन तहस-नहस हो गया था, जो खाने के लिये मोहताज हो गये थे, ऐसे लोगों में बढ़ई, नाई, बुनकर, कुम्हार व धोबी आदि को भी लिया गया है। हमारे कुम्हार भाई जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, पहले वह मिट्टी के लिये दूसरों के खेतों पर जाते थे, लोग उनको रोकते थे और मारते पीटते थे, इससे उनका उत्पीड़न होता था। अब इस सरकार ने निश्चित किया है कि कोई भी कुम्हार ऐसा नहीं होगा जिसे दूसरों के खेतों पर मिट्टी के लिये जाना पड़े, अब वह खुद अपनी जमीन से मिट्टी निकालेंगे, इसके लिये उन्हें पट्टा दिया जायेगा, जिससे उनके साथ अब अन्याय नहीं होगा। इसी प्रकार इस प्रदेश में कारीगर बहुत सस्ते हैं और नोएडा व दिल्ली से बहुत बड़े पैमाने पर सिले हुए कपड़े विदेशों को जाते हैं। रोजगार के इस साधन की ओर भी इस सरकार का ध्यान गया है कि यहां के कारीगरों का उपयोग करके, नौजवानों को रोजगार देकर सिले हुए कपड़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं।

मान्यवर, इसी प्रकार यहां जूते बनते हैं और कारीगर सस्ता होने के कारण यहां के जूतों की मांग विदेशों में बहुत ज्यादा है, इसमें भी नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोजगार दे सकते हैं, इस तरह से जूते नोएडा व आगरा में बनते हैं, इसके एक्सपोर्ट की व्यवस्था कराकर लाभकारी मूल्य दिलाकर, नौजवानों को काम देने का सरकार ने निर्णय लिया है। इसी प्रकार पहले जो जमीनों का पट्टा होता था तो जो भूमिहीन जिनके पास रहने के लिये मकान नहीं है, झोपड़ी बनाने के लिये जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को बसाने के लिये पट्टा जो होता था, उस पर उनको कब्जा नहीं मिल पाता था। इसी तरह से जोतने के लिये जो पट्टा होता था उसको वह जोत नहीं पाते थे। पहली बार इस लोकप्रिय सरकार ने पट्टा देने का काम किया है और उस पट्टे पर कितना ही बड़ा माफिया क्यों न कब्जा किये हो, उससे छुड़ाकर संबंधित व्यक्ति को कब्जा दिलायेंगे, यह काम पहली बार इस सरकार ने करके दिखाया है। इसी तरह बहुत सारे मुकदमें जो लम्बित थे, बहुत लम्बे समय से चल रहे थे, ऐसे मुकदमें जो वरासत के थे, वारिस के मामले थे, म्यूटेशन के मामले थे, इस लोकप्रिय सरकार ने एक निर्णय लेकर, अभियान चलाकर मुकदमों को समाप्त करवाने का काम किया है। इसी तरह से मान्यवर, जिस कल्पना को कभी स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी देखा करते थे चौखम्भा राज और कहते थे कि जब तक आर्थिक सत्ता और राजनैतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं होगा तब तक सही लोकतंत्र नहीं पैदा होगा, न लोकतंत्र फूले-

फलेगा । इस मन्सूबे के तहत चौखम्भा राज की धारणा को स्पष्ट करने के लिये इस सरकार ने लोकल बाडीज ऐक्ट बना करके, पंचायती राज ऐक्ट को उस तरह का बना करके, राजनैतिक विकेन्द्रीकरण और सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने का मन्सूबा प्रस्तुत किया है ।

मान्यवर, शिक्षा परिवर्तन की जननी है । मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में यह व्यवस्था की थी कि आर्टीकिल 45 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जायेगी । उसे राज्य के नीति-निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है परन्तु आजादी के 46 साल के बाद बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है आज जो आंकड़े हमारे पास हैं, उस आंकड़े को अगर हम देखें तो मान्यवर, देश में आज 47.89 प्रतिशत निरक्षर लोग हैं और प्रदेश में 58.29 प्रतिशत निरक्षर लोग हैं । ये जो आंकड़े हैं उनमें चौकाने वाली बात यह है कि 35 साल से कम उम्र के लोगों की संख्या 30 प्रतिशत है । संविधान में जो कल्पना की गयी थी डा० अम्बेडकर ने जो सोचा था कि यह व्यवस्था 1960 से लागू होगी, अगर वह सही ढंग से लागू की गयी होती तो आज 40 साल के उम्र तक का कोई भी इंसान निरक्षर नहीं होता ।

आज तक जो इस देश के हुक्मरान बनते रहे हैं, उन्होंने यह आवश्यकता नहीं समझी कि यह शिक्षित हों, यह नहीं सोचा कि इस देश का बहुसंख्यक समाज को शिक्षित कर आगे बढ़ाया जाये इसके विपरीत वह चाहते थे कि ये लोग जाहिल, गंवार रहें, इनकी माली हालत अच्छी न हो, ताकि वह कोई फैसला न कर सकें और हम कम्बल बांटकर झूठी सांत्वना देकर उनका वोट लेते रहे हैं, परन्तु यह पहली सरकार बनी है जो गरीबों की सरकार है, जो ऐसे लोगों की सरकार है जो मेहनत करने वाले लोगों की है, उनके बीच से निकलकर इस सरकार के प्रतिनिधि आये हैं उसने फैसला किया है समयबद्ध एक कार्यक्रम बनाया है । तीन साल के अन्दर कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव में कोई प्राइमरी स्कूल न हो, कोई ऐसा विकास खंड, न्याय पंचायत नहीं होगी जहां पर उच्च प्राथमिक स्कूल नहीं होगा, कोई ऐसा ब्लाक नहीं होगा, जिस ब्लाक में लड़कियों को पढ़ने के लिये कन्या इण्टर कालेज नहीं होगा ।

मान्यवर, जब एक बच्चा पढ़ता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है लेकिन जब एक बच्ची पढ़ती है तो उससे एक परिवार शिक्षित होता है । इसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विकास खण्ड पर एक महिला स्कूल जरूर खुलेगा, इसकी घोषणा सरकार ने की है और समयबद्ध कार्यक्रम बना करके की है, मात्र कोरी घोषणा नहीं की है । जब लोग शिक्षित होंगे तो इससे उसमें चेतना जागेगी, यह अपने भले की बात को समझेंगे और फिर उनको कोई बहला नहीं सकता, फुसला नहीं सकता कि चलो मंदिर बनाने, वह प्रत्येक बात को समझेगा । इस सरकार ने निर्णय लिया है लोगों को अपने सही मताधिकार का ज्ञान हो सके, सही जानकारी हो सके, विवेक, बुद्धि पैदा हो सके । मान्यवर, इसी तरह से जो इस देश में महिलायें जो दूसरों के ऊपर निर्भर है, उन पर आये दिन जुल्म और अत्याचार होते हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिये इस सरकार ने योजना बनायी है, उनके लिये तमाम तरह के कार्यक्रम चला रही है । उनको स्टैनोग्राफी, कम्प्यूटर और फार्मेसी आदि का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है ।

[5 बजकर 20 मिनट]

पर्यावरण के बारे में आज पूरी दुनिया चिन्ता कर रही है । आज विकसित देशों का पर्यावरण असंतुलित हो चुका है । इसलिये उत्तर प्रदेश सरकार ने पहाड़ में, हिमालय श्रृंखला में, जो विश्व के पर्यावरण को संतुलित करता है, में वृक्षारोपण की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है ताकि आने वाली पीढ़ी को रोजगार मिल सके और लकड़ी मिल सके । ऐतिहासिक इमारत और विश्व का सातवां आश्चर्य

ताजमहल को पर्यावरण से नुकसान न होने पाये, वन विभाग की तरफ से एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है । जिस सातवें आश्चर्य ने विश्व में इस देश का सिर ऊंचा किया है, उसकी रक्षा करने का काम हमारी सरकार ने किया है ।

मान्यवर, भागीदारी का सवाल है । आरोप-प्रत्यारोप लगाये जाते हैं । नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि माननीय श्री काशीराम जी पिछड़ी जाति के लिये आरक्षण नहीं चाहते हैं । हम आरक्षण नहीं चाहते हैं, बी० एस० पी० के लोग आरक्षण नहीं चाहते हैं । हम चाहते हैं हिस्सेदारी और भागेदारी । जब तक जातिवाद व्यवस्था बनी हुई है, ऊंच नीच की व्यवस्था बनी हुई है तब तक इस देश में जिस जाति की जितनी जनसंख्या है, उतनी हिस्सेदारी उसकी शासन में, प्रशासन में, रोजी-रोटी में नौकरी में, धन धरती जितनी जगह उसके लिये इस देश में बनती है, उतनी उसको मिलनी चाहिये ।

मान्यवर, दूसरा आरोप लगाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग जातिवादी है । जो जातिवादी की बात करते हैं, मैं उनसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि क्या यह जाति चमार ने बनाई है, क्या अहिर, कुर्मी, कहार, गढ़रिया ने बनाई है, क्या धोबी व मल्लाह ने बनाई है, जिसके नाते आज उनको इतना नीच समझा जाता है, उनका अपमान होता है । जिस जाति के मात्र थाली छूने से ही भोजन जहर बन जाता है । जिस थाली में हड्डी खाने वाला कुत्ता खाना खाता है, उसे माज कर उसमें खाना खिलायेंगे परन्तु पता नहीं इन जातियों के मात्र छू लेने से ही थाली में कौन सी बीमारी आ जाती है । जातिवादी की व्यवस्था तो उन लोगों ने बनाई है जो जाति के नाम पर आज सम्मान पाते हैं और जाति के नाम पर मलाई खा रहे हैं । परन्तु आज उन्हें कष्ट हो रहा है । इस जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिये हमारे मसीहा डा० अम्बेदकर जी ने एक किताब लिखी है "एनहिलेशन आफ कास्ट" । यह जातिवाद ही इस देश के विकास में सबसे बड़ा बाधक है । यह एक अधोगामी व्यवस्था है, इसे समाप्त होना चाहिये । यह उन्होंने कहा था । आज जो ये लोग जातिवादी का ढिंढोरा पीट रहे हैं, जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वह अपनी बात सभी दलों के नेतागण कहें तो यह भी व्यक्त करने का कष्ट करेंगे कि उनकी पार्टी ने इस जातिवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिये कौन सा आन्दोलन चलाया है, या चला रहे हैं इसे तोड़ने के लिये कौन सा कार्य कर रहे हैं परन्तु आज माननीय श्री काशीराम जी ने आन्दोलन चलाया है "समाज जोड़ो और जाति तोड़ो" । जातिवाद समाप्त होना चाहिये । जातिवाद के नाम पर आज जो मलाई खा रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं और आशीर्वाद देने का ही काम करते रहे, आज जब उस दुधारी तलवार से उन्हें नुकसान होता दिखाई दे रहा है तो वह कह रहे हैं कि हम जातिवादी हो गये हैं । इसलिये मान्यवर, जाति व्यवस्था को बहुजन समाज पार्टी के लोग कतई नहीं चाहते हैं आन्दोलन चलाकर इसे समाप्त किया जाय । इस सरकार की भी इसमें पूर्ण आस्था है क्योंकि जातिवाद ने इस देश को बरबाद किया है । जाति व्यवस्था समाप्त हो, इंसान को इंसान समझा जाय जो हजारों साल से इंसानियत को गुलाम समझे पड़े हैं उसे ठीक किया जाय । कुछ लोग जाति के नाम से जाने जाते हैं । हम चाहते हैं कि देश में इंसान--इंसान से जाना जाय । दूसरा इस सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रशासन संवेदनशील हो । अभी तक जो कर्मचारी गलती करता था उसे सजा मिलती थी । इस सरकार की मंशा यह है कि जो भ्रष्टाचार है प्रशासन में जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उन पर नियंत्रण किया जाय । भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता है नीचे से ऊपर नहीं जाता ।

इसलिये शासन ने निर्णय लिया है कि जिला स्तर पर यदि दंगे होंगे, जो फसाद होंगे, जो जुर्म होंगे उसके लिये उस थाने का दरोगा, सिपाही दोषी होगा ही उसके साथ-साथ डी० एम०, एस० पी० भी दोषी होगा, उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी । इस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में अगर डाक्टर नहीं

रहेगा, पी० एच० सी० में० डाक्टर, नर्स काम नहीं करेंगे तो वह दोषी होंगे लेकिन इसे के साथ-साथ जिला स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी सी० एम० ओ० भी दोषी माना जायेगा उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी । यह निर्णय सरकार ने लिया है हर विभाग का बड़ा अधिकारी जो होगा अगर वह ठीक से अपना कर्तव्य पालन नहीं करता है तो उसे दोषी समझा जायेगा अगर बड़ा अधिकारी ठीक हो जायेगा तो छोटा अधिकारी/कर्मचारी अपने आप संभल जायेगा ।

इस तरह से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो संक्षिप्त में सरकार की नीतियों का उल्लेख किया गया है उसके प्रति जो धन्यवाद प्रस्ताव मैंने रखा है उस पर मुझे उम्मीद है, सभी महत्वपूर्ण सुझाव देंगे और सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव पास करेंगे । इस आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय बी० आर० वर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में माननीय बाजपेयी जी को बुलाता हूं ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में माननीय वर्मा जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं, मैं समर्थन इसलिये करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रदेश के विकास को गतिशील बनाने के लिये, प्रदेश के विकास को नयी दिशा देने के लिये प्रदेश की तरक्की के लिये जो सरकार ने अपनी नीति व्यक्त की है उससे पूरे प्रदेश की जनता के मन में विश्वास जागा है कि इससे प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश विकासोन्मुख होगा ।

मान्यवर, किसी राजनीतिक दल का जो घोषणा-पत्र होता है वह उस दल का मुख्य पृष्ठ होता है तो पहली बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ उसका एक-एक शब्द लागू करने का काम इसमें किया है । यह संसदीय इतिहास में अभूतपूर्व घटना हुई है कि चुनाव के पहले जो वायदे जनता से किये गये उनका एक-एक शब्द लागू करने का काम किया है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बाजपेयी जी अब आप अपना समर्थन भाषण यहीं बन्द कर दें । कल जारी रहेगा । अब मैं अगली मद ले रहा हूं ।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 23 फरवरी, 1994 को नियम–51 के अन्तर्गत 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । इनमें पहली सूचना श्री बदन सिंह जी की है, जो 8 फरवरी, 1994 को जनपद आगरा की किरावली तहसील में बेमौसम वर्षा और भारी ओलावृष्टि से हुयी क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में हैं । इसे वक्तव्य के लिये स्वीकृत किया जाता है ।

दूसरी सूचना श्री रमापति शास्त्री की है, जो जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज में आये भीषण चक्रवात से हुई जन धन हानि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत किया जाता है ।

शेष सूचनायें, जो श्री मातवर सिंह कण्डारी, श्री प्रीतम सिंह, श्री तिलकराज, श्री बची सिंह रावत, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री सुरेश संगल, श्री मयंकर सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री लल्लू सिंह,

श्री हरेन्द्र सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री बालेश्वर त्यागी, श्री रंगनाथ सिंह, श्री रमेश पोखरियाल की है, अस्वीकृत की जाती हैं ।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे (पूर्वाह्न) फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
23-2-94

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 86 का उत्तर पीछे पृष्ठ 64 पर)

जनपद देवरिया के हाटा तहसील के अन्तर्गत लगाये गये नलकूपों की सूची

क्र०सं०	तहसील	ब्लाक का नाम	ग्राम का नाम	नलकूप संख्या व समूह	विवरण
1	2	3	4	5	6
			नलकूप जो चालू हालत में हैं		
1	हाटा	हाटा	पिपरा तिवारी	2 एच०जी०	चालू है
2	,,	,,	दादा बुजुर्ग	3 एच०जी०	,,
3	,,	,,	रधिया देवरिया	5 एच०जी०	,,
4	,,	,,	गोपालपुर	6 एच०जी०	,,
5	,,	,,	परशुरामपुर	14 एच०जी०	दि० 27-1-94 को मोटर जल गया।
6	,,	,,	वाघनाथ	17 एच०जी०	चालू है
7	,,	,,	महुई हुजुर्ग	34 एच०जी०	,,
8	,,	,,	पटनी	41 एच०जी०	,,
9	,,	,,	बतया	45 एच०जी०	,,
10	,,	सुकरोली	पिपरा हुसेन	1 एच०जी०	,,
11	,,	,,	सुकरोली	16 एच०जी०	दि० 29-1-94 से एक फेस में विद्युत नहीं आ रही है।
12	,,	,,	पड़री	21 एच०जी०	चालू है
13	,,	,,	बलुवाजीपाल	35 एच०जी०	,,
14	,,	,,	सेमरी महेशपुर	1 जी०बी०जी०	,,
15	,,	,,	बेकोली	5 जी०बी०जी०	,,
16	,,	,,	पिपरा लालमन	6 जी०बी०जी०	,,
17	,,	,,	बड़री	9 जी०बी०जी०	,,
18	,,	,,	पड़री	12 जी०बी०जी०	,,
19	,,	मोतीचक	अजीज नगर	22 एच०जी०	,,
20	,,	,,	वैकोली	23 एच०जी०	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
21	हाटा	मोतीचक	सोनिया	25 एच०जी०	चालू है
22	,,	,,	सोडरा	26 एच०जी०	,,
23	,,	,,	पकड़ी	27 एच०जी०	,,
24	,,	,,	खोखिया	29 एच०जी०	,,
25	,,	,,	मथौली	31 एच०जी०	दि० 13-1-94 से वोल्टेज सही नहीं मिल रही है।
26	,,	,,	शिस्वावेलमरिया	32 एच०जी०	चालू है
27	,,	,,	डुमरी	33 एच०जी०	,,
28	,,	रामकोला	टेकुवाटार	15 एच०जी०	,,
29	,,	,,	सोहरौना	38 एच०जी०	,,
30	,,	,,	पर	47 एच०जी०	,,
31	,,	,,	इन्द्रसेनवा	48 एच०जी०	,,
32	,,	कप्तानगंज	पड़ोली	10 एच०जी०	,,
33	,,	,,	महुआव खुर्द	11 एच०जी०	,,
34	,,	,,	घोड़ा देउर	12 एच०जी०	,,
35	,,	,,	बड़लिया	19 एच०जी०	दि० 27-1-94 को मोटर जल गया।
36	,,	,,	कप्तानगंज	20 एच०जी०	चालू है
37	,,	,,	इन्दरपुर	24 एच०जी०	,,
38	,,	,,	कप्तानगंज	46 एच०जी०	,,
			नलकूप जो खराब है		
39	हाटा	कप्तानगंज	मोहन मुडेस	18 एच०जी०	खराब है
			नलकूप जिनका परित्याग किया जाना है		
			(जिनकी संस्तुति जिला स्तरीय समिति से हो गयी है)		
40	हाटा	हाटा	पिपरी	9 एच०जी०	
41	,,	,,	चरगहा	13 एच०जी०	
42	,,	,,	महुई खुर्द	40 एच०जी०	
43	,,	सुकरौली	मोहनापुर	4 एच०जी०	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
44	हाटा	मोतीचक	भलुही	28 एचजी०	
45	,,	रामकोला	कुसुम्हा	36 एच०जी०	
46	,,	,,	कुसुम्ही अहरौली	37 एच०जी०	
47	,,	,,	अमवा बाजार	38 एच०जी०	
48	,,	,,	कुसुम्हा	39 एच०जी०	
			(जिनकी संस्तुति जिला स्तरीय समिति से होनी है)		
49	हाटा	सुकरौली	भगवानपुर	7 एच०जी०	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 117 का उत्तर पीछे पृष्ठ 78 पर)

विद्युत सेल, स्वास्थ्य भवन के माध्यम से वर्ष 1991, 92 व 93 में रखे गये दैनिक/कैजुअल श्रमिक कर्मचारियों का विवरण

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम (स्वास्थ्य भवन में विद्युतीय व्यवस्था हेतु)	तैनाती की अवधि	भुगतान की दर प्रतिदिन	आदेश किससे प्राप्त किया गया
1	2	3	4	5
		वर्ष 1991		
1	श्री सतीश चन्द्र	26-12-90 से 8-7-91	30.00	निदेशक प्रशासन के आदेश दिनांक 21-2-91 के द्वारा तीन माह की स्वीकृति प्रदान की गयी।
2	श्री आर० एन० यादव	26-12-90 से 25-12-91	25.00	शासनादेश संख्या-1749-सेक- 5/पांच-91-700 (200)/90, टी० सी०
3	श्री जितेन्द्र	26-12-90 से 25-6-91	25.00	
4	श्रीमती विमला	26-12-90 से 25-12-91	70.00 (प्रतिमाह)	
5	श्री सूरज पाल यादव	1-1-91 से 31-12-91	30.00	दिनांक 13-5-91 के द्वारा एक वर्ष की स्वीकृति प्राप्त हुई।
6	श्री कमलेश कुमार	1-1-91 से 31-12-91	30.00	शासनादेश संख्या 4702-सेक-2/पांच-87-5(75) 85, दिनांक 24-9-88 के द्वारा तीन दैनिक हेल्पर के पद सृजित हुए हैं। उक्त पदों की निरन्तरता प्रत्येक वर्ष प्राप्त की जा रही है।
7	श्री लाल	1-1-91 से 31-12-91	25.00	
8	श्री राम नगीना सिंह	1-1-91 से 31-12-91	25.00	
9	श्री रामू पाण्डे	1-1-91 से 31-12-91	25.00	
10	श्री जयनाथ यादव	13-6-91 से 31-12-91	25.00	
		कूलरों में पानी की व्यवस्था हेतु		
1	श्री दिलीप कुमार	15-4-91 से 15-7-91	25.00	निदेशक महोदय से स्वीकृति प्राप्त की गयी।
2	श्री सन्त राम	15-4-91 से 15-7-91	25.00	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
3	श्री राम सजीवन	15-4-91 से 15-7-91	25.00	
4	श्री रामू	15-4-91 से 15-6-91	25.00	
5	श्री अजय बिहारी लाल	15-4-91 से 15-7-91	25.00	
6	श्री विजय सिंह	15-4-91 से 15-7-91	25.00	
7	मोहम्मद अशरफ	15-4-91 से 15-7-91	25.00	
8	श्री निलेश कुमार पाल	16-4-91 से 15-7-91	25.00	
		वर्ष 1992		
1	श्री आर० एन० यादव	26-12-91 से 25-12-92	25.00	शासनादेश संख्या 3145–सेक–पांच–700 (200)
2	श्रीमती विमला	26-12-91 से 25-1-92	70.00 (प्रति माह)	90, दिनांक 2-2-93 के द्वारा 3 माह की स्वीकृति प्राप्त हुई थी।
3	श्री सूरज पाल यादव	1-1-92 से 31-12-92	30.00	
4	श्री कमलेश कुमार	1-1-92 से 31-12-92	30.00	
5	श्री लाल	1-1-92 से 31-12-92	25.00	शासनादेश संख्या–4702–
6	श्री रामनगीना सिंह	1-1-92 से 31-12-92	25.00	सेक–2/पांच–87-5 (75)
7	श्री रामू पाण्डे	1-1-92 से 31-8-92	25.00	85, दिनांक 24-9-88 के
8	श्री जयनाथ यादव (माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के अनुपालन में)	1-1-92 से 31-12-92	25.00	द्वारा 3 दैनिक हेल्पर के स्वीकृत पदों की निरन्तरता प्राप्त की गयी महानिदेशक महोदय के दिनांक 30-7-92 द्वारा तीन माह की स्वीकृति प्राप्त हुई।
		कूलरों में पानी की व्यवस्था हेतु		
1	श्री दिलीप कुमार	16-4-92 से 15-7-92	25.00	निदेशक महोदय से स्वीकृति प्राप्त की गयी है।
2	श्री सन्तराम	16-4-92 से 15-7-92	25.00	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
3	श्री अजय बिहारी लाल	16-4-92 से 15-6-92	25.00	
4	श्री विजय सिंह	16-4-92 से 15-7-92	25.00	
5	श्री दिनेश चन्द्र निगम	16-4-92 से 15-7-92	25.00	
6	श्री निलेश कुमार	16-4-92 से 15-7-92	25.00	
7	श्री राजेन्द्र प्रसाद	16-4-92 से 15-7-92	25.00	
8	श्री देव सिंह रावत	16-4-92 से 15-7-92	25.00	
9	श्री अजय कुमार	16-6-92 से 15-7-92	25.00	
		वर्ष 1993		
1	श्री आर० एन० यादव	26-12-92 से 3-9-93	25.00	शासनादेश सं० 4702 सेक–2/पांच–87–5(75)/85 दि० 24-9-88 के स्वीकृत पदों की निरन्तरता प्राप्त हुयी।
2	श्री सूरज पाल यादव	1-1-93 से 31-8-93	30.00	
3	श्री कमलेश कुमार	1-1-93 से 31-8-93	30.00	
4	श्री लाल	1-1-93 से 23-3-93	25.00	
5	श्री राम नगीना सिंह	1-1-93 से 3-9-93	25.00	
6	श्री जयनाथ यादव	1-1-93 से 31-12-93	25.00	महानिदेशक महोदय के आदेश दिनांक 28-6-93 के द्वारा तीन माह की स्वीकृति प्रदान की गयी।
		कूलरों में पानी की व्यवस्था हेतु		
1	श्री अजय कुमार गुप्ता	16-4-93 से 16-6-93	25.00	निदेशक महोदय की स्वीकृति प्राप्त की गयी।
2	श्री सन्तराम यादव	16-4-93 से 15-7-93	25.00	
3	श्री दिलीप कुमार यादव	16-4-93 से 15-7-93	25.00	
4	श्री हफीज अली	16-4-93 से 15-7-93	25.00	
5	श्री दिलीप कुमार	16-5-93 से 15-7-93	25.00	
6	श्री राजेन्द्र कुमार	14-4-93 से 15-7-93	25.00	
7	श्री जितेन्द्र कुमार	16-5-93 से 15-7-93	25.00	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 144 का उत्तर पीछे पृष्ठ 89 पर)

अतारा० प्र० सं०–144 का संलग्नक

ग्राम अटवा असिगांव, विकास खंड हरियांवा के आवास स्थल आवंटियों की सूची

क्र० सं०	आवंटी का नाम व पिता का नाम	निवास ग्राम का नाम	जाति	आवंटित भूमि का क्षेत्रफल	स्वीकृति का दि०	कब्जा देने का दि०	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सर्वश्री बसन्त पुत्र भूधर	नि० किन्दरपुरवा	चमार	100 वर्गमी०	30-11-91	7-12-91	–
2	शिवपाल पुत्र खंजादे	,,	,,	100 वर्गमी०	,,	,,	–
3	श्यामलाल पुत्र खंजादे	,,	,,	100 वर्गमी०	,,	,,	–
4	श्यामा कुमार पुत्र खंजादे	,,	,,	100 वर्गमी०	,,	,,	–
5	दीना पुत्र गंगू	,,	,,	100 वर्गमी०	,,	,,	–
6	अहिबरन पुत्र गंगू	,,	,,	100 वर्गमी०	,,	,,	–
7	जमुना पुत्र गंगू	,,	,,	100 वर्गमी०	,,	,,	–
8	कोमिल पुत्र जालिम	,,	,,	100 वर्गमी०	,,	,,	–
9	राजेन्द्र पुत्र कोमिल	,,	,,	100 वर्गमी०	,,	,,	–
10	नेतराम पुत्र कोमिल	,,	,,	100 वर्गमी०	,,	,,	–
11	छोटे लाल पुत्र प्रभु	,,	,,	100 वर्गमी०	,,	,,	–
12	रतीराम पुत्र छोटे लाल	,,	,,	100 वर्गमी०	,,	,,	–
13	श्रीकृष्ण पुत्र कुशल	,,	,,	100 वर्गमी०	,,	,,	–
14	मन्ना पुत्र मक्का	,,	,,	100 वर्गमी०	,,	,,	–
15	रामचन्द्र पुत्र चतुरी	नि० ग्राम	पासी	100 वर्गमी०	4-1-92	14-1-92	–
16	मैकू पुत्र चतुरी	,,	,,	100 वर्गमी०	,,	,,	–
17	राम औतार पुत्र चतुरी	,,	,,	100 वर्गमी०	,,	,,	–
18	राम रहीस पुत्र चतुरी	,,	,,	100 वर्गमी०	,,	,,	–
19	साधू पुत्र चतुरी	,,	,,	100 वर्गमी०	,,	,,	–
20	रामदीन पुत्र चतुरी	,,	,,	100 वर्गमी०	,,	,,	–
21	जयराम पुत्र सुब्बा	,,	,,	100 वर्गमी०	,,	,,	–
22	विश्राम पुत्र सुब्बा	,,	चमार	100 वर्गमी०	,,	,,	–
23	चेतराम पुत्री मुरली	,,	,,	100 वर्गमी०	,,	,,	–

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
24	सर्वश्री सुरेश पुत्र मिही	नि० ग्राम	चमार	100 वर्गमी०	14-1-92	..	–
25	मिही लाल पुत्र मुरली	,,	,,	100 वर्गमी०	..	..	–
26	रेवती पुत्र मुल्ला	,,	,,	100 वर्गमी०	..	..	–
27	कढ़िले पुत्र मुल्ला	,,	,,	100 वर्गमी०	..	..	–
28	परशुराम पुत्र जीवन	,,	,,	100 वर्गमी०	..	..	–
29	सुल्तान पुत्र दूजा	,,	,,	100 वर्गमी०	..	..	
30	देवन पुत्र मथुरी	,,	,,	100 वर्गमी०	..	..	–
31	टीकाराम पुत्र दूजा	,,	,,	100 वर्गमी०	..	..	–
32	राम कृष्ण पुत्र सूबेदार	,,	,,	100 वर्गमी०	..	..	–
33	इन्द्रपाल पुत्र कप्तान	,,	धोबी	100 वर्गमी०	..	..	–
34	वीरेन्द्र पुत्र देरम	,,	,,	100 वर्गमी०	..	..	–
35	सुन्दर पुत्र शहिजादे लाल	,,	,,	100 वर्गमी०	..	..	–
36	रामस्वरूप पुत्र रामेश्वर	,,	,,	100 वर्गमी०	..	..	–
37	शिव प्रसाद पुत्र भजन	,,	लोहार	100 वर्गमी०	..	..	–
38	अबदुल्ला पुत्र बदले	,,	मुसलमान	100 वर्गमी०	..	..	–
39	सुरेन्द्र सिंह पुत्र जसन्दर सिंह	,,	ठाकुर	100 वर्गमी०	..	..	–
40	लल्लू सिंह पुत्र मुन्शी सिंह	,,	,,	100 वर्गमी०	..	..	–
41	देशराज सिंह पुत्र मुन्शी सिंह	,,	,,	100 वर्गमी०	..	..	–
			योग ...	4100 वर्ग मी०			

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या	36 क्षेत्रफल =	3600 वर्ग मीटर
पिछड़ी जाति के व्यक्तियों की संख्या	01 क्षेत्रफल =	100 वर्ग मीटर
सवर्ण जाति के व्यक्तियों की संख्या	04 क्षेत्रफल =	400 वर्ग मीटर
	योग .. 41 व्यक्ति =	4100 वर्ग मीटर

ह०/
मुख्य विकास अधिकारी,
हरदोई।

ह०/-
जिलाधिकारी,
हरदोई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 157 का उत्तर पीछे पृष्ठ 94 पर)

विकास खण्ड थलीसैंण, बीरोखाल एवं पोखड़ा के अन्तर्गत निर्मित हुए पंचायत भवनों की सूची

क्र०सं०	नाम विकास खंड	नाम ग्राम सभा जहां पंचायत भवन निर्मित हुआ है	निर्मित पंचायत भवनों की संख्या
1	2	3	4
1	थलीसैंण	1–कैनयूर	1
		2–रोली	1
		3–ऐंठी	1
		4–गंगाऊं	1
		5–पोखरी	1
		6–हंस्पूड़ी	1
		7–जैंतीडांग	1
		8–मासों	1
		9–गडिगांव	1
		10–रिक्साल	1
		11–नौगांव	1
		12–पैठावी	1
		13–रिखोली	1
		14–कुण्डिल	1
2	बीरोंखाल	1–लोदली	1
		2–भरौली	1
		3–भौराड़	1
		4–डुमेलामल्ला	1
		5–डुमेलातल्ला	1
		6–पखोली तल्ली	1
		7–स्यूंसी	1
		8–बंगार	1
		9–नौगांव	1
		10–मेलधार	1
		11–ढौड	1
		12–मासों	1
		13–डुलमोट	1

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
	बीरोंखाल–(समाप्त)		
		14–बहेड़ा	1
		15–बवासा तल्ला	1
		16–बवासामल्ला	1
		17–नऊ	1
		18–नागनी	1
		19–सीली तल्ली	1
		20–पाली	1
		21–सुन्दरखाल	1
		22–ढौंर	1
		23–जिवई	1
		24–सुकई	1
		25–वापता	1
		26–पंचराड़	1
3	पोखड़ा	1–पोखड़ा	1
		2–ल्वींठा	1
		3–मदूली	1
		4–चमनाऊं	1
		5–भेटी	1
		6–ओडगांव	1
		7–गवाणी	1
		8–किमगड़ी	1
		9–दांधा	1
		10–दगखंडा	1
		11–सलाण	1
		12–कोला	1
		13–बड़ेथ	1
		14–हड़कोट	1
		15–बोरगांव	1
		16–गडोली	1

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 189 का उत्तर पीछे पृष्ठ 107 पर)

प्रतिलिपि

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद ।

पत्रांक 415/प्राविद०/सुरक्षा/89-90,दिनांक 21 जून, 1991

श्री राम अकबाल तिवारी,

ड्यूटी इंचार्ज, पी०आर०डी०/

क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रा० वि० दल

अधिकारी, मसौधा, फैजाबाद ।

ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, फैजाबाद एवं जिलाधिकारी महोदय, फैजाबाद के आदेशानुसार कोतवाली, फैजाबाद, कोतवाली अयोध्या, पुलिस लाइन्स, फैजाबाद तथा अन्य समस्त स्थानों पर तैनात पी०आर०डी० जवानों की देखरेख, निरीक्षण हेतु आपको पत्रांक मेमो/प्राविद०/ड्यूटी–इंचार्ज/ 89-90, दिनांक 28 सितम्बर, 89 द्वारा ड्यूटी इंचार्ज बताया गया है, एवं आदेशित किया गया है कि जवानों का निरीक्षण कर स्थिति से अवगत करायें तथा तद्नुसार जवानों के सम्बन्धित ड्यूटी स्थान से सूची प्रमाणित कराकर मस्टर रोल भी तैयार करें ।

इसी संदर्भ में प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली, फैजाबाद, प्रभारी निरीक्षक, कोत०, अयोध्या, प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन्स, फैजाबाद को पत्रांक 90/प्राविद/ड्यूटी/89-90, दिनांक 29 सितम्बर, 89 को भेजा गया है, जिसकी प्रतिलिपि आपको पालनार्थ एवं खं० वि० अ०, मसौधा को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित है ।

आपको पत्रांक 201/प्राविद०/ड्यूटी 89-90, दिनांक 6-11-89 पत्रांक 239/प्राविद/ड्यूटी/89-90, दिनांक 16-11-89, पत्रांक मेमो/प्राविद०/89-90, दिनांक 25-11- पत्रांक 572/प्राविद०/ड्यूटी/89-90, दिनांक 28-2-90, पत्रांक 1168/प्राविद०/89-90, दिनांक 31-8-90 द्वारा मस्टर रोल प्रस्तुत करने हेतु अनुस्मारक भी दिया गया तथा पत्रांक मेमो/प्राविद०/बैठक–निदेशालय/90-91, दिनांक 5-9-90 द्वारा मस्टर रोल उपलब्ध कराने का पुनः निर्देश दिया गया है । किन्तु अनुस्मारक जारी होने के बावजूद भी प्रतिमाह मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किये गये ।

इसी परिप्रेक्ष्य में पी०आर०डी० जवानों को उपस्थित/अनुपस्थित करने की शिकायत को दृष्टिगत रखते हुए तत्कालीन मु०वि०अ० महोदय ने आदेश संख्या–1321/प्राविद०/सुरक्षा–ड्यूटी/90-91, दिनांक 9-8-90 द्वारा प्रतिदिन जवानों की चेकिंग करके उपस्थिति/अनुपस्थिति की रिपोर्ट प्रतिदिन मु०वि०अ० को उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया गया । जिसकी प्रतिलिपि खं०वि०अ०, मसौधा व प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली को भी पृष्ठांकित है ।

खं०वि०अ०, मसौधा द्वारा आपके वि०खं० मुख्यालय पर उपस्थित न होने के सम्बन्ध में पूछे जाने पर आपने पत्र दिनांक 12-12-90 द्वारा ड्यूटी कार्य सम्पादन की व्यवस्था सम्बन्धी रिपोर्ट भी दी है ।

इस प्रकार स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी आप न तो प्रतिदिन जवानों की चेकिंग करके उपस्थिति/अनुपस्थिति की रिपोर्ट ही उपलब्ध कराते हैं और प्रतिमाह जवानों का मस्टर रोल भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिसके कारण जवानों का भुगतान भी लम्बित होता गया है, अस्तु इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नवम्बर, 90 से मई, 91 तक का मस्टर रोल कोतवाली अभिलेखों (जी०डी०) के आधार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही साथ नियमित रूप से चेकिंग करके प्रतिदिन जवानों की उपस्थिति/अनुपस्थिति रिपोर्ट मु०वि०अ० महोदय को प्रस्तुत करते रहें ।

जिला युवा कल्याण एवं
प्रादेशिक विकास दल अधिकारी,
फैजाबाद ।

पत्रांक 415/प्राविद०/ड्यूटी/पी०आर०डी०, दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि :–

1–जिला विकास अधिकारी, फैजाबाद की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

2–मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद की सेवा में अवलोकनार्थ ।

ह०/–
जिला युवा कल्याण एवं
प्रादेशिक विकास दल अधिकारी,
फैजाबाद ।

पी० एस० यू० पी०–एल० 27 विधान सभा (40)–1994 (डी० टी० पी०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा